विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्।
यावद् व्रजति न भूमौ देशाद् देशान्तरं हृष्टः''।।

–(पंचतंत्र)

जब तक मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर एक देश से दूसरे देश का भ्रमण नहीं करता, तब तक सम्यक् रूप से विद्या, धन एवं शिल्प को प्राप्त नहीं करता है।

बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) में पर्यटन विकास नियोजन

(कालिंजर के विशेष सन्दर्भ में)

Tourism Development Planning in Bundelkhand (U.P.)

(With Special Reference to Kalinjar)

भूगोल विषय में

पी-एच०डी० उपाधि हेतु

प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

द्वारा

प्रत्यूष मिश्र

निदेशक

डॉ० बहोरीलाल वर्मा

रीडर, भूगोल विभाग

अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिसम्बर, २००२
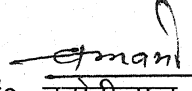
डॉ0 बहोरीलाल वर्मा
रीडर, भूगोल विभाग
अतर्रा पोस्ट–ग्रेजुएट कालेज,
अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0

निवास
बिजलीखेड़ा, बाँदा (उ0प्र0)
☎ : (05192) 220193 (नि0)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ***प्रत्यूष मिश्र*** द्वारा मेरे निर्देशन में ***"बुन्देलखण्ड (उ0प्र0) में पर्यटन विकास नियोजन (कालिंजर के विशेष संदर्भ में)"*** शीर्षक पर भूगोल विषय में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु शोध समिति/विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश में प्रख्यायित प्रावधानों के अधीन कार्य पूर्ण किया गया है। मेरे द्वारा समय–समय पर शोध प्रबन्ध में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण एवं सत्यापन कर लिया गया है। पर्यटन विकास नियोजन से सम्बन्धित यह एक मौलिक कार्य है।

मैं इनके कार्य से पूर्ण संतुष्ट हूं एवं शोध प्रबन्ध को पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु अग्रसारित करता हूं।

(डॉ0 बहोरीलाल वर्मा)
शोध निदेशक

दिनांक : 20.12.2002

आभारोक्ति

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध आदरणीय डॉ0 बहोरीलाल वर्मा, रीडर भूगोल विभाग, अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा के विद्वतापूर्ण निर्देशन एवं स्नेहिल प्रोत्साहन में सम्पन्न हुआ जिनका मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। इनके अथक एवं अविराम परिश्रम का यह सुफल है। मैं अपने पूज्य पिताश्री डॉ0 कृष्ण कुमार मिश्र, रीडर भूगोल विभाग, अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा का सदैव चिर ऋणी रहूंगा, जिन्होंने सर्वाधिक समय देकर मुझे कुशल दिशा– निर्देशन प्रदान किया। निश्चय ही यह उनके सफल प्रयास का सुपरिणाम है कि यह शोध प्रबन्ध मौलिकता के साथ समय से पूर्ण हो सका। विषय को वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक बनाने में पिताश्री ने अपने अनुभवों एवं ज्ञान से इस प्रबन्ध को पूर्ण करने में अपनी अप्रतिम क्षमता का उपयोग किया है। ऐसे व्यक्तित्व के चरणों में नमन करता हूं।

मैं डॉ0 बी0आर0 त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा के प्रति भी असीम कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों से कुछ समय निकालकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में अपने प्राप्त अनुभवों द्वारा शोध साहित्य के संवर्द्धन में अपनी अन्वेषी प्रतिभा से ऐसे शोध परक कथ्य और शिल्प प्रस्तुत किये जिनसे शोध कार्य को एक नया आयाम मिला। उनके इस विज्ञानपरक एवं श्लाघनीय दिशा–निर्देश के लिये मैं शतशः आभारी हूं। इसी क्रम में मैं डॉ0 गया प्रसाद 'स्नेही' प्रवक्ता हिन्दी, अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा का विशेष आभारी हूं जिन्होंने शोध साहित्य को तलासने एवं उसे समुचित शब्द–विन्यास से समलंकृत करने का समय–समय सुझाव और विमर्श देते रहे।

मैं श्री विपिन बिहारी अरजरिया, ग्राम प्रधान तरहटी कालिंजर, श्री हरी प्रसाद कुशवाहा (शिक्षक) रामनगर निस्फ, क्षेत्रीय लेखपालों, दिनेश कुमार कुशवाहा एवं अन्य उन सभी विद्वानों एवं सहयोगियों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्राथमिक सर्वेक्षण, सूचनाओं के एकत्रीकरण, साहित्य संवर्द्धन आदि में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया तथा अमूल्य सुझाव दिये।

अपनी ममतामयी माँ (श्रीमती) कुसुमा मिश्रा का मैं सर्वथा ऋणी रहूंगा जिनकी वात्सल्यमयी छत्र–छाया के नीचे प्यार, दुलार एवं शैक्षणिक नवाचारिता प्राप्त होती रही। अपने अग्रज श्री पीयूष मिश्र, भाभी (श्रीमती) डॉ0 आराध्या मिश्रा एवं अनुजा कु0 प्रियम्वदा मिश्रा के प्रति भी कृतज्ञ हूं जिनके आशीर्वाद एवं विपुल सहयोग से शोध कार्य को समय से पूरा करने में सफल हो सका।

अन्त में मैं पी0डी0कम्प्यूटर्स के प्रोपराइटर राजेश कुमार गुप्त, मित्र प्रदीप कुमार गुप्त तथा कम्प्यूटर आपरेटर श्री बिहारी शरण निगम, सिविल लाइन्स, बाँदा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने समय से शोध प्रबन्ध का लेजर कम्पोजिंग सम्पन्न कर शोध प्रबन्ध को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया।

Pratyush Mishra.
(प्रत्यूष मिश्र)

दिनांक– 20 दिसम्बर, 2002

विषय–सूची

सारिणी–सूची

चित्र–सूची

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना

प्रस्तावना
(INTRODUCTION)

भारतीय परिवेश में पर्यटन आदिकाल से अपनी उपस्थिति दर्शाता रहा हैं। प्राचीन भारतीय वांङमय का विहंगावलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत की विभिन्न कलाओं / विधाओं में भारतीय सन्दर्भों के अतिरिक्त विदेशी संदर्भ भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उदाहरणार्थ– चिकित्सा विज्ञान की विशेष विधा आयुर्वेद जो भारत की विश्व को अनुपम देन है, उसमें चीन के रेशम से बने पट्ट तथा अरब देशों से उपलब्ध वनस्पतियों का उल्लेख तथा भारतीय चिकित्सा का वहाँ की भाषाओं में तत्कालीन समय में अनुवाद का उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है कि एक देश से दूसरे देश की यात्रा होती थी तथा व्यक्ति / समाज एक–दूसरे के ज्ञान का लाभ प्राप्त करता था तथा भविष्य में ज्ञान को सुरक्षित करने हेतु उसे अपनी भाषा में लिपिबद्ध भी कर लेता था। भारत जैसे विशाल देश में असंख्य भाषाओं, लिपियों, मान्यताओं, रूढ़ियों, भौगोलिक विभिन्नताओं, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक सन्दर्भों एवं दीर्घकालीन धार्मिक आस्थाओं, संरचनाओं एवं व्यवस्थाओं के दृष्टिगत यहां पर एक–दूसरे को जोड़ने और इन विविधताओं के पश्चात् भारतीय होने का गौरव संजोने में यदि कहा जाय कि पर्यटन के कारण ही सम्भव था तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सम्भवतः विश्व में भारत ही ऐसा पहला देश रहा है जिसने व्रजन या पर्यटन के महत्व एवं गुणों को निम्नवत् रूप में परिभाषित किया है–

"विद्यां दित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्।
यावद् व्रजति न भूमौ देशाद् देशान्तरं ह्रष्टः"।। (पंचतंत्र)।।

अर्थात्,

"विद्या, वित्त और शिल्प आदि की जानकारी तब तक पूरी तरह नहीं हो सकती हैं, जब तक कि मनुष्य पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रसन्नतापूर्वक भ्रमण नहीं कर लेता है"।

आधुनिक पर्यटन साहित्य में मुख्य रूप से व्यापार, शिक्षा, एवं आनन्द को पर्यटन में सम्मिलित किया गया है जबकि उपरोक्त भारतीय परिभाषा में विद्या, व्यापार (वित्त) व आनन्द के साथ–साथ शिल्प (कला) को पर्यटन का मुख्य घटक माना गया है। इस परिभाषा में पश्चिमी परिभाषा के सापेक्ष भारत का मौलिक योगदान स्पष्ट परिलक्षित होता है।

वस्तुतः पर्यटन का सबसे आवश्यक अंग / तत्व है– मनुष्य द्वारा चलना या घूमना। इस मूल तत्व के बगैर पर्यटन की संकल्पना करना असम्भव है और पर्यटन में इस तत्व की अनिवार्यता का उद्घोष भारतीय मनीषियों ने " चरैवेति–चरैवेति" (एतरेय ब्राह्मण) अर्थात् "चलते रहो–चलते रहो" के रूप में किया है।

सैद्धान्तिक अवधारणा एवं पूर्ववर्ती योगदान (Theoretical Concept and Previous Contribution)

पर्यटन की सैद्धान्तिक अवधारणा का अंकुरण और चिन्तन भारत वर्ष में अति प्राचीन काल से ही पाया जाता है। जिस समय इस देश को 'जम्बूदीप' अथवा 'आर्यावर्त' के नाम से सम्बोधन प्राप्त था, उससमय का समग्र पर्यावरण 'प्रकृति सम्पदा' से ओत–प्रोत था। राजतन्त्र में पलने वाला राजा अथवा राजकुमार मृगया के बहाने अटन करते हुए न जाने कितनी दूर निकल जाता था। यह उसके पर्यटन का ही एक रूप था। धीरे–धीरे राजतन्त्र बदले, बीच में न जाने कितने तन्त्र आए और समय की गति के साथ छिन्न–भिन्न हो गए, फिर भी विदेशी पर्यटकों का आगमन और प्रत्यागमन बराबर बना रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान ने पर्यटक बनकर ही इस देश की धरती का भ्रमण किया था।

आज के इस वैज्ञानिक युग में न तो प्रकृति का वह नैसर्गिक स्वरूप है और न ही इसका ढ़ांचा । पहले पर्यटक स्थल बनाए नहीं जाते थे बल्कि स्वयं–भू की तरह बने रहते थे लेकिन जब से मानव की हलचल ने नदियों के कलकल को छीनकर अपने को 'समरशत' घोषित किया तब से वह ढूंढ़–ढूंढ़ कर पर्यटक स्थलों का निर्माण कर उनका संरक्षण करने लगा। उसकी यह अवधारणा दिन–प्रतिदिन तीव्रतर होती जा रही है। आज यातायात के तीव्रगामी साधनों के विकास ने संसार की दूरियां समाप्त कर दी हैं। इससे पर्यटन की अवधारणा को विशेष संबल व बढ़ावा मिला है। सरकार भी पर्यटन के विकास के प्रति विशेष रूप से सचेष्ट है। इससे हमें दूर–दराज के प्रदेशों की प्रकृति, वहां के निवासियों तथा उनके रीतिरिवाजों को समझने और जानने का सुअवसर मिलता है। इससे जहां एक ओर मनोरंजन मिलता है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन ज्ञान की भी वृद्धि होती है। केन्द्र सरकार तो अपने कर्मचारियों को चार वर्ष में एक बार देश के किसी भाग में भ्रमण करने के लिए आने –जाने हेतु किराया भी देती है।

पर्यटन के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में यद्यपि आधुनिक समय में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है किन्तु कालक्रम में विभिन्न बाधाओं एवं अनुसंधान की अल्पता के कारण प्राचीन भारतीय साहित्य उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जो भी साहित्य उपलब्ध है, वह मात्र पाश्चात्य जगत का आयातित साहित्य है, जिसमें सम्बन्धित राष्ट्र को छोड़कर विश्व स्तर का छुटपुट ज्ञान ही समाहित किया गया है। ऐसी पी0एस0गिल (1997) की अवधारणा है, जो भारत की दृष्टि में सत्य प्रतीत होती हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों को निम्नवत रूप में संजोने का प्रयास किया गया है।

कौल (1985) ने प्रदेश, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी क्रियाविधियों का उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रदेश स्तर पर पर्यटन

के उद्देश्य एवं नीतियों की भूमिका के परीक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के कार्य व विकास के स्वरूप की बात कही है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पर्यटन के क्षेत्र व विस्तार में आवास की भूमिका का मूल्यांकन किया है। इन्होंने अपने पर्यवेक्षण में सिद्ध किया कि प्राचीन काल में गांवों में गोष्ठी कक्ष तथा कथा हाल हुआ करते थे, जो यात्रियों के लिए विश्राम गृह व सामाजिक जीवन के केन्द्र के रूप में कार्य किया करते थे। कालान्तर में यह कथाहाल ग्रामीण मन्दिर के रूप में जाने गए। इन्होंने एक अन्य पर्यटन परिचर्चा के अन्तर्गत यात्रा प्रबन्धन के मौलिक सिद्धान्तों पर विचार करते हुए यातायात और बाजार के अध्ययन को शामिल किया है।

हिमालय पर्यटन क्षेत्र पर चर्चा करते हुए जयाल व मोटवानी (1986) ने स्पष्ट किया कि हिमालय क्षेत्र में आने वाले नवागन्तुक प्रायः मौसमी यात्री होते हैं जिन्हें बहुत सारे देशों में भ्रमण करने का अनुभव होता है तथा वे यह भी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में आनन्ददायी स्थान कौन–कौन से हैं। उदाहरणार्थ– लेह, कश्मीर, मनाली, दार्जलिंग, काठमाण्डू पोखरा, नामची बाजार, ल्हासा, गिलगिट और शर्दू आदि स्थान किसी समय मानचित्र में अप्राप्त थे किन्तु ये सभी नाम अब चिरपरिचित हो गए हैं। साहसिक मानचित्र में कभी भी इन्हें देखा जा सकता है। अर्थात् अब ये दर्शनीय सूची में दर्ज हो गए हैं। यह भी प्रकाश में आया कि संरक्षा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी पर्यटको को दुर्गम पर्वतीय इलाकों में जाने की अनुमति नहीं है अथवा निषिद्ध क्षेत्र है।

नेगी (1987) ने अपने अध्ययन में खाद्य उद्योग और होटल में वित्तीय और मूल्य नियंत्रण विधियों को सम्मिलित किया। इस हेतु इन्होंने आवास दर निर्धारण व विभिन्न उत्पादों का मूल्य विवरण चुना। इनके अनुसार इन दोनों का निर्धारण दो भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में होगा– प्रथम होटल खुलने एवं दूसरा होटल बन्द होने की स्थिति में। होटल कक्ष के मूल्य स्तर तथा खाद्य सामग्री (भोजन, पेय आदि) के बीच कोई सम्बन्ध नहीं होता। होटल कक्षों का किराया होटल की स्थिति, होटल के अन्तर्गत कमरों की स्थिति, होटल में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं, होटल परिमाप तथा उसका संरक्षित आकार इत्यादि कारकों पर निर्भर करता है।

गुप्ता (1987) ने बताया कि पर्यटन का विकास बड़ी तेजी से सुनियोजित ढ़ंग से हुआ है। पुरानी यादगारों या संस्मरण चिन्हों का रखरखाव समुचित तरीके से किया जाय। उनका मौलिक आकार बरकरार रहना चाहिए। बहुत से पिकनिक स्थल स्थापित किए गए और उन्हें सजाया–संवारा गया, जिससे पर्यटक आकर्षित हो सकें तथा तत्कालीन समय की सही जानकारी हांसिल कर सकें। इस तरफ विभिन्न राज्यों के पर्यटकों की सुविधा हेतु अत्यधिक मात्रा में पैसा भी खर्च किया है। इसके लिए उन्होंने अनेक स्थानों पर होटल, हट, बंगला, झोपड़ी, विश्राम घर आदि का निर्माण किया। यातायात व्यवस्था का भी विस्तार किया गया। परिणामतः

एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। भारत के महत्वपूर्ण शहरों में रेल, बस तथा हवाई यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

नेगी (1990) ने विकासशील देशों में पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक व भू–पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटन एक आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाविधि है जिसमें बहुत सारी स्वतन्त्र कार्यशालाएँ, निगम तथा संगठन एवं संस्थाएँ कार्यरत हैं तथा जो एक–दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। यह आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आय के स्रोत का एक साधन है। इससे यातायात के साधन उन्नत अवस्था को प्राप्त होते हैं तथा क्षेत्रीय विकास में सहयोग प्रदान करते हैं।

चोपड़ा (1991) ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के सम्बन्ध में अपने अनुभव प्रस्तुत किए। इन्होंने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार किया। आर्थिक दृष्टि से इन्होंने अपने मन्तव्य में कहा कि पर्यटन रोजगार के अवसर प्रदान करता है। पर्यटन का वितरण प्रभाव एवं कार्यक्षमता निम्न वर्ग की अपेक्षा कुछ प्रमुख धनी वर्ग के पक्ष में जाता है। आर्थिक पहलू का मुख्य आधार श्रम शक्ति का कृषि क्षेत्र से पर्यटन क्षेत्र में स्थानान्तरण है। भौतिक दृष्टि से खजुराहो में पर्यटन का विकास सम्बर्द्धन और हतोत्साहन दोनों को सूचित करता है। वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर इतना निम्न है कि वहां के आवास में मूल सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं। वहां के उपलब्ध संसाधन भी पर्यटकों की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। यह आवश्यकता महसूस की गई है कि खजुराहो के विकास हेतु इसकी सम्पूर्ण अवस्थापनाएँ शहरी सुविधाओं के आधार पर विकसित हों।

खजुराहो में पर्यटकों के आने के बाद उनके सांस्कृतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया और वह यह कि पर्यटक और मेजवान दोनों इतने घनिष्ठ हो गए कि एक समाज का रूप धारण कर लिया, जिसमें युवा और बच्चे दोनों सम्मिलित हैं। विदेशी पर्यटक जो काफी समय तक रूकते हैं तथा यहाँ की यथार्थता देखना चाहते हैं, उन्हें यहाँ के बजट का उतार–चढ़ाव काफी प्रभावित करता है। यह पर्यटक प्रतिस्पर्धा के मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। अभौतिक संस्कृति आधुनिक शक्ति के सामने ज्यादा प्रभाव डालती है। अभौतिक संस्कृति का किसी कार्य में बड़ा आंशिक प्रभाव है जबकि खजुराहो सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख आकर्षण भौतिक संस्कृति है।

मिश्र एवं उनके सहयोगियों (1981) ने भारत में पर्यटन के प्रभाव और उसकी भूमिका के सम्बन्ध में विचार करने के साथ–साथ 42 देशों के भिन्न–भिन्न आर्थिक प्रकारों का भी जिक्र किया है। वे इस विचार से सहमत थे कि पर्यटन भारत में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन का बढ़ता हुआ महत्व यह सिद्ध करता है कि दुनिया के प्रत्येक भाग से पर्यटकों के अधिकाधिक

आकर्षण के लिए देश की ईमानदारी व सच्चाई एक प्रमुख बिन्दु है। भारत की पर्यटन अवस्थापनाएँ आधुनिक हैं। देश में पर्यटन विकास के स्तर को बेहतर करने हेतु बहुत सी एजेन्सियाँ कार्यरत हैं। भारत की पर्यटन दक्षता प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी के आकर्षण हेतु कृत संकल्प है किन्तु यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों के पर्यटक उतनी संख्या मे नहीं आ पाते क्योंकि इतनी लम्बी दूरी को कम समय में तय करने के लिए आधुनिक ढंग के वायुयान हों तथा वायुमार्ग भी विकसित हों।

शर्मा (1991) ने राजस्थान के पर्यटन विकास पर अध्ययन करते हुए बताया कि घरेलू पर्यटक कमरा, खाद्य व पेय पदार्थों की दर के सम्बन्ध में प्रायः असन्तुष्ट रहते हैं। उनका कहना है कि यह अर्थ संगत नहीं है जबकि विदेशी पर्यटक इन दरों से संतुष्ट रहते हैं। इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि भारतीय पर्यटक दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इनका मूल्यांकन स्वदेशी दर पर करते हैं जबकि विदेशी पर्यटक अन्तर्राष्ट्रीय दर से इसकी तुलना करते हैं। कुछ सेवाओं यथा– कक्ष, जलपान, यातायात आदि के सम्बन्ध में दोनों के मत एक हैं। अतः राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेवाओं में सुधार व अनेक जरूरतों को मान्यता देने के लिए बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन्होंने धन की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर, श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं में कमी, यातायात सेवाओं की कमी, कमरों, बसों तथा भवनों का बदतर रख–रखाव आदि कारकों को राजस्थान में पर्यटन सेवाओं की न्यून गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी बताया है।

मनीत कुमार (1992) का विचार है कि आर्थिक क्रियाएँ विदेशी विनिमय को अर्जित करने के मुख्य साधन हैं। इन्होंने बताया कि पर्यटन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, रोजगार का उत्पादक एवं उन्नायक तथा सद्भावना और मित्रता का माध्यम है। भारतीय पर्यटन की अभी एक सशक्त शुरूआत है जिसे भारत सरकार प्राथमिकता दे रही है। प्रोत्साहन की तालिका बिल्कुल विचाराधीन है जैसे– होटलों तथा इससे सम्बन्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश एवं इन्हें प्रोत्साहन, वाहन चालक अधिनियम तथा स्वचालित पर्यटक वाहन अधिनियम में संशोधन, होटल आदि के निर्माण में प्रवासी भारतीयों के प्रोत्साहन, आय कर में छूट, स्थानीय तीज–त्योहार एवं मेलों, लोककला, लोकनृत्य आदि के आयोजन पर बल व इनका वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार आदि। इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय पर्यटन अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के समक्ष पहुंच सकेगा तथा इसका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन के विभिन्न पक्षों पर पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने विचार व्यक्त किये हैं, जिनका संदर्भ सिन्हा (1998) द्वारा सम्पादित पुस्तक में क्रमबद्ध रूप से दिया गया है।

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय पर्यटन के वृद्धि एवं विकासक्रम में कुछ साहित्य का परिणयन तो हुआ है किन्तु उसमें आंचलिक/क्षेत्रीय

पर्यटन स्थानों का या तो अभाव है अथवा मात्र क्षेत्र का नामोल्लेख कर इतिश्री कर दी गई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बुन्देलखण्ड का नाम भी अछूता सा है। केवल ऐतिहासिक एवं राजनीतिक रूप से अति संक्षिप्त चर्चा की गई है। बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों की सामान्यतः उपेक्षा ही परिलक्षित होती है। इन छूटे हुये पर्यटन स्थलों में एक़ नाम कालिंजर भी है जिस पर पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य नियोजित ढंग से नहीं किया गया है।

कालिंजर के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों को यहाँ समेकित करने का प्रयास किया गया है। इण्डियन एण्टीक्वेरी में कालिंजर का प्रारम्भिक परिचय व उसकी भौगोलिक संरचना का वर्णन किया गया है। कनिंघम ने कालिंजर के सन्दर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए इस क्षेत्र की पहचान चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन के आधार पर की है तथा इस क्षेत्र को चित्रकूट से सम्बन्धित माना है। पॉजिटर (1962) ने यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अलावा अन्य स्थलों से इसकी दूरी तय की है। प्रसिद्ध अरब विद्वान अलबरूनी ने अपने यात्रा वर्णन में कालिंजर का सविस्तार वर्णन किया है। प्रसिद्ध यात्री इब्नबतूता ने भी इस स्थल का अपने यात्रा वृत्तान्तों में जिक्र किया है।

विल्सन ने अपने अध्ययन में कालिंजर पहाड़ी का जिक्र किया है, जहाँ साधक एकत्रित होते थे और भक्तिपूर्ण साधनायें की जाती थी। पॉगसन (1974) ने विल्सन के विचार से असहमति व्यक्त करते हुये टॉलमी द्वारा वर्णित तमसिस का तादात्म कालिंजर गिरि से स्थापित किया है। फ्यूहरर ने भी इस स्थल का विस्तृत वर्णन किया है तथा कालिंजर क्षेत्र में जैनों तथा बौद्धों से सम्बन्धित स्थलों का भी उल्लेख किया है। त्रिवेदी (1984) ने कालिंजर के महत्व पर प्रकाश डालते हुये बताया कि इस क्षेत्र का ऐतिहासिक सर्वेक्षण सर्वप्रथम काकवर्न ने किया। इन्होंने यहाँ के गुफा चित्रों की खोज की जिसमें से कुछ गुफा चित्र कालिंजर तथा फतेहगंज में मिले हैं। तिवारी (विक्रम संम्वत् 1990) ने कालिंजर का महत्वांकन करते हुये ब्रिटिश शासनकाल के पश्चात् इस क्षेत्र की स्थिति का सविस्तार वर्णन किया है।

अग्रवाल (1987) ने कालिंजर की महत्ता तथा सिंह (1929) ने वृद्धक क्षेत्र सरोवर में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त होने की चर्चा की है। सुल्लेरे (1987) ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन में कालिंजर को प्राचीनतम स्थल के रूप में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त बाँदा गजेटियर में भी कालिंजर दुर्ग तथा वहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया गया है। राधाकृष्ण बुन्देली (1989–92) ने जनता एवं प्रशासन के सहयोग से कालिंजर पर एक वीडियो फिल्म बनायी जिसमें कालिंजर के इतिहास, लोक संस्कृति तथा परम्पराओं को नवीन दृष्टिकोण से व्यक्त किया गया है। प्रसिद्ध कवि कृष्णदास ने निम्नांकित पंक्तियों में कालिंजर क्षेत्र का वर्णन किया है–

'अरू कालिंजर तलक भाग यह परम सुहावन।

त्रितीय श्रेणिका फेर सुनहु सज्जन मन भावन।।

बांदा जिला निहार तरोंहा चित्रकूट तक।

युक्त प्रान्त लग गयत श्रंग सुन्दर बरगढ़ तक'।।

कालिंजर की तपोभूमि को प्रचारित एवं प्रसारित करते हुये जवाहरलाल 'जलज' ने गीत के माध्यम से निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत की है –

'यही देख लो कालिंजर है, बुझती मन की प्यास है।

जिसकी गौरव गाथा गायें, युग–युग का इतिहास है।।

कहे कालिंजर सबसे, निज नैनों में भर नीर।

भूल न जाना आना फिर–फिर, हरना मेरी पीर'।।

कालिंजर क्षेत्र में किये गये उपर्युक्त अध्ययनों के पर्यवेक्षण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र के ऐतिहासिक, राजनीतिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखकर अभी तक अध्ययन किये गये हैं। पर्यटन विकास नियोजन से सम्बन्धित अध्ययन की उपेक्षा दृष्टिगत होती है। अतः पर्यटन विकास अध्ययन की दृष्टि से इस शोध परियोजना का चयन किया गया है।

पर्यटन की आवश्यकता (Need of Tourism)

यात्रा की आवश्यकता प्रारम्भिक चरण में मानव जिज्ञासा के रूप में प्रस्फुटित हुयी, जिनमें नये–नये स्थानों– अनोखे प्राकृतिक दृश्यों तथा हृदयजन्य नवीन अनुभवों का समावेश व्यक्तिगत रूप में रहा। धीरे–धीरे यह जिज्ञासापूर्ण यात्रा व्यष्टि से समष्टि की यात्रा का कारण बना। भारतीय सन्दर्भ में व्यापार,ज्ञान, शिल्प एवं मनोरंजन की दृष्टि से पर्यटन का स्वरूप विस्तृत एवं विकसित हुआ। इसी के साथ दूरस्थ धार्मिक स्थलों की यात्रा जीवन की इहलौकिक एषणा से पारलौकिक एषणा एवं आनन्द को भी पर्यटन के साथ जोड़ा गया जबकि रॉविन्सन (1976) ने केवल अनजाने की खोज की इच्छा, नये और अनोखे स्थानों को प्रकाशित करना, पर्यावरण में परिवर्तन की चाह एवं नये अनुभवों को प्राप्त करने हेतु समूह का गतिशील होना, पर्यटन के विकास में हेतु माना है।

लोगों का समूह में प्रव्रजन किसी दबाव में भी हो सकता हैं। वोल्फ (1966) ने ऐसे प्रव्रजन को तीन श्रेणियों में रखा है–

(I). नगर की ओर प्रव्रजन (II) कार्य हेतु आवागमन, जो शहरीकरण का मुख्य कारण भी बना (III) मनोरंजन की दृष्टि से किया गया भ्रमण, जो उपरोक्त दोनों श्रेणियों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ गया।

भारत में प्राचीन काल में व्यक्ति के जीवन को चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास) में बांटा गया, जिनमें वानप्रस्थ (50–75 वर्ष की आयु) जीवन में व्यक्ति को अपना

निजी आवास त्यागकर अब तक जीवन में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, कौशल, दक्षता, नैतिक मूल्य आदि के प्रसार–प्रचार हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने की व्यवस्था की गयी, जिसे विशेष रूप से परिव्राजक नाम दिया गया। परिव्राजक (भ्रमणकर्ता) के रूप में उसे किसी एक स्थान में कई दिनों तक ठहरने के लिए निषिद्ध किया गया है। सम्भवतः यह भारतीय जीवन विभाजन पर्यटन की दृष्टि से अनूठा एवं महत्वपूर्ण है।

पर्यटन का महत्व (Importance of Tourism)

पर्यटन की आवश्यकता पर विचार करते हुये यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न दृष्टिकोणों से पर्यटन का अतीव महत्व है। प्रारम्भिक चरण में यात्राएं उल्लिखित आवश्यकताओं के सन्दर्भ में ही की गईं किन्तु समय के साथ–साथ पर्यटन के स्वरूप एवं संरचना में निरन्तर परिवर्तन होता गया और वर्तमान समय में यह अपनी आवश्यकता की मूल अवधारणा को समेटे हुये एक उद्योग के रूप में वृद्धि एवं विकास पर अग्रसर है।

संक्षेप में पर्यटन के महत्व को निम्न बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है–

(1) **क्षेत्रीय या आंचलिक विकास**– क्षेत्रीय/आंचलिक विकास में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक आदि कारणों से किसी आवागमन विहीन एवं दूरस्थ भाग में अवस्थित छोटे स्थान पर भी पर्यटन के महत्व के कारण पर्यटकों का कुछ न कुछ संख्या में आना–जाना बना रहता है। इन स्थानों में स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। इस प्रकार पर्यटकों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु संसाधनों को प्रदान करने में स्थानीय लोगों का योगदान परस्पर आर्थिक विनिमय का कारण बनता है। फलतः एक पर्यटक को आवास, आहार, चिकित्सा, मनोरंजन एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है। इन्हीं के साथ आवागमन हेतु मार्गों के सुन्दरीकरण एवं विकास का कार्य भी आवश्यक हो जाता है तथा परिवहन के साधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। कुछ समय के बाद इसका परिणाम स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है और वह क्षेत्र विकसित होकर दूर–दूर तक अपने को प्रचारित एवं प्रसारित कर लेता है।

(2) **आर्थिक विकास** – जैसा कि विदित है कि जब भी किसी क्षेत्र का विकास होता है, तो उसमें प्रथम एवं प्रमुख विकास आर्थिक ही होता है। स्थानीय लोगों को अपने द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध करायी गई सुविधाओं के प्रतिफल में अर्थ की प्रति होती है। यही अर्थ विभिन्न स्रोतों से आकार आर्थिक विकास का आधार विकसित करता है।

(3) **रोजगार के अवसर**– ज्यों–ज्यों स्थानिक व आर्थिक विकास होता है त्यों–त्यों उस विकास प्रक्रिया हेतु मानवश्रम की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है।

(4) **जीवन–स्तर में सुधार**– आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते ही जीवन स्तर एवं रहन–सहन में व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। जागरूकता बढ़ती है। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। रोजगार एवं जीवन स्तर के सुधार से पलायनवादी दृष्टि आशावादी दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। आर्थिक विकास के कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी आम आदमी ध्यान देने लगता है।

(5) **सामाजिक सौहार्द**– विभिन्न सामाजिक संगठनों, वर्गों, समुदायों के लोग जब किसी स्थान विशेष पर आते हैं, तो स्थानीय जनता का उनसे सम्पर्क होता है। वे उन्हें आवश्यकतानुसार आश्रय, भोजन आदि संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं। उनकी हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार उनमें एक–दूसरे को समझने व परखने के साथ–साथ उत्तरदायित्वपूर्ण भावना की अनुभूति होती है तथा इससे सहकारिता की भावना विकसित होती है। स्वदेश में राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय चरित्र हेतु अच्छा वातावरण, विश्व बन्धुत्व की भावना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में सामंजस्य एवं प्रगाढ़ता विकसित होती है।

(6) **लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास**– पर्यटन स्थलों पर स्थानिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होता है, उदाहरणार्थ– कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध कुछ हल्की एवं मजबूत लकड़ियों या अन्य उपलब्ध संसाधनों से आकर्षक खिलौने व कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। स्थानीय संसाधनों से विभिन्न कलात्मक वस्तुएँ बनाने वाले लोग वहां स्वतः स्थापित हो जाते हैं तथा उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएँ पर्यटक अच्छा धन देकर खरीद लेते हैं।

(7) **सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक संरक्षण** – पर्यटन के कारण स्थानीय संस्कृति एवं पुरातात्विक महत्व के स्रोतों को संरक्षण मिलता है। उनकी उपेक्षा समाप्त हो जाती है और उन्हें नष्ट होने से बचा लिया जाता है।

(8) **ऐतिहासिक जिज्ञासा एवं समाधान** – आगन्तुकों एवं आने वाली नई पीढ़ी को उस स्थान के ऐतिहासिक महत्व और तमाम अनछुये पक्षों की जिज्ञासा के कारण देखने की रूचि बढ़ती है। दर्शनीयता, कलात्मकता एवं नैनाभिराम दृश्यों के प्रति आकर्षण उन्हें बार–बार उस स्थल पर आने की प्रेरणा प्रदान करता है। उन्हें दुर्गम स्थलों, गुफाओं, भयावह प्राकृतिक दृश्यों को देखने की जिज्ञासा बनी रहती है और तमाम जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत होता है।

(9) **अन्वेषण एवं अनुसंधान** – कभी–कभी एकदम नये स्थान का अन्वेषण या खोज आकस्मिक रूप से हो जाती है अथवा कभी –कभी ज्ञात स्थान में ऐतिहासिक सन्दर्भों की पुष्टि हेतु अन्वेषण की आवश्यकता है। वास्तव में किसी स्थल की खोज हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसके बाद उसके विभिन्न सन्दर्भों, आयामों के सांगोपांग अध्ययन एवं अनुसन्धान की

विशेष आवश्यकता होती है, इस प्रकार पर्यटन स्थल न केवल पर्यटन के अन्य पक्षों को प्रस्तुत करता है बल्कि अनुसन्धान की प्रवृत्ति विकसितकर इतिहासकारों, भूगोलवेत्ताओं, आदि को स्थल भ्रमण कर अनुसन्धान कार्य की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ अन्वेषण के पश्चात् तत्कालीन स्थितियों को समझने एवं ग्रहण करने में सुगमता होती है। स्थानीय लोगों को गौरव का अनुभव भी होता हैं।

(10) अवस्थापना सुविधाओं का विकास– पर्यटन स्थल के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दबाव के फलस्वरूप तथा पर्यटकों की मांग के दृष्टिगत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का विकास अवश्यम्भावी होता है। चाहे आवास सुविधा प्रदान करना हो या दैनिक उपभोग की वस्तुओं हेतु बाजार का विकास हो, चाहे चिकित्सा हेतु चिकित्सालय की स्थापना हो अथवा आवागमन के संसाधन की सुविधा प्रदान करना हो या अन्य किसी आवश्यकता के अनुरूप, आधारभूत या अवस्थापना सुविधायें विकसित की जाती हैं। इसके साथ ही स्थान विशेष का विकास स्वतः हो जाता है।

(11) भाषाई विकास– पर्यटन भाषाई विकास में अनजाने व बिना किसी प्रयास के अमूल्य योगदान करता है। किसी एक विशेष भाषाई पर्यटन क्षेत्र में दूसरे किसी भाषाई क्षेत्र से आने वाले पर्यटन स्थल की भाषा काम चलाऊ रूप से सीखते हैं अथवा पर्यटन स्थल के निवासी या व्यवसायी/सेवार्थी क्षेत्र विशेष से आने वाले पर्यटकों की काम चलाऊ भाषा सीखते हैं एवं तद्नुसार विचार विनिमय कर सेवाओं का आदान–प्रदान करता है। इस तरह पर्यटन बगैर किसी भाषा अनुवाद व राजनीति दुराग्रह के एक दूसरी भाषा का विकास करता है।

राजनीतिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता– जब कोई राजनीतिज्ञ बाहर से प्रशासकीय यात्रा पर आता है, तो मेजवान देश/प्रान्त के राजनीतिज्ञ उस अतिथि राजनीतिज्ञ को अपने यहां के आकर्षक, ज्ञान व आनन्दवर्धक पर्यटन केन्द्रों को भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इससे उसके मन में देश के प्रति आकर्षण पैदा होता है और राजनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ बनते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दु विमर्श से न केवल पर्यटन का महत्व परिलक्षित होता है अपितु विभिन्न बिन्दुओं के विकास की आवश्यकता की अवधारण की भी पुष्टि होती है।

पर्यटकों के प्रकार (Types of Tourists)

स्थान, सीमा, दूरी तथा विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर पर्यटकों को निम्नरूप में परिभाषित किया जा सकता है–

यात्री– यात्री शब्द अत्यन्त व्यापक है। इसका सम्बन्ध मुख्यतः किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा से होता है किन्तु यह यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक, श्राद्ध, भक्ति आदि किसी भी पहलू से सम्बन्धित हो सकती है।

दर्शक– दर्शक शब्द का सन्दर्भ प्रायः धार्मिक स्थान की यात्रां से लिया जाता है किन्तु आज के इस धावक युग में यह शब्द किसी निरीक्षण या निगरानी के ज्यादा सन्निकट है किन्तु इसमें यात्री की मानसिकता किसी तथ्य विशेष को विशेष ढ़ंग से देखने की होती है।

स्थानीय पर्यटक– स्थानीय पर्यटक अपने स्थान विशेष की परिधि में यात्रा करते हैं। इनकी यात्रा का समय निर्धारित नहीं रहता। यह किसी भी समय अपने निश्चित परिदृश्य की यात्रा कर सकते हैं।

अयात्री– अयात्री के अन्तर्गत वे व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो यात्रा के मापदण्ड के अनुसार किसी भी स्थान की यात्रा नहीं करते।

देशगत यात्री– वे यात्री, जो आनन्द, व्यापार या अन्य विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने देश के अन्दर किसी भी समय स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करते हैं, देशगत यात्री कहलाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय यात्री– वे यात्री जो स्वदेश के अलावा अन्य विभिन्न देशों की स्वच्छन्दतापूर्वक यात्रा करते हैं तथा समयबद्ध स्वदेश छोड़ते व वापस आ जाते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय यात्री कहलाते हैं।

दैनिक यात्री– जिन यात्रियों के गमन एवं प्रत्यागमन के मध्य का समय 24 घण्टे का होता है, उन्हें दैनिक या चौबीस घण्टे का यात्री कहते हैं। यह यात्री सामान्यतः उसी दिन वापस आ जाते हैं।

एक या एक से अधिक रात्रि ठहरने वाले यात्री– जो यात्री अपना मूल आवास छोड़ने के पश्चात् किसी पर्यटन केन्द्र पर एक या एक से अधिक रात्रि बिताते हैं, उन्हें दैनिकोत्तर यात्री कहते हैं।

क्षेत्रीय यात्री / पर्यटक– वे यात्री जो अपनी क्षेत्रीय परिसीमा से निकलकर वाणिज्य, आनन्द, भ्रमण तथा अन्य अपने व्यक्तिगत कारकों का उद्देश्य लेकर यात्रा करते हैं, क्षेत्रीय यात्री / पर्यटक कहलाते हैं।

अन्य यात्री – अन्य यात्रियों पर यात्रा सम्बन्धी नियम, उपनियम या मानदण्ड लागू नहीं होते, ये इस प्रकार हैं–

कम्यूटर – यह वह यात्री होते हैं, जो अपने निवास स्थान से कार्य स्थान पर रोज या प्रत्येक सप्ताह आते–जाते रहते हैं लेकिन रात्रि निवास नहीं करते।

अन्य स्थानीय यात्री– इस प्रकार के यात्रिओं का समय निश्चित रहता है। समय के अन्दर ये अपने स्थान पर वापस आ जाते है। इनकी यात्रा किसी समुदाय विशेष से साक्षात्कार करने के लिए होती है, तथा समय सीमा के अन्दर बातचीत करने के बाद उनका ठहराव उस समुदाय विशेष से दूर किसी अन्य स्थान पर होता है।

विद्यार्थी – वे यात्री जो शैक्षिक उद्देश्य से किसी स्थान विशेष की यात्रा करते हैं, उन्हें विद्यार्थी यात्री कहा जाता है। उनकी यह शैक्षिक यात्रा वर्ष पर्यन्त होती रहती है।

समूह यात्री– जो यात्री सवारी या माल परिवहन के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें समूह यात्री कहते हैं। ये पर्यटन यात्री ट्रक चालक, वायु सेवक, तथा वायु परिचालक होते हैं तथा पर्यटन क्रिया में अपनी अहम् भूमिका निभाते हैं।

परिव्राजक– इन व्यक्तियों की यात्रा एकतरफा होती है। इनका यात्रा काल निश्चित रहता है। ये यात्रा के दौरान अपना मूल निवास छोड़ देते हैं। इनके अन्तर्गत उत्प्रवासी या आप्रवासी,

शरणार्थी व चलवासी लोग आते हैं। यह वर्ष के अन्तराल में वापस आ जाते हैं।

मौसमी कार्यकर्त्ता– इसके अन्तर्गत वस्तुतः वे व्यक्ति आते हैं, जो किसी मौसम विशेष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिये जाते हैं, जैसे फसल काटने में या फल चुनने और मौसमी कार्य समाप्त होने पर घर वापस आ जाते हैं।

यात्रा का उद्देश्य (Purpose of Travel)

पर्यटक विभिन्न उद्देश्यों यथा– पूजा–पाठ, दर्शन, शोध, ज्ञानप्राप्ति, आनन्द व व्यापार आदि के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। उपर्युक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति कालिंजर दर्शन से हो सकती है। यही कारण है कि निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यहां पर विभिन्न स्थानों से यात्री आते रहते हैं।

1. **पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों को देखने के लिये–** पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से कालिजर एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहां पर पुरापाषाण युग से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल, चन्देलकाल और बुन्देलों के शासनकाल तक के अनेक आकर्षक ऐतिहासिक स्थान उपलब्ध हैं। वास्तुशिल्प एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर नाना प्रकार के प्राचीनतम शैलचित्र, मूर्तियां व स्मारक आदि उपलब्ध हैं।

2. **धार्मिक दृष्टि से–** धार्मिक दृष्टि से कालिंजर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां विभिन्न धर्मों के देवस्थान उपलब्ध हैं। यह एक प्राचीनतम शिवतीर्थ स्थल है। नीलकण्ठ महादेव का यहां पर एक प्रसिद्ध पौराणिक मन्दिर है। मृगधारा स्थान तर्पण, श्राद्ध व पिण्डदान हेतु प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कोटितीर्थ, पाण्डव कुण्ड, पाताल गंगा, सीता कुण्ड, वृद्धक क्षेत्र, मण्डूक भैरव–भैरवी आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार इस क्षेत्र की यात्रा करने वालों को हजार गायों के दान का फल प्राप्त होता है।

3. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से–** इस क्षेत्र में आर्य एवं अनार्य कुल की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। यहां पर प्रकृति पूजक, मूर्ति उपासक, तंत्र उपासक आदि रहते हैं। यहां पर मुख्यतः बुन्देलखण्डी, बनाफरी, हिन्दी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। यहां के लोगों की वेशभूषा प्रमुखतया बुन्देलखण्डी है। आल्हा गायन, दीवारी, राई व दुल–दुल घोड़ी नृत्य आदि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर विभिन्न तीज– त्योहार व मेले पारम्परिक ढ़ंग से मनाये व आयोजित किये जाते हैं।

4. **आर्थिक उद्देश्य की दृष्टि से–** आर्थिक दृष्टि से यह एक संमृद्धशाली क्षेत्र रहा है। यहां पर नाना किस्म की ऐसी वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिनका स्पष्ट प्रभाव मानव जीवन पर देखने को मिलता है। यहां पर पाई जाने वाली विविध वस्तुओं से पर्यटक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कालिंजर पर्यटन क्षेत्र में हीरा, लोहा, अभ्रक, तांबा जैसे पदार्थों की उपलब्धता के प्रमाण प्राप्त हैं। इन वस्तुओं के अलावा यहां इमारती लकड़ी तथा इमारती पत्थर भी पाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने में किया जाता है।

5. **प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शन व स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से**– विन्ध्यन पहाड़ी प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से एक धनी क्षेत्र है। यहां की घाटियां, सरोवर, गुफाएं, जंगल, जीव–जन्तु आदि दर्शनीय हैं। इसके अलावा यहां विभिन्न प्राकृतिक औषधियां यथा–गुमाय, हर्र, निरगुण्डी, सीताफल, गोरख इमली, मदनमस्त, कंघी, मारोफली, कुरिया बेल, घुंघुचू, सिखा, दुद्धी, सेज, अदि पाई जाती हैं। इन औषधियों से होकर चलने वाली हवा का सम्पर्क बार–बार शरीर पर होने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त रोग के अनुसार इनको पीने व खाने से भी लाभ मिलता है। विभिन्न औषधियों के सम्पर्क से छन–छन सरोवर में इकट्ठा होने वाले जल में स्नान करने व पीने से भी लाभ पहुँचता है। प्रामाणिकं तथ्यों के अनुसार वृद्धक क्षेत्र सरोवर में स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है।

6. **अन्य दर्शनीय स्थल**– कालिंजर के आस–पास स्थित रिसौरा, शेरपुर स्योंढ़ा, रनगढ़, अजयगढ़, कीट पहाड़ी, चुम्बक पहाड़ी, कठुला जवारी के जंगल, चुड़ैल घाटी (पहाड़ी खेरा–पन्ना मार्ग पर), (कालिंजर–फतेहपुर मार्ग पर), दधीच आश्रम, (पहाड़ी खेरा के पास), बघेलाबारी, फतेहगंज, रौली कल्यानपुर, धरमपुर (अजयगढ़ मार्ग पर), रामनगर (कालिंजर–खजुराहो मार्ग पर), गुढ़ा, गोले पुरवा तेरापतौरा, पंचमपुर खोरा आदि स्थान भी विभिन्न उद्देश्यों की दृष्टि से दर्शन योग्य हैं। यह स्थान पुरापाषाण युग से लेकर बुन्देलों तक की शौर्यगाथा तथा विभिन्न प्राचीन स्मारकों को अपने ह्रदय में संजोये हुये हैं।

उपर्युक्त विभिन्न उद्देश्यों की दृष्टि से कालिंजर में आने वाले 415 यात्रियों से विभिन्न समयों में किए गए साक्षात्कार से प्राप्त निष्कर्ष को सारिणी संख्या–1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या–1.1
कालिंजर में आने वाले यात्रियों की यात्रा का दृष्टिकोण

क्र0सं0	यात्रा का दृष्टिकोण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	धार्मिक दृष्टि से	240	57.83
2.	पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से	91	21.93
3.	प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शन व स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से	34	8.19
4.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से	16	3.86
5.	आर्थिक उद्देश्य की दृष्टि से	4	0.96
6.	अन्य	30	7.23
	योग	415	100.00

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या –1.1 के परीक्षण से स्पष्ट है कि कालिंजर में सर्वाधिक यात्री धार्मिक दृष्टिकोण से आते हैं। दूसरे स्थान पर पुरातात्विक व ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से आने वाले यात्रियों का स्थान है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पर्यटकों के लिए कालिंजर क्षेत्र की यात्रा हर दृष्टि से सुखानभूति व लाभप्रद है।

उद्देश्य (Aims)

इस शोध परियोजना के अन्तर्गत निम्न उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया गया है।

1. कालिंजर के भौगोलिक स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
2. कालिंजर के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक सन्दर्भों का रेखांकन।
3. कालिंजर के पर्यटन अवस्थापनाओं की विवेचना।
4. अध्ययन क्षेत्र के दर्शनीय स्थलों की विशेषताओं व महत्व पर प्रकाश।
5. प्रदूषणमुक्त, पर्यावरण–पर्यटन की सम्भावनाओं को तलाशना।
6. सामाजिक–आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यटन के प्रभावों की समीक्षा।
7. पर्यटन के विकास में सरकारी नीतियों का मूल्यांकन।
8. आदर्श पर्यटन विवरणिका का प्रस्तुतीकरण।
9. कालिंजर के पर्यटन विकास हेतु एक उपयुक्त मॉडल तैयार करना।

उपागम एवं विधियाँ (Approaches and Methods)

शोध परियोजना के व्यवस्थित अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक–दोनों प्रकार के ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस शोध अध्ययन हेतु अपनाई गई विधियों का विवरण संक्षेप में निम्नवत् है–

1. **ऐतिहासिक विधि**– कालिंजर के पर्यटन सम्बन्धी ऐतिहासिक विकास, धार्मिक तथा पुरातात्विक विशेषताओं तथा शोध क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए द्वितीयक संसाधनों का प्रयोग किया गया हैं। विभिन्न प्रकार के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा पर्यटन सम्बन्धी अनेक कारकों के विषय में जानकारी करने हेतु निम्न स्रोतों से द्वितीयक संसाधन प्राप्त किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. शोध परियोजना के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने हेतु अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक व पर्यटन सम्बन्धी ग्रन्थों, पत्र/पत्रिकाओं का अध्ययन।
2. शासन द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों/पत्र/पत्रिकाओं यथा–जनपद गजेटियर, बाँदा, उत्तर प्रदेश वार्षिकी (1993–94), उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना (1995–96) जनपद जनगणना पुस्तिका (1999), ग्राम एवं नगर निदर्शनी (1991) आदि।
3. विविध सरकारी कार्यालयों यथा– जिला पुस्तकालय, जिला संख्याधिकारी कार्यालय, तहसील एवं विकासखण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत आदि।

2. **पर्यवेक्षण विधि**– पर्यवेक्षण विधि प्राथमिक ऑकड़ों से सम्बद्ध है। इसके अन्तर्गत निम्नवत् सूचनाएँ एकत्र की गई हैं–

1. पर्यटन केन्द्र कालिंजर में उपलब्ध व प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक एवं

सांस्कृतिक पक्षों, विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में सही जानकारी प्रश्नावली (परिशिष्ट) के माध्यम से स्थानिक सर्वेक्षण कार्य करके प्राप्त की गई हैं। ऑकड़ों की सत्यता के निरीक्षण हेतु ग्राम प्रधान, शिक्षकों, पर्यटन व ग्राम विकास में रूचि रखने वाले लोगों, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपालों व ग्राम सभासदों आदि से साक्षात्कार भी किया गया।

2. कालिंजर आने वाले पर्यटकों का पर्यटन सम्बन्धी अनुभव ज़ात करने के लिये निम्नलिखित प्रश्नावली निर्मित की गई, जो इस प्रकार है–

(1) **व्यक्तिगत जानकारी–** नाम, राष्ट्रीयता, जन्मस्थान, व्यवसाय और आय।

(2) **पर्यटन स्थलों का भ्रमण–** (अ) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में देखे गए पर्यटन स्थल; (आ) बुन्देलखण्ड में देखने की चाह रहते हुए भी न देखे गए पर्यटन स्थल, (इ) पर्यटन स्थल की जलवायु, (ई) यात्रा–उद्देश्य, (उ) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में देखे गए पर्यटन स्थलों की संख्या और उसके पूर्व कितने देखे गए?; (ऊ) पुनःदर्शन की साध; (ए) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अलावा अन्य देखे गए पर्यटन केन्द्र; (ऐ) यात्रा का साधन; (ओ) ठहराव के अनुमानित दिन, तथा (औ) अर्थ–व्यय जैसे– मनोरंजन, यात्रा अभिकर्ता/गाइड।

3. **स्थानीय लोग और वहाँ की संस्कृति–** (i) स्थानीय लोगों का व्यवहार; (ii) जीवन स्तर; (iii) स्थानीय लोक–नृत्य और रीतिरिवाज; (iv) मनोरंजन सुविधाएँ, उचित–अनुचित खर्च, मितव्यय, आय–व्यय; (v) निर्दिष्ट स्थानों को देखने के दौरान होने वाली क्षति, चोरी आदि।

4. **पर्यटन सुविधाएँ–** यातायात, आवास, दर्शनीय स्थल, नेक खरीददारी, बेहतर मनोरंजन हेतु वांछित सुविधाएँ, पर्यटन विकास में आपके सुझाव।

उपर्युक्त विधियों से प्राप्त विभिन्न प्राथमिक व द्वितीयक ऑकड़ों की गणना सांख्यकीय विधियों द्वारा की गई। ऑकड़ों की गणना, सांख्यकीय विधियों तथा प्रतिरूपों द्वारा प्राप्त परिणामों को मानचित्र व आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया।

अध्याय–योजना (Chapter-Plan)

प्रथम अध्याय के अन्तर्गत पर्यटन की अवधारणा तथा उसके विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन की आवश्यकता एवं महत्व, यात्रा के उद्देश्य तथा पर्यटकों के प्रकार के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा उद्देश्य, उपागम एवं विधियों, के सम्बन्ध में चर्चा की गई है।

द्वितीय अध्याय में शोध क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया गया है। कालिंजर का संक्षिप्त परिचय देते हुए अवस्थिति, भौतिक संरचना (संरचना एवं स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल प्रवाह, प्राकृतिक वनस्पति आदि), आर्थिक स्वरूप (भूमि उपयोग एवं फसल प्रतिरूप, सिंचाई, खनिज एवं उद्योग धन्धे) तथा जनसंख्या एवं मानव अधिवास तन्त्र आदि के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है।

तृतीय अध्याय पर्यटन अवस्थापनाओं से सम्बन्धित है। यहाँ पर पर्यटन की आधारभूत अवस्थापनाओं के अन्तर्गत यातायात व संचार व्यवस्था, आवास तथा भोजन सुविधाएँ, बाजार तथा बैकिंग, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सन्दर्शक एवं पर्यटक अभिकरण, पर्यटन कार्यालय आदि पर प्रकाश डाला गया है। इन अवस्थापना–सुविधाओं की वर्तमान स्थिति, पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता तथा इनके विकास हेतु प्रस्तावित व्यापक कार्यक्रमों को जानने का प्रयत्न किया गया है।

चतुर्थ अध्याय पर्यटन क्षेत्र के दर्शनीय स्थलों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत कालिंजर की विभिन्न धार्मिक विशेषताओं यथा–तपस्यास्थल, तीर्थस्थल, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म आदि की विस्तृत विवेचना की गई है। यहाँ पर स्थित विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थलों यथा–सरोवरों की स्थिति व उनकी महत्ता आदि पर भी विस्तृत चर्चा की गई है।

पंचम अध्याय में पर्यावरण–पर्यटन जैसे विश्वव्यापी महत्व वाले विषय पर प्रकाश डाला गया है। इसके अन्तर्गत पर्यावरण–पर्यटन की अवधारणा,सामान्य व क्षेत्र के पर्यावरणीय गुण–दोष, कालिंजर का प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यटन का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। चूंकि पर्यावरण और पर्यटन परस्पर अन्तर्निभर हैं, इसलिए पर्यटन के शाश्वत विकास को ध्यान में रखकर पर्यावरण–पर्यटन के विकास पर बल दिया गया है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष से सम्बन्धित षष्ट अध्याय के अन्तर्गत क्षेत्र में आयोजित मेलों, तीज–त्योहारों, लोक–नृत्यों, लोक चित्रण, मूर्ति, खिलौनें तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र के निवासियों के रहन–सहन, आवासीय व्यवस्था, वेश–भूषा तथा आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में भी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

सप्तम अध्याय विकास एवं नियोजन से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत पर्यटन विकास नियोजन का दृष्टिकोण, पर्यटन विकास में सरकार की भूमिका तथा पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कालिंजर के पर्यटन परिदृश्य से सम्बन्धित एक आदर्श विवरणिका तैयार की गई है। अन्त में कालिंजर के पर्यटन विकास हेतु एक मॉडल बनाया गया है ताकि मॉडल के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर यह क्षेत्र विकसित हो सके और देशी–विदेशी पर्यटकों को बहुतायत मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने में संक्षम हो सके।

अन्तिम अर्थात् अष्टम अध्याय में पूर्व वर्णित अध्यायों के तथ्यों का संक्षिप्तीकरण एवं पर्यटन के शाश्वत विकास को ध्यान में रखकर सुझावों पर प्रकाश डाला गया है।

REFERENCES

1. अग्रवाल, कन्हैयालाल (1987), विन्ध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल, सतना, पृ0 129।
2. ऐतरेय, ब्राह्मण, श्लोक 7, 13 व 15।
3. Cunningham, A., The Ancient Geography of India, PP. 405-408, and Archeological Survey of India, Part 2, PP. 412-413.
4. Chopra, Suhita (1991), Tourism and Development In India, Ashish Publishing House, New Delhi.
5. Fuhrer, A., Archeological Survey, List of North-West Provinces, P. 313.
6. Gill, P.S. (1997), Tourism : Economic and Social Development, Anmol Publication, New Delhi, Preface, P. Vii.
7. Gupta, V.K. (1987), Tourism in India, Gian Publishing House, New Delhi.
8. Indian Antiquary, Part 37, Page 135.
9. Jayal, N.D. and Motwani, Mohan (1986), Conservation, Tourism and Mountaineering in the Himalayas, Neeraj Publishers, Dehradun.
10. जलज, जवाहरलाल (गीतकार), कालिंजर दर्शन, फिल्म गीत संख्या 1 एवं 4 ।
11. Kaul, R.N. (1985), Dynamics of Tourism : A Trilogy, Vol I The Phenomenon, Vol. II Accommodation, Vol. III Transportation and Marketing, Sterling Publishers, New Delhi.
12. कृष्णदास, बुन्देलखण्ड के कवि, प्रथम संस्करण, पन्ना, जेठ बदी 11, सम्वत् 2025, पृ0 11।
13. Maneet Kumar (1992), Tourism Today, An Indian Perspective, Kanishka Publishing House, New Delhi.
14. Mishra, R.P., Sharma, S.S. and Acharya, Ram (1981), World Tourism, Delta International, Jaipur.
15. Negi, Jagmohan (1987), Tourism Development and Resource Conservation, Metropolitan Book Company, New Delhi.
16. Negi, Jagmohan (1990), Tourism and Travel : Concepts and Principles, Gitanjali Publishing House, New Delhi.
17. Pogson, Captain, W.R. (1974), A History of the Boondelas, Delhi, P. 13.
18. Positer, F.E. (1962), Ancient Indian Historical Trendencies, Delhi, PP. 259.281.

19. Robinson, H. (1976). A Geography of Tourism. Macdonald and Evans. London, P. xxi.

20. पंचतन्त्र, श्लोक 431, पृ0 278।

21. Sharma, K.K. (1991). Tourism in India (Centre-State Administration). Classic Publishing House, Jaipur.

22. Sinha, P.C., Editor (1998). Tourism : Reference Sources and Bibliography. Arnold Publications, New Delhi.

23. सिंह, दीवान, प्रतिपाल (1929), बुन्देलखण्ड का इतिहास, भाग–1, बनारस, पृ0 268–274।

24. सुल्लेरे, सुशील कुमार (1987), अजयगढ़ और कालिंजर की देव प्रतिमाएँ, दिल्ली, पृ0 7।

25. तिवारी, गोरेलाल (विक्रम सम्वत् 1990), बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, प्रयाग, पृ0 299–304।

26. त्रिवेदी, एस0डी0 (1984), बुन्देलखण्ड का पुरातत्व, झांसी, पृ0 10 ।

27. Wilson, Sanskrit Dictionery, PP. 216-217.

28. Wolfe, R.I. (1966). Recreational Travel : The New Migration. Canadian Geographer, Vol. 10, PP. 1-14.

29. Varun, D.P., State Editor (1988), Uttar Pradesh Gazetteers : Banda, Published by The Government of Uttar Pradesh, U.P., Lucknow, PP. 287-297.

अध्याय - द्वितीय

अध्ययन क्षेत्र : एक परिच्छेदिका

अध्ययन क्षेत्र : एक परिच्छेदिका
(Study Area : A Profile)

कालिंजर का परिचय (Introduction of Kalinjar)

बुन्देलखण्ड (उ0प्र0) के बांदा जनपद की नरैनी तहसील में अवस्थित कालिंजर युगों–युगों से ज्ञान, सृष्टि, सृजन तथा शक्ति के प्रतीक के रूप में चर्चित एवं विख्यात स्थल रहा है। यह विश्व का सर्वाधिक प्राचीन स्थल है जिसे युगानुसार भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता रहा हैं। जैसा कि पद्‌म पुराण में कहा गया है–

'सद्‌युगे कीर्तिको नाम त्रेतायां च महद्‌गिरिः।
द्वापर् पिंगलेनाम कलौकालिंजरो गिरिः'।।

अर्थात् इस पौराणिक दुर्ग कालिंजर का नाम चारों युगों में भिन्न–भिन्न था। सतयुग में कीर्तिक, त्रेतायुग में महद्‌गिरि, द्वापर में पिंगल तथा कलियुग में कालिंजर नाम से जाना जाता है। यह स्थान मात्र सभ्यता की दृष्टि से ही प्राचीन नहीं है बल्कि धर्म की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है (इण्डियन ऐंटीक्वेरी)। शिव मूर्तियों की अधिकता के कारण इसे मुख्यतः उत्तर भारत का शिव उपासना का केन्द्र मानते हैं। वायु एवं लिंग पुराण से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कालिंजर की गणना भगवान शिव के प्रसिद्ध नौ ऊखलों में की गई है, जैसे–

'रेणुका शूकरः काशी, काली काल बटेश्वरौ।
कालिंजर महाकाल, ऊखला नव मुक्तिदा'।।

शिव उपासना के अतिरिक्त इस क्षेत्र में विष्णु, जैन, तथा बौद्धमत से सम्बन्धित अनेक मूर्तियां तथा स्थल हैं। कुछ स्थल तांत्रिकों तथा निराकार ब्रह्म उपासकों के भी उपलब्ध होते हैं (सुल्लेरे 1987)। महाभारत आदि ग्रन्थों में यहां पाण्डवों के निवास का उल्लेख मिलता है। त्रेतायुग में यह क्षेत्र कौशल राज्य के आधीन था। बाल्मीकि रामायण से प्राप्त उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम ने कुत्ता मारने के अपराध में कालिंजर को दण्ड स्वरूप भर वंशीय ब्राह्मणों को दे दिया था। द्वापर युग में यह क्षेत्र चेदि वंशियों के अन्तर्गत था, जिसका शासक शिशुपाल था। इसके बाद यह क्षेत्र राजा विराट के आधीन रहा (वेद व्यास)। तत्पश्चात् यह क्षेत्र मौर्यों व गुप्त कालीन शासकों द्वारा प्रभावित रहा। हर्षवर्धन से लेकर नागभट्ट द्वितीय तक कालिंजर क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से गुर्जर प्रतिहारों के आधीन रहा। गुर्जर प्रतिहार राजाओं के पतन के पश्चात् यह स्थान स्वतन्त्र रूप से चन्देलों के आधिपत्य में आ गया तथा इस प्रकार यह राजनीति का एक प्रमुख केन्द्र बन गया (सुल्लेरे 1987)। कुतुबुद्दीन एबक के कालिंजर आक्रमण के बाद चन्देल सत्ता पूर्णतः समाप्त हो गयी (श्रीवास्तव, 1989)। यद्यपि कुतुबुद्दीन एबक के

आगमन से इस राज्य की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी फिर भी यहां का वैभव अति धीमी गति से सांस लेता रहा (मिश्र, 1974)। इस क्षेत्र में मुगल शासक हुमायू ने भी दो बार आक्रमण करने का प्रयत्न किया था (तिवारी,वि0स0 1990)। इसके पश्चात् शेरशाह सूरी ने लगभग सन् 1544–45 में कालिंजर पर आक्रमण किया तथा उसकी मृत्यु भी कालिंजर में ही हुयी (श्रीवास्तव, 1981)। इसके बाद यह स्थान औरंगजेब के समय तक मुगलों के अधिकार में रहा। तत्पश्चात् बुन्देला नरेश छत्रसाल के आधीन रहा। सन् 1812 के पश्चात् यह क्षेत्र अंग्रेजों के आधीन हो गया (तिवारी, वि0सं0 1990)।

वास्तुकाल की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। यहां पर गुप्त शैली, गुर्जर–प्रतिहार शैली तथा पंचायतन नागरीय-शैली के दर्शन होते हैं (पाण्डेय, 1968)। इस क्षेत्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकारों ने इसकी रचना अग्निपुराण, वृहदसंहिता तथा अन्य वास्तुग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त कर की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कालिंजर निश्चय ही विश्व की बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है (मिश्र, 1974)। इस प्रकार यह क्षेत्र शिक्षविदों, शोधकर्ताओं, तथा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्ण समर्थ है। कनिंघम ने इस क्षेत्र की लोकप्रियता का प्रथम कारण यहां की आर्थिक समृद्धि तथा द्वितीय कला तथा संस्कृति को माना है। महाभारत के वनपर्व के अनुसार भगवान श्री राम तथा महाभारत के प्रमुख नायक अर्जुन एवं अन्य पाण्डवों ने भी इस स्थान को देखा था।

यहाँ के समृद्ध दुर्ग, देवालय, तथा जलाशयों की प्रकृति व रचना से स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से यह एक समृद्धशाली क्षेत्र रहा है। अबुलफजल ने अपनी पुस्तक 'आइने–अकबरी' में लिखा है कि कालिंजर के आस–पास अच्छे किस्म के हीरे उपलब्ध होते थे (सिंह, 1929)। कालिंजर के समीप स्थित पहाड़ी खेरा क्षेत्र में उत्तम कोटि के हीरों की उपलब्धता इस तथ्य को प्रमाणित करती है। यही नहीं कालिंजर के निकट कुठला जवारी के जंगल में उपलब्ध लाल कंकड़ से सोना बनाया जाता था। राजा अमान सिंह ने यहां पर सोने की खदानें खुदवायी थी तथा प्रचुर मात्रा मे सोना प्राप्त किया था। कालिंजर क्षेत्र के ही समीप कीट पहाड़ी, चुम्बक पहाड़ी तथा कौहारी के समीप लोहा, तांबा तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सम्बन्ध में जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त आस–पास के क्षेत्रों में कीमती पत्थर पाये जाते हैं, जो उस समय के आर्थिक समृद्धि के द्योतक थे। इस प्रकार इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धता ने यहां की कला तथा संस्कृति को विकसित होने का सुअवसर प्रदान किया।

सुरक्षा की दृष्टि से भी कालिंजर की स्थिति महत्वपूर्ण है। इसकी स्थिति ऐसे स्थान पर है, जो उत्तर से दक्षिण जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कालिंजर के सन्निकट स्थित अगस्त्य ऋषि आश्रम में अगस्त्य ऋषि द्वारा ही भगवान श्री राम को दक्षिण दिशा की ओर जाने की सलाह

मिली थी। यहीं से वे दक्षिण दिशा की ओर गये थे (वाणभट्ट,1997)। कालिंजर दुर्ग की सुदृढ़ता एवं स्थानिक सौन्दर्य का वर्णन अलबरूनी, जगनिक, चन्दबरदायी आदि अनेक विद्वानों व कविओं की रचनाओं में देखने को मिलती है।

सन् 1812 के पश्चात् यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के आधीन हो गया था और तब से लेकर 1962 तक इस क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतों, मूर्तियों आदि को काफी नुकसान पहुँचा। मात्र ऐतिहासिक साक्ष्य व स्मृतियां, धरोहर के रूप में शेष रह गई। कालिंजर का जर्जर कलेवर मौन वाणी से अपनी गौरवगाथा सुना रहा है। अतीत की इस गौरवगाथा को सजाने एवं संवारने की महती आवश्यकता है।

स्थिति एवं विस्तार (Location & Extent)

पर्यटन केन्द्र कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चित्रकूटधाम मण्डल के बांदा जनपद की नरैनी तहसील के अन्तर्गत $25^0 1'$ उत्तरी अक्षांश तथा 80^0 $29'$ पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है (चित्र संख्या–2.1)। यह केन्द्र चित्रकूटधाम मण्डल तथा जनपद मुख्यालय बांदा से 57 किमी0, तहसील मुख्यालय नरैनी से 21 किमी0, लखनऊ से 285 किमी0, झांसी से 256 किमी0, इलाहाबाद से 201 किमी0, वाराणसी से 336 किमी0, महोबा 109 किमी0, चित्रकूट से 86 किमी0 तथा मध्यप्रदेश के सतना से 84 किमी0, पन्ना से 105 किमी0, खजुराहो से 172 किमी0, अजयगढ़ से 96 किमी0 तथा नगौदा से 58 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह स्थान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर तहसील मुख्यालय नरैनी से दक्षिण –पूर्व दिशा में केन्द्रित है।

कालिंजर जिस स्थान पर बसा है, उसे तरहटी कहते हैं क्योंकि इस गांव का बसाव निचले भू–भाग पर है तथा कालिंजर दुर्ग ऊपरी भू–भाग में स्थित है। कालिंजर दुर्ग की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद से आवृत्त है। इसके परिचमी दिशा में कटरा कालिंजर तथा रामनगर निस्फ गांव, उत्तर एवं पूर्व दिशा में तरहटी कालिंजर, पाही, गिरधरपुर, नसरतपुर, मसौनी भरतपुर, सौंता कालिंजर, सकतपुर तथा बहादुर कालिंजर स्थित हैं। कालिंजर की भौगोलिक परिस्थिति में इन गांवों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण में इन तेरह गाँवों को ही ध्यान में रखा गया है। कालिंजर दुर्ग 5.42 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में विस्तृत है जबकि दुर्ग के आस–पास स्थित कालिंजर क्षेत्र के गांवों का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 51.76 वर्ग किमी0 है, समुद्र तल से कालिंजर पहाड़ी (दुर्ग) की ऊंचाई 381.25 मीटर तथा तरहटी कालिंजर से दुर्ग की ऊंचाई 213.36 मीटर है। दुर्ग का मुख्य प्राचीर 25–30 मीटर ऊँचा, शीर्ष में 8 मीटर चौड़ा तथा 7.5 किमी0 लम्बा चट्टानों , पत्थरों को एक के ऊपर रखकर अथवा चूने के जोड़ से बनाया गया है। वर्तमान समय में दुर्ग की दीवारें अत्यधिक जर्जर अवस्था में है।

सन्दर्भ मानचित्र
बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०)
कालिंजर की भौगोलिक स्थिति
प्र०मि० 1:1000,000
0 10 20 30 40
किलोमीटर
जालौन
कालपी
कोंच
उरई
हमीरपुर
सरीला
मौठ
राठ
मौदहा
गरौठा
झाँसी
बबेरु
बाँदा
चरखारी
कुलपहाड़
महोबा
अतर्रा
चित्रकूट
मऊरानीपुर
कालिंजर
तालबेहट
ललितपुर
महरौनी
कालिंजर की स्थिति
कालिंजर
कालिंजर क्षेत्र
दुर्ग की स्थिति
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
मध्य
किलोमीटर
संकेत
राज्य सीमा
जनपद सीमा
तहसील सीमा
मण्डल मुख्या
जनपद मुख्या
तहसील मुख्या
चित्र संख्या 2.1

भौतिक स्वरूप (Physical Structure)

कालिंजर क्षेत्र की पहाड़ियाँ विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों का एक भाग हैं, जो बलुआ पत्थर, शेल तथा चूने के पत्थर द्वारा निर्मित एक विशाल संस्तरीभूत क्रम का उदाहरण हैं जिनकी मोटाई 14000 फीट से अधिक है (वाडिया, 1975)। विन्ध्यनक्रम परतदार चट्टानों के वेसिन का अवशिष्ट भाग है, जो कठोर बलुआ पत्थर के रूप में क्षेत्र की भौमिकीय संरचना में अपना विशेष महत्व रखता है (लॉ, 1968)। विन्ध्यनक्रम की चट्टानें तहसील के कालिंजर क्षेत्र में अर्द्धवृत्ताकार माला के रूप में विस्तृत हैं। इस क्रम के बलुआ पत्थर ऐतिहासिक समय से ही आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि वे सुन्दर, इमारती पत्थर के भण्डार हैं। स्पेट (1967) का मत है कि विन्ध्यन क्रम के बलुआ पत्थर से सुन्दर पत्थर शायद विश्व में अन्यत्र नहीं हैं। दुर्ग का उत्तरी भाग विशेषतया जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है, जो बालू, सिल्ट व चीका मिट्टी द्वारा निर्मित हैं (सक्सेना, 1971)।

कालिंजर क्षेत्र के मैदानी भाग के दक्षिण में कगार के रुप में छोटी–छोटी पहाडियां स्थित है, जिन्हे कलिंजर या कालिंजरी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों की ऊंचाई कहीं भी समुद्रतल से 700 फिट से अधिक नहीं है। यह अत्यधिक कटावयुक्त उच्च भूमि है। इसका ऊपरी भाग समतल है, जिस पर कालिंजर दुर्ग बना हुआ है। अपक्षय एवं अपरदन के फलस्वरुप दुर्ग की दीवारों का परिकोटा भी कहीं–कहीं गिर गया है। वृक्ष एवं झाड़ियों से आच्छादित आकर्षक दृश्यावली वाला यह पठारी क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं प्राकृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

जलप्रवाह प्रणाली (Drainage System)

किसी भी क्षेत्र का प्रवाह तंत्र उस क्षेत्र में जलतंत्र की प्राकृतिक व्यवस्था को दर्शाता है। वस्तुतः प्रवाहतंत्र क्षेत्र विशेष के कुछ तत्वों जैसे– उस क्षेत्र के ढाल, चट्टानों की कठोरता में असमानता, संरचनात्मक नियंत्रण तथा अपवाह बेसिन के नवीन भूगर्भिक तथा भू–आकृतिक इतिहास (थार्नवरी, 1954) के द्वारा प्रभावित रहता है। सामान्यतः इस क्षेत्र का ढाल दक्षिण–पूर्व से उत्तर–पश्चिम दिशा में है।

बागै इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद के कौहारी गांव के समीप वृहस्पति कुण्ड से निकलती है। यह नदी कटरा कालिंजर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई उत्तर–पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। रामनगर निस्फ गांव के पूर्वी भाग से पुनः बागै नदी क्षेत्र में प्रवेश कर मसौनी भरतपुर गांव तक कालिंजर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यह नदी दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व दिशा में गुढा, बदौसा तथा कमासिन के समीप से बहती हुयी यमुना नदी मे मिल जाती है। वर्षा ऋतु में इस नदी का रूप बड़ा भयानक हो जाता है। इसमें

बालू तथा कंकड़ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिनका प्रयोग भवन तथा सड़क निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई बरसाती नाले पहाड़ी क्षेत्र से वर्षा ऋतु में प्रवाहित होते हैं, किन्तु वर्षा ऋतु के पश्चात् इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहादुरपुर कालिंजर तथा तरहटी कालिंजर के समीप से सरेहरी और तिलरी नाला प्रवाहित होते हैं जिनका इस क्षेत्र के प्रवाह तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। सरेहरी नाला सुरसरिगंगा से बहता है जिसका स्थानिक नाम त्रिवेणी है। सगरा बांध बन जाने से इस नाले का जल अब सगरा जलाशय में जाता है। इसके अलावा यहां पर कई प्रकृतिक सरोवर व जलाशय हैं जिनमें बुड्ढा–बुड्ढी, राम कटोरा, शनीचरी तलैय्या, बेलातााल, गोपाल सागर, कनक सागर, बिलबिली तालाब आदि का विशिष्ट स्थान है।

जलवायु (Climate)

बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की भांति यहां की जलवायु मानसूनी है, जो ऊष्ण व उपोष्ण कटिबन्ध के आधार पर स्वास्थ्यवर्द्धक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च महीने से प्रारम्भ हो जाती है, जो लगभग जून माह तक रहती है। शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी माह तक मानी जाती है। वर्षा जून के अन्त में प्रायः देर से प्रारम्भ होती है। सामान्यतः अक्टूबर माह तक वर्षा का समय माना जाता है। वार्षिक औसत उच्चतम तापमान 44.05^0 से0ग्रे0 तथा औसत न्यूनतम तापमान 10.1^0 से0ग्रे0 रहता है। कभी–कभी जून माह में उच्चतम तापमान 48^{0}से0ग्रे0 तक पहुँच जाता है। मई व जून में सूर्य की तीव्र किरणें व पश्चिमी हवा (लू) वातावरण को अत्यधिक कठोर व असहनीय बना देती है,जो मध्यान्ह के समय तीव्र गति से चलती है परन्तु सायंकाल से मौसम शान्त एवं सुहावना हो जाता है।ग्रीष्म ऋतु की राते अत्यधिक सुहावनी होती हैं। दिसम्बर व जनवरी के महीने में कभी –कभी शीत लहरी से भी वातावरण सिहर उठता है। ठन्डक से बचने के लिए लोग अलाव तापते हैं। रात्रि में ठन्ड से बचने के लिये गरीब लोग धान अथवा कोदौं के पयार पर विस्तर डाल कर सोते हैं। अधिकांशतः पश्चिमी तथा पूर्वी हवायें वर्ष भर चलती हैं। वार्षिक सामान्य वर्षा 946 मि0मी0 तथा अधिकतम वर्षा 1031.81 मि0मी0 रिकार्ड की गई है। ग्रामीण ऋतु की राते अत्याधिक सुहावनी होती है।

वर्षा ऋतु इस क्षेत्र के लिए वरदान के रूप में आती है। यहां की धरती वर्षा के जल को सोख लेती है जिससे कीचड आदि नहीं रहता। पथरीला व ऊंचा–नीचा भू–भाग होने के कारण वर्षा का जल एक स्थान पर न रूककर बह जाता है, जिससे सड़के साफ धुली दिखायी पड़ती हैं। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में यह क्षेत्र घूमने–फिरने की दृष्टि से आने वाले पर्यटकों के लिये इन्द्र देव का वरदान है।

मिट्टियां (Soils)

अध्ययन क्षेत्र में पांच प्रकार की मिट्टियाँ यथा–गोयड़, कछार, काबर, पडुवा, तथा रांकर पाई जाती हैं। गोयड़ तथा कछार मिट्टियां मुख्यतः गांव के समीपवर्ती क्षेत्र में सीमित दायरे में

मिलती हैं। यह मिट्टियाँ काफी उपजाऊ होती हैं जिनके कण न तो अत्यधिक मोटे और न ही बहुत महीन होते हैं। इन मिट्टियों में कणों के बीच स्थान होने के कारण पानी आसानी से सोख लिया जाता है जो कुछ समय तक स्थिर रहता है। इनमें गेंहूँ, चना, सब्जियां एवं तिलहन आदि की अच्छी खेती होती है।

काबर हल्की भूरी, गहरी सिलेटी तथा काली मिट्टी मिश्रित होती है। यह मिट्टी मध्यम उपजाऊ होती है। इसमें बालू के कणों की बहुतायता रहती है तथा जीवांश की मात्रा अधिक पायी जाती है। उत्पादकता के आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है – (1) ई काबर, (2) एच काबर। एच काबर की अपेक्षा ई काबर अधिक उपजाऊ होती है। क्षेत्र के लगभग 15 प्रतिशत भू–भाग पर इस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। इस मिट्टी की उत्पादकता किसान की मेहनत पर निर्भर करती है।

पडुवा मिट्टी भूरी तथा ग्रे भूरी रंग की होती है, सिंचाई इस मिट्टी के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सिंचाई की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में दो फसले उगाई जाती हैं। उत्पादकता के आधार पर इस मिट्टी को तीन भागों में बांटा गया है – एल पडुवा, के पडुवा तथा एन पडुवा। कालिंजर क्षेत्र के सभी गांवों में यह मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी की सर्वोत्तम किस्म एल पडुवा है जिसमें बालू के कण नहीं मिलते। के पडुवा में बालू के कण पाये जाते हैं जबकि एन पडुवा में बालू के कणों के साथ–साथ कंकड़ तथा पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़े भी मिलते हैं। इस प्रकार एन पडुवा उत्पादकता की दृष्टि से निम्न कोटि की है जिसमें अधिकांशतः खरीफ व कुछ रवी की फसले उगायी जाती हैं।

रांकर मिट्टी कालिंजर न्याय पंचायत के लगभग सभी गांवों में मिलती है। निचली सतहों पर मृदा के कण छोटे होते हैं तथा बालू का जमीन मिलती है। भूमिगत जलस्तर 15 से 30 मीटर नीचे मिलता है। इसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। चूने की मात्रा 16–19 प्रतिशत तक पाई जाती है। विशेषतया इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, तथा कुछ रवी की फसले उगाई जाती हैं।

वनस्पति एवं जीव–जन्तु (Flora and Fauna)

अध्ययन क्षेत्र की वनस्पति ऊष्ण कटिबन्धीय मानसूनी कोटि की है। यहां पर पाये जाने वाली वनस्पति के प्रमुख वृक्ष–आम, आंवला, महुवा, जामुन, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, बांस, करील, खैर, बबूल, तेन्दू, इमली, कैथा, अमरूद, साल, सागौन, चन्दन, चिरौंजी, ताड़, खजूर, बेल, सेमर, अमलतास, कचनार, बेल, श्यामा आदि हैं। इसके अलावा करौंदा, करेला, रिंया, चमरेला, माहुल, इंगुआ, सहजन, मुकुइया, झलबेरी, नागफनी, आदि झाड़ियां पायी जाती हैं।

विगत वर्षों में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के कारण तेजी से वनों के क्षेत्रफल में कमी आयी है। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा नई जोतों की प्राप्ति से बंजर भूमि का तेजी से ह्रास हुआ है। फलतः वन तथा उद्यान के क्षेत्र में तीव्रता से कमी आ रही है।

वर्ष 2001–02 में दुर्ग को छोड़कर कालिंजर न्याय पंचायत में वन विभाग के अन्तर्गत कुल वन क्षेत्र 744.851 हेक्टेयर था, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 16.08 प्रतिशत है। न्याय पंचायत के अन्तर्गत वन भूमि मुख्यतः बहादुरपुर कालिंजर (14.40 प्रतिशत), कटरा कालिंजर (1.62 प्रतिशत) तथा सौंता कालिंजर (0.05 प्रतिशत) में पाई जाती है। सकतपुर एवं पाही ग्राम में कुछ भूमि झाड़ी के अन्तर्गत सम्मिलित है किन्तु उनका कोई खास महत्व नहीं है। सन्तुलित पर्यावरण की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यन्त न्यून है। आज भी दुर्ग एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र में वनों का अधाधुन्ध कटान जारी है।

अतः प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग से गांव की अस्मिता खतरे में पड़ गयी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी के हरे–भरे श्रंगार को न उजाड़ें तथा प्रकृति के साथ सदैव संवेदनशील रहें (मिश्र 1999)।

अध्ययन क्षेत्र में प्रमुखतया वन्य जीव–जन्तुओं में नील गाय, सियार, लोमड़ी, बन्दर, लकडबग्धा, भेड़िया, हिरन आदि प्रमुख हैं। अन्य वन्य जन्तुओं में गिलहरी, नेवला, बिल्ली, चूहा, सर्प, अजगर, गोह आदि भी पाये जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रमुखतया मोर, उल्लू, तोता, कोयल, सारस, बतख, बगुला, कबूतर, चमगादड़, चील आदि पक्षी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, भेड़, खच्चर, घोड़ा आदि मुख्य हैं।

आर्थिक स्वरूप (Economic Structure)

इसके अन्तर्गत भूमि उपयोग, खनिज तथा उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है।

भूमि उपयोग तथा शस्य प्रतिरूप (Land -use and Cropping Pattern)

किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग का प्रारूप उसकी आर्थिक एवं कृषि सम्बन्धी स्थितियों को निरूपित करता है। भूमि उपयोग द्वारा क्षेत्र विशेष की कृषित, अकृषित तथा कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिये इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण में विशिष्ट स्थान रखता है।

कालिंजर न्याय पंचायत की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि है। यहां की लगभग 87.27 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। दुर्ग को छोड़कर न्याय पंचायत कालिंजर का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 4633.399 हेक्टेयर है जिसके 67.96 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। दुर्ग का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 542.316 हेक्टेयर है जो भूमि पहाड़ी भूमि के अन्तर्गत अंकित

है। क्षेत्र के भूमि उपयोग का ग्राम स्तर पर विस्तृत विवरण सारिणी संख्या–2.1 एवं (चित्र संख्या– 2.2) में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी संख्या– 2.1
भूमि उपयोग (2001–2002) हेक्टेयर में

गांव	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	कृषि योग्य बंजर भूमि	परती भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्यउपयोग की भूमि	वन/झाड़ी	एक से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल
कटरा कालिंजर	747.878	571.166	1.367	4.197	94.929	76.219	23.340	52.055
गिरधरपुर	71.766	58.862	1.517	0.996	10.391	–	25.795	41.652
तरहटी कालिंजर	522.537	335.421	23.343	33.384	130.389	–	93.746	215.686
नसरतपुर	45.106	37.808	0.357	3.987	2.954	–	2.847	25.570
बहादुरपुर कालिंजर	1699.464	822.603	45.233	95.439	69.253	666.936	112.642	366.669
रामनगर निस्फ	71.103	56.509	0.742	3.302	10.550	–	4.909	4.297
सौंता कालिंजर	339563	310.088	–	2.691	25.296	1.488	189.889	127.833
पहाड़ी माफी	99.547	70.826	5.336	10.172	.13.213	–	3.495	14.321
सकतपुर	250.373	216.394	2.858	6.219	24.825	0.077	21.022	127.812
पाही	244.781	227.228	3.590	–	13.903	0.060	18.507	63.889
लादपहाड़ी	56.927	48.506	–	1.778	6.643	–	3.815	12.831
मसौनी भरतपुर	484.427	393.084	5.398	31.099	54.846	–	84.971	78.656
किला कालिंजर	542.316	–	–	–	–	–	–	–
योग	5175.715	3148.555	89.731	193.264	457.192	744.851	584.978	1125.833

स्रोत – लेखपालों की सूचना पर आधारित।

चित्र संख्या–2.2

सारिणी संख्या– 2.1 एवं चित्र संख्या– 2.2 के विश्लेषण के उपरान्त कालिंजर क्षेत्र के भूमि उपयोग को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) कृषि के अतिरिक्त भूमि – अध्ययन क्षेत्र की कुल भूमि का 10 प्रतिशत भाग कृषि के लिए अनुपलब्ध है। इसके अन्तर्गत बस्ती, सड़क, मरघट, कब्रिस्तान, तालाब, नदी, नाला, नाले, बांध, पहाड़ी भूमि, भीटा, देवस्थान, रेता, टीला इत्यादि सम्मिलित हैं।

(2) कृषि योग्य बंजर एवं परती भूमि – इसके अन्तर्गत परती भूमि तथा नवीन परती भूमि सम्मिलित है, जिसमें कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.00 प्रतिशत भाग समाहित है। कृषि योग्य बंजर भूमि 2.00 प्रतिशत तथा पुरानी एवं नई परती के अन्तर्गत 4.00 प्रतिशत भूमि आती है। पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन सम्वर्धन की दृष्टि से इस भूमि को विकसित करने की आवश्यकता है।

(3) वन एवं झांड़ी – वन एवं झाडी के अन्तर्गत कालिंजर क्षेत्र की कुल प्रतिवेदित भूमि का 16 प्रतिशत भाग आता है। वनों एवं झाड़ी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से काफी कम है। अतः पर्यावरण–पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(4) कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि – क्षेत्र की कुल प्रतिवेदित भूमि का 68 प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिसके 18.58 प्रतिशत भूमि पर एक से अधिक फसले उगायी जाती हैं।

शोध क्षेत्र में उगायी जाने वाली फसलों को उनकी बुवाई, कटाई तथा जलवायु के समय के आधार पर तीन वर्गों खरीफ, रवी, तथा जायद के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। कालिंजर न्याय पंचायत के समस्त गांवों के शस्य प्रतिरूप को सारिणी संख्या– 2.2. में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या – 2.2

शस्य प्रतिरूप (2001–2002) (हेक्टेयर में)

गांव	सकल बोया गया क्षेत्रफल	रवी शस्य के अन्तर्गत क्षेत्र	खरीफ शस्य के अन्तर्गत क्षेत्र	जायद शस्य के अन्तर्गत क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र
कटरा कालिंजर	666.095	377.853	281.225	7.017	52.055
गिरधरपुर	84.657	53.695	30.919	0.043	41.762
तरहटी कालिंजर	429.167	310.407	106.459	12.301	215.926
नसरतपुर	40.655	34.625	5.756	0.274	25.890
बहादुरपुर कालिंजर	935.245	618.093	317.152	–	368.659
रामनगर निस्फ	67.127	43.023	22.043	2.061	4.497
सौंता कालिंजर	335.384	246.533	88.189	0.662	129.905
पहाड़ी माफी	75.171	45.653	28.668	0.838	14.321
सकतपुर	237.416	181.937	54.387	1.092	127.842
पाही	245.735	125.225	120.510	–	64.909
लादपहाड़ी	54.311	31.777	22.534	–	13.831
मसौनी भरतपुर	447.93	308.714	139.216	–	86.722
किला कालिंजर	–	–	–	–	–
योग	3618.893	2377.535	1217.058	24.288	1146.319

स्रोत – लेखपालों की सूचना पर आधारित।

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 68 प्रतिशत भाग शुद्ध कृषित भूमि के अन्तर्गत आता है। सकल कृषि क्षेत्र का रवी, खरीफ तथा जायद की फसलों के अन्तर्गत क्रमशः 65.71, 33.63 तथा 0.66 प्रतिशत भाग आता है। शुद्ध बोयी गयी भूमि का 35.76 प्रतिशत भाग सिंचित तथा शेष 64. 24 प्रतिशत भाग असिंचित है। खरीफ फसलों में खाद्यान्नों की प्रधानता है। ज्वार, अरहर, उर्द, मूंग, आदि खरीफ शस्य के मुख्य खाद्यान्न हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल.ज्वार व अरहर के अन्तर्गत आता है। अखाद्य फसलों के क्षेत्र काफी सीमित हैं। रवी शस्य में खाद्यान्नों के अन्तर्गत कुल वास्तविक कृषि भूमि का 75 प्रतिशत से अधिक भाग आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ एवं चना है। इसके पश्चात् जौं व तिलहन का स्थान आता है।

कृषि अर्थव्यवस्था के परीक्षण से स्पष्ट है कि यहां के अधिकतर किसान सीमांत एवं लघु श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जो अधिकांशतः खेती में परम्परागत कृषि तरीकों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनों की कमी तथा कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के न्यूनतम प्रयोग से भी कृषि क्षेत्रों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। वास्तव में कृषि में नवीन तकनीकी के विकास पर तभी जोर दिया जा सकता है, जब सिंचन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुलभ हो।

सिंचाई एक ऐसा माध्यम है जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति करके तथा जल भराव वाले क्षेत्रों से जल निकालकर मानव को लाभ प्रदान कर सकता है। कृषि कार्य के विकास हेतु अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा वाले भागों में मानव द्वारा विभिन्न जल स्रोतों का जल नाना प्रकार की विधियों से खेतों तक पहुँचाना सिंचाई कहलाता है। कालिंजर न्याय पंचायत की कुल बोई गयी भूमि का 36.39 प्रतिशत भाग ही सिंचित है, जिसमें सिंचाई के साधनों के रूप में कूप, नदी, नाला, नलकूप, बांध एवं बन्धियों का उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा निजी पम्प सेटों से की जाती है।

खनिज एवं उद्योग धन्धे (Minerals & Industries)

किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनन प्रक्रिया का विशेष महत्व है। यहां पर पाये जाने वाले प्रमुख खनिजों में बालू, मौरम, पत्थर, आदि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त कालिंजर के समीपवर्ती क्षेत्र में बहुमूल्य खनिजों यथा– हीरा, सोना, आदि की उपलब्धता का वर्णन मिलता है। इस समय क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं हैं। कुटीर उद्योगों में मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, चमड़े के जूते बनाने का कार्य, हल–बक्खर व बैलगाड़ी बनाने का कार्य तथा छोटे–छोटे लोहे के यंत्र आदि बनाने के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर खाने वाले चूने की भट्टियां भी कार्यरत हैं। गांव के परम्परागत उद्योग धन्धें जिनमें गांव की लगभग एक चौथाई जनसंख्या कार्यरत थी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सन्तुलित रूप प्रदान करने में सहयोग देते थे, आज मरणासन्न अवस्था में हैं। सन्तुलित विकास के लिये इन्हे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है । इनके द्वारा केवल उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं को नहीं बनाना चाहिए जिसकी मात्र हमारे किसानों को आवश्यकता है बल्कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण भी किया जाना चाहिए, जिसकी

जरूरत शहरों में भी रहती है (मिश्र, 1997)। अतः पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास की अपार सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक उद्योग धन्धों के विकास की महती आवश्यकता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार (Social & Cultural Base)

जनसंख्या विकास एवं वितरण (Population Growth & Distribution)

प्राकृतिक वातावरण को संशोधित करके सांस्कृतिक भू–दृश्य का निर्माण करने वाला मानव भौगोलिक अध्ययन का केन्द्र विन्दु है (ट्रिवार्था, 1953)। मानव संसाधन किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। यह समाज में न केवल संसाधन उपयोग के आर्थिक स्वरूप को निर्धारित करता है बल्कि वह स्वयं भी एक अत्यन्त गतिमान आवश्यक संसाधन है क्योंकि इसी से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रक्रियाओं को नियोजित एवं प्रतिपादित करने के लिए इच्छित श्रम तथा कुशलता की प्राप्ति होती है।

सन् 2001 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कालिंजर न्याय पंचायत की जनसंख्या 15561 है। जिसमें 53.95 प्रतिशत पुरूष तथा 46.05 प्रतिशत स्त्रियां हैं। 1981 व 1991 में यह जनसंख्या मात्र 10433 व 12924 थी। वर्तमान समय में अनुसूचित वर्ग के अन्तर्गत 3217 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 20.71 प्रतिशत हैं जनगणना विभाग लखनऊ, नरैनी तहसील तथा सर्वेक्षण से प्राप्त कालिंजर न्याय पंचायत के तीन दशकों (1981–2001) के जनसंख्या विकास सम्बन्धी आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनसंख्या में सतत् वृद्धि हो रही है (सारिणी संख्या–2.3)।

सारिणी संख्या– 2.3

कालिंजर न्याय पंचायत के गांवों की जनसंख्या

गांव	1981			1991			2001		
	कुल	पुरूष प्रतिशत	स्त्री प्रतिशत	कुल	पुरूष प्रतिशत	स्त्री प्रतिशत	कुल	पुरूष प्रतिशत	स्त्री प्रतिशत
कटरा कालिंजर	1961	53.90	46.10	2571	54.56	45.44	3380	52.93	47.07
गिरधरपुर	178	53.37	46.63	258	62.05	37.95	292	68.83	31.17
तरहटी कालिंजर	4029	53.26	46.74	4417	55.47	44.53	4675	54.20	45.80
नसरतपुर	05	40.00	60.00	–	–	–	–	–	–
बहादुरपुर कालिंजर	1383	54.01	45.99	2046	51.87	48.13	2810	53.84	46.16
रामनगर निस्फ	643	54.90	45.10	668	46.67	53.33	731	52.15	47.85
सौता कालिंजर	448	54.69	45.31	570	53.49	46.51	700	54.71	45.29
पहाड़ी माफी	249	51.81	48.19	347	54.18	45.82	377	51.19	48.81
सकतपुर	153	52.29	47.71	195	54.02	45.98	259	64.66	35.34
पाही	240	55.42	44.58	370	54.59	45.41	486	54.37	45.63
लाद पहाड़ी	12	50.00	50.00	15	51.50	48.50	23	43.48	56.52
मसौनी भरतपुर	1132	52.47	47.53	1467	55.35	44.65	1828	52.52	47.48
किला कालिंजर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	**10433**	**53.55**	**46.45**	**12924**	**54.29**	**45.71**	**15561**	**53.88**	**46.12**

स्रोत – जनगणना विभाग लखनऊ, तहसील कार्यालय तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों द्वारा संगणित।

पर्यटन विकास के फलस्वरूप रोजगार की तीव्र सम्भावनाओं को देखते हुए कटरा कालिंजर, तरहटी कालिंजर, बहादुरपुर कालिंजर आदि गांवों में तीव्रगति से वृद्धि हो रही हैं। न्याय पंचायत कालिंजर की जनसंख्या के स्थानिक वितरण में उपलब्ध संसाधनों, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों का स्पष्ट रूप से प्रभाव परिलक्षित होता है। क्षेत्र में जनसंख्या वितरण के स्थानिक प्रतिरूप का यद्यपि कोई स्पष्ट लक्षण देखने को नहीं मिलता फिर भी पहाड़ी एवं क्षत–विक्षत क्षेत्र में विखरी हुई जनसंख्या अधिकांशतः देखने को मिलती है।

घनत्व एवं लिंगानुपात (Density and Sex-Ratio)

जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतीक होता है (चांदना एवं सिद्धू, 1980)। यह क्षेत्रीय वितरण एवं विभिन्नताओं को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 2001 की जनगणनानुसार कालिंजर न्याय पंचायत का घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है जबकि 1991 में यहां का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 था। ग्राम्य स्तर पर जनसंख्या का घनत्व सारिणी संख्या 2.4 तथा चित्र संख्या 2.3 में प्रदर्शित है।

सारिणी संख्या 2.4

घनत्व एवं लिंगानुपात (2001)

ग्राम	घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)		लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या)	
	1991	2001	1991	2001
कटरा कालिंजर	476	452	807	889
गिरधरपुर	258	405	870	453
तरहटी कालिंजर	803	894	851	845
नसरतपुर	–	–	–	–
बहादुरपुर कालिंजर	120	165	803	902
रामनगर निस्फ	89	1015	942	918
सौता कालिंजर	169	206	833	828
पहाड़ी माफी	66	377	846	953
सकतपुर	78	100	612	547
पाही	521	196	832	839
लाद पहाड़ी	21	40	1143	1300
मसौनी भरतपुर	303	378	928	904
किला कालिंजर	–	–	–	–
योग	250	300	842	857

स्रोत : जनसंख्या विभाग लखनऊ,तहसील कार्यालय तथा सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या–2.4 के परीक्षण से स्पष्ट है कि कटरा कालिंजर एवं पाही ग्राम को छोड़कर शेष सभी गांवों में जनसंख्या घनत्व में सतत् वृद्धि हुई है। रोजगार की तलाश में शहरों की ओर स्थानान्तरण के फलस्वरूप यह कमी दृष्टिगत होती है। चित्र संख्या 2.3अ से स्पष्ट है कि 600 से

अधिक जनसंख्या घनत्व वाले गांवों में रामनगर निस्फ तथा तरहटी कालिंजर आते हैं। 400–600 के मध्य कटरा कालिंजर तथा गिरधरपुर गांव सम्मिलित हैं। 200–400 के मध्य मसौनी भरतपुर, पहाड़ी माफी तथा सौंता कालिंजर का स्थान आता है तथा 200 से कम घनत्व वाले गांवों में पाही, बहादुरपुर कालिंजर, सकतपुर तथा लाद पहाडी आते हैं। किला कालिंजर एवं नसरतपुर गैर आबाद गाँव की श्रेणी में आते हैं।

बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की भांति कालिंजर न्याय पंचायत में भी पुरूष एवं स्त्री युवा वर्ग की अधिकता है। स्त्री–पुरूष दोनों ही वर्गों में इस वर्ग की प्रधानता तीव्र उत्पादक शक्ति वाला परिवर्तन एवं उच्च निर्भरता अनुपात का द्योतक है (मिश्र, 1981)। इस सम्बन्ध में चोपड़ा (1975) का यह कथन उचित ही कहा जा सकता है कि बच्चों की यह वृद्धि क्रियाशील जनसंख्या में कमी करके उस पर अधिक भार को बढ़ाती है जिसके फलस्वरूप विविध प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

शोध क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 53.88 प्रतिशत पुरूष एवं 46.12 प्रतिशत स्त्रियां हैं। यहां पर प्रति हजार पुरूषों पर 857 स्त्रियां निवास करती हैं। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों की तुलना में पुरूषों का अनुपात अधिक है। 1991 में प्रति हजार पुरूषों पर 842 स्त्रियां आंकलित की गई। सौंता कालिंजर, सकतपुर, मसौनी भरतपुर, गिरधरपुर, तरहटी कालिंजर, तथा रामनगर निस्फ गांवों में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों के अनुपात में 1991 की अपेक्षा कमी आयी है जबकि बहादुरपुर कालिंजर, लाद पहाड़ी, पहाड़ी माफी, पाही तथा कटरा कालिंजर में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या बढ़ी है (सारिणी संख्या 2.4) चित्र संख्या– 2.3ब के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रति हजार पुरूषों पर 800 से 1000 के मध्य स्त्रियां 8 गांवों में आंकलित की गईं हैं जबकि लाद पहाड़ी में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है। गिरधरपुर तथा सकतपुर में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात अति–न्यून है।

वस्तुतः स्त्रियों की अपेक्षा पुरूष शिशुओं की अधिक उत्पत्ति, पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था में बालिकाओं के उचित देखभाल का अभाव, दहेज प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुप्रभाओं के कारण स्त्रियों की मृत्युदर अधिक है। इस प्रकार की स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी दृष्टिगत होती है।

साक्षरता (Literacy)

साक्षरता किसी देश के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान तथा प्रजातान्त्रिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है (चांदना एवं सिद्धू, 1980)। किसी भी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था का उसकी साक्षरता और साक्षरता का अर्थव्यवस्था पर अन्योन्याश्रय प्रभाव होता है। इसीलिये कृषि क्रियाकलापों से सम्बद्ध अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में कम साक्षरता तथा औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न अर्थव्यवस्था वाले भू–भागों में अधिक साक्षरता मिलती है (गोसल, 1969)। निम्न रहन–सहन स्तर वाले परिवारों की अपेक्षा उच्च रहन–सहन स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर अधिक पायी जाती

कालिंजर क्षेत्र
(अ) आंकिक घनत्व, 2001
उत्तर
किलोमीटर
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
व्यक्ति/वर्ग किमी0
200 से कम
200 - 300
300 - 400
400 से अधिक
गैर आबाद गाँव
कालिंजर क्षेत्र
(ब) लिंगानुपात, 2001
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
स्त्रियाँ/सहस्त्र पुरुष
800 से कम
800 - 900
900 - 1000
1000 से अधिक
गैर आबाद गाँव
चित्र संख्या 2.3

है क्योंकि उच्च जीवनस्तरीय परिवारों में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है जबकि निम्न जीवन स्तरीय परिवार साधन विहीन होते हैं, अतः बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना सम्भव नहीं हो पाता है।

सर्वेक्षण बताता है कि कालिंजर क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। अतः इन परिवारों के सभी सदस्य (बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरूष) समवेत् कार्य से अर्जन कर भरण–पोषण करते हैं। यह लोग बच्चों को शिक्षा की अपेक्षा मजदूरी में लगाना अधिक उचित मानते हैं। पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता दर अत्याधिक न्यून है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समाज में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों को निम्न स्थान प्राप्त है। कालिंजर क्षेत्र में शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत 48.87 है जो कि 1991 की अपेक्षा काफी अधिक है (सारिणी संख्या 2.5)। इसके अलावा 20.80 प्रतिशत साक्षर स्त्रियों को अपेक्षा शिक्षित पुरूषों (65.41 प्रतिशत) की संख्या अधिक है। ग्राम्य स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, यद्यपि 1991 की तुलना में सभी गांवों में साक्षरता दर में वृद्धि हुयी है फिर भी यह वृद्धि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। साक्षरता की दृष्टि से पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियां काफी पीछे हैं।

सारिणी संख्या– 2.5

कालिंजर न्याय पंचायत के गांवों की साक्षरता (प्रतिशत में)

गांव	1991			2001		
	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री
कटरा कालिंजर	22.20	33.10	8.71	41.19	61.38	14.64
गिरधरपुर	12.79	23.91	–	23.11	42.24	6.44
तरहटी कालिंजर	27.14	38.05	14.33	53.49	70.61	29.13
नसरतपुर	–	–	–	–	–	–
बहादुरपुर कालिंजर	15.93	25.37	4.17	27.22	39.99	10.49
रामनगर निस्फ	19.16	31.98	5.55	32.32	41.75	12.03
सौंता कालिंजर	22.28	36.33	5.40	43.57	50.91	19.12
पहाड़ी माफी	25.65	37.76	11.32	40.58	52.33	19.88
सकतपुर	0.51	0.83	–	18.37	27.31	6.58
पाही	9.19	15.35	1.78	23.33	31.61	9.10
लाद पहाड़ी	80.00	85.71	75.00	83.91	90.00	64.54
मसौनी भरतपुर	21.74	33.90	8.64	43.30	63.83	18.39
किला कालिंजर	–	–	–	–	–	–
योग–	**21.97**	**32.64**	**9.29**	**48.87**	**65.41**	**20.80**

स्रोत – जनगणना विभाग लखनऊ, तहसील कार्यालय तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों द्वारा संगणित।

तरहटी कालिंजर एवं लाद पहाड़ी में 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति साक्षर हैं जबकि सकतपुर, गिरधरपुर, पाही एवं बहादुरपुर कालिंजर में 30 प्रतिशत से कम साक्षरता आंकलित की

गई है। रामनगर निस्फ में 30 से 40 प्रतिशत के मध्य जबकि शेष गांवों में 40 से 50 प्रतिशत के मध्य साक्षरता पाई जाती है (चित्र संख्या– 2.4)। सर्वाधिक पुरूष साक्षरता (55.0 प्रतिशत से अधिक) लाद पहाड़ी, तरहटी कालिंजर, मसौनी भरतपुर व कटरा कालिंजर में आंकलित की गई है जबकि न्यूनतम साक्षरता (35.0 प्रतिशत से कम) के अन्तर्गत सकतपुर एवं पाही गांव आते हैं। सबसे कम स्त्री साक्षरता (10.0 प्रतिशत से कम) गिरधरपुर, सकतपुर एवं पाही गांवों में, जबकि सर्वाधिक स्त्री साक्षरता लाद पहाड़ी एवं तरहटी कालिंजर में आंकलित की गई है। चित्र संख्या–2.5 अ, ब के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि साक्षरता की दृष्टि से पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियां काफी पीछे हैं। यही कारण है कि परिवार का सन्तुलित विकास नहीं हो पा रहा है।

इस क्षेत्र की न्यून साक्षरता का प्रमुख कारण उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं का अभाव माना जा सकता है। 23 अक्टूबर, 2002 को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यहां कुल आठ प्राइमरी स्कूल (परिषदीय 2, मान्यता प्राप्त 3 विद्यालय किराए के मकान में, तथा 3 गैर मान्यता प्राप्त) संचालित हैं। जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा हेतु मात्र 2 विद्यालय हैं जिनमें एक परिषदीय तथा एक मान्यता प्राप्त किराए के मकान में संचालित है। यहां पर एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है जो 1978 से अभी तक भवन विहीन है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटन केन्द्र कालिंजर में समुचित शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की कमी तथा उच्चीकृत शिक्षा संस्थाओं के दूर–दूर स्थित होने के कारण साक्षरता दर में कमी पाई जाती है। धनाभाव के कारण ग्रामीण बच्चे दूरस्थ केन्द्रों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बहुत कम जा पाते हैं।

सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में शिक्षा संस्थान खोलने व शैक्षिक सुविधाएं प्रदत्त कराने हेतु कृत संकल्प है और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा आदि से सम्बन्धित सरकारी नीतियों के कारण साक्षरता दर में वृद्धि हुई है किन्तु साक्षरता विशेषतया स्त्री साक्षरता में आशातीत सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। सामाजिक–आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अविकसित होने के कारण दलित वर्ग के व्यक्ति कम साक्षर हैं। यद्यपि इन्हें शिक्षित करने के लिए शासन द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां की अधिकांश स्थानिक जनता की आर्थिक स्थिति एवं रहन–सहन निम्न स्तर का है। अतः इनकी मानसिकता है कि बच्चे जब तक बड़े होकर पढ़ेंगे तब तक मजदूरी करके अपना व परिवार का पेट पालेंगे। राजनीतिक व सामाजिक नीतियों के फलस्वरूप नवयुवक एवं किशोर अधिक साक्षर हैं तथा वृद्ध समुदाय तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक साक्षर नहीं हो पाया है।

सर्वेक्षण बताता है कि इस क्षेत्र में बालिकाओं को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है क्योंकि (1) गांव में उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, (2) निम्न आर्थिक स्तर, तथा (3) सामाजिक एवं रूढ़िवादी परम्परा। शिक्षितों में बिना किसी डिग्री के पढ़ने–लिखने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत अधिक है।

उत्तर
कालिंजर क्षेत्र
साक्षरता, 2001
1 0 1 2 3
मध्य किलो मीटर
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
साक्षरता प्रतिशत में
30 से कम
30-40
40-50
50 से अधिक
गैर आबाद गाँव
मध्य
प्रदेश

चित्र संख्या 2.4

उत्तर
कालिंजर क्षेत्र
(अ) पुरूष साक्षरता, 2001
1 0 1 2 3
किलोमीटर
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
साक्षरता प्रतिशत में
35 से कम
35 – 40
40 – 45
45 से अधिक
गैर आबाद गाँव

चित्र संख्या 2.5

कालिंजर क्षेत्र
(ब) स्त्री साक्षरता, 2001
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
साक्षरता प्रतिशत में
10 से कम
10 – 20
20 – 30
30 से अधिक
गैर आबाद गाँव

माध्यमिक शैक्षिक स्तर तक के 39.94 प्रतिशत पुरूष तथा 17.78 प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित हैं। इसके बाद के शैक्षिक स्तरों में साक्षरता का प्रतिशत कम होता गया है तथा स्त्रियों में पुरूषों की अपेक्षा कम है। भाषा के प्रयोग की दृष्टि से कालिंजर क्षेत्र में बुन्देली व हिन्दी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। 99.5 प्रतिशत व्यक्ति दैनिक बोलचाल में हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। अन्य भाषाओं में उर्दू तथा अंग्रेजी का स्थान आता है।

यहां पर अधिकांशतः हिन्दू, मुसलमान निवास करते हैं। 91.54 प्रतिशत हिन्दू परिवार एवं शेष परिवार मुस्लिम वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि नियमतः 21 वर्ष की आयु में पुरूष तथा 18 वर्ष की आयु में स्त्रियों का विवाह होना चाहिए किन्तु अभी भी कम उम्र में विवाह हो जाते हैं। व्यावहारिक रूप में भी यह अक्षरशः सत्य है। कम उम्र में विवाह निम्न जाति, निम्न जीवनस्तर तथा मजदूर समुदाय के लोगों में होता है क्योंकि कम उम्र में विवाह आसानी से तथा कम खर्च में ही सम्पन्न हो जाता है किन्तु उत्तरोत्तर सामाजिक एवं आर्थिक विकास, साक्षरता दर में वृद्धि आदि के कारण कम उम्र में विवाह की संख्या घटती जा रही है।

व्यावसायिक संरचना (Occupational Structure)

वस्तुतः कार्यात्मक संगठन किसी क्षेत्र की शक्ति तथा स्वास्थ्य की आर्थिक गतिशीलता पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण सूचक है। 1991 व 2001 की जनगणनानुसार कालिंजर न्याय पंचायत की व्यावसायिक संरचना का स्वरूप सारिणी संख्या– 2.6 में प्रदर्शित किया गया हैं।

सारिणी संख्या– 2.6

कालिंजर न्याय पंचायत के गांवों की व्यावसायिक संरचना (प्रतिशत में)

गांव	1991			2001		
	क्रियाशील	अक्रियाशील	सीमान्तक	क्रियाशील	अक्रियाशील	सीमान्तक
कटरा कालिंजर	28.67	58.77	12.56	30.06	56.60	13.34
गिरधरपुर	41.86	55.04	3.10	40.07	56.51	3.42
तरहटी कालिंजर	36.72	56.94	6.34	42.57	49.50	7.93
नसरतपुर	–	–	–	–	–	–
बहादुरपुर कालिंजर	38.22	41.94	19.84	39.85	41.63	18.22
रामनगर निस्फ	40.57	46.41	13.02	32.46	50.62	16.92
सौंता कालिंजर	49.47	50.53	–	40.57	48.43	11.00
पहाड़ी माफी	49.57	50.43	–	47.94	50.53	0.53
सकतपुर	39.49	60.51	–	36.55	50.60	12.85
पाही	53.51	46.49	–	54.37	44.17	1.46
लाद पहाड़ी	20.00	80.00	–	43.48	52.17	4.35
मसौंनी भरतपुर	46.97	52.96	0.07	48.14	51.15	0.71
किला कालिंजर	–	–	–	–	–	–
कालिंजर न्याय पंचायत	**38.23**	**53.22**	**8.55**	**39.80**	**49.80**	**10.40**

स्रोत – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र बांदा व सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या– 2.6 के सूक्ष्म पर्यवेक्षण से स्पष्ट है कि पाही को छोड़कर कालिंजर न्याय पंचायत के सभी गांवों में कार्य न करने वाले लोगों की अधिकता है जिससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अर्जक जनसंख्या की अपेक्षा आश्रित जनसंख्या की अधिकता है (मिश्र, 1996)। सारिणी संख्या–2.6 में प्रस्तुत क्रियाशील, अक्रियाशील व सीमान्तक जनसंख्या का विशद् विवरण अग्राकिंत है।

क्रियाशील जनसंख्या– क्रियाशील जनसंख्या के अन्तर्गत काश्तकार, खेतिहर मजदूर, पारिवारिक एवं कुटीर उद्योग–धन्धों, परिवहन तथा विविध सेवा कार्यो में संलग्न जनसंख्या की गणना की जाती है। क्रियाशील जनसंख्या के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या पाही (54.37 प्रतिशत) तथा सबसे कम कटरा कालिंजर (30.06 प्रतिशत) में आंकलित की गई है। पहाड़ी माफी, मसौनी भरतपुर एवं पाही गांवों में पूर्ण समय कमाने वालों का प्रतिशत 45.0 प्रतिशत से अधिक है। 40 से 45 व 35 से 40 प्रतिशत के मध्य व्यावसायिक जनसंख्या क्रमशः गिरधरपुर, तरहटी कालिंजर, लाद पहाड़ी व सौंता कालिंजर तथा बहादुरपुर कालिंजर व सकतपुर में है। शेष दो गांवों में 35.0 प्रतिशत से कम जनसंख्या पूर्ण रूप से क्रियाशील वर्ग में आती है (चित्र संख्या–6.5)।

अक्रियाशील जनसंख्या –इसके अन्तर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बालकों, बेरोजगारों, अकर्मण्य या 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध जनों को सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्र के सात गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अक्रियाशील वर्ग में आती है जबकि चार गांवों में 40 से 50 प्रतिशत के मध्य अक्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत देखने को मिलता है।

सीमान्तक क्रियाशील जनसंख्या – इस वर्ग के अन्तर्गत वह जनसंख्या आती है जिसे 6 माह से कम समय तक काम करने का सुअवसर मिलता है। सीमान्तक क्रियाशील जनसंख्या सबसे अधिक बहादुरपुर कालिंजर (18.22 प्रतिशत) व सबसे न्यून पहाड़ी माफी (0.53 प्रतिशत) गांव में है।

व्यावसायिक संरचना का स्थानिक प्रतिरूप (Pattern of Occupational Structure)

क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना के स्थानिक वितरण प्रतिरूप में भी विषमता दृष्टिगत होती है। कालिंजर न्याय पंचायत में कृषक जनसंख्या का प्रतिशत 56.07 है जबकि खेतिहर मजदूरों की संख्या 31.20 प्रतिशत है। उद्योग एवं निर्माण कार्य के अन्तर्गत 4.40 प्रतिशत तथा व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार तथा अन्य सेवाओं में 8.33 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत है। क्षेत्र में कार्यरत कृषकों, कृषक मजदूरों, निर्माण एवं खनन कार्य तथा विविध सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण चित्र संख्या–6.6 में प्रस्तुत है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा यहां की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। क्रियाशील जनसंख्या की वृद्धि हेतु रोजगार के सुअवसर बढ़ाने की महती आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं को भी इस दिशा में जागरूक किया जाना आवश्यक है।

मानव अधिवास एवं परिवहन तन्त्र (Human Settlement & Transport System)

2001 की जनगणनानुसार कालिंजर न्याय पंचायत की 81.57 प्रतिशत जनसंख्या का सकेन्द्रण तरहटी कालिंजर, कटरा कालिंजर, बहादुरपुर कालिंजर व मसौनी भरतपुर गांवों में जबकि 9.13 प्रतिशत आबादी रामनगर निस्फ व सौंता कालिंजर में निवास करती है। न्याय पंचायत की मात्र 9.30 प्रतिशत जनसंख्या पांच लघु गांवों (लाद पहाड़ी, सकतपुर, गिरधरपुर, पहाड़ी माफी एवं पाही) में सकेन्द्रित है।

यहां के गांवों के भवन अधिकांशतः कच्चे व खपरैलयुक्त हैं। सम्पन्न घरों के बीच में आंगन तथा इसके चारों ओर दो-दो समानान्तर कमरे या वरामदा होते हैं। निर्धन जातियों के घर आगे खुले व सम्पन्न लोगों के घरों में फाटक लगा होता है। तरहटी कालिंजर व कटरा कालिंजर में पक्के घरों का निर्माण तीव्रगति से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण कालिंजर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना है।

ग्राम अधिवास तन्त्र में परिसंचरण प्रक्रिया का विशिष्ट महत्व है। गलियां, गलियारे तथा सड़कें इस क्षेत्र में आवागमन का प्रमुख साधन हैं। गांव के अन्दर सड़क व्यवस्था काफी दयनीय है। पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से विकसित किये जाने के कारण इस क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण जारी है। जिला व कमिश्नरी मुख्यालय, तहसील व ब्लाक मुख्यालय तथा अन्य बड़े केन्द्रों को जाने के लिए पक्के मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि सड़कों की दशा कहीं-कहीं काफी जर्जर है। पर्यटन विकास की दृष्टि से उत्तम कोटि की सड़क व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसके लिए शासन स्तर से प्रयास जारी हैं।

REFERENCES

1. बाल्मीकि रामायण, खण्ड-2, प्रक्षिप्तः सर्गः 2, 38, पृ0 15-98।
2. बाणभट्ट (1997), कादम्बरी, प्रथम भाग, बनारस, पृ0 67-75।
3. Chandana, R.C. and Sidhu, M.S. (1980), Introduction to Population Geography, Kalyani Publishers, New Delhi, P. 19 & 96.
4. कनिंघम, आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, वाल्यूम 21, पुनर्मुद्रण, दिल्ली, पृ0 91।
5. Chopra, P.N. ed. (1979), The Gazetter of Indian Union, Vol. III, P. 130.

6. Gosal. G.S. (1969), Literacy in India and Interpretative Study, Rural Sociology, Vol. 29.

7. इण्डियन एंटीक्वेरी, अंक 37, पृष्ठ 136–137।

8. Law. B.C. (1968), Mountains and Rivers of India. National Committee for Geography, Calcutta. P. 90.

9. महाभारत, वन पर्व, अध्याय 85, श्लोक 56–57, पृ0 1205–1206।

10. Misra. H.N. (1981), The Regional Structure- A Case Study of Soraon Tahsil, Allahabad District (U.P.) India, U.N.C.R.D. Project on Regional Development Alternative in Predominantly Rural Societies, P. 22.

11. मिश्र, केशवचन्द्र (1974), चन्देल और उनका राजस्व काल, वाराणसी, पृ0 120–125, 223–259।

12. Misra. K.K. (1981), System of Service Centres in Hamirpur District, U.P. (India), Unpublished Ph.D. Thesis, Bundelkhand University, Jhansi, P. 18.

13. Misra. K.K. (1996), Banda Janpad : Vikas Ke Drashti Me, Siddarth Jyoti, PP. 23-25.

14. मिश्र, कृष्ण कुमार (1997), परम्परागत घरेलू धन्धे और उनका बदलता स्वरूप, कुरूक्षेत्र, जून अंक–8, पृ0 11–20।

15. मिश्र, कृष्ण कुमार (1999), प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग से गांवों की अस्मिता खतरे में, कुरूक्षेत्र, फरवरी अंक–4, पृ0 21–23।

16. पद्म पुराण, पातालखण्ड, उमा–महेश्वर संवाद, 28, पूना, 1993–94 ।

17. पाण्डेय, अयोध्या प्रसाद (1968), चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास, प्रथम संस्करण, प्रयाग, पृ0 192–225।

18. Saxena, J.P. (1971), Bundelkhand Region in India : A Regional Geography, Singh, R.L. et al. (Eds.), National Geographical Society of India, Varanasi, P. 599.

19. शर्मा, हरि प्रसाद (1968), कालिंजर, प्रथम संस्करण, इलाहाबाद, पृ0 13।

20. Spate, O.H.K. and Learmonth, A.T.A. (1967), India And Pakistan, Methuen, London, P. 298.

21. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल (1981), मुगलकालीन भारत, आगरा, पृ0 101–102।

22. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल (1989), दिल्ली सल्तनत, पृ0 90।

23. सिंह, दीवान प्रतिपाल (1929), बुन्देलखण्ड का इतिहास, भाग–1, बनारस, पृ0 62–63।

24. सुल्लेरे, सुशील कुमार (1987), अयजगढ़ और कालिंजर की देव प्रतिमाएं, दिल्ली, पृ0 30–45।

25. तिवारी, गोरेलाल (वि0सं0 1990), बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, प्रयाग, पृ0 88, 299–302।

26. Thornbury, W.D. (1954), Principles of Geomorphology., John Willy & Sons, New York, P. 119.

27. Trewartha, G.T. (1953), The Case for Population Geography, Annals Association of American Geographers, Vol. 43, PP. 77-97.

28. वायु पुराण, 23, 104, : लिंग पुराग, (पूर्वाद्ध), 24, 104।.

29. वेद व्यास, महाभारत, आदि पर्व, सम्वत् 2044, गोरखपुर, अध्याय–63, पृ0 172।

30. Wadia, D.N. (1975), Geology of India, Tata Mc Graw-Hill, New Delhi, P. 126.

अध्याय - तृतीय

पर्यटन अवस्थापनाएं

पर्यटन अवस्थापनायें
(Tourism Infrastructures)

किसी क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु सर्वप्रथम वहां की आधारभूत आवश्यकताओं का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह विकास प्रक्रिया में गति लाने का एक प्रमुख साधन होने के साथ–साथ विकास के प्रभावों का विस्तार करने में सहयोग प्रदान करता है। वस्तुतः इन सेवाओं के अभाव में हम किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की कल्पना भीं नहीं कर सकते हैं। पर्यटन की आधारभूत अवस्थापनाओं के अन्तर्गत यातायात व संचार व्यवस्था, आवास तथा भोजन सुविधायें, बाजार तथा बैंकिंग, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सन्दर्शक एवं पर्यटन अभिकरण, पर्यटन कार्यालय आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। यहाँ पर इन अवस्थापनाओं की वर्तमान स्थिति, पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता को जानने का प्रयत्न किया गया है तथा इसी आधार पर पर्यटन अवस्थापनाओं के विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

यातायात व्यवस्था (Transportational System)

पर्यटन सम्बन्धी अवस्थापनाओं में यातायात का स्थान अपने आप में बेजोड़ और भव्य है। इसकी भूमिका समस्त घटकों में सर्वोपरि है। यात्रा–प्रबन्धन के विवरण से यह गणितीय आंकड़ा सामने आया है कि एक पर्यटक अपने समग्र अवकाश का 40.0 प्रतिशत भाग यातायात और अपनी विभिन्न यात्राओं में व्यय करता है। वस्तुतः यातायात जहाँ एक ओर पर्यटन का एक अखण्ड एवं अक्षुण्ण हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर उसके विकास का एक सकारात्मक कदम भी। प्रत्येक पर्यटक यातायात का सम्बल लेकर अपनी पर्यटन सम्बन्धी यात्रा को स्वस्थ एवं सुगम बनाना चाहता है। अनुकूल एवं आरामदायिनी यात्रा के प्रति वह सतत् जागरूक तथा सचेष्ट रहता है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे नाना प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि आज पर्यटन अपने सुगम सोपान से विचलित हो रहा है, वह अपनी दिशा को छोड़कर गैर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है (बुरकार्ट एवं अन्य, 1974)। आज का प्रत्येक पर्यटक/नागरिक अपनी यात्रा के अन्तराल में समुचित सुविधाएँ चाहता है किन्तु उनके अभाव में वह अपने को विकलांग महसूस करता है, मनसा, वाचा, कर्मणा असन्तुलित हो जाता है। यदि वह शारीरिक दृष्टि से श्रांत है तो विश्रान्ति हेतु सुविधाओं की टोह में रहता है किन्तु उसे निष्फलता ही हांथ लगती है। परिणामतः उसके मुख से अनायास ही यह स्वर निकल पड़ता है कि यात्रा वास्तव में आनन्द का नहीं, निरानन्द का प्रतीक है (इलस्ट्रेटेड वीकली, 1980)।

हमारे यहां राष्ट्र स्तर पर किसी भी गन्तव्य स्थल तक पहुँचने के लिये तीन प्रकार के मार्ग सुनिश्चित किये गये हैं– स्थल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग। अभी भी बहुत सारे गन्तव्य स्थल ऐसे हैं जिनका क्षेत्र एवं विस्तार ऐसे भौगोलिक पर्यावरण में है, जहां पहुँचना नितान्त ही दुर्गम

एवं कष्ट साध्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने हेतु जलमार्ग एवं वायुमार्ग दोनों का रचनात्मक आधार एक सीधा एवं निश्चित केन्द्र बिन्दु होता है। अतः संकीर्ण एवं अपहुंच स्थानों पर बने या बसे हुए पर्यटन स्थलों तक पहुंचने हेतु इन दोनो ही मार्गों की भूमिका नगण्य है। केवल थल मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो किसी पर्यटक या यात्री को यथास्थान पर पहुंचा सकता है। थल मार्ग के अन्तर्गत सड़क एवं रेलवे का महत्वपूर्ण स्थान है।

सड़कें (Roads)

थल मार्ग के अन्तर्गत सड़कों की भूमिका बड़ी ही बेजोड़ तथा अपरिहार्य है। जोनेला (1978) का मत है कि नजदीकी परिवहन के लिए सड़कें एक सस्ता साधन हैं। इनकी तुलना में जलमार्ग, वायुमार्ग व रेलमार्ग लम्बी दूरियों के लिए लाभप्रद हैं। सत्य तो यह है कि किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, विमानपत्तन, या बन्दरगार तक पहुँचने के लिए सड़कों का ही आश्रय लेना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक, गांव की गली–कूचे से लेकर भारत की संसद तक सड़कों का ही बालजाल बिछा हुआ है। अतः सड़के हमारे पर्यटन उद्योग का जीवनाधार हैं। यही सड़क कभी सम्पर्क मार्ग का, कभी गली का और कभी खोर (संकीर्ण मार्ग) का रूप धारण कर हमारी सेवा में तत्पर रहती है। वस्तुतः इन्हें एक स्थायी आधार कहा जा सकता है, जिस पर यात्री, राहगीर, शैलानी, यायावात (घुमक्कड़) तथा पर्यटक आते–जाते रहते हैं।

पर्यटन केन्द्र कालिंजर पहुँचने के लिये मात्र सड़क यातायात ही एक सहारा है। यहाँ विभिन्न स्थानों से सड़क मार्ग आकर मिलते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है–

1. बाँदा–कालिंजर वाया नरैनी।
2. सतना–कालिंजर वाया नागौद, सिंहपुर, पहाड़ीखेरा।
3. अजयगढ़–कालिंजर वाया सिंहपुर, धरमपुर।
4. पन्ना–कालिंजर वाया रामनगर, सिंहपुर, अजयगढ़।
5. बदौसा–कालिंजर, वाया बघेलाबारी, नरदहा।
6. खजुराहो–कालिंजर वाया सिंहपुर, पन्ना, अजयगढ़।
7. कालिंजर–खजुराहो वाया सिंहपुर, अजयगढ़, टोरिया।
8. कालिंजर–दिल्ली वाया बाँदा, हमीरपुर, घाटमपुर, इटावा, अलीगढ़।

कालिंजर–बाँदा, कालिंजर–अजयगढ़–पन्ना तथा कालिंजर–सतना मार्ग पर नियमित बस सेवाएँ उपलब्ध हैं जबकि शेष अन्य मार्गो पर नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। शेष मार्गो से निजी साधनों की सहायता से सरलतापूर्वक कालिंजर पहुँचा जा सकता है। बाहर से आने वाले पर्यटक बाँदा, महोबा, सतना, खजुराहो, झांसी, चित्रकूट आदि नगरों में उपलब्ध पर्यटक एजेन्सियों की बसों अथवा स्वयं के यातायात या निजी-यातायात एजेन्सी की परिवहन सेवाओं द्वारा आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। अभी हाल ही में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर

दुर्ग के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए एक पक्का मार्ग बनाया गया है जिससे पर्यटक आसानी से अपने वाहनों की सहायता से यहाँ पहुंच सकते हैं (चित्र संख्या 3.1)।

बुन्देलखण्ड व कालिंजर क्षेत्र में पहुंचने वाले सड़क मार्गों का विवरण चित्र संख्या–3.2अ व ब में प्रदर्शित किया गया है।

परियात प्रवाह (Traffic Flow)

परियात प्रवाह से तात्पर्य सामान व लोगों की सूचनाओं का एक तरफ से जाने वाली मात्रा से है। यह सड़कों की गुणवत्ता, वाहनों की तीव्रता तथा ठहरने के लिये उचित स्थानों पर निर्भर करती है। यातायात व्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान है क्योंकि इससे क्षेत्र की आर्थिक–सामाजिक गतिविधियाँ तथा पर्यटन प्रभावित होता है। यह केन्द्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक राजनीतिक, पुरातात्विक व भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों से शोधार्थी तथा पर्यटक आते रहते हैं। इसके साथ ही यह केन्द्र पौराणिक समय से ही धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। भगवान नीलकण्ठ के दर्शन करने, कोटितीर्थ, मृगधारा, वृद्धक क्षेत्र, रामकटोरा आदि सरोवरों में स्नान करने, तर्पण एवं श्राद्ध हेतु तथा यहां पर स्थापित अन्य अनेक देवी–देवताओं आदि के दर्शन करने के लिए दूर–दूर से श्रद्धालु एवं यात्री आते हैं।

सड़क यातायात के साधन के रूप में बस, जीप, मार्शलं, ट्रैक्टर ट्राली, मोटर साइकिल, स्कूटर, ताँगा आदि मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। नजदीकी गांव में रहने वाले लोग मुख्यतः बस, जीप, ट्रैक्टर ट्राली, तांगा, मोटर साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि से यहाँ आते हैं। समीपवर्ती गाँव के लोग तो पैदल ही आ जाते हैं। यातायात की मात्रा, समय व स्थानीयता के आधार पर विविधतापूर्ण है। यातायात की मात्रा का अनुमान इस स्थान पर विभिन्न केन्द्रों से आने वाली बस सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है। सारिणी संख्या–3.1 में कालिंजर के लिये बस यातायात (आना व जाना) की स्थिति दर्शायी गई है।

सारिणी संख्या–3.1

बस यातायात (प्रतिदिन आना–जाना) का सकेन्द्रण

क्र0सं0	सड़क मार्ग	बसों की संख्या		
		राजकीय	प्राइवेट	कुल
1.	बांदा–कालिंजर वाया नरैनी	05	–	05
2.	अजयगढ़–कालिंजर वाया सिंहपुर, धरमपुर	–	04	04
3.	सतना–कालिंजर वाया नागौद, सिंहपुर, पहाड़ीखेरा	–	01	01
4.	कालिंजर–बघेलाबारी वाया नरदहा	–	02	02
5.	कालिंजर–दिल्ली वाया बाँदा	02	–	02

नोट– वर्तमान में कालिंजर–दिल्ली बस सेवा केवल बांदा मुख्यालय तक प्राप्त है।

स्रोत– स्वयं के सर्वेक्षण व स्थानीय निवासियों की सूचना पर आधारित।

सारिणी संख्या–3.1 के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि बाँदा–कालिंजर मार्ग पर (05 बसें प्रतिदिन) आती जाती हैं। दूसरे स्थान पर अजयगढ़–कालिंजर वाया सिंहपुर, धरमपुर मार्ग आता है,

दुर्ग से बस्ती एवं सडक का दृश्य

चित्र संख्या 3.1

साप्ताहिक बाजार

चित्र संख्या 3.3

(अ) बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ0प्र0)
परिवहन-तंत्र
0 10 20 30 40 50
किलोमीटर
उत्तर
कालपी
कानपुर को
माधौगढ़
कुठौंद
जालौन
कोंच
उरई
हमीरपुर
सुमेरपुर
मोठ
सरीला
गरौठा
राठ
मुस्करा
मौदहा
झांसी
तालबेहट
ललितपुर
महरौनी
मड़ावरा
चरखारी
कुलपहाड़
महोबा
खैरार
बांदा
तिंदवारी
बबेरु
कमासिन
बिसण्डा
पहाड़ी
राजापुर
मऊ
अतर्रा
नरैनी
कर्वी
मानिकपुर
कालिंजर
(ब) कालिंजर क्षेत्र
सड़क सम्बद्धता
फतेहपुर को
कानपुर को
बांदा
महोबा
अतर्रा
नरैनी
कर्वी
इलाहाबाद को
चित्रकूट
खजुराहो
अजयगढ़
कालिंजर
बमीठा
छतरपुर, झांसी को
पन्ना
रीवा को
नागोद
सतना
संकेत
रेल
सड़के

चित्र संख्या 3.2

जिस पर 04 बसें प्रतिदिन आती जाती हैं। बघेलाबारी–कालिंजर मार्ग पर 02 प्राइवेट बसें चलती हैं लेकिन नियमित नहीं हैं। सतना–कालिंजर मार्ग में केवल 01 प्राइवेट बस यात्रियों को लेकर कालिंजर आती है और कुछ देर बाद वही बस वापस चली जाती है। बांदा–कालिंजर– दिल्ली के लिये नीलकण्ठ एक्सप्रेस के नाम से यू0पी093ई0–3339 तथा यू0पी093ई–3340 नम्बर की दो बसे 29 मई 2002 को चलायी गई थीं। समय–सारिणी के अनुसार प्रातः कालिंजर से बस चलकर 9.30 बजे बांदा से दिल्ली के लिए प्रस्थान और सायंकाल 4.00 बजे बांदा से कालिंजर के लिए रवाना होने का कार्यक्रम था लेकिन कुछ ही दिन इन बसों की सेवा कालिंजर वासियों को प्राप्त हो सकी। वर्तमान में कालिंजर से कोई सीधी बस सेवा दिल्ली के लिए उपलब्ध नहीं है। कालिंजर से खजुराहो, महोबा, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ के लिए भी कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है।

सड़कों एवं वाहनों की स्थिति (Condition of Roads & Conveyance)

वस्तुतः अपने दूरगामी पर्यटन के हौसलों को पूरा करने के लिये आजकल अधिकांश पर्यटक सुख–सुविधा सम्पन्न वाहनों को ही तरजीह देते हैं। प्रायः देखने में आया है कि 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण पर्यटक तथा 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पर्यटक रेल एवं विमान की तुलना में आरामदेह यातायात के साधनों स्पेशल बस व डीलक्स कोच को सर्वाधिक वरीयता देते हैं लेकिन यदि सड़क मार्ग जीर्ण–शीर्ण व क्षत–विक्षत है, तो पर्यटकों के लिए ऐसी यात्रा कष्टदायी बन जाती है। कालिंजर को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कें बेहद खस्ता हाल हैं। सड़कों पर यत्र–तत्र गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। इसके अलावा सड़कें भी संकरी हैं, जिससे आमने–सामने से आ रही दो बसों को निकलने के लिये अधिक से अधिक कच्ची जमीन पर उतरना पड़ता है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है तथा दुर्घटना का भय भी बना रहता है।

कालिंजर दुर्ग घूमने आये इटली के पर्यटक जोसफ फनीलो की टिप्पणी यहाँ के पर्यटन व्यवस्थापकों के लिये एक आइना है। उन्होंने बताया कि किले तक आने में वाहन की सवारी यूं मालूम होती है मानों किसी पालने में झूला झूल रहें हों। जिस्म का हर अंग हिल जाता है। किले में पहुँचने के बाद थकावट का यह हाल होता है कि पुरातात्विक महत्व की इमारतें और स्थल देखने की हिम्मत नहीं रह जाती (अमर उजाला)।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित अधिकांश बसें खटारा हैं, जो जिला मुख्यालय से कालिंजर तक की 57 किमी0 की दूरी तय करने में लगभग तीन घण्टे का समय लगा देती हैं। इतना ही नहीं यदि उतरने–चढ़ने अथवा बैठने में यात्री कहीं चूक जाय तो उसके कपड़े भी फट सकते हैं। इससे यात्रा का आनन्द आना तो दूर शारीरिक तथा मानसिक कष्ट और बढ़ जाता है। यही कारण है कि बाहरी पर्यटक जो एक बार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की इन खटारा बसों में बैठ लेता हैं, वह दुबारा कभी भी इनमें बैठने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिये उन्हें निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

बहुधा स्थान विशेष के सम्बन्ध में परिचय बोध की कमी व भाषायी समस्या के कारण वह कभी–कभी ठगी व शोषण का शिकार भी बन जाते हैं। कालिंजर क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण श्रद्धालुओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे उच्च दर पर किराया देकर निजी साधन किराये पर लेकर आयें। इसलिए उन्हें इन्हीं बसों में यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः कालिंजर में पर्यटकों को आने हेतु आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि जीर्ण–शीर्ण व क्षत–विक्षत सड़क मार्गों की यथाशीघ्र मरम्मत कराई जायें। सड़क मार्गों को चौड़ा किया जाय तथा वाहनों की दशा में सुधार किया जाय आदि।

इसके अतिरिक्त कालिंजर के आस–पास स्थित दर्शनीय स्थलों को जाने के लिए भी मार्गों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। बाँदा–सतना मार्ग में कौहारी के निकट बागै नदी में पुल न होने के कारण वहां लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते। इसी प्रकार कालिंजर पन्ना मार्ग, जो पहाड़ी खेरा होते हुये कालिंजर आता है, उस मार्ग में सूरजकुण्ड के नजदीक से वृहस्पति कुण्ड तक जाने के लिए भी कोई अच्छा मार्ग नहीं है और न ही कौहारी से ही वृहस्पति कुण्ड जाने का मार्ग है। यदि व्यक्ति चित्रकूट से कालिंजर आना चाहता है तो वह भरतकूप, किला मड़फा, बिलहरियामठ, बघेलाबारी, सिघौरा होते हुये कालिंजर पहुँच सकता है किन्तु इस मार्ग की भी हालत बहुत खराब है। सतना से पाथर कछार तक़ पक्के मार्ग का निर्माण हुआ है लेकिन पाथर कछार से फतेहगंज, नरदहा होते हुये कालिंजर तक का मार्ग बहुत खराब स्थिति में है। बदौसा से फतेहगंज, सकरौ, बानगंगा, मगरमुहा, वीरगढ़ आदि स्थानों के लिए अभी तक कोई समुचित मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। रौलीकल्याणपुर, गोड़ा, रसिन वाला मार्ग भी बिगड़ी हालत में है, जिनमें वाहनों का चलना अत्यन्त दूभर है। केवल बदौसा से फतेहगंज तक का मार्ग निर्मित हुआ है, जो बघेलाबारी तक सही है, इसके बाद का मार्ग अत्यन्त खराब है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सड़कों का खराब होना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्हें ठीक कराना आवश्यक है।

रेल यातायात (Rail Transport)

सड़कों की भांति रेलवे भी देश के आन्तरिक भाग में पर्यटकों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। यही कारण हैं कि पर्यटन उद्योग के विकास में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। यह अन्य साधनों की अपेक्षा कम खर्चीली तथा आरामदेह पर्यटन का प्रबन्ध करती है। देशी एवं विदेशी पर्यटक रेलवे की दरें, आराम तथा अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये यात्रा हेतु इसे पहली प्राथमिकता देते हैं। देश के विभिन्न बड़े केन्द्रों यथा–मुम्बई, दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, जबलपुर, झाँसी से बाँदा, अतर्रा व चित्रकूटधाम स्टेशन आसानी से सीधे पहुँचा जा सकता है। इन केन्द्रों से बस, जीप, टेम्पों आदि से नरैनी होते हुए कालिंजर सहजतापूर्वक जाया जा सकता है। अतर्रा से कालिंजर 37किमी0, चित्रकूटधाम से 46 किमी0 व बांदा से 57 किमी0 है। झाँसी–मानिकपुर मार्ग पर प्रतिदिन एक्सप्रेस व सवारी गाड़ियां गुजरती हैं (सारिणी संख्या–3.2), जो इस क्षेत्र को देश के महत्वपूर्ण नगरों से

जोड़ती हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ0प्र0) में रेल यातायात व्यवस्था को चित्र संख्या– 3.2अ मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या–3.2

झांसी–कानपुर–मानिकपुर मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों की स्थिति

गाड़ी नम्बर/नाम	कहां से	कहां तक	दिन	बांदा		अतर्रा		चित्रकूटधाम	
डाउन गाड़ियां				आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
1107 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस	ग्वालियर	वाराणसी	प्रतिदिन	23.39	23.47	0.22	0.27	1.26	1.30
1450 महाकौशल एक्सप्रेस	ह0निजामुद्दीन	जबलपुर	प्रतिदिन	2.45	2.50	3.18	3.20	4.00	4.05
1160 चम्बल एक्सप्रेस	ग्वालियर	हावड़ा	मंग0गुरू0 शनि0	11.33	11.41	11.54	11.56	12.51	12.54
1182 चम्बल एक्सप्रेस	आगरा	हावड़ा	सोमवार	11.33	11.41	11.54	11.56	12.51	12.54
1528 यात्री गाड़ी	कानपुर	मानिकपुर	प्रतिदिन	11.17	11.55	12.28	12.33	13.22	13.27
5121 यात्री गाड़ी	झांसी	इलाहाबाद	प्रतिदिन	14.10	14.20	14.58	15.03	16.03	16.08
5010 चित्रकूट एक्सप्रेस	लखनऊ	जबलपुर	प्रतिदिन	22.45	22.55	23.25	23.30	00.35	00.40
1069 तुलसी एक्सप्रेस	कुर्ला	इलाहाबाद	बुध,शनि	4.57	5.05	05.35	05.37	6.22	6.25
1525 बांदा–मानिकपुर	बांदा	मानिकपुर	प्रतिदिन	8.50	21.10	10.08	10.10	22.55	23.00
1511 बांदा–कानपुर पैसिंजर	कानपुर	बांदा	प्रतिदिन	19.25	–	–	–	–	–
1523 झांसी–बांदा शटल	झांसी	बांदा	प्रतिदिन	8.50	–	–	–	–	–
अप गाड़ियां									
1108 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस	वाराणसी	ग्वालियर	प्रतिदिन	00.20	00.28	23.38	23.43	22.40	22.45
1449 महाकौशल एक्सप्रेस	जबलपुर	ह0निजामुद्दीन	प्रतिदिन	21.43	21.50	21.08	21.10	20.30	20.35
1159 चम्बल एक्सप्रेस	हावड़ा	ग्वालियर	बुध0गुरू0 शनि0	10.40	10.48	10.08	10.10	9.28	9.30
1181 चम्बल एक्सप्रेस	हावड़ा	आगरा	शनिवार	10.40	10.48	10.08	10.10	9.28	9.30
1527 यात्री गाड़ी	मानिकपुर	कानपुर	प्रतिदिन	18.25	18.35	17.25	17.28	16.32	16.34
5122 यात्री गाड़ी	इलाहाबाद	झांसी	प्रतिदिन	12.10	12.20	11.14	11.17	10.21	10.26
5009 चित्रकूट एक्सप्रेस	जबलपुर	लखनऊ	प्रतिदिन	3.45	3.55	2.12	2.20	1.24	1.29
1070 तुलसी एक्सप्रेस	इलाहाबाद	कुर्ला	बुध,शनि	19.53	20.00	19.23	19.25	18.43	18.45
1526 बांदा–मानिकपुर	मानिकपुर	बांदा	प्रतिदिन	4.30	–	2.58	3.00	1.40	1.45
1512 बांदा–कानपुर पैसिंजर	बांदा	कानपुर	प्रतिदिन	–	6.10	–	–	–	–
1524 झांसी–बांदा शटल	बांदा	झांसी	प्रतिदिन	–	5.20	–	–	–	–

स्रोत – बाँदा, अतर्रा, चित्रकूटधाम स्टेशन की समय सारिणी पर आधारित।

सारिणी संख्या–3.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बांदा में अतर्रा व चित्रकूटधाम से दो सवारी गाड़ियां अधिक आती हैं। यह मण्डल और जनपद का मुख्यालय है। यहां से पर्यटकों को कालिंजर के लिए सीधी बस सेवा प्राप्त है। यहां शैलानियों के ठहरने के लिए लॉज/होटल आदि अपेक्षाकृत अच्छे हैं। यद्यपि अतर्रा में भी पर्यटकों के रूकने के लिए लॉज/धर्मशाला इत्यादि हैं लेकिन अतर्रा से कालिंजर सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। यहां से पहले नरैनी

(16किमी0) जाना होता है, फिर नरैनी से कालिंजर के लिए बस/जीप आदि मिलती हैं। चित्रकूटधाम में भी लॉज व धर्मशालाओं की भी अच्छी सुविधा है किन्तु यहां से कालिंजर के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। निजी साधन करके कालिंजर पहुँचा जा सकता है। इसलिए कालिंजर जाने वाले यात्रियों को रेल से आने पर अतर्रा व चित्रकूटधाम की अपेक्षा बांदा उतरना अधिक उपयुक्त है।

इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक केन्द्र खजुराहो तक वायु यातायात की सुविधा उपलब्ध है। खजुराहो से कालिंजर 130 किमी0 दूरी पर स्थित है। पर्यटक देश/विदेश के विभिन्न स्थानों से हवाई जहाज के माध्यम से खजुराहो आ सकते हैं तथा फिर यहां से बस/जीप के माध्यम से कालिंजर पहुँचा जा सकता है। पर्यटन स्थल चित्रकूट में भी हवाई पट्टी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। अतः भविष्य में सैलानी हवाई यात्रा से चित्रकूट आ सकेंगे और यहां से बस/जीप द्वारा आसानी से कालिंजर पहुँच सकेंगे।

संचार सेवाएं (Communication Services)

पर्यटन विकास के लिए संचार एक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली माध्यम है। इसके अन्तर्गत डाकतार एवं टेलीफोन सेवाएं आती हैं। डाक विभाग मात्र पत्र का आदान–प्रदान ही नहीं करता, बल्कि छोटी–मोटी बैंकिग व्यवस्था व वस्तुओं के आदान–प्रदान का कार्य भी करता है (मिश्र 1981)। कालिंजर में एक शाखा डाकघर तथा पी0सी0ओ0 और आवासों में लगभग 100 व्यक्तिगत टेलीफोन कनेक्सन हैं। यहां पर अभी तक इन्टरनेट व फैक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर्यटन विकास प्रक्रिया में गति लाने के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित उपडाकघर, व फैक्स तथा इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

बैकिंग एवं बाजार सुविधायें (Banking & Market Facilities)

पर्यटन विकास प्रक्रिया में बाजार एवं बैकिंग सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि बैंकों से पर्यटक अपने यात्री चेक भुना सकते हैं तथा लेन–देन की आम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से कालिंजर में एक इलाहाबाद बैंक व एक तुलसी ग्रामीण बैंक की शाखा उपलब्ध है, जो स्थानीय जनता को सेवायें उपलब्ध कराने में संलग्न हैं। इन्हें पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है।

पर्यटकों को लुभाने की दृष्टि से कालिंजर में एक आकर्षक एवं विकसित बाजार की भी जरूरत है। यहाँ पर यद्यपि गुरूवार को एक साप्ताहिक बाजार लगती है। साप्ताहिक बाजार के दृश्यों को चित्र संख्या 3.3 व 3.4 में दर्शाया गया है। वस्तुतः यह एक ग्रामीण बाजार है, जहाँ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समीपवर्ती गांवों से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शाम ढ़लते ही बाजार उजड़ जाती है। बताते हैं कि कभी यह बाजार विस्तृत पैमाने पर लगा करती थी लेकिन आज बढ़ती आवासीय भूमि के कारण बाजार का दायरा काफी कम हो गया है। इसके

साप्ताहिक बाजार

चित्र संख्या 3.4

तांडव रूप में शिव

चित्र संख्या 4.1

अलावा जो यहां पर स्थायी दूकानें हैं, वे स्तरीय सामान नहीं रखती। स्तरीय सामान के खरीददार भी कम हैं। अस्तु पर्यटकों को लुभाने के लिये स्थानीय कला–कौशल पर आधारित बाजार को विकसित करने की आवश्यकता है लेकिन यह तभी सम्भव है जब यहां के व्यवसायी इस दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से आकर्षक वस्तुएं बनाने की योग्यता प्राप्त करें।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएँ (Health & Security Services)

वर्तमान समय में पर्यटक स्थली कालिंजर में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो यहां के जच्चा–बच्चा केन्द्र में संचालित है। अभी तक इसका अपना स्वयं का कोई निजी भवन नहीं है। यद्यपि यहां पर 36 शैय्याओं वाले विशिष्ट सुविधायुक्त अस्पताल बनाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हो चुकी है लेकिन अभी तक इसके निर्माण हेतु उचित स्थल का चयन नहीं किया जा सका है। अतः इस कार्य में जनता की भागीदारी से शीघ्रता लाने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है भी, वह व्यावहारिक दृष्टि से दवा व चिकित्सक विहीन है। फार्मेसिस्ट तथा स्वीपर ही कभी–कभार पहुंचने वाले मरीजों को एक–दो खुराक दवा देकर टरका देते हैं। यहां पर पांच मेडिकल स्टोर तथा एक आयुर्वेदिक दवाखाना है, जहां से आवश्यक दवाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा यहां के निवासी यह भी बताते हैं कि चिकित्सालय समय पर नहीं खुलता। ऐसी स्थिति मे यदि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं/पर्यटकों को अचानक कोई चोट अथवा दुर्घटना या दुख–दर्द हो जाय तो उनका इलाज सम्भव नहीं है। अस्तु पर्यटन को बढ़ावा देने की दृटि से इस केन्द्र में दक्ष एवं व्यवस्थित चिकित्सीय सुविधा की नितान्त आवश्यकता है।

पर्यटन केन्द्र कालिंजर एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहां आये दिन आपराधिक वारदातें, अपहरण व फिरौती की समस्यायें घटित हाती रहती है। ऐसी स्थिति में कोई वारदात कब हो जाय, इसका ठिकाना नहीं रहता। दस्यु दलों के विकास के लिये यहां की पहाड़ियों, घाटियों व जंगलों से आच्छादित भौगोलिक परिस्थिति मुख्यतः उत्तरदायी है, जहां ये लोग बेरोक–टोक घूमते रहते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों को इस क्षेत्र का कोई भौगोलिक ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे इससे बेखबर रहते हैं। यद्यपि यहां पर एक पुलिस स्टेशन है, जो निवासियों व पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सतत् प्रयत्नशील रहता है, परन्तु इसमें पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं हैं। निवासी बताते हैं कि कुछ दिन पहले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए दुर्ग पर एक पुलिस बल तैनात किया गया था लेकिन किसी कारणवश उसे वापस जिला मुख्यालय बुला लिया गया।

वस्तुतः पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में चुस्त–दुरूस्त सुरक्षा व्यवस्था की महती आवश्यकता है ताकि यहां पर आने वाले श्रद्धालु या सैलानी बेरोक–टोक यहां की मूर्तिकला/चित्रकला/प्राकृतिक सुन्दरता का आनन्द उठा सकें। इसके लिए यहां के

स्थानिक बुद्धिजीवियों/समाजसेवियों की समन्वित रूप से एक निगरानी समिति बनाने की भी आवश्यकता है, जो सुरक्षा व्यवस्था की खामियों से समय-समय पर शासन को अवगत कराये और स्वयं पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने में योगदान प्रदान करे।

कालिंजर में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं को सारिणी संख्या-3.3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 3.3
कालिंजर में अवस्थापनाओं/सेवा-सुविधाओं की उपस्थिति

क्रम संख्या	अवस्थापनाओं/सेवा सुविधाओं का नाम	संख्या	क्रम संख्या	अवस्थापनाओं/सेवा सुविधाओं का नाम	संख्या
01.	प्राइमरी स्कूल (परिषदीय, 02; 03 मान्यता प्राप्त किराए के मकान में तथा 03 गैर मान्यता प्राप्त)	08	22.	दूरसंचार केन्द्र	01
			23.	पी0सी0ओ0	03
			24.	घरों में टेलीफोन की संख्या	100
02.	जूनियर हाईस्कूल(01 मान्यता प्राप्त किराए के मकान में तथा 01 परिषदीय)	02	25	पुलिस स्टेशन	01
			26.	चाय की दूकानें	05
			27.	मिठाई की दूकानें	04
03.	हाईस्कूल	01	28.	पान की दूकानें	06
04.	आंगनवाड़ी केन्द्र	04	29.	स्टेशनरी की दूकानें	04
05.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	30.	कपड़े की दूकानें	14
06.	मेडिकल स्टोर	05	31.	रेडीमेड कपड़े की दूकानें	02
07.	आयुर्वेदिक दवा की दूकान	01	32.	दर्जी	12
08.	प्राइवेट चिकित्सक	05	33.	नाई की दूकानें	10
09.	पशु अस्पताल	01	34.	जनरल स्टोर	02
10.	मिडवाइफ	02	35.	जूते-चप्पल की दूकानें	06
11.	सहकारी समिति	01	36.	बर्तन की दूकानें	05
12.	इलाहाबाद बैंक	01	37.	सुनारों की दूकानें	06
13.	तुलसी ग्रामीण बैंक	01	38.	किराना की दूकानें	25
14.	बस स्टाप	01	39.	सब्जी/फल की दूकानें	10
15.	कितनी बसे यहां आती है और कितनी जाती है	17	40.	साइकिल मरम्मत की दूकानें	08
			41.	धोबी/लाण्ड्री	02
16.	जीप/टैक्सी	15	42.	शाकाहारी भोजनालय	02
17.	ट्रेक्टर ट्राली	10	43.	राजस्व डाक बंगला	01
18.	इक्का/तांगा	02	44.	रैन बसेरा	01
19.	दुपहिया वाहन	40	45.	मोटल,	01
20.	स्कूटर/मोटरसाइकिल/कार की मरम्मत व हवा भरने की दूकानें	04	46.	लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला	01
			47.	पुरातत्व का डाक बंगला	01
21.	शाखा डाकघर	01	48.	सुलभ शौचालय	02

स्रोत – दिनांक 23.10.2002 को स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

सारिणी संख्या–3.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभी इस क्षेत्र में केवल सामान्य स्तर की सेवाएँ उपलब्ध हैं और वह भी स्थानीय निवासियों व पर्यटकों की मांग की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। अस्तु पर्यटक विकास की दृष्टि से सामान्य स्तरीय सेवाओं के विस्तार के साथ–साथ उच्च स्तरीय सेवाओं को विकसित करने की महती आवश्यकता है।

आवास व्यवस्था (Lodging Arrangement)

किसी भी पर्यटन केन्द्र के विकास में वहां पर उपलब्ध आवास तथा भोजन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सारिणी संख्या–3.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कालिंजर में पर्यटकों के रहने के लिये कोई विशिष्ट आवासीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कालिंजर दुर्ग के नीचे तरहटी कालिंजर में वन विभाग का एक डाक बंगला है, जो मुख्यतः शासकीय अधिकारियों के लिये आरक्षित रहता है। इसके अलावा एक अन्य डाक बंगले में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। अतः कोई भी पर्यटक सुविधापूर्वक इस डाक बंगले में ठहर नहीं सकता।

अभी कुछ वर्ष पहले पर्यटकों के ठहरने के लिये राठौर महल के समीप रू0 2.50 लाख की लागत से शासन द्वारा एक रैन बसेरा का निर्माण कराया गया, जिसमें एक हाल, दो सूट, बरामदा तथा लॉन की सुविधा है। इस रैन बसेरा में पानी तथा बिजली जैसी आधारभूत सुविधायें नहीं हैं। ऐसी दशा में रैन बसेरा में कोई भी पर्यटक रूकने के लिये तैयार नहीं होता। सफाई तथा रख–रखाव के अभाव में सामान्यतः यहां गन्दगी का आगार है, जहां बेरोक–टोक गधे व सुअर विचरण किया करते हैं। अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी भी इस व्यवस्था के लिए नियुक्त नहीं है।

अभी हाल ही में प्रशासन के प्रयासों से कालिंजर दुर्ग पर निरीक्षण भवन के समीप 14 लाख की लागत से एक मोटल का निर्माण कराया गया है किन्तु इनमें भी पर्यटकों के रूकने व भोजन हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। इसमें चार कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था है तथा एक हाल, बरामदा व लॉन की भी सुविधा है लेकिन आधारभूत सुविधायें यथा– बिजली, पानी, एवं साज–सज्जा विहीन है। यही नहीं पर्यटकों/सैलानियों/श्रद्धालुओं के लिये दुर्ग के ऊपर बैठने व आराम करने के लिये एक भी पत्थर व सीमेंट की बेंच तक की व्यवस्था नहीं है। कालिंजर में पर्यटकों के रूकने के लिये कोई निजी धर्मशाला/लॉज/होटल इत्यादि भी नहीं है।

इस केन्द्र पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्तरीय आवास व भोजन की व्यवस्था प्रदान करने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिये निजी क्षेत्र के होटेलियर्स को आमन्त्रित कर उन्हें दुर्ग के नीचे उचित मूल्य पर भूमि देकर होटल/धर्मशाला/लॉज इत्यादि के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा उपलब्ध आवासीय व भोजन व्यवस्था में तुरन्त सुधार लाया जाय। पर्यटकों की आवा–जाही की कमी का यह भी एक प्रमुख कारण है। इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत व जागरूक जनता को तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

भोजन व्यवस्था (Fooding Arrangement)

कालिंजर में पर्यटकों/सैलानियों के लिये भोजन एवं जलपान हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। भूले-भटके यदि कोई यात्री यहां ठहर भी जाय तो उसके लिए स्तरीय भोजन की व्यवस्था हो पाना अत्यन्त दुर्लभ बात है। यह एक पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर्यटकों को अपने मनपसन्द का भोजन व जलपान आदि नहीं मिल पाता है। यद्यपि बस स्टैण्ड के पास कुछ साधारण चाय की दूकानें साधारण किस्म के होटल तथा कुछ मिठाई की दूकानें हैं किन्तु इनमें सामान्य स्तर का सामान ही सुलभ हो पाता है। जलपान/भोजन से सम्बन्धित जो यह दूकानें हैं भी, वे साफ-सुथरी नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का भी अभाव है। यहां पर आने वाले श्रद्धालु तो किले के ऊपर स्थित कुण्डों व तालाबों के पानी से प्यास बुझाकर संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन मिनरल वाटर पीने के आदी पर्यटकों के गले यह पानी नहीं उतरता। लगभग दो वर्ष पूर्व एक करोड़ की लागत से दुर्ग के ऊपर पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था तथा जल संस्थान ने स्थायी रूप से जलापूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से दो ट्यूबवेल भी बनवाये थे। इन ट्यूबवेलों में एक धंसकर बेकार हो गया है और दूसरा ट्यूबवेल ही पानी दे पा रहा है। दुर्ग के ऊपर लगभग 6-8 किमी0 के दायरे में फैले कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों को छोड़कर शेष दर्शनीय स्थलों में अभी तक एक भी स्टैण्ड पोस्ट जल संस्थान द्वारा नहीं लगवाये जा सके हैं।

इसलिए पर्यटक भ्रमण के दौरान दुर्ग पर अत्यन्त कठिनाई महसूस करते हैं, जो बाहरी पर्यटक एक बार कालिंजर आ जाता है, वह चाह होते हुये भी इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण दुबारा आने का नाम नहीं लेता। पर्यटकों को इस केन्द्र पर आकर्षित करने के लिये जल तथा भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं तुरन्त विकसित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या का समाधान रामनगर निस्फ के समीप बागै नदी में लिफ्ट योजना का निर्माण करके भी पूरा किया जा सकता है।

सन्दर्शक,अभिकर्ता एवं पर्यटन अभिकरण (Guide, Agents & Travel Agencies)

वस्तुतः यात्रा उद्योग असंगठित लोगों को समन्वित करने के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहता है। निःसंदेह आकर्षणयुक्त आवासीय तथा यातायात सेवायें पर्यटन के लिये आवश्यक हैं लेकिन यह तत्व अपने आप में पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिये पर्यटकों द्वारा वांछित सुविधाओं से परिपूर्ण टोकरी को सुलभ कराने तथा इन व्यक्तिगत तत्वों को समन्वित करने की दृष्टि से एक अन्तःस्थायी अभिकरण की महती आवश्यकता है। जिन पर्यटन केन्द्रों में यह व्यवस्था सुलभ रहती है, वे केन्द्र पर्यटन की दृष्टि से काफी उन्नति कर जाते हैं।

वस्तुतः एक यात्री अभिकर्ता एक प्राचार्य के रूप में कार्य करता है तथा एक होटल कम्पनी, एक वायु सेवा, एक यात्री प्रवर्तक अथवा जहाज कम्पनी की भांति पर्यटन सेवाओं का प्रदानकर्ता होता है। एक यात्रा प्रवर्तक उसे कहते हैं जो अपने निजी विवरणी के लिए यात्रा

उत्पादों के व्यक्तिगत तत्वों को क्रय करता है तथा उन्हें इस तरीके से समन्वित करता है कि अपने उपभोक्ताओं के लिये वह पर्यटन यात्रा के पैकेज का विक्रय कर सके। साधारणतया इसे भी यात्रा अभिकर्ता कहा जा सकता है। यहां पर यात्रा अभिकर्ता व यात्रा प्रवर्तक को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।

एक यात्रा अभिकर्ता एक समूहित/सम्मिलित पर्यटन पैकेज के नाम से पर्यटक उत्पादों का भी निर्माता है। पर्यटक अभिकर्ता एक चुनी हुयी दूरी में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों को समाहित करते हुये सर्व–सुविधायुक्त यात्रा की रूपरेखा तैयार करता है, जो आर्थिक रूप से कम खर्चीली तथा भावी पर्यटकों को वास्तविक रूप से प्रेरित करने वाली होती है। वास्तव में यात्रा अभिकर्ता अपनी कार्यशैली, चातुर्य एवं कल्पना शक्ति के माध्यम से यात्रा पैकेज पर कार्य करता है तथा अपने व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये पर्यटकों को हर दृष्टि से संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार वह पर्यटन उद्योग के विकास में सहयोग करता है।

आधुनिक समय में अधिकांश यात्रा अभिकर्ता उच्च्य सेवा के साथ–साथ नियमित यात्रा पैकेज का भी संचालन करते हैं। इसके अलावा वे व्यक्तिगत समूहों की आवश्यकताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये यात्रा पैकेज की रूपरेखा बनाते हैं। इसलिये एक यात्रा अभिकर्ता को पर्यटन उत्पादों का वास्तविक निर्माता, सम्मिलित पर्यटन पैकेज का व्यवस्थापक, मानकीकृत, गुण नियंत्रक तथा जनराशि उत्पाद का वास्तविक निर्माता कहा जा सकता है। इस प्रकार अच्छी प्रकार से व्यवस्थित तथा उद्यमी यात्रा अभिकर्ता विस्तृत पैमाने में एक सही दिशा की ओर पर्यटन उद्योग का विकास कर सकता है।

यात्रा अभिकर्ता कई प्रकार के होते हैं जैसे अनुमोदित यात्रा अभिकर्ता, गैर अनुमोदित यात्रा अभिकर्ता। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी यात्रा अभिकर्ता की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, जो क्षेत्र विशेष की जानकारी होने के कारण एक यात्रा अभिकर्ता का कार्य करते हैं लेकन कहीं से अनुमोदित यात्रा अभिकर्ता नहीं हैं। कालिंजर केन्द्र में यात्रा अभिकर्ता जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कालिंजर में पर्यटन व्यवस्था हेतु कोई यात्रा अभिकरण भी नहीं है। इसलिये इस क्षेत्र में पर्यटन विकास सुस्त है।

पर्यटन केन्द्र कालिंजर पुरातात्विक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिये बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ पर उपलब्ध विभिन्न स्मारकों, कुण्डों, जलाशयों, मन्दिरों, मूर्तियों, शैलचित्रों, लोक संस्कृति आदि के सम्बन्ध में तब तक वास्तविक जानकारी हांसिल नहीं कर सकते, जब तक कि उस क्षेत्र के समस्त पक्षों के विषय में वास्तविक जानकारी रखने वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त न हो।

वर्तमान समय में कालिंजर में गाइड का न होना पर्यटन विकास की दृष्टि से एक सबसे बड़ी कमी है। किले के ऊपर व नीचे विभिन्न स्थानों पर स्थित इमारतों/स्मारकों, मूर्तियों, लोकचित्रों, निर्माण शैली आदि को पर्यटक उत्सुकता के साथ निहारते रहते हैं लेकिन गाइड के

अभाव में वे इसका महत्व नहीं समझ पाते। पर्यटक अपने साथ खजुराहो, झांसी, महोबा, चित्रकूट जैसे पर्यटन केन्द्रों से कालिंजर के विषय में जानकारी रखने वाले गाइड को अपने साथ यदि लाएं तो भले ही उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाय लेकिन यह जानकारी अधूरी ही रहेगी, जब तक यहां की भूमि व संस्कृति से परिचित कोई व्यक्ति/गाइड न होगा। यहां पर टूरिस्ट गाइड हेतु छः सदस्यीय एक टीम प्रशिक्षण हेतु गठित की गयी थी किन्तु उन्हें आज तक किन्हीं कारणोंवश प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जा सका है।

पर्यटन विकास नियोजन की दृष्टि से इस केन्द्र के लिये प्रशिक्षित एवं अनुमोदित मार्गदर्शकों की महती आवश्यकता है। मार्गदर्शक स्थानीय, शिक्षित, मृदुभाषी, आकर्षक व्यक्तित्ववाला एवं ईमानदारी से परिपूर्ण हो। इसके अलावा हिन्दी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान होने के साथ–साथ अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की भी जानकारी हो। इससे वह सहज ही पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होगा और उसे क्षेत्र विशेष की सम्पूर्ण बारीकियों से अवगत करा सकेगा। वस्तुतः इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही पर्यटकों के आने–जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है।

पर्यटन कार्यालय (Tourism Office)

बुन्देलखण्ड के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों यथा–झांसी, देवगढ़, महोबा, चित्रकूट में पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन बंगला की सुविधा उपलब्ध है। पुरातात्विक स्मारकों/अभिलेखों आदि के संरक्षण व देखभाल हेतु यहां पर एक पुरातात्विक कार्यालय है जो एक केयर टेकर द्वारा संचालित है। यह स्थान पर्यटन कार्यालय की सुविधा से अभी तक वंचित है।

पर्यटन कार्यालय एवं पर्यटक बंगला की नितांत आवश्यकता है, जिसमें सामान्य पर्यटन व इस क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध हो तथा पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न परियोजनाएँ संचालित व क्रियान्वित की जाएं। इसके अलावा पर्यटकों को क्षेत्र से सम्बन्धित, पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न सूचनायें आसानी से उपलब्ध हो सकें। पर्यटकों की सुविधा के लिये बांदा तथा कालिंजर में पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

REFERENCES

1. अमर उजाला, बांदा, (29मई, 2002), शुरू हो गई कालिंजर–दिल्ली बस सेवा, दैनिक समाचार पत्र, कानपुर।
2. अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र, कानपुर, दिनांक 8 सितम्बर, 2002, पृ0 7।
3. Burkart, A.J. and Medlik, S. (1974), Tourism-Past, Present and Future, Heinemann, London, P. 107.
4. Illustrated Weekly (1980), April 20, P. 09.
5. Misra, K.K. (1981), System of Service Centres in Hamirpur District, U.P. India, Unpublished Ph.D. Thesis, Bundelkhand University, Jhansi, P. 136.

अध्याय - चतुर्थ

दर्शनीय स्थल

दर्शनीय स्थल
(Places of Interest)

देश के केन्द्रीय भाग में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र प्राचीन शिलालेख, स्मारक, स्तम्भ, मन्दिर एवं भवन उसके समृद्धशाली तथा गौरवपूर्ण अतीत के परिचायक हैं। यहां पर अनेक पर्यटक स्थल–यथा झाँसी, महोबा, देवगढ़, कालपी, चित्रकूट, कालिंजर, राजापुर, समथर, चरखारी, बरूआसागर, माताटीला बांध, दुकुवा बांध आदि अनेक पर्यटक स्थल हैं, जो अपनी विलक्षण विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं (चित्र संख्या–4.1अ)।

धार्मिक पृष्ठभूमि (Religious Background)

कालिंजर के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेख, पुरावशेष एवं साहित्यिक प्रमाण इस क्षेत्र की धार्मिक स्थिति एवं परम्परा पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि कालिंजर को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरे तीर्थों से प्रेम करता है, वह इस संसार में भ्रमण करता हुआ महान दुःख, दुर्बुद्धि तथा भय को प्राप्त होता है ।

'कालिंजरं परित्यज्य योऽन्य कृत्ररूते रतिम् ।
मूढ़ो भ्रमति संसारे दुःख च दुर्मतिर्मयम' ।।

यही नहीं, गंगा में किया हुआ पाप त्रिवेणी में, त्रिवेणी में किया हुआ पाप वाराणसी में, वाराणसी में किया हुआ पाप कालिंजर में तथा कालिंजर में किया हुआ पाप कालिंजर में ही नष्ट होता है ।

'गंगायां कृतं पापं त्रिवेण्यां विनश्यति । त्रिवेण्यां च कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति ।।
वाराणस्यां कृतं पापं क़ालिंजरें विनश्यति । कालिंजरें कृतं पापं कालिंजरें विनश्यति' ।।

प्राप्त अभिलेखों में अधिकांश शिलालेख तथा मन्दिर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यहां चन्देलों के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का व्यापक प्रचार–प्रसार था। यद्यपि चन्देल शासक शैव धर्म के उपासक थे, फिर भी अन्य धर्मों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार एवं सहिष्णु था । यही कारण है कि कालिंजर शैव धर्म का केन्द्र होने के साथ–साथ अन्य सम्प्रदायों से भी सम्बद्ध था।

वस्तुतः जीवन की नश्वरता तथा भौतिक सुख–सुविधाओं की अस्थिरता मनुष्य को सदैव सच्चे मन से ईश भक्ति एवं धर्म पालन की प्रति प्रेरित करती रही है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर कालिंजरवासियों ने विभिन्न धार्मिक परम्पराओं को विकसित किया है । इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

तपस्यास्थल (Tapsayasthal)

पहाड़, सघन जंगल एवं जलधाराओं की उपस्थिति के परिणामस्वरूप कालिंजर प्राचीन काल से ही धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र था । इसलिए तपस्यास्थल के रूप में इसका

(अ) बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०)
दर्शनीय स्थल
उत्तर
किलोमीटर
जालौन
कालपी
कानपुर को
कोंच
उरई
हमीरपुर
समथर
मोठ
गरौठा
राठ
झांसी
बांदा
बबेरू
चरखारी
कुलपहाड़
महोबा
राजापुर
अतर्रा
कर्वी
नरैनी
चित्रकूट
मानिकपुर
कालिंजर
सतना को
माताटीला बांध
ललितपुर
गोविन्दसागर
महरौनी
देवगढ़
भोपाल को
(ब) कालिंजर दुर्ग
दर्शनीय स्थल
शहर
मुख्यद्वार
कामता द्वार
हनुमान द्वार
श्रवण मूर्ति
सुरसरि गंगा
संकेत
1 नीलकण्ठ मन्दिर
2 जौहर स्थल
3 बड़ा दरवाजा
4 राजा अमान सिंह महल
5 मृगधारा
6 कोटितीर्थ
7 माण्डूक भैरव एवं भैरवी
8 वृद्धक क्षेत्र
9 सीता सेज
10 पाताल गंगा
संकेत
दर्शनीय स्थल

चित्र संख्या 4.1

वर्णन मिलता है, जहां भूमि से ओत–प्रोत कठोर साधनाएं की जाती थीं । कनिंघम ने टालिमी द्वारा विश्लेषित 'तमसिस' की पहचान कालिंजर पर्वत से की है, जो किला निर्माण से पूर्व तपस्वियों का परम प्रिय व सुहावन स्थल था । वेदों में कालिंजर का वर्णन 'तपस्यास्थल' के रूप में मिलता है । चन्देल अभिलेखों में तप की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि तपस्या के माध्यम से तीव्र प्रभाव एवं शक्ति प्राप्त की जा सकती है । वस्तुतः इस प्रकार की शक्ति अर्जित करने का महत्वपूर्ण केन्द्र कालिंजर था ।

तीर्थस्थल (Tirathsthal)

प्राचीनकाल में कालिंजर तीर्थस्थल के रूप में विख्यात था । महाभारत में यह स्थान 'लोकविश्रुत' नाम से जाना जाता था । ऐसी मान्यता है कि यहां देवहृद (सुरसरि) में स्नान करने से एक सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है । महाभारत के अनुशासन पर्व में एक मास तक यहां तर्पण करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्ति का वर्णन है । पुराणों में कालिंजर को एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बताया गया है । गरूण पुराण में इसे 'महातीर्थ' की संज्ञा दी गयी है । पद्म पुराण में कालिंजर को 'आत्मसाधना' का केन्द्र माना गया है । वायु एवं बह्माण्ड पुराण में यहां पर यत्नपूर्वक श्राद्ध करने का उल्लेख है । पद्म, गरूण एवं ब्रह्म पुराण में कालिंजर को महान पातकों के विनाश में समय तथा पापों से मुक्त कर मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है । पद्म पुराण में कालिंजर को 'ब्रह्म क्षेत्र' तथा स्कन्द पुराण में 'पुरूषोत्तम क्षेत्र' बताया गया है । मत्स्य पुराण में कालिंजर 'शुभ एवं श्रेष्ठ तीर्थ' के नाम से विख्यात है । वायु, लिंग एवं कूर्म पुराणों में कालिंजर को शिव से सम्बद्ध बताया गया है । वामन पुराण में 'कालिंजरे नीलकंठम्' कहकर कालिंजर के आराध्य देव नीलकंठेश्वर का उल्लेख किया गया है । खजुराहो अभिलेख में कालिंजर को नीलकंठ का आवास बताया गया है । इस प्रकार कालिंजर के प्रमुख देवता शिव अर्थात् नीलकंठ हैं । कालिंजर महात्मय के अनुसार पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी तीर्थयात्री यहां आता है, उसे समस्त तीर्थों का फल और अनन्त पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है ।

ब्राह्मण धर्म (Brahmin Dharma)

ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की उपासना की जाती थी । उपासना की दृष्टि से इनमें शिव एवं विष्णु अधिक लोकप्रिय थे। इनके अतिरिक्त अन्य पौराणिक देवी–देवताओं की पूजा भी की जाती थी, जो निम्नलिखित हैं –

शैव धर्म– शिव और कालिंजर एक दूसरे के पूरक एवं पर्याय हैं । इस स्थल की उत्पत्ति में शिव का महान योगदान है । इसका नामकरण स्वयं शिव पर आधारित है । यह स्थान पुरातनकाल से शैव धर्म से सम्बन्धित था । पाण्डुवंशी उदयन के अभिलेख में यहां पर "भद्रेश्वर"

के ईंटों के मन्दिर की स्थापना का वर्णन मिलता है । इलाहाबाद के समीप भीटों की खुदाई से प्राप्त मोहरों में कालंजर भट्टारकस्य और ''भद्रेश्वर'' शब्द लिखे मिले हैं । ऐसा मानना है कि ये मोहरें कालिंजर के शैव मन्दिर से प्रचलित की गयी होंगी । बाल्मीकि रामायण में कालिंजर में मठों की स्थापना का वर्णन मिलता है ।

वस्तुतः चन्देल शासक शैव धर्म के उपासक थे । चन्देलों द्वारा निर्मित 8 प्रमुख किलों में से कालिंजर का किला एक था जो कि नीलकंठ के वास के रूप में प्रसिद्ध था । चन्देल शासक यशोवर्मन स्वयं वैष्णव था। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी धंग शिव का उपासक था । उसने सर्वप्रथम ''कलिंजराधिपति'' की उपाधि हांसिल की थी। धंग के समय सर्वप्रथम शैव धर्म को राजधर्म का दर्जा प्राप्त हुआ । चन्देलकालीन अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चन्देल शासकों में धर्म परिवर्तन की यह स्थिति कालिंजर के अधिग्रहण से प्रभावित थी । धंग के अलावा गंड, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, मदनवर्मन परमार्दिदेव आदि चन्देल राजा भी शैव धर्मावलम्बी थे। कालिंजर से प्राप्त चन्देल शासक मदनवर्मन के समय के एक अभिलेख में महाप्रतिहार संग्राम सिंह और विख्यात नृत्यांगना पद्मावती का वर्णन मिलता है । इनमें संग्राम सिंह प्रधान द्वार रक्षक थे व नृत्यांगना पद्मावती भगवान नीलकंठ के सामने नृत्य करने वाली प्रमुख नर्तकी थी। नीलकंठ के सम्मुख स्थित काली शिला पर उत्कीर्ण भगवान शिव की स्तुति की रचना स्वयं राजा परमार्दिदेव ने कराई थी । उनके द्वारा प्रदत्त ''परम महेश्वर'' की उपाधि इस तथ्य का द्योतक है कि चन्देल शासक कितने शिवभक्त थे । चन्देलवंशीय शासकों के अभिलेखों की शुरूआत प्रायः शिव की स्तुति से होती है । अभिलेखों में शिव को रूद्र, शम्भू, दिगम्बर, शूलधर, चन्द्रमौलि, विश्वेश्वर, केदार, कालंजर, भवानीपति आदि नामों से सम्बोधित किया गया है । इनके द्वारा प्रमुखतया शैव मन्दिरों का निर्माण किया गया । इनके द्वारा निर्मित खजुराहो के मन्दिरों में भी शिव का प्रमुख स्थान है ।

चन्देल शासकों ने विभिन्न किस्म के पत्थरों यथा—काला पत्थर, संगमरमर तथा रत्नों आदि के शिवलिंगों का निर्माण कराया । भगवान नीलकंठ की प्रतिष्ठित लिंगमूर्ति काले पत्थर की है । कालिंजर में सहस्त्र लिंग, एकमुखी लिंग, चतुर्मुखी लिंग और नंदी के ऊपर शिवलिंग की अनेक मूर्तियां मिलती हैं । आकार की दृष्टि से वनखण्डेश्वर शिवलिंग मूर्ति सबसे बड़ी कही जा सकती है । प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार की मुर्तियों की उपलब्धता से कालिंजर में शिव की उपासना की लोकप्रियता का परिचय मिलता है।

अभिलेखों से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि चन्देल शासकों के साथ—साथ शैव गुरूओं ने भी इस क्षेत्र में शैव धर्म के व्यापक प्रचार—प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । कालिंजर के शिलालेखों में श्रीमूर्ति के द्वारा नीलकंठ मन्दिर के मंडप के निर्माण का वर्णन प्राप्त

होता है । इस अभिलेख में ध्वजारोहण के समय भूमिदान का भी उल्लेख है । वस्तुतः मण्डप का निर्माता 'सूत्रधार' राम था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शैव धर्म की लोकप्रियता में सभी वर्गों की सहभागिता थी ।

शिव के साथ शैव परिवार में पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की उपासना भी प्रचलित थी । अभिलेखों में चण्डिका, भवानी, गिरिजा, काली, गिरिसुता, हेमवती आदि की पूजा का भी उल्लेख मिलता है । कालिंजर किले के एक द्वार का नाम चण्डी दरवाजा है । यहां पर देवी की अनेक मूर्तियां मिलती हैं । कार्तिकेय व गणेश की भी अनेक प्रतिमाएं कालिंजर क्षेत्र में विद्यमान हैं । किले के एक दरवाजे का नाम गणेश द्वार है । कालिंजर में गणेश की नाना भुजाओं वाली मूर्तियां भी है । नन्दी की विभिन्न मूर्तियां पशुवत में लिंगधारक रूप में उपलब्ध हैं । मनुष्य रूप में भी नन्दी की प्रतिमाएं पाई जाती है, जिनमें अधोभाग मनुष्य का तथा ऊपरी भाग पशु का है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कालिंजर क्षेत्र में शैव धर्म की उपासना के साथ–साथ अन्य देवी–देवताओं की भी पूजा होती थी ।

वैष्णव धर्म– कालिंजर में शैव धर्म को मानने वाले लोगों के साथ–साथ वैष्णव धर्म के भी उपासक थे। कालिंजर क्षेत्र के अन्तर्गत सुरसरि गंगा में विष्णु की शेषशायी मूर्तियां वैष्णव धर्म की महत्ता की सूचक हैं । इसके अलावा यहां पर गरूणारूढ़ विष्णु, बाराह, मत्स्य और कक्षप आदि अवतारों की नाना मूर्तियां वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का परिचायक हैं । वस्तुतः प्रथम चन्देल शासक यशोवर्मन वैष्णव धर्म का उपासक था। ऐसी मान्यता है कि नीलकंठ मन्दिर के निकट 'वैकुण्ठपट्ट' का निर्माण उसी के शासनकाल की देन है । इनके शासनकाल में वैष्णव धर्म काफी लोकप्रिय था । वस्तुतः चन्देलों के अधिकार में आने के पूर्व कालिंजर प्रतिहारों के अधीन था । इनके समय में भी यहां पर वैष्णव धर्म के उपासक थे । जनश्रुति के अनुसार प्रतिहार शासक मिहिरभोज के समय में यहां पर वैष्णव धर्म का प्रचार–प्रसार काफी चरमसीमा पर था ।

कालिंजर में खजुराहो की भांति कृष्ण लीला के दृश्यों का चित्रांकन कुछ स्तम्भों पर मिलता है । कलात्मक दृष्टि से यह दृश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । कालिंजर के एक अभिलेख में नृसिंह मूर्ति के निर्माण का वर्णन मिलता है । समुद्रमंथन के एक दृश्य में कच्छप अवतार का चित्रांकन किया गया है । इस प्रकार से वैष्णव धर्म की लोकप्रियता एवं महत्व की जानकारी उपलब्ध विभिन्न मूर्तियों, अभिलेखों व साहित्य से प्राप्त होती है।

शाक्त धर्म– शिव महिमा के रूप में कालिंजर का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान शक्ति स्थल के रूप में भी माना जाता है । पुराणों में कालिंजर को काली का स्थान बताया गया है । इसकी गणना शक्तिपीठ के रूप में की गयी है । देश के 108 शक्ति स्थलों में कालिंजर का उल्लेख है । पदम, मत्स्य एवं देवी भागवत पुराणों में भी कालिंजर को

काली के स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है । काल भैरव मूर्ति के निकट, नीलकंठ मन्दिर के समीप काली की प्रतिमा की स्थापना शक्तिपीठ की लोकप्रियता का परिचायक है । इसके अलावा कालिंजर में महिषासुर मर्दनी देवी और मात्रकाओं की नाना मूर्तियां पाई जाती हैं । कालिंजर क्षेत्र में उमा–महेश्वर की भी अनेक मूर्तियां विद्यमान हैं । कालिंजर के एक अभिलेख में 'उमा–महेश्वर पट्ट' के निर्माण का वर्णन मिलता है । एक अन्य अभिलेख में पार्वती का उल्लेख 'शालभंजिका' के रूप में किया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कालिंजर शिव और शक्ति दोनों का प्रमुख स्थान रहा है ।

जैन धर्म– कालिंजर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र से अनेक तीर्थकंर प्रतिमाएं मिली हैं, जो कालिंजर किले के अमान सिंह महल की संग्रहीत मूर्तियों में सुरक्षित हैं । जैन धर्म से सम्बन्धित प्रतिमाओं की उपलब्धता के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कालिंजर में ब्रह्मणेत्तर धर्मों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । खजुराहो, देवगढ़, अजयगढ़ आदि स्थानों पर उपलब्ध जैन मन्दिर इस तथ्य के सूचक हैं कि चन्देलों के शासनकाल में जैन धर्म को पर्याप्त महत्व प्राप्त था।

अन्य सम्प्रदाय– कालिंजर में शैव, वैष्णव, शाक्त सम्प्रदायों के अलावा सूर्य, ब्रह्मा, नवग्रह, कार्तिकेय एवं अन्य गौण देवी–देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं । अनुमानतः कालिंजर का सम्बन्ध सूर्य पूजा से भी है क्योंकि इसका नाम रवि क्षेत्र भी मिलता है । इसे विदेशी विद्वानों ने रविचिक्र के नाम से सम्बोधित किया है । कालिंजर से भैरव की अनेक वृहदाकार एवं विलक्षण प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनका मूर्तिकला विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें कालभैरव अथवा महाभैरव, खम्भौर भैरव, मेढकी भैरव की मूर्तियां आदि प्रमुख हैं । वस्तुतः पूर्व मध्यकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भैरव की उपासना काफी लोकप्रिय थी । भैरव को शिव का दूसरा रूप माना जाता है । लोक देवता के रूप में वह इस क्षेत्र में जन–जन के लिए पूज्यनीय थे ।

उपर्युक्त धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर कालिंजर को तपस्यास्थल, तीर्थस्थल, पापनाशक, आत्मसाधना का केन्द्र, उत्खल, शिव तथा काली का स्थान व पित्रपूजा का स्थल कहा जा सकता है । शैव तथा शाक्य स्थल होते हुए भी कालिंजर वैष्णव, शौर्य, गणेश, आदि देवताओं का स्थल भी था (सुल्लेरे, 2001) । कालिंजर से देवपट्ट सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, जिनमें पंचदेव पूजा व पट्ट निर्माण की परम्परा का उल्लेख मिलता है । कालिंजर की धर्म परम्परा से सम्बन्धित लोक उत्सवों का वर्णन हमें परमार्दिदेव के सलाहकार व रूपककार वत्सराज के नाटक संग्रह 'रूपक षटकम्' से प्राप्त होता है । इसमें नीलकंठ यात्रा का वर्णन है । समय–समय पर यहां इसका मंचन होता रहता था। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नाना सम्प्रदायों एवं लोकधर्म का अनूठा समन्वय कालिंजर की धार्मिक परम्परा में दृष्टिगत होता है ।

धार्मिक स्थल (Religious Places)

कालिंजर क्षेत्र में उपलब्ध प्रमुख धार्मिक स्थल पौराणिक काल से प्रतिष्ठित हैं (पॉगसन, 1974), जिनकी महत्ता को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

(i) सीता सेज– यहां पर पर्वत को काटकर एक छोटे से कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें पत्थर से निर्मित पलंग एवं तकिया रखा हुआ है । ऐसी मान्यता है कि लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् सीता ने यहां पर विश्राम किया था, जिस कारण इस स्थान को सीता सेज का नाम दिया गया है । यहां पर तीर्थयात्रियों के अनेक उत्कीर्ण लेख प्राप्त हैं, जिनमें से एक लेख आठवीं शताब्दी का है । इसके अलावा अन्य लेख विक्रमी संवत 1587 तथा संवत 1600 के हैं (सुल्लेरे, 1987)। इसके समीप सीताकुण्ड नामक एक जलकुण्ड भी स्थित है, जिसके दाहिने किनारे पर पुरूषों एवं स्त्रियों की अनेक मूर्तियां विद्यमान हैं । यहां पर पद्मासन अवस्था में एक संत की मूर्ति है ।

(ii) नीलकण्ठ का मन्दिर– नीलकण्ठ मन्दिर कालिंजर के किले का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किले के पश्चिमी कोने पर स्थित है । इस मन्दिर को जाने के लिए दो दरवाजों से होकर नीचे जाना पड़ता है । दूसरे दरवाजे के निकट व नीचे जाने पर अनेक गुफाएं व मूर्तियां मिलती हैं, जिनका निर्माण पर्वतों को काटकर किया गया है । मन्दिर को जाने वाली सीढ़ी उतरते ही बांयी ओर ताण्डव नृत्य प्रस्तुत करते हुए शिव, शिवमित्र व अन्य मुद्रा में शिव की विलक्षण मूर्तियाँ देखते ही बनती हैं (चित्र संख्या–4.2, 3 व 4)। मूर्तिकला विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इन मूर्तियों व गुफाओं का महत्वपूर्ण स्थान है । इनमें नवग्रह–पट्ट, वैकुण्ठपट्ट, उमा–महेश्वर, महिषिमर्दिनी, गरूणासीन विष्णु, नौ सिरवाली महासदाशिव मूर्ति, नन्दी पर शिवलिंग, भैरव आदि की प्रतिमाएं कलात्मक एवं मूर्ति कला विज्ञान की दृष्टि से भारतीय कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहां पर असंख्य छोटे एवं बडे मुखलिंग और सहस्त्रलिंग दृष्टिगत होते हैं ।

नीचे पहुँचने पर नीलकण्ठ मन्दिर का अलंकृत अष्टकोणीय स्तम्भयुक्त मण्डप मिलता है। वर्तमान समय में इस मण्डप का वितान नष्ट हो गया है । जनश्रुति के अनुसार यह मण्डप सात खण्ड वाला था । इस मण्डप का जो भाग वर्तमान में अब शेष बचा है वह इसकी मूर्तिकला एवं वास्तुकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है (चित्र संख्या–4.5)। इस मण्डप से ही संलग्न नीलकण्ठ मन्दिर है । ऐसा मत है कि देवता एवं दानव द्वारा किये गये समुद्र मंथन से जो विष कालकूट प्राप्त हुआ था, उसे पीने के बाद भगवान शिव ने यही हजम किया था । शिव अपने कण्ठ में काफी देर तक विष को रोके रहे थे, जिससे उनका कण्ठ विषपान के कारण नीला हो गया था और वे नीलकण्ठ कहलाए । गर्भ गृह में शिव की मुखलिंग मूर्ति काले पत्थर में तराशकर निर्मित की गयी है । यह शिवलिंग चार फुट छः इंच का है । इस मूर्ति में तीन नेत्र हैं । कालिंजर

शिव मित्र

चित्र संख्या 4.3

शिव मूर्ति

चित्र संख्या 4.4

नीलकण्ठेश्वर मण्डप

चित्र संख्या 4.5

नीलकंठ मन्दिर

चित्र संख्या 4.6

दुर्ग में नीलकण्ठ का मन्दिर तीर्थयात्रियों का मुख्य स्थल है (चित्र संख्या–4.6)। इसकी पुष्टि तीर्थयात्रा लेखों से होती है ।

'नीलकण्ठों यत्र देवो भैरवः क्षेत्र नायकः ।

कोटि तीर्थ यत्र तीर्थ मुक्तिस्तत्र न संशयः ।। .(कालिंजर महात्मय)।।

यह मूर्ति स्वयं–भू शिवलिंगों के अन्तर्गत आती है । ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग की यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है । इस प्रकार की प्रतिमा मूर्तिकला विज्ञान के नियमों से परे मानी जाती है । कालिंजर के इस नीलकण्ठ मन्दिर का उल्लेख पुराणों एवं अभिलेखों में मिलता है। इस मन्दिर के वितान में कई कौपीनधारी सिद्ध एवं साधकों की मूर्तियां अभिवादन की मुद्रा में हैं । यहाँ पर आठवीं शताब्दी का उल्लेख मिलता है, जिसमे मण्डप निर्माण और उमा–महेश्वर–पट्ट के निर्माण का उल्लेख है । मन्दिर के प्रवेश द्वार पर स्थित काली शिला पर उत्कीर्ण अभिलेख की रचना स्वयं चन्देल शासक परिमार्दिदेव ने शिव की स्तुति के रूप में की है । यहां पर उपलब्ध एक दूसरे अभिलेख में कीतिवर्मन के समय में मण्डप के निर्माण का उल्लेख है तथा शैव और पाशुपत सम्प्रदाय के लोगों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता है । यहां के उत्कीर्ण अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस मण्डप में नृत्य एवं संगीत के आयोजन होते थे तथा इस समय की प्रमुख नर्तकी पद्मावती थी । इसका समर्थन मन्दिर के प्रवेश द्वार के नीचे की पट्टिका में संगीत और नृत्य के दृश्यों से भी होता है । इसी अभिलेख में महाप्रतिहार संग्राम सिंह का भी वर्णन है (कनिंघम), जो संभवतः उस समय के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी थे। यहां की वास्तुकला एवं विभिन्न मूर्तियों के निर्माण में जिन वास्तुकारों व शिल्पियों ने योगदान दिया, उनके नामों का उल्लेख भी यहां के अभिलेखों से मिलता है। यह स्थान परम पवित्र एवं प्रमुख था। यहां पर तीर्थयात्रियों के विभिन्न लेख मिलते हैं, जो इस स्थान की लोकप्रियता का परिचायक हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान शासकों, मंत्रियों, अधिकारियों, धर्माचार्यों, शिल्पियों, नृत्यांगनाओं, संगीतज्ञों, साधकों, तीर्थयात्रियों एवं जन सामान्य द्वारा सामान्य रूप से उपासना का केन्द्र था।

कालिंजर के किले का यह स्थान प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुन्दर एवं मनमोहक है । यहां के हरे–भरे प्राकृतिक दृश्य बरबस ही मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । यहां से दृष्टिगत समस्त भाग या तो समतल मैदानी भाग हैं, जहां फसलें लहलहा रही हैं या फिर हरीतिमायुक्त पहाडियां तथा दूध की भांति बहती हुई नदियां दिखाई देती हैं । यहां का समस्त प्राकृतिक परिवेश दैवीय प्रभाव से युक्त व शान्ति प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(iii) काल भैरव अथवा महा भैरव– स्वर्गारोहण कुण्ड के दाहिने भाग में पर्वत को काटकर निर्मित काल भैरव अथवा महा भैरव की विशालकाय प्रतिमा है । यह अठारह भुजी मूर्ति

है, जिसके वक्ष प्रान्त में मुण्डों की माला, कानों में सर्प कुण्डल, हाथों में सर्प वलय तथा गले में सर्पो की माला है । इस मूर्ति के हाथों में ढ़ाल, तलवार, धनुष, बाण , सर्प, षटवांग, एवं खप्पर आदि आयुध हैं । यह बाघम्बरी और ऊर्ध्वरेतस है । अनुमानतः यह भारत की सर्वाधिक दीर्घाकार भैरव मूर्ति है (चित्र संख्या–4.7)। अबुल फजल द्वारा लिखित "आईने–अकबरी" में इस मूर्ति का वर्णन मिलता है । मूर्ति के नीचे काली की कंकाल मूर्ति है । पुराणों में शक्तिपीठ के रूप में कालिंजर की गणना की गयी है । इस प्रकार भैरव एवं काली को एक–दूसरे से सम्बन्धित दर्शाया गया है । कालिंजर की काल भैरव मूर्ति यहां की विलक्षण प्रतिमा है । इसमें शिल्पी ने शिव काल विनाशक रूप विधिवत प्रदर्शित किया है । यह मूर्ति इस स्थान के कालंजर नाम की प्रामाणिकता को सिद्ध करती है ।

(iv) वनखण्डेश्वर अथवा बलखण्डेश्वर महादेव– यह स्थान कालिंजर किले की प्राचीर के उत्तर–पूर्व कालिंजर पहाड़ी के मध्य भाग में एक प्रथक पहाड़ी पर स्थित है । यहां पर एक मन्दिर है, जिसमें एक दीर्घाकार शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जो कालिंजर का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा सकता है । इस मन्दिर के प्रवेश द्वार पर कुछ सुन्दर मूर्तियां हैं, जो कलात्मक दृष्टि से चन्देलकाल की मानी जा सकती है (चित्र संख्या–4.8)।

(v) वेंकट बिहारी मन्दिर– दुर्ग में रानी महल के सन्निकट वेंकट बिहारी का विशाल मन्दिर है। वर्तमान समय में यहां राधाकृष्ण की मूर्तियाँ नहीं है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है (चित्र संख्या–4.9)।

(vi) रीवां फाटक के समीप स्थित हनुमान मन्दिर– रीवां फाटक से लगा हुआ हनुमान जी का एक अति प्राचीन मन्दिर है। यहां पर पाई जाने वाली अनेक मूर्तियां चन्देलकाल की प्रतीत होती हैं ।

(vii) गोपाल ताल का विष्णु मन्दिर– पन्ना फाटक से कालिंजर बस्ती में प्रवेश करते ही गोपाल ताल दिखाई देने लगता है । इसी ताल के समीप एक विष्णु मन्दिर है । यह बुन्देली वास्तुकला द्वारा निर्मित है । वैष्णव सम्प्रदाय के व्यक्तियों के लिए यह एक धार्मिक स्थल है ।

(viii) लेटे हुए हनुमान का मन्दिरः– कालिंजर की कटरा बस्ती की सीमा में कालिंजर पहाड़ी से संलग्न एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भूमि पर विश्राम की मुद्रा में है (चित्र संख्या–4.10)।

(ix) अनन्तेश्वर मन्दिर– कला शैली की दृष्टि से यह मन्दिर बुन्देली वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है । यह एक शिव मन्दिर है, जो स्थानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ।

(x) गौरैया मन्दिर– धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है । ऐसा कहा जाता है कि बांदा के प्रथम नवाब अली बहादुर ने सन् 1802 के आस–पास कालिंजर पर आक्रमण किया था।

काल भैरव

चित्र संख्या 4.7

वनखण्डेश्वर मन्दिर

चित्र संख्या 4.8

वेंकट बिहारी मंदिर

चित्र संख्या 4.9

कटरा के लेटे हनुमान

चित्र संख्या 4.10

इस आक्रमण के दौरान हिम्मत बहादुर गोसाईं भी इनके साथ था । इसी ने कालिंजर क्षेत्र में एक मन्दिर का निर्माण कराया था, जो गौरैया मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है । इस मन्दिर में वैष्णव मूर्तियां हैं। गुप्त (1983) के अनुसार कालिंजर में ही सन् 1802 में बांदा नवाब अली बहादुर का निधन हो गया था। यह मन्दिर उन्ही की स्मृति में बनवाया गया था ।

इसके अतिरिक्त राम कटोरा, चरण पादुका, फकीर की गुफा, भगवान की सेज, सिद्ध की गुफा आदि अन्य प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं ।

कालिंजर क्षेत्र में इस्लाम धर्म से सम्बन्धित भी अनेक धार्मिक स्थल हैं । कालिंजर दुर्ग के ऊपर वेंकटेश्वर मन्दिर के समीप एक प्राचीनतम् मस्जिद है। इसी प्रकार नीलकण्ठ मन्दिर से कुछ दूरी पर मजार ताल के पास एक मस्जिद है । कामता फाटक के पास अनन्तेश्वर मन्दिर को जाने वाले मार्ग पर एक पुरानी मस्जिद है । इसके अलावा बहादुरपुर कालिंजर तथा अन्य समीपवर्ती गांवों में भी मस्जिदें हैं, जो मुस्लिमों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं ।

ऐतिहासिक महत्व के स्थल (Places of Historical Importance)

भारत के प्राचीन एवं प्रसिद्ध किलों में कालिंजर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला उत्तर भारत का अत्यन्त दुर्भेद्य किला माना जाता था । यह इतना ख्यातिप्राप्त किला था कि कालचुरी राजाओं ने "कालंजर पुरवराधीश्वर" (सर्वश्रेष्ठपुर कालिंजर के स्वामी) की उपाधि ग्रहण की थी। इसी प्रकार चन्देल शासक धंग के समय से चन्देल राजाओं ने "कालंजराधिपति" की उपाधि से अपने को सुशोभित किया था । चन्देलों द्वारा निर्मित आठ प्रमुख किलों में कालिंजर का महत्वपूर्ण स्थान था । वस्तुतः .चन्देलों का सम्पूर्ण इतिहास कालिंजर किले के चतुर्दिक केन्द्रित है । इस वंश की प्रगति इस किले पर अधिकार से सम्बद्ध मानी जा सकती है । चन्देल शासकों को कालंजराधिपति (कालिंजर का स्वामी) कहा जाता था । मुस्लिम लेखकों ने चन्देलों का वर्णन मुख्यतः कालिंजर के शासक के रूप में किया है । चन्देल राज्य की सुरक्षा में कालिंजर के किले की अहम् भूमिका रही है । कालिंजर किले पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने सन् 1019 एवं 1022 में चन्देलों पर दो बार आक्रमण किये किन्तु उसे सफलता नहीं मिल पाई । इन आक्रमणों का चन्देल शासक विद्याधर ने दृढ़तापूर्वक सामना किया था। विद्याधर ने न केवल महमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया बल्कि कन्नौज के शासक राज्यपाल का वध करवाकर उन्होंने महमूद गजनवी को चुनौती दी थी । इस प्रकार कालिंजर किले ने न केवल एक प्रहरी की भूमिका का निर्वहन किया अपितु चन्देल राज्य व खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मन्दिर की भी रक्षा की । मुस्लिम लेखकों ने भी कालिंजर के किले की दुर्भेद्यता का बखान किया है । निजामुद्दीन के अनुसार भारत वर्ष में कालिंजर की जोड़ का और कोई किला नहीं था (तिवारी, 1933) । अग्रवाल (1987) ने भी इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता

पर प्रकाश डाला है । इन लेखकों का मत है कि कालिंजर का क़िला अपनी दृढ़ता के लिए विश्व भर में 'सिकन्दर की दीवाल' के नाम से विख्यात था । यद्यपि शेरशाह सूरी ने 1602 में कालिंजर पर अपना अधिपत्य कायम कर लिया था किन्तु इसे पाने में उसे अपने प्राण गंवाने पड़े थे। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालिंजर क्षेत्र को निश्चित ही विश्व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां की पुरासम्पदा, धर्म, संस्कृति तथा वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ है (उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1987–88, 1993–94) ।

दुर्ग योजना (Fort Plan)

कालिंजर के किले का निर्माण कब हुआ है, इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता किन्तु उपलब्ध सहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि कालिंजर का किला विक्रम की तीसरी व दूसरी शताब्दी से पूर्व का है, जो विंध्यगिरि के ऊंचे स्थान पर बना है (तिवारी, 1933) । बाद में विभिन्न राजवंशों के समय में इस किले में अनेक परिवर्तन व परिवर्द्धन होते रहे हैं । प्रारम्भिक समय में यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था किन्तु कालान्तर में युद्ध पद्धति में दुर्गों का प्रभाव बढ़ने से यह किला सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया ।

प्राचीन भारतीय वास्तुग्रन्थों में इस पर्वतीय दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। अभेद्यता की दृष्टि से कालिंजर दुर्ग को मध्य भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता था (मिश्र, 1974)। भौगोलिक स्थिति से भी यह एक आदर्श दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता था। यह किला दुर्गवास्तु व भौगोलिक विशेषताओं से सुसज्जित था । किले के साथ ही यह राजधानी का सर्वश्रेष्ठ नगर भी था । परिखा व्यवस्था भी इसी किले में विद्यमान थी । इसकी पुष्टि अभिलेखीय प्रमाणों से होती है ।

कालिंजर गांव जो वर्तमान में किले के नीचे तरहटी में स्थित है । इसकी महत्ता का आभास यहां पहुँचते ही दिखाई देने लगता है । यह केन्द्र चारों ओर से प्राचीर वेष्टित था । इसमें प्रवेश के लिए चार द्वार थे, जिनमें तीन द्वार वर्तमान समय में भी सुरक्षित हैं, जो क्रमशः कामता द्वार, हनुमान द्वार एवं मुख्य द्वार के नाम से जाने जाते हैं । प्राचीन वास्तु ग्रन्थों में नगर द्वारों का नामकरण इसी प्रकार करने की व्यवस्था थी । कालिंजर नगर में अनेक स्मारक व मूर्तियां पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश वास्तु अवशेष मुगलकालीन हैं ।

(1) किला– कालिंजर का किला समुद्र तल से 381.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है । इसका मुख्य प्रचीर 25–30 मीटर नींव पर 30–35 मीटर ऊंचा शीर्ष में 8 मीटर चौड़ा तथा 7.5 किलोमीटर लम्बा पत्थरों को एक के ऊपर रखकर अथवा चूने के जोड़ से बनाया गया है। सामान्य ढ़ाल होने के कारण किले का निचला भाग चढने में आसान है किन्तु मध्य भाग कठिन है । खड़ा ढ़ाल होने के कारण ऊपरी भाग चढ़ने में बहुत कठिन है । किले के ऊपर पहुँचने

के लिए दो रास्ते हैं। इनमें से जो मुख्य मार्ग है, वह नगर की उत्तर–दक्षिण दिशा की ओर से जाता है । दूसरा मार्ग दक्षिण–पश्चिम की ओर से जाता है, उसे पन्ना द्वार कहते हैं।

वर्तमान समय में सड़क बन जाने के कारण किले के ऊपर चढ़ना आसान हो गया है । किले में उत्तर–दक्षिण की ओर से जाने के लिए एक ही मार्ग है जो उत्तर दिशा से होकर जाता है । इस तरफ से किले के ऊपर जाने पर सात दरवाजे मिलते हैं (जनपद गजेटियर 1988)। दुर्ग के ऊपर अनेक प्राचीन दर्शनीय स्थल हैं, जो ऐतिहासिक, धार्मिक व भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं (चित्र संख्या–4.1ब) किले के ऊपर जाने के सात ऐतिहासिक दरवाजें निम्नलिखित हैं–

(1) आलम अथवा आलमगीर दरवाजा ;

(2) गणेश द्वार ;

(3) चण्डी अथवा चौबुजी दरवाजा ;

(4) बुधभद्र दरवाजा ;

(5) हनुमान द्वार ;

(6) लाल दरवाजा ;

(7) बड़ा दरवाजा ।

(1) आलम अथवा आलमगीर दरवाजा– यह दरवाजा लगभग 61 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने पर मिलता है । मुगल सम्राट "औरंगजेब के नाम पर इसे आलम या आलमगीर दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे में फारसी में तीन पंक्तियां लिखी हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि 1673 ई0 में इस दरवाजे का निर्माण औरंगजेब के पुत्र मुराद ने करवाया । इसमें इसे सिकन्दर की दीवाल की भांति मजबूत किये जाने का भी वर्णन है । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार इसका पूर्व नाम "सिंहद्वार" था । औरंगजेब के शासनकाल में जीर्णोद्धार करवाए जाने के पश्चात् इसका नाम "आलम या आलमगीर दरवाजा" पड़ा । वर्तमान समय में यह इसी नाम से प्रसिद्ध है।

(2) गणेश द्वार– प्रथम दरवाजे से आगे जाने पर घेरानुमा सीढ़ियों पर दूसरा दरवाजा स्थित है । इस दरवाजे तक पहुँचने के लिए चढ़ाई कठिन है । यहां पर गणेश की एक मूर्ति स्थापित है, जिससे इसका नाम गणेश द्वार पड़ा । इसका दूसरा नाम "काफिर घाट" भी है (जनपद गजेटियर)। यह ऊंचे बुर्जो से युक्त है ।

(3) चण्डी अथवा चौबुर्जी दरवाजा– गणेश द्वार से आगे जाने पर तीसरा "चण्डी अथवा चौबुर्जी"दरवाजा मिलता है । चण्डी देवी के नाम पर इस दरवाजे को चण्डी दरवाजा कहते हैं। दो दरवाजे होने के कारण इसे चौबुर्जी दरवाजा भी कहा जाता है। यहां पर पाण्डुवंशी उदयन से सम्बन्धित लेख उपलब्ध हैं तथा भद्रेश्वर के ईंटों के मन्दिर निर्माण का वर्णन भी मिलता है । यहां पर तीर्थयात्रियों के सम्वत् 1199, 1562, 1580 तथा 1600 के अभिलेख मिलते हैं । सम्वत्

1600 के अभिलेख में शेरशाह सूरी द्वारा दुर्ग को अधिकृत किए जाने का उल्लेख है । इसके समीप पहाड़ी पर एक गुप्तकालीन अभिलेख भी है किन्तु यह अच्छी स्थिति में नहीं है (कनिंघम)।

(4) बुधभद्र दरवाजा– चण्डी दरवाजे से ऊपर जाने पर चढ़ाई काफी कठिन हो जाती है। बुध तारे के नाम पर इस दरवाजे को बुधभद्र कहा गया है । इसे "स्वर्गारोहण" भी कहते हैं । इसके निकट एक जलकुण्ड है जहां पर्वत को काटकर भैरव की मूर्ति बनाई गयी है ।

(5) हनुमान द्वार– बुधभद्र दरवाजे के आगे कुछ दूरी तक चढ़ाई चढने के पश्चात् पांचवा दरवाजा मिलता है जिसे हनमान द्वार कहते हैं । इसके समीप एक कुण्ड है, जिसे हनुमान कुण्ड कहते हैं । यहां हनुमान की मूर्ति प्रतिष्ठित है । यहां पर नाना तीर्थयात्रियों के अभिलेख तथा ऐतिहासिक व कलात्मक महत्व की अनेक वस्तुएं देखने को मिलती हैं ।

(6) लाल दरवाजा– हनुमान द्वार से आगे जाने पर लाल दरवाजा मिलता है । लाल रंग के पत्थरों से बना होने के कारण इसे लाल दरवाजा कहते हैं । इसके पश्चिमी भाग में खम्भों से निर्मित खम्भौर कुण्ड है । यहां पर भैरव की एक मूर्ति है। यहां पर शिवलिंग तथा नृत्य मुद्रा में नारियों की प्रतिमाएं हैं । इसके अलावा तीर्थयात्रियों की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, जिन्हें बंहगी में जल ले जाते हुए दिखाया गया है । इनमें से एक प्रतिमा के पास गुप्त लिपि में एक लेख अंकित हैं यथा– "समाधिगत पंच महाशब्द सामंत श्री वसन्त"। इस अभिलेख में सामंत वसन्त का उल्लेख है, जिसे पंचमहाशब्द की उपाधि प्राप्त थी । इस दरवाजे के बाहरी हिस्से पर सोलह पंक्तियों का एक लेख है, जिसमें कालिंजर का नाम कालंजरादि अथवा कालंजर गिरि है ।

(7) बड़ा दरवाजा– लाल दरवाजे से ऊपर जाने पर अन्तिम दरवाजा मिलता है, जो अन्य दरवाजों की तुलना में अधिक ऊंचा व बड़ा है (चित्र संख्या–4.11)। इसको नेमी द्वार भी कहते हैं । यह बड़ा मजबूत एवं कलात्मक है । यहां से वृद्धक क्षेत्र, कोटितीर्थ तथा नीलकंठ मन्दिर जाने के लिए चार मार्ग हैं । यह चारों किले के महत्वपूर्ण स्थान हैं । इस अन्तिम दरवाजे से किले की चढ़ाई समाप्त हो जाती है ।

2– अमान सिंह का महल अथवा संग्रहालय– बुन्देल शासक अमान सिंह ने अपने रहने के लिए कालिंजर के कोटितीर्थ के किनारे एक महल बनवाया था; जो मध्यकालीन बुन्देली स्थापत्य का अनूठा नमूना है (चित्र संख्या–4.12)। इस महल में किले की बिखरी हुई मूर्तियों को वर्तमान समय में संग्रहीत करके संग्रहालय का रूप प्रदान किया गया है, जो अभी पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हो पाया है । यहां पर शैव, वैष्णव, शाक्त तथा जैन सम्प्रदायों की विशिष्ट प्रतिमाएं रखी हैं, जो कालिंजर की कला को विश्व स्तर के पर्यटकों को अपनी ओर मोहित करने में समर्थ हैं ।

इसके अतिरिक्त दुर्ग पर रानी महल व रंग महल चन्देल काल के महत्वपूर्ण भवन हैं। मौलिकता को ध्यान में रखकर रंग महल का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है जबकि रानी महल

सातवां दरवाजा/बडा दरवाज़ा

चित्र संख्या 4.11

अमान सिंह महल/संग्रहालय

चित्र संख्या 4.12

का अधिकांश भाग वर्तमान समय में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है (चित्र संख्या–4.13 व 14)। शाही मस्जिद, बाउचोप का मकबरा, जौहरा, भरचाचर आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी दुर्ग में देखने योग्य हैं । इसके अलावा दुर्ग के नीचे रनिवास, ठाकुर मतोला सिंह संग्रहालय, अगस्त्य ऋषि आश्रम, मेड़िया देव का सिद्ध स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं की छावनी, मिश्रों का महल, नरदहा का ऐतिहासिक स्मारक, कौहारी का हांथी खाना आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं।

3– राठौर महल– यह महल कालिंजर किले की तराई में बना है । ऐसा कहा जाता है कि 1568 ई0 में अकबर ने कालिंजर पर आक्रमण किया था और इस किले को जीतकर रींवा के बघेल राजा को सौंप दिया था । 1583 ई0 में इलाहाबाद का सूबा बन जाने पर अकबर ने जौनपुर के राठौर राजा को निर्वासित करके यहां पर भेज दिया था । इसके पूर्व इलाहाबाद, जौनपुर के राजाओं के अधिकार में था । अकबर ने राठौर राजा के निवास हेतु कालिंजर किले के नीचे एक महल बनवा दिया था, जो राठौर महल के नाम से पुकारा जाता है । यह महल अब जर्जर अवस्था में है । ठाकुर मतोला सिंह द्वारा इस महल का जीर्णोद्धार करने तथा कुछ मूर्तियों को संग्रह कर यहां रखवाने का कार्य किया गया था लेकिन उनका निधन हो जाने से यह कार्य अधूरा ही रह गया था । स्थानीय लोगों का मत है कि स्थानीय मिश्र व राठौर परिवारों के मध्य आपसी लड़ाई–झगड़ों के मध्य इस महल की काफी क्षति हुई है ।

कालिंजर क्षेत्र में यत्र–तत्र स्थापित मूर्तियां तथा प्राचीन भवनों के अवशेष यहां के प्राचीन धार्मिक वैभव को व्यक्त करते हैं, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य से लेकर मध्यकालीन साहित्य तथा विभिन्न अभिलेखों में मिलता है । सामरिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण किला है, जिसकी गणना देश के सुप्रसिद्ध दुर्गों में की जाती है । इसके पुरावशेष प्राचीन भारतीय दुर्ग विधान की अभिव्यक्ति हैं । इसका निर्माण शास्त्रों में उल्लिखित सभी सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तों पर किया गया है । यह किला एक प्रहरी की भांति क्षेत्र की सतत् सुरक्षा करता रहा है, जिसके फलस्वरूप खजुराहो के मन्दिर विध्वन्स से सुरक्षित रहे हैं । कालिंजर किले पर अधिकार जमाने हेतु तत्कालीन राजवंशों में सतत् होड़ बनी रही क्योंकि इसे जीतकर राजवंश ''कालंजर पुरवराधीश्वर'' कालंजराधिपति'' तथा कालंजर गिरिपति'' की उपाधियां हांसिल करने की इच्छा रखते थे । चन्देल शासकों की सम्पूर्ण कियाशीलता इस दुर्ग के इर्द–गिर्द केन्द्रित रही है। मुस्लिम लेखकों ने इस दुर्ग की प्रशंसा करते हुए इसे भारत वर्ष का श्रेष्ठ दुर्ग कहा है । दुर्भेद्यता के कारण इसे सिकन्दर की दीवाल भी कहा जाता है । किले की दृढ़ता, अभेद्यता, उत्तुंगता तथा सुरक्षात्मक संरचना और भौगोलिक स्थिति के कारण ही चन्देल शासक विद्याधर, गजनवी द्वारा किये गये आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा करने में समर्थ हुए । शेरशाह सूरी को भी इस दुर्ग को जीतने के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े ।

रानी महल

चित्र संख्या 4.13

रंग महल

चित्र संख्या 4.14

धार्मिक तथा सामरिक महत्व के साथ–साथ कलात्मक दृष्टि से भी कालिंजर का महत्वपूर्ण स्थान है । यहां पर दुर्ग वास्तु के अन्तर्गत प्राकार, परिखा, गोपुर, प्रतोली आदि का समावेश किया गया है । मन्दिर वास्तु के अन्तर्गत यहां शैलोत्खात (पर्वत को काटकर) निर्मित तथा ईटों के द्वारा बनाये गये मन्दिरों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है । इसी प्रकार मूर्तिकला की दृष्टि से पर्वतों को काटकर तथा शिलाओं से निर्मित अनेक मूर्तियां बनाई गयी हैं । यहां पर गुप्तकाल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक की मूर्तियां विद्यमान हैं । यहां की कुछ मूर्तियां तो शिल्पी की भारतीय कला को अप्रतिम देन मानी जा सकती हैं । कालिंजर में गुप्तकाल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के अभिलेख मिलते हैं जो विभिन्न लिपियों एवं भाषाओं में इतिहास के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रदर्शित करते हैं । कालिंजर में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के भी अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं तथा पाषाण उपकरण और शैलाश्रय भी उपलब्ध हैं । यहां के विभिन्न स्थलों की दीवारों में मनुष्यों, चिड़ियों, हिरनों व अन्य पशुओ के प्राकृतिक चित्र प्राप्त होते हैं । इन्हीं चित्रों के द्वारा उन्होंने कला के प्रति अपनी रूचि प्रदर्शित की है (बाजपेई, 1950)।

शैल चित्रों के अलावा इसी युग में प्रस्तरों के अस्त्र–शस्त्र बनाने की कला का भी विकास हुआ । यह कला कालिंजर क्षेत्र के रामचन्द्र पर्वत आदि क्षेत्रों में दृष्टिगत होती है। इनके द्वारा बनाये गये पत्थरो की कुल्हाड़ियां आदि यहां पर मिली हैं (मेनन, 1967) । इस क्षेत्र में कोल, भील, गौड़, बैगा आदि जनजातियां विन्ध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में रहते थे । यह लोग प्रस्तरों पर मनमोहक चित्र बनाकर अपनी कलाप्रियता का परिचय देते थे (ड्रेक ब्रोकमैन, 1929) । त्रिवेदी (1984) के अनुसार यहां पुरा पाषाणकाल की उद्योगशाला उपलब्ध हुई है और इसी के आस–पास शैलचित्र भी हैं । पंत (1982) ने यहां प्राप्त शैल चित्रों की प्रशंसा की है । इसके अलावा आज भी यहां के कुछ अभिलेख अज्ञात व अप्रकाशित हैं जिनके अन्वेषण का कार्य जारी है । इनके प्राप्त हो जाने पर कालिंजर के ऐतिहासिक वैभव के सम्बन्ध में जानकारी हांसिल हो सकती है ।

सरोवर (Ponds)

कालिंजर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर गुफाएं व जल के अजस्र एवं अविरल स्रोत विद्यमान हैं, जिनका जल शीतल, रोगहारी व आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला है ।

(1) पातालगंगा– यह धार्मिक स्थान सीता सेज से कुछ दूरी पर स्थित है । यहां पर चालीस फुट लम्बी तथा 20 फुट चौड़ी गुफा के नीचे एक गुप्त जलाशय है । जनश्रुति के अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात् निकले कालकूट (विष) को पान करने के बाद शिव जी इस स्थान पर आये थे तथा यहीं से स्वर्गारोहण गये थे । पातालगंगा में प्राप्त प्राचीन लेख विक्रमी संवत 1339 (1282) का है । दूसरा लेख संवत् 1500 (1483 ई0) का है । इसके अलावा एक लेख हिजरी संवत् 936

का है, जो हुमायूं के शासनकाल का प्रतीत होता है । इस स्थल का अन्तिम लेख संवत् 1640 (1583 ई0), अकबर के समय का है। कनिंघम के अनुसार चट्टानों में कटाव से निर्मित यह एक गहरा कुण्ड है जिससे निरन्तर पानी निकलता है तथा यह जल छत तथा चारों ओर की दीवारों से निरन्तर टकराता रहता है।

(2) पाण्डु कुण्ड– यहां 12 फुट व्यास का एक जलकुण्ड है, जिसे पाण्डवों से सम्बन्धित मानते हैं। इसलिए इस कुण्ड को पाण्डु कुण्ड कहते हैं। यहां पर मनोरथ के नाम से एक गुप्तकालीन लेख उत्कीर्ण है (सुल्लेरे 1987)। इस कुण्ड में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है।

(3) सिद्ध की गुफा, भगवान की सेज तथा पानी का अमान– कालिंजर किले के प्राचीर के निचले भाग से कुछ नीचे तीन रास्ते हैं । यहां पहुँचने का रास्ता अति दुर्गम है । यही कारण है कि बहुत कम लोग इन स्थानों पर जाते हैं । यह रास्ता सिद्ध की गुफा, भगवान की सेज और पानी का अमान की ओर जाता है । पर्वत को काटकर सिद्ध की गुफा का निर्माण किया गया है, जो आकार में यद्यपि छोटी है किन्तु आकर्षक है । इसके ही समीप सीता सेज के समान भगवान की सेज है, जो पर्वत को काटकर बनाई गयी है । यहीं से थोडी दूर पर एक अत्यन्त संकरी गुफा है जिसे पानी का अमान कहते हैं । इसका प्रवेश द्वार .2 फिट 6 इंच का है, जिससे हाथों का सहारा लेते हुऐ झुककर गुफा में जाया जा सकता है ।

(4) भैरव की झिरिया अथवा भैरव कुण्ड– कालिंजर किले के दक्षिणी–पूर्वी भाग में पन्ना द्वार है (चित्र संख्या–4.15)। इसे बासकार द्वार के नाम से भी पुकारा जाता है । यहां से थोड़ी ही दूरी पर भैरव की झिरिया है । यहां पहाड़ से पानी निकलता है । इस स्थान पर पर्वत को काटकर एक कुण्ड बनाया गया है । यहां जलवाहक श्रवण की एक मूर्ति भी है । इस कुण्ड के समीप 20 फिट की ऊंचाई पर भैरव की एक अद्भुत मूर्ति है, जो खड़े ढाल वाली पहाड़ी को काटकर बनायी गयी है । भैरव की मूर्ति के सामने ही भैरवी की मूर्ति बनायी गयी है । इसको मेढ़की अथवा मेड़ की सीमा पर स्थित भैरव कहा जाता है । शैलों पर निर्मित माण्डूक भैरव–भैरवी (चित्र संख्या–4.16 व 17) की यह मूर्तियां देखते ही बनती हैं । यहां से कुछ दूरी पर फकीर की गुफा स्थित है ।

(5) मृगधारा– कालिंजर किले के दक्षिण–मध्य की दिशा में मृगधारा नामक एक जल प्रपात है। प्राकृतिक दृष्टि से यह एक रमणीय क्षेत्र है । यहां पर पहाड़ को काट–छांटकर दो कक्ष बनाये गये हैं। एक कक्ष में सात मृगों की मूर्तियां हैं । इन मृगों के ऊपर निरन्तर पहाड़ से जल गिरता रहता है । धार्मिक दृष्टि से यह स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है । मृगधारा का सम्बन्ध पुराणों में वर्णित सप्त ऋषियों की कथा से बताया जाता है । इन ऋषियों में कश्यप, अत्रि, विशिष्ट, गौतम, जमदाग्नि, विश्वामित्र और भरद्वाज थे । ऐसी मान्यता है कि गुरू के श्राप के कारण इन ऋषियों को अनेक बार जन्म ग्रहण करना पड़ा था । सबसे पहले यह ऋषि दशार्ण (विदिशा) में

पन्ना गेट

चित्र संख्या 4.15

मण्डूक भैरव

चित्र संख्या 4.16

मण्डूक भैरवी

चित्र संख्या 4.17

सुरसरि गंगा

चित्र संख्या 4.18

सात व्याघ्र हुए, तत्पश्चात् कालिंजर में सात मृग, लंका में श्वापद, मानसरोवर में हंस तथा अन्त में कुरूक्षेत्र में ब्राह्मण हुए और अन्ततः मोक्ष को प्राप्त हो गए । सामान्यतः इस प्रकार की कथा का उल्लेख ब्राह्मण, जैन व बौद्ध धर्मों में मिलता है । हरिवंश, पद्म तथा अग्नि पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में जड़ भरत का वर्णन भी इस स्थान से सम्बन्धित माना जाता है । यहां पर गुप्तकाल से मध्यकाल तक के अनेक तीर्थयात्रियों के अभिलेख भित्तियों और शैलों पर उत्कीर्ण हैं । सप्तमृगों की मूर्तियों के नीचे उनके नामांकित लेख भी खुदे हैं । कालिंजर का यह स्थान पितृपूजा और पिण्डदान से सम्बन्धित हैं । कहा जाता है कि इन मृगों के दर्शन करके, पितरों के तर्पण तथा प्रणाम से 101 पितर तथा सात गोत्रों तक भ्रमित जीव भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैं । धर्म ग्रन्थों के अनुसार यह क्षेत्र अष्टसिद्धियों से युक्त है ।

'अष्टसिद्धि समायुक्तों वर्तते मुगक्षेत्रकम्' ।

(6) कोटितीर्थ– कालिंजर के किले का यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जिसे कोटितीर्थ कहते हैं अर्थात् वह स्थान जहां सहस्त्र–सहस्त्र तीर्थ एकाकार हों । यहां के ध्वंसावशेषों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर अनेक मन्दिर रहे होंगे । वर्तमान समय में यहां पर 300 फिट का एक बड़ा तालाब है । । इस तालाब के चतुर्दिक सीढ़ियां हैं । तालाब की भित्तियों में अनेक अभिलेख उत्कीर्ण हैं, इनमें अधिकांश नष्ट हो गये हैं । कुछ पढ़ने में आते हैं और कुछ इतना अस्पष्ट हो गये हैं कि पढ़ने में ही नहीं आते । यहां पर गुप्तकालीन तथा शंखलिपि में उत्कीर्ण लेख मिले हैं । इसके किनारे एकलिंगी मूर्ति तथा बारादरी नामक एक स्थान भी है, जिसमें कई मूर्तियां व अभिलेख हैं । स्थानीय अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुगलकाल में यह क्षेत्र तोड़–फोड़ से काफी प्रभावित हुआ है, जिससे भवनों में परिवर्तन दृष्टिगत होता है । पद्म पुराण के अनुसार यह तीर्थ पापों का नाशक है तथा इसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजा पाता है ।

'कोटितीर्थ परं तीर्थ, सर्व पाप प्रमोचनम् ।
तस्मिन स्नानेन नरोदेवि, ब्रह्मलोके महीयते' ।।

महाभारत के वन पर्व के अनुसार कोटितीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है ।

'अत्र कालंजरं नाम पर्वतं लोक विश्रुतम् ।
तत्र देवहृदे स्नात्वा गोसहस्त्रफलं लभेत्' ।।

(7) वृद्धक क्षेत्र– कालिंजर दुर्ग के ऊपर पूर्वी भाग में 150 फुट लम्बा तथा 75 फिट चौड़ा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण दो संयुक्त जलाशय हैं । इनके चारो ओर सीढ़ियाँ बनी हैं । इस जलाशय में स्नान करने से चर्मरोग/कुष्ठरोग ठीक हो जाता है । अनुमानतः इस सरोवर का

जल स्रोत कुछ ऐसी जड़ी–बूटियों के सम्पर्क में हैं, जिसके फलस्वरूप इनका जल इतना लाभप्रद है । जनश्रुति के अनुसार बनारस के राजा कीर्तिवर्मन कुष्ठरोग से पीडित थे। उन्होंने यहां आकर स्नान किया और देखा कि स्नान करने से उनका कुष्ठरोग ठीक हो गया है। इस प्रसन्नता में उन्होंने इस सरोवर का निर्माण कराया ओर साथ ही दुर्ग का भी पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान समय में इस सरोवर में काफी तलछट भरा है तथा ज़ल काई से ढ़का है । अतः इसे स्वच्छ कराने की आवश्यकता है ।

(8) **खम्भौर ताल**– कालिंजर दुर्ग के ऊपर जब चतुर्थ द्वार से नीलकण्ठ मन्दिर की ओर प्रवेश करते हैं तब वहीं पर एक बड़ा जलाशय मिलता है । यह जलाशय चट्टानों को काटकर बनाया गया है तथा इसके भीतरी भाग में अनेक मूर्तियां हैं । इसी के निकट एक प्राचीन मन्दिर भी है, जो वर्तमान में केवल भग्नावशेष के रूप में दृष्टिगत होता है। जनश्रुति के अनुसार यह स्थान सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम था । भगवान श्री राम ने यहीं पर सुतीक्ष्ण ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया था ।

(9) **स्वर्गारोहण कुण्ड**– नीलकण्ठ मन्दिर के ऊपर स्वर्गारोहण नामक जलकुण्ड है। इसे पहाड़ काटकर बनाया गया है । इस कुण्ड़ के स्तम्भों पर अनेक लेख उत्कीर्ण हैं । यह कुण्ड़ हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है । इस कुण्ड़ के दाहिनी ओर काल भैरव की विशाल मूर्ति है । यह मूर्ति 24 फुट ऊंची तथा दोनों पैर पानी के भीतर हैं । यह जलाशय 17 फुट चौड़ा है। अबुल फजल (1949) ने इस जलाशय की भूरि–भूरि प्रशंसा की है ।

(10) **सुरसरि गंगा**– कालिंजर किले की तराई में उत्तर पूर्व की दिशा में एक तालाब स्थित है। इसे ''शिवसरिगंगा'' ''गंगासागर'' तथा सुरसरिगंगा नाम से पुकारा जाता है (चित्र संख्या–4.18)। यह तालाब लगभग 48 मीटर लम्बा तथा 37 मीटर चौड़ा है । इसका निर्माण पहाड़ी को काटकर किया गया है । इसमें तीन तरफ से सीढ़ियां हैं । इसके समीप एक मन्दिर है, जिनमें अलंकृत स्तम्भ हैं । इस तालाब के किनारे मन्दिरों के अवशेष तथा आसपास कई मूर्तियां खण्डित अवस्था में मिलती हैं । तालाब के किनारे पर वृहदाकार शेषशयी विष्णु, गणेश तथा अन्य देवी–देवताओं की मूर्तियां हैं, जो यहां पर वैष्णव मन्दिर होने की स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।

इसके अतिरिक्त कालिंजर क्षेत्र में अन्य अनेक जलाशय व कुण्ड विद्यमान हैं जिनका धार्मिक व भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है । इनमें हनुमान कुण्ड, सीताकुण्ड, ऋषि बीहड़ या ऋषि बावली, लक्ष्मण तलैया, बेलाताल, सगरा बांध आदि प्रमुख हैं ।

कालिंजर परिक्षेत्र में अन्य अनेक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, जो प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टि से विख्यात हैं । इनमें वृहस्पति कुण्ड़ (पहाड़ी खेरा के पास), कल्पवृक्ष स्थल (कालिंजर में बेलाताल के निकट), गुढ़ा का हनुमान मन्दिर, नवगवां गांव की

कबीर गद्दी, सिधौरा गांव का देवी मन्दिर, बीरगढ़ का देवी मन्दिर, पाथर कछार का रक्तदन्तिका मन्दिर, विष्णु मन्दिर, बान गंगा (फतेहगंज– चित्रकूट मार्ग पर), रौलीगोड़ा का विष्णु मन्दिर, रसिन का चन्द्रा माहेश्वरी, काली देवी मन्दिर, मडफा का शिव मन्दिर, जैन मन्दिर, बारादरी आदि लखनसेहा, किशन सेहा के देवी मन्दिर (कालिंजर–सतना मार्ग पर पहाड़ीखेरा के निकट), बिलहरिया मठ, भरतकूप, व्यास कूण्ड, रनगढ़, खत्री पहाड़ का देवी मन्दिर, सारंग ऋषि आश्रम (पहाड़ीखेरा–पन्ना मार्ग पर), नचना का चतुर्मुखनाथ मन्दिर इत्यादि मुख्य हैं।

निष्कर्षतः कालिंजर क्षेत्र में धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थलों की कमी नहीं है। यह स्थल पौराणिक समय से पूजा–पाठ एवं श्रद्धा का केन्द्र है । यहां पर अनेक आकर्षक दर्शनीय स्थल हैं, जो कालिंजर के पुरातन वैभव को चरितार्थ करते हैं। विभिन्न कष्टों को झेलते हुये भी अनेक यात्री इन स्थलों को पहँचने का प्रयत्न करते हैं। पर्यटन के विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है ।

REFERENCES

1. Abul Fazal : Ain-e-Akbari, Vol. II (English Translation by H.S. Jarrett), Calcutta, P. 29.
2. अग्नि पुराण, 109, 23।
3. अग्रवाल, कन्हैयालाल (1987), विन्ध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल, सतना, पृ0 18, 19 एवं 77।
4. बाल्मीकि रामायण, भाग–2, प्रक्षिप्तः सर्ग : 2, 38, पृ0 1598।
5. Bajpai, K.D. (1950), History of Central India, Page 42 and Lal, B.B., Archaeology in India, 1950.
6. भागवत पुराण, पांचवा स्कन्द, अध्याय 18, पृ0 89 ।
7. Cunningham, A., The Ancient Geography of India, PP. 405-408 and Archeological Survey Report, Part-21, PP. 29-34.
8. देवी भागवत, उत्तरार्द्ध, 30, 62।
9. Drake-Brockman, D.L. (1929), District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh-Banda District, P. 159.
10. गुप्त, भगवानदास (1983), मुस्तानी बाजीवार और उनके वंशज बांदा के नवाब, ग्वालियर, पृ0 63।
11. गरूण पुराण, 81, 18, 19।
12. हरिवंश पुराण, अध्याय 21, 24, 26, 28।
13. Imperial Gazetteer of India (1905), Page 7, PP. 331-337.

14. कालिंजर महात्मय, 1, 30–32 ।

15. कूर्म पुराण, 36, 35, -38 ।

16. Mahabharata, Vana Parva, Chapter 85, 56, 57, Page 1205.

17. महाभारत, अनुशासन पर्व ।

18. मत्स्य पुराण, 121, 54 ।

19. Menon, P.K.V. (1967), Journal of Indian History, Part I, Vol. 14, Serial No. 133, Page 100.

20. मिश्र, केशवचन्द्र (1974), चन्देल और उनका राजत्वकाल, वाराणसी, पृ0 23 ।

21. पद्म पुराण, पातालखण्ड, उमा–महेश्वर संवाद, श्लोक 17 ।

22. Pagson, W.R. (1974), A History of Bundelkhand, Delhi, P. 42.

23. Pant, P.C. (1982), Pre-Historical Uttar Pradesh, Delhi, PP. 122-127.

24. स्कन्द पुराण, 4, 6, 25 ।

25. सुल्लेरे, सुशील कुमार (1987), अजयगढ़ और कालिंजर की देव प्रतिमाएँ, दिल्ली, पृ0 21 ।

26. सुल्लेरे, सुशील कुमार (2001), कालिंजर एक संक्षिप्त संदर्शिका, कालिंजर महोत्सव आयोजन समिति, बांदा, पृ0 25 ।

27. तिवारी, गोरेलाल (1933), बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पृ0 64–65 ।

28. त्रिवेदी, एस0डी0 (1984), बुन्देलखण्ड का पुरातत्व, प्रथम संस्करण, झाँसी, पृ0 9 ।

29. उत्तर प्रदेश वार्षिकी, 1987–88, पृ0 59 ; उत्तर प्रदेश वार्षिकी, 1993–94, पृ0 44 ।

30. वामन पुराण, 90, 27 ।

31. वायु पुराण, श्लोक 23, 24, पृ0 104 ।

32 Varun, D.P. (State Editor), 1988, Uttar Pradesh District Gazetteers, Banda, Published by the Government of Uttar Pradesh, PP. 287-297.

अध्याय - पंचम

पर्यावरण एवं पर्यटन

पर्यावरण एवं पर्यटन
(Environment and Tourism)

पर्यटन आज विश्व का सबसे बड़ा उद्योग (34 खरब डालर वार्षिक) है तथा पर्यावरण–पर्यटन इस उद्योग का बहुत तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। भारत जैसे ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धकों द्वारा स्थानीय समुदायों को आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के मध्य सन्तुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड रहा हैं। पर्यावरण–पर्यटन इस महत्वपूर्ण सन्तुलन का एक पक्ष है क्योंकि योजनाबद्ध पर्यावरण–पर्यटन से संरक्षित क्षेत्रों तथा उनके समीपवर्ती भागों के निवासियों को लाभ पहुँचाया जा सकता है।

अवधारणा (Concept)

सामान्यतः पर्यावरण–पर्यटन का तात्पर्य है कि पर्यटन तथा प्रकृति संरक्षण का प्रबन्धन इस प्रकार से हो कि एक ओर पर्यटन और पारिस्थितिकी की आवश्यकताएँ पूरी हों और दूसरी ओर स्थानीय निवासियों हेतु रोजगार के नये सुअवसर, आय तथा महिलाओं के लिये और अधिक बेहतर स्तर सुनिश्चित किये जा सकें। पर्यावरण–पर्यटन के विश्वव्यापी महत्व, उसके लाभों तथा प्रभावों को ध्यान में रखते हुये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन् 2002 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण–पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण–पर्यटन वर्ष हमें विश्व स्तर पर पर्यावरण–पर्यटन के मूल्यांकन का सुअवसर देता है ताकि भविष्य में इसका स्थायी विकास सुनिश्चित किए जाने हेतु उपयुक्त साधनों तथा संस्थागत ढांचे को शक्तिशाली बनाया जा सके और इससे अधिकतम आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किया जा सकें।

आधुनिक समय में पर्यावरण–पर्यटन को समस्त रोगों की औषधि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में पर्यटन राजस्व मिलने के साथ–साथ पारिस्थितिकी तन्त्र को कोई नुकसान नहीं पहुँचता क्योंकि इसमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वन–संसाधनों का विदोहन नहीं किया जाता। पर्यावरण–पर्यटन के सम्बन्ध में इन्टरनेशनल इको–टूरिज्म सोसाइटी का मत है कि "पर्यावरण–पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की वह दायित्वपूर्ण यात्रा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण होता है तथा स्थानीय लोगों की खुशहाली बढ़ती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, पर्यावरण–पर्यटन के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अबाधित प्राकृतिक क्षेत्रों की ऐसी यात्रा सम्मिलित है जिसका निर्दिष्ट उद्देश्य प्रकृति का अध्ययन और समादर करना तथा वनस्पति व जीव–जन्तुओं के दर्शन का लाभ उठाना और साथ ही इन क्षेत्रों से जुड़े प्राचीन व आधुनिक सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करना है। आई.यू.सी.एन. (1996) का विचार है कि 'पर्यावरण– पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की पर्यावरण–अनुकूल यात्रा ताकि प्रकृति के साथ–साथ अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक

गुणों की प्रशंसा की जा सके तथा उसका आनन्द उठाया जा सके, जिससे संरक्षण को प्रोत्साहन मिले, पर्यटकों का असर कम पड़े एवं स्थानीय जनता की सक्रिय सामाजिक–आर्थिक सहभागिता का लाभ उठाया जा सके।

निष्कर्षतः उपर्युक्त वार्णित मतों में तीन पक्षों–प्रकृति, पर्यटन तथा स्थानीय समुदाय को भली–भांति रेखांकित किया जा सकता है। यह सार्वजनिक पर्यटन से पूर्णतया भिन्न है क्योंकि सामाजिक पर्यटन में प्रकृति का दोहन सबसे अधिक होता है। संरक्षण, स्थिरता व जैव–विविधता पर्यावरण–पर्यटन के परस्पर सम्बद्ध पक्ष हैं। विकास के एक साधन के रूप में पर्यावरण–पर्यटन जैव–विविधता समझौते के इन तीन आधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकता है।

पर्यावरण–पर्यटन की धारणा को परिभाषित किये जाने के बाद के वर्षो में पहली बार पर्यावरण–पर्यटन के अनिवार्य आधारभूत तत्वों के विषय में जो आमराय बनी है, वह इस प्रकार है– भलीभांति संरक्षित पारिस्थितिकी–प्रणाली पर्यटकों को आकर्षित करती है, विभिन्न सांस्कृतिक और साहसिक गतिविधियों के दौरान एक कर्तव्यनिष्ठ, कम असर डालने वाला पर्यटक–व्यवहार, पुनर्भरण न हो सकने वाले संसाधनों की कम से कम खपत, स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी, जो प्रकृति, संस्कृति तथा अपनी जातीय परम्पराओं के बारे में पर्यटकों को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं और अन्त में स्थानीय लोगों को पर्यावरण–पर्यटन का प्रबन्ध करने के अधिकार प्रदान करना ताकि वे जीविका के वैकल्पिक अवसर अपनाकर संरक्षण सुनिश्चित कर सकें तथा पर्यटक और स्थानीय समुदाय–दोनों के लिए शैक्षिक घटक शामिल कर सकें (यादव, 2002)।

पर्यावरण अनुकूल गतिविधि होने पर पर्यावरण–पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण मूल्यों तथा शिष्टाचार को प्रोत्साहित करना और निर्वाध रूप में प्रकृति का संरक्षण करना है। इस प्रकार यह पारिस्थिति–विषयक अखण्डता में योगदान देकर वन्य जीवों तथा प्रकृति को लाभ पहुँचाता है। स्थानीय लोगों की सहभागिता उनके लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करती है, जो भविष्य में उन्हें अच्छा व आसान जीवन स्तर प्रदान करती है।

पहाड़ियों व घाटियों से परिपूर्ण पारिस्थितिकी तन्त्र प्रकृति की बेजोड़ कृतियां हैं, जिनमें अनेक विशिष्टताएं विद्यमान रहती हैं। इन्हें ईश्वर का वास, शान्ति, स्थिरता तथा संयम के प्रतीक तथा मानव सभ्यताओं के वास– स्थान के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी श्रखलाएँ सूक्ष्म पारिस्थितिकी तन्त्र के अन्तर्गत आती हैं जिनका पृथ्वी पर अक्षय जल स्रोतों , खनिजों तथा वन भण्डारों, समृद्ध जैव विविधता, मनोरंजन के लक्षित स्थानों तथा सांस्कृतिक एकता और विरासत के केन्द्रों के रूप में पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है।

पर्यावरण के गुण (Merits of Environment)

पर्यावरण के गुणों को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है–

(i). स्वच्छता (ii) सामाजिक–राजनीतिक स्थितियां (iii) प्रदूषण रहित क्षेत्र (iv) अनुकूल जलवायु (v) संक्रामक बीमारियों से रहित क्षेत्र (vi) शान्त, विवाद एवं विध्वंस रहित क्षेत्र (vii) मनोहारी संस्कृति (viii) आकर्षक आवासीय सुविधाएँ (ix) मित्रवत व्यवहार (x) मानव मात्र को किसी भी प्रकार की हानि की आशंका का समाधान (xi) उद्योग धन्धों के प्रदूषण से सुरक्षित क्षेत्र।

उपर्युक्त स्थितियां अच्छे पर्यावरण को प्रदर्शित करती हैं और पर्यटक इसके प्रति अभिरूचि के साथ आकर्षित होता है।

संक्षेप में, 'मधुर मनोहर अतीव सुन्दर' पर्यावरण की कल्पना ही पर्यटकों को आकर्षित करती है एवं आने पर सुखद अनुभूति प्रदान करती है।

पर्यावरण में दोष (Demerits in Environment)

पर्यावरण में व्याप्त दोषों को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है–

(i) अस्वच्छता, गन्दगी व अस्वास्थ्यकर स्थितियां (ii) जलभराव एवं कीचड़ की समस्या (iii) सामाजिक समस्या (जातीय व साम्प्रदायिक तनाव) (iv) अत्यधिक गतिविधियों के कारण (बन्द एवं हड़ताल का आयोजन तथा दंगा) (v) अमनोहारी जलवायु (vi) राजनीतिक अस्थिरता (vii) असामाजिक तत्वों का बोलबाला (लूटपाट, चोरी, अपहरण आदि) (viii) अविश्वसनीयता, तथा (ix) मलिन बस्तियां।

उपर्युक्त स्थितियों में पर्यटक का आकर्षण भय में परिवर्तित हो जाता है। फलतः पर्यटक, स्थल के भ्रमण के प्रति अनिच्छा, उत्साहहीनता, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है और उसका पर्यटन स्थल विशेष के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है जबकि इसके विपरीत की स्थितियां पर्यटक में उत्सुकता, जागरूकता, आकर्षण एवं प्रबल उत्कंठा उत्पन्न करने में सहायक होती हैं।

कालिंजर का प्राकृतिक पर्यावरण (Natural Environment of Kalinjer)

कालिंजर क्षेत्र के प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण परिदृश्य तथा कलात्मक वैभव सम्मोहित करने वाले हैं। कालिंजर दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना है, वह दाक्षिणी–पूर्वी विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत आता है। इसकी समुद्रतल से ऊंचाई 381.25 मीटर है। इसी प्रकार कालिंजर क्षेत्र मे कई ऊंची–नीचीं पहाड़ियां स्थित हैं, जो विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों का अंग हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर प्राकृतिक गुफाएं तथा जल के अजस्र व अविरल स्रोत विद्यमान हैं। इनमें पाताल गंगा, सिद्ध की गुफा, भगवान की सेज तथा पानी का अमान, भैरव कुण्ड/ भैरव की झिरिया, मृगधारा, कोटितीर्थ, बुड्ढ़ा– बुड्ढ़ी तालाब, खम्भौर ताल, स्वर्गारोहण ताल, रामकटोरा ताल, शनीचरी ताल, सुरसरि गंगा, बेलाताल, बिलबिली तालाब, कंदहली ताल, गोपाल सागर,

कनक सागर आदि प्रमुख हैं। कालिंजर पहाड़ पर भगवान शिव का प्रसिद्ध व अति प्राचीन नीलकण्ठ मन्दिर है। इस स्थान को भगवान शिव का पवित्र एवं उत्तम निवास स्थान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार –

'नीलकंठ स्तदारम्य गिरौ कालिंजरे स्थितः।
सुक्षेत्रे वसता चैव चतुर्वर्ण फलप्रदः'।।

अर्थात् भगवान नीलकंठ कालिंजर पर्वत पर निवास करते हैं तथा प्राणियों को सभी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार –

'अर्द्धयोजन विस्तीणं सुक्षेत्र मम् मन्दिरम्।
कालिंजरोति विख्यातं मुक्तिदं शिव सन्निधौ।।
सर्वतीर्था वसन्यत्र प्राप्तं चैव युगे–युगे।
कालिंजरे शिवे क्षेत्रो मुक्तिदं शिव सन्निधौ '।।

अर्थात् भगवान शिव का पवित्र एवं उत्तम निवास स्थान का क्षेत्र चार मील विस्तृत है, जो कालिंजर नाम से प्रसिद्ध है तथा भगवान शिव के पास रहने से मुक्ति मिलती है। कालिंजर के शिव क्षेत्र में सभी तीर्थ निवास करते हैं। यह परम्परा युगों–युगों से चली आ रही है। यह शिव स्थान मोक्ष प्रदान करता है।

प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर यह क्षेत्र पौराणिक समय से एक तीर्थ स्थल, तपःस्थली, आराधना व साधना के रूप में भी विख्यात रहा है, जहां विभिन्न ऋषि–मुनियों ने समय–समय पर तपस्या की है। यहां की पहाड़ी श्रंखलाएं व घाटियां आर्थिक दृष्टि से भी धनी रहीं हैं। कालिंजर के समीप स्थित पहाड़ीखेरा क्षेत्र में उत्तम कोटि के हीरे की उपलब्धता, कुठला जवारी के जंगलों में प्राप्त लाल कंकड से सोने का निर्माण, कीट पहाड़ी, चुम्बक पहाडी तथा कौहारी के नजदीक लोहा, तांबा तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सम्बन्ध में जानकारी, कीमती पत्थर की प्रप्ति आदि यहां की आर्थिक समृद्धि के द्योतक थे। इनका यहां की कला तथा संस्कृति के विकास में अमूल्य योगदान था।

यहां पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। कुटज, अर्जुन, अंकोल, बहेड़ा, महुआ, अचार, अमलतास, कनेर, निम्ब, मौलश्री, चन्दन, जामुन, बेल, गूलर, खैर, बांस, साल, सागौन, धवा, तेन्दू, ताड़, खजूर, सीताफल, बेर, झलबेरी, जंगली करौंदा, पाकर, सेज, कुल्लू आदि पेड़–पौधे बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में मूसली, शतावरी, निर्गुण्डी, गुडूची, गुन्जा, गोखुर, कबीला, रतनज्योति, करौंदा, कालाकालेश्वर, अडूसा, मेडकी, असगंध, गुडमार, शरपुंखा, मयूरशिखा, मदनमस्त, घुंघचू ,दुद्धी, लटजीरा, पथरचटा आदि एकवर्षीय अथवा बहुवर्षीय वनौषधियाँ, लताएँ, छोटे–छोटे क्षुप या ऋतुओं के अनुसार पौधे प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह खनिज मण्डूर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में आने वाली औषधीय वनस्पतियों में गोंद, लाख, कत्था, हरड़, बहेरा, आंवला, चिरौंजी, मूसली, मोथा, बिल्व आदि उपलब्ध हैं। यहां के किसान अपने खेतों में हल्दी, धनियाँ, मूसली, केंवाच आदि मूल्यवान औषधियां सामान्यतः उगा लेते हैं।

प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से यह एक रमणीय क्षेत्र है। यहां की पर्वत श्रेणियाँ हरे–भरे वृक्षों से ढ़की रहती हैं, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का दृश्य अत्यन्त सुन्दर और मनमोहक हो जाता है। कटरा सीढ़ी मार्ग व नीलकंठ मन्दिर के समीपवर्ती क्षेत्रों के प्राकृतिक दृश्य (चित्र संख्या–5.1 व 2) में प्रदर्शित हैं। पहाड़ी के ऊपर से आस–पास के निचले क्षेत्र भी काफी अच्छे दिखायी देते हैं। मृगधारा से कुछ दूरी पर तरहटी में प्रवाहित होने वाली बागै नदी व सुखना नाले के दृश्य बहुत ही हृदयस्पर्शी तथा मनमोहक हैं। यहां से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य सभी को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की किरणें जब इन जलाशयों पर अपना प्रकाश डालती हैं तो यह दृश्य अत्यधिक सुहावना तथा मनमोहक लगने लगता है। वृहस्पति कुण्ड के जलप्रपात का दृश्य हिमांचल प्रदेश तथा कश्मीर के प्राकृतिक स्थानों की भांति बहुत सुन्दर प्रतीत होता है। फतेहगंज के समीप स्थित सकरो जलप्रपात का दृश्य बड़ा ही मनमोहक और नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला है। इसके अतिरिक्त कोलुहा जंगल प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है।

कालिंजर क्षेत्र के जंगलों में पाये जाने वाले जीव–जन्तु इस क्षेत्र की सुन्दरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। सघन जंगलों में शेर, तेन्दुआ, चीता, भालू, जंगली सुअर आदि कभी–कभी दिखायी दे जाते हैं। इसके अलावा भेड़िया, स्याही, हिरन, खरगोश, गीदड़, नील गाय आदि जानवर भी पाये जाते हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या तथा वनों की अवैध कटान के फलस्वरूप अब यह जानवर प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। यहां के जलाशयों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पायी जाती हैं। सर्वेक्षण बताता है कि यहां के सरोवरों में लगभग 28 किस्म की मछलियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त केकड़ा, कछुवा, पनिहा सांप आदि भी तालाबों में पाये जाते हैं। सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल खिल जाते हैं और उन पर रंग विरंगी तितलियां नृत्य करती हुयी प्रतीत होती हैं। यह दृश्य देखकरं मन मयूर सा होकर चित्त को आकर्षित कर लेता है।

प्रातःकालीन वेला में यहां का आकाशीय सौन्दर्य नाना किस्म के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो जाता है। वृक्षों से आकाश की ओर, आकाश से वृक्षों की ओर उड़ते हुये पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। इस क्षेत्र में मोर, तोता, तीतर, बटेर, फख्ता, कौवा, सिलगिला, लालमुनैया, कबूतर, गलगलिया, भरतीतर, गौरय्या, जलमुर्गी, बतख, सारस आदि सुबह से शाम तक कलरव करते हुए पर्यटकों को आनन्द प्रदान करते हैं।

कटरा सीढी मार्ग से प्राकृतिक दृश्य

चित्र संख्या 5.1

नीलकण्ठ मंदिर के समीप प्राकृतिक दृश्य

चित्र संख्या 5.2

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज भी यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य काफी आकर्षक है, जो सहज ही पर्यटकों को अपनी ओर लालायित करने की अद्भुत क्षमता रखता है।

कालिंजर के सन्दर्भ में पर्यावरणीय गुण–दोष (Environmental Merits & Demerits in the Context of Kalinjer)

1. शान्त वातावरण– कालिंजर का प्राकृतिक दृश्य शान्ति प्रदायक, सुरम्य एवं आकर्षक है। सम्भवतः इसी गुण के कारण कालिंजर योगियों, तपस्वियों, तान्त्रिकों, शैवों आदि की तपस्थली रहा है। भगवान शिव को भी विषपान के पश्चात् विष की शान्ति हेतु यहां पर विश्राम की किवदन्ती इसी आधार पर प्रचलित है। मन्द समीर एवं मृगधारा, सुरसरि गंगा का कलरव रहित बंद प्रवाह, सीताकुण्ड आदि प्राकृतिक स्थान जहां अपनी अलौकिक छटा बिखेरते हैं, वहां प्रकृति की गोद में बैठकर कुछ क्षण बिताने को मन आकर्षित होता है। पाताल गंगा में उतरने का साहसिक दृश्य भी कम आकर्षक नहीं है। दुर्ग पर स्थित माण्डूक भैरव एवं भैरवी के आसपास का शांत प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को कुछ क्षण यहां बैठने के लिए बाध्य कर देता है तथा उनमें हमेशा इस क्षेत्र को देखने की ललक बनी रहती है।

2. वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रहित क्षेत्र– प्रदूषण की दृष्टि से यह स्थान निश्चत रूप से नितांत प्रदूषण रहित कहा जा सकता है। यहां न तो वायु में कोई प्रदूषण है और न ही ध्वनि प्रदूषण के कोई कारण विद्यमान हैं। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण न होने तथा वानस्पतिक प्रचुरता के कारण शुद्ध एवं सुगन्धित समीर, स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण का निर्माण करती है। कोलाहल रहित वातावरण स्वतः शान्ति का वातावरण निर्मित करता है।

3. मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों की बहुतायता– कालिंजर की प्राकृतिक छटा यहां की छोटी–बड़ी पहाड़ियों , पेड़–पौधों व गुफाओं के कारण अत्यन्त आकर्षक हैं। चाहे प्राकृतिक विभिन्न जल स्रोत या कुण्ड हों अथवा सीतासेज जैसी गुफाओं के अतिरिक्त अन्य गहवर गुफाएँ हों, गुफाओं का आनन्द पर्यटक उठाते हैं। माण्डूक भैरव एवं भैरवी तथा मृगधारा के निकट पहाड़ी के ऊपर से प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित समीपवर्ती निचले क्षेत्र और उनके मध्य बहती जलधारायें हृदयस्पर्शी व मनमोहक दृश्य उपस्थित करती हैं (चित्र. संख्या–5.3)। यही लगता है कि इन दृश्यों को निहारते ही रहें।

4. स्वास्थ्यकारी जलवायु एवं वनस्पति– यहां की जलवायु एवं वनस्पतियां स्वास्थ्यवर्द्धक एवं गुणकारी हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि यहां की वायु प्रदूषण रहित है। जल के स्रोत मीठे एवं औषधीय गुणों से युक्त हैं। यहां औषधीय गुणों से भरपूर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। आयुर्वेदीय औषधि निर्माण में इनका प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। बेल, आँवला, निरगुण्डी, अडूसा, सरकुण्डा, चक्रमड, सेज, अचार आदि के अलावा वर्षा

मुगधारा के समीप प्राकृतिक दृश्य

चित्र संख्या 5.3

प्रदूषित सडक

चित्र संख्या 5.4

ऋतु में उत्पन्न होने वाली औषधियाँ एवं वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं, जिनके संग्रह, उत्पादन एवं वितरण की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

5. दुर्ग के ऊपर पर्यावरण द्वारा तापक्रम का नियंत्रण– दुर्ग के ऊपर विभिन्न कुण्डों में संग्रहित जल व वानस्पतिक आवरण ग्रीष्म ऋतु में तापमान नियंत्रण में प्रमुख योगदान निभाते हैं।

वस्तुतः किसी समय राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा कालिंजर आज एक सामान्य गांव के रूप में अवस्थित है। विकास की दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण पर्यटन एवं पर्यावरण हेतु कोई योजनाबद्ध रूप से कार्य नहीं हो रहा है। स्थानीय ग्रामीण लोगों को पर्यटन की न तो जानकारी है और न ही उसके विकास की कोई योजना। यही हाल पर्यावरण के संदर्भ में भी है। परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों द्वारा पर्यावरण को अनजाने ही निरन्तर क्षति पहुँचाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पर्यटन के महत्व की अज्ञानता एवं उपेक्षा के कारण पर्यटकों के आवागमन एवं स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। मुख्य रूप से ग्रामीण लोग मल त्याग हेतु मुख्य सड़क का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यटकों को दुर्ग के ऊपर पैदल जाने में अत्यधिक गन्दगी का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय दोषों को निम्न बिन्दुओं में व्यक्त कर सकते हैं–

1. गन्दगी– जैसा पहले कहा जा चुका है कि यहां पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, फिर भी अशिक्षा एवं अरूचि के फलस्वरूप सड़कों पर मल त्याग की समस्या मुख्य रूप से है। दैनिक कचड़ा निस्तारण की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है (चित्र संख्या–5.4)। इस समस्या को थोड़े से प्रयास से जागरूकता उत्पन्न कर बिना किसी बड़ी योजना के हल किया जा सकता है। यदि आवश्यकता है, तो केवल सामाजिक चेतना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं पर्यटन के महत्व को समझने की।

2. असुरक्षा– यहां का पर्यावरण यद्यपि पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से बहुत अच्छा है किन्तु जंगलों ,गुफाओं, झाड़ियों एवं भौगोलिक संरचना के साथ–साथ अन्तर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाकर कुछ अराजक तत्व कभी–कभार बाहर से आने वाले पर्यटकों को आर्थिक एवं शारीरिक क्षति पहुँचाते हैं। इसलिए क्षेत्रीय, घरेलू पर्यटक भी सभी दुर्गम स्थानों में अकेले व परिवार के साथ जाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर इस समस्या का स्वतः समाधान होने की सम्भावना है। तथापि पर्यावरण एवं पर्यटकों– दोनों की सुरक्षा हेतु ध्यान दिये जाने की महती आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वनों के संरक्षण एवं सम्वर्धन, विभिन्न प्रजातियों की औषधियों के रोपण, उत्पादन आदि की दृष्टि से वन सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति से भी असुरक्षा की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। सुरक्षा स्थापित रखने के साथ–साथ ये कर्मी ग्रामीणों व पर्यटकों को वातावरण में अनावश्यक गन्दगी न फैलाने के प्रति निर्देश भी दे सकते हैं।

3. जल प्रदूषण– सामान्यतया यहां गाँव एवं दुर्ग की तरहटी में हैण्डपम्पों/चापाकलों से पेयजल सुविधायें तो ठीक हैं परन्तु इनके कारण कुओं का उपयोग बन्द हो जाने से उनका जल अत्यन्त गन्दा व अपेय है। उपयोग न होने के कारण ये गन्दगी, मच्छरों/कीट–पतंगों का आश्रय केन्द्र बन गये हैं। यही नहीं तालाब भी अब गन्दगी के भण्डार बन गए हैं। दुर्ग के नीचे स्थित बेलाताल (चित्र संख्या–5.5), महेश्वरीदेवी ताल, बिलबिली ताल आदि का जल काफी गन्दा है। तलछट भर जाने से यह उथले हो गए हैं। लोगों ने तालाबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार दुर्ग के ऊपर कई तालाब हैं, जो अपना आकर्षण तो बनाये हुये हैं किन्तु जल में पर्याप्त काई, कूड़ा–करकट व तलछट भरा होने से वह अपनी निर्मलता एवं रम्यता, आभा को निखार पाने में असमर्थ से प्रतीत होते हैं। बुड्ढ़ा–बुड्ढ़ी तालाब में लगभग 10 फिट तलछट भरा है। इसी प्रकार अन्य तालाबों की स्थिति है। निर्मल एवं स्वच्छ जल का आकर्षण एवं छटा अलग ही दिखायी पड़ती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ वर्ष पहले इन पोखरों का जल स्वच्छ, निर्मल व प्रदूषण रहित था किन्तु उचित रख–रखाव के अभाव एवं उपेक्षा के कारण पोखरों के सौन्दर्य को काफी क्षति पहुँची है। इस सम्बन्ध में मिश्र (1999) की यह टिप्पणी सत्य प्रतीत होती है कि गांवों को छवि प्रदान करने वाले तालाब अब कहां हैं? जो हैं, उनमें अधिकांश सूख गये हैं और बचे हुये तालाबों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। झील तथा तालाब की संस्कृति तथा प्रथा से हम दूर हो गये हैं। उनसे हम नफरत करने लगे हैं। उन्हें हमने कूड़ा–करकट, विषाक्त मल–जल और गन्दगी का आगार बना दिया है। शौचालयों के अभाव में ग्रामवासी इन्हीं तालाबों और झीलों के किनारे खुले में मल–मूत्र त्याग करते हैं और उसी पानी में मल–मूत्र की सफाई करते हैं। इतना ही नहीं, वह इनमें स्वयं तो नहाते ही हैं, साथ ही पशुओं को भी स्नान कराते हैं। रसोई के बर्तन धुलते और कपड़े साफ करते हैं। इससे इन ताल–तलैय्यों का पानी इतना गंदला तथा प्रदूषित हो गया है कि जल का रंग हरा हो गया है, जिसे पीते ही लोगों का जी मिचलाने लगता है।

4. वनों की कटान– घरेलू एवं व्यावसायिक मांग के कारण हर जगह वनों की सतत् कटान जारी है जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसान देय है। कालिंजर के परिप्रेक्ष्य में यह कोई अपवाद नहीं है। यहां भी बड़े वृक्षों की कटान उपरोक्त कारणों से निरन्तर जारी है। पर्यटन के विकास की दृष्टि से भी सड़कों, होटलों, अतिथिगृहों आदि के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता पड़ेगी और उस समय भी पेड़–पौधों को काटा जायेगा तथा उन्हें क्षति पहुंचायी जायेगी। ऐसी स्थिति में पर्यटन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थानिक वनस्पतियों व जीव–जन्तुओं को बगैर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये विकास कार्यों का संचालन किया जाय। इसके लिए ऐसी भूमि का चयन विकास हेतु

बेलाताल का प्रदूषित परिदृश्य

चित्र संख्या 5.5

बकरियों द्वारा पर्यावरण को छति

चित्र संख्या 5.6

किया जाय, जहां पर इस क्षति से बचा जा सके। दुर्ग के नीचे स्थित ऊसर–बंजर भूमि पर इस प्रकार के निर्माण कार्य किये जाए।

5. पशुओं द्वारा पर्यावरण को क्षति– यद्यपि पशु एवं अन्य जीव–जन्तु पर्यावरण को एक आकर्षक रूप प्रदान करते हैं एवं उसे संरक्षित करने में भी इनका कुछ योगदान रहता है। परन्तु इनकी अधिकता पर्यावरण को पर्याप्त क्षति भी पहुँचाती है। वनस्पतियों, पेड–पौधों को इनके द्वारा पहुँचाई गयी अपूर्णीय क्षति की भरपाई तत्काल सम्भव नहीं होती। पशुपालकों द्वारा स्थानीय वाटिकाओं, जंगलों, पार्कों, वानस्पतिक रूप से आकर्षित स्थानों को पशुओं के चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे वानस्पतिक क्षति होने के साथ–साथ उनके आकर्षण में भी कमी आती है (चित्र संख्या–5.6)।

कालिंजर क्षेत्र में यह समस्या विकराल रूप में विद्यमान है। दुर्ग के ऊपर गाय, बैल, बकरी, भैंस, खच्चर आदि पालतू पशु बिना किसी रोक–टोक के चरते रहते हैं तथा यहां के वानस्पतिक आवरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए अलग से चारागाह की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे पशुपालकों तथा उस स्थान–दोनों को कोई क्षति न हो।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य बाते भी हैं, जो पर्यटन विकास के संदर्भ में स्थानीय निवासियों के मन में पर्यटन के प्रति उपेक्षा एवं घृणा का भाव पनपाते हैं। उदाहरणार्थ– किसी अवसर विशेष में जब पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ती है, तब उनके द्वारा यहां जल, ईंधन, भोजन सामग्री आदि का उपयेाग भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी इस कमी से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए वे पर्यटकों की बढ़ी हुई जनसंख्या को अपने संसाधनों की कटौती के रूप में देखते हैं।

पर्यटकों की बढ़ी हुयी संख्या आवासीय व्यवस्था की समस्या को जन्म देती है। बिना किसी योजना एवं रणनीति के निम्न स्तर के अस्वास्थ्यकर स्थितियों वाले आवास स्थानीय लोगों द्वारा बना लिये जाते हैं। उनमें न तो वास्तुकला का ही ध्यान रखा जाता है और न स्थानीय रीति–रिवाजों का ही चित्रण किया जाता है। इनके द्वारा निकाली गई मिट्टी, कचड़ा आदि भी निकलने में बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार एक आकर्षक वातावरण से युक्त आवासीय अवस्थापनाओं का अभाव दृष्टिगत रहता है। यह दृश्य पर्यटक के मन में वितृष्णा का भाव भरते हैं तथा स्थानीय आकर्षण भी दिखायी नहीं देता।

पर्यटक स्थलों में पर्यटकों द्वारा छोड़ा गया कूड़ा–करकट, मल, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, थैलियां आदि के निस्तारण की समुचित योजना न होने से इन्हें पर्यटक या तो पानी में अथवा नाली में फेंक देते हैं या वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे गन्दगी, दुर्गन्धयुक्त जल भराव आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

ज्यों–ज्यों पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, त्यों–त्यों आवागमन के साधन भी बढ़ जाते हैं। परिणामस्वरूप पर्यटकों के द्वारा लाये गये वाहनों एवं भीड़ के शोरगुल से पर्याप्त ध्वनि प्रदूषण होने लगता है, जो पर्यटक एवं स्थानीय लोगों के कानों को क्षति पहुंचाते हैं। साथ ही मानसिक तनाव भी उत्पन्न करते हैं। वाहनों एवं उनके हार्न की ध्वनि से जंगली जीव भी परेशान होते हैं तथा उनमें भय एवं व्यावहारिक परिवर्तन का संचार होने लगता है।

पर्यटन विकास के साथ–साथ पर्यटक स्थल पर अनियोजित एवं अनियंत्रित पारिस्थितिकीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिये पेड़ों को काटने तथा ऊँची–ऊँची इमारतें बनाने के लिये पहाड़ों को छीलकर समतल करने से पारिस्थितिकीय स्थितियाँ काफी प्रभावित होती हैं। इससे मिट्टी का कटाव, जंगली जीव–जन्तु एवं वनस्पति की अपूर्णीय क्षति होती है। पहाड़ों पर ऐसे विकास के कारण भू–स्खलन की घटनाएं आम हो गई हैं। मिट्टी के कटाव एवं बहाव के कारण नदियों की तरहटी में उनका जमाव होने लगता है और उनकी गहराई कम होने लगती है। फलतः मानव, पेड–पौधों, थलीय एवं जलीय जीव–जन्तुओं को असमय बाढ़ का सामना करना पड़ता है।

विकसित पर्यटक स्थलों के अध्ययन एवं अनुभव से यह प्रतीत हुआ है कि इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियां, वैश्यावृत्ति का धन्धा एवं जुआँ संगठित गिरोहों द्वारा संचालित होने लगते हैं जिन्हें सामाजिक प्रदूषण के रूप में इंगित किया जा सकता है।

पर्यटन का पर्यावरण पर प्रभाव (Effect of Tourism on Environment)

ऐतिहासिक, पुरातात्विक व पर्यटन स्थलों के रखरखाव हेतु पुरातत्व व पर्यटन विभाग काफी प्रयत्नशील हैं, अन्यथा यह क्षेत्र उपेक्षित एवं तिरस्कृत बचे रहते। कुछ पर्यटकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे इन स्थलों में अपने नाम की आकृतियाँ घसीटकर लिख देते हैं, जिससे इनमें खरोंच पड़ जाती है। फलतः इन स्थलों के संरक्षण को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी भी ऐतिहासिक स्थल में देखी जा सकती है। किसी पुरातात्विक स्मारक से कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकालना या किसी ढीले हिस्से को अलग कर देना पर्यटकों की एक अन्य प्रवृत्ति है जो इन स्थलों को प्रभावित करती है। पर्यटक इस तथ्य से अज्ञान बने रहते हैं कि यह संसाधन पुनर्नवीन योग्य नहीं हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शासन द्वारा इन स्थलों में नृत्य महोत्सव आयोजित किये जाते हैं, वे भी इस सच्चाई से अज्ञान बने रहते हैं। पुरातात्विक स्मारकों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचाई जाय। ममताशून्य होकर पेड़–पौधों को नुकसान पहुँचाना व जीव–जन्तुओं को सताना अब पर्यटकों की नियति सी बन गई है। यही नहीं पर्यटक अपनी बुराइयां तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ छोड़ जाते हैं। स्थानीय रीति–रिवाजों का माखौल उड़ाते हैं।

पर्यटक न केवल पुरातात्विक स्मारकों को प्रभावित करते हैं बल्कि पूर्वजों से विरासत में प्राप्त सांस्कृतिक स्थलों के गुणों को भी बदलने में संलग्न रहते हैं। पश्चिमी बंगाल में शान्ति निकेतन व बुन्देलखण्ड (उ0प्र0) में चित्रकूटधाम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन स्थलों में आधुनिक ढंग से निर्मित होटल एवं जलपानगृह, सांस्कृतिक भूदृश्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। विशेषतया शान्ति को भंग करते हैं। प्राकृतिक वास तथा वनों का आकार तेजी से सिकुड रहा है। पर्यटन उद्योग की वजह से वन कटाई जैसी गतिविधियों को बल मिला है। साथ ही सड़क एवं भवन निर्माण तथा वाहनों विशेषतया भारी वाहनों की आवाजाही से पहले से कमजोर पर्वत श्रेणियों पर अपकर्षक दबाव बढ़ा है।

अतीत में हरीतिमा संवर्द्धन हमारे धार्मिक कृत्यों का महत्वपूर्ण अंग था। यह हिंसा से काफी दूर ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया'' के आदर्श स्तम्भ पर टिका था किन्तु आधुनिकता तथा कृत्रिमता की अन्धी आंधी ने उसे धराशायी करके निर्मूल कर दिया है (मिश्र, 1997)। यही कारण है कि आज पहाड़ी श्रेणियां व उनका प्राकृतिक परिदृश्य अस्थिरता की स्थिति में है। निचले क्षेत्रों के पर्यावरण की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति अधिक दयनीय है। अस्थिर वानिकी तथा कृषि पद्धतियों के फलस्वरूप पर्वतीय पारिस्थितिकीय तन्त्र का ह्रास हो रहा है, जो अक्सर बढ़ती हुई आबादी तथा गरीबी का प्रतिफल है। ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय एवं पर्यटकीय गुणों को ध्यान में रखना एवं तद्नुसार योजना एवं उनका क्रियान्वयन आवश्यक है।

सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों के अर्थपूर्ण सहयोग से भीड़–भाड़ युक्त पर्यटन की बुराइयों से सांस्कृतिक/धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इन सभी स्थलों के चतुर्दिक पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार को इन सभी स्थानों में पर्यटकों व पर्यटन में संलग्न सभी विभागों को सख्त दिशा–निर्देश प्रदान करना चाहिए। स्थानीय गैरसरकारी संगठन भी इन दिशा–निर्देशों को लागू कराने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं।

प्रकृति से मोह भंग कर सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। प्रकृति की गोद में रहकर जो नैसर्गिक सुख तथा प्रसन्नता प्राप्त होती थी, वह कृत्रिमता से परिपूर्ण जीवन में लाख प्रयत्न करने पर भी कैसे प्राप्त हो सकती है? जीवन संग्राम में मनुष्य इतना उलझ चुका है कि प्राकृतिक सौन्दर्य की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। नदी–झरनों का कलनाद, पक्षियों का कलरव, स्वच्छन्द भाव से बहती शीतल हवा के स्पर्श का असीम आनन्द भला कृत्रिम साधनों से कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रदूषण से ग्रसित मानव में आज वह चिन्तन व सोंच की दिशा नहीं रह गई है, जो पहले थी (मिश्र, 1994)।

पहले पुष्य का कार्य समझकर छायादार तथा फलदार पेड़ लगाये जाते थे, कुएं तथा तालाब खुदवाये जाते थे लेकिन आज पेड़ों को काटना तालाबों को अपने कब्जे में कर लेना,

उन्हें पाटना तथा उनमें गन्दगी डालना आम बात है। अब तो स्थिति यह है कि अधिकांश तालाब प्रदूषण के आगार हो गये हैं (मिश्र, 1997)। इस प्रकार निरन्तर बढ़ते हुए प्रदूषण से प्राकृतिक सुन्दरता खतरे में पड़ गई है। निरन्तर बढ़ते हुये प्रदूषण तथा अधाधुंध प्रयोग में लाए जाने वाले वैज्ञानिक साधनों के कुप्रभाव से आज उस अमृत तत्व का लोप हो चुका है जो सुखी और स्वस्थ्य जीवन का स्रोत था (मिश्र,1995)।

पर्यटन उद्योग के लिये पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि पर्यावरणीय गुण जो कि पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है, समुचित ढंग से व्यवस्थित नहीं है तो अन्ततः पर्यटन के अनियोजित एवं अनियंत्रित वृद्धि के फलस्वरूप पर्यटक राजस्व में कमी आयेगी तथा यह कथन सामान्यतः सत्य प्रतीत होगा कि ''पर्यटन–पर्यटन उद्योग को स्वंय नष्ट करता है''। इससे छुटकारा पाने के लिये यह आवश्यक है कि पर्यटन क्रियाकलापों का परिमाण एवं आकार पर्यावरण की निर्वहन क्षमता एवं संवेदनशीलता के आधार पर सन्तुलित हो।

1992 में रियोडिजनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय ''शास्वत विकास'' की संकल्पनाओं पर आधारित था। यह प्रयास हमें भावी पीढ़ी की खुशहाली के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास हेतु चिन्तन प्रदान करने की ओर प्रेरित करता है। चूंकि पर्यटन और पर्यावरण परस्पर अन्तर्निर्भर हैं, इसलिए पर्यटन केन्द्रों के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु यह आवश्यक है कि पारिस्थितिकी तन्त्र का किसी भी दशा में अवनमन न होने पाये अन्यथा पर्यटन–पर्यटन उद्योग को स्वयं नष्ट कर देगा, इसलिये पर्यटन उद्योग में दीर्घकालीन समय तक जीवन्तता कायम रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के लिए एक शाश्वत सिद्धान्त की स्थापना की जाय।

पर्यटकों की क्रियायें, पर्यटन केन्द्रों की प्रकृति एवं संस्कृति के सन्दर्भ में सम्मानजनक होनी चाहिए। इस उपाय से पर्यटन अपनी सम्पूर्ण क्षमता एवं निश्चित कार्यों से स्थान, समुदाय तथा अभ्यागतों को लाभ प्रदान करने में सक्षम होगा। इसलिए पर्यटन एवं पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध को दीर्घकाल तक जीवन्तता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में पर्यावरणीय अभिकर्ताओं द्वारा वर्तमान समय में सामान्य जागरूकता आन्दोलन चलाया जा रहा है, जिसे नव पर्यटन के नाम से विभिन्न रूपों में जाना जाता है यथा–शाश्वत पर्यटन, वैकल्पिक पर्यटन, शस्य पर्यटन अथवा पारिस्थितिक पर्यटन, सामूहिक रूप से इसे उत्तरदायी (जवाबदेह) पर्यटन कहते हैं, जो पर्यावरण का संरक्षण करता है तथा स्थानीय जनसंख्या के अमानवीयकरण तथा शोषण को प्रतिबन्धित करता है।

उत्तरदायी / जवाबदेह पर्यटन के विभिन्न उपसर्गों के मध्य पारिस्थितिक पर्यटन दुनिया भर में अत्यधिक लोकप्रिय है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों को बिना कोई क्षति पहुंचाये अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्ययन, भ्रमण एवं प्रशंसा करना ही वास्तव में यात्रा

है। आज बढ़ते हुये पर्यावरण अवनमन के फलस्वरूप आशानुकूल आर्थिक लाभों को प्रदान करने में असफल होने के लिये जनसमूह पर्यटन की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। पारिस्थितिकी पर्यटन की प्रोन्नति से पर्यटकों के कार्य तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य उत्पन्न संघर्ष को हल किया जा सकता है। पारिस्थितिक पर्यटन के माध्यम से पर्यावरणीय गुणों का संरक्षण तथा पर्यटकों का आनन्द साथ–साथ चलते हैं, जो इस प्रकार दीर्घसमय तक आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र को लाभ पहुंचाते रहेंगे। पारिस्थितिक पर्यटन के विभिन्न लक्ष्यों को (चित्र संख्या– 5.7) के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के उपाय (Means of Environmental Conservation & Development)

पारिस्थितिक पर्यटन और कुछ नहीं बल्कि पारिस्थितिकी के शाश्वत विकास की प्राप्ति का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य जीवन के बुनियादी तंत्र को बिना कोई नुकसान पहुंचाये मानव को अधिक से अधिक खुशहाली प्रदान करना है। इसलिए इसे विकसित विश्व से विकासशील विश्व में आयातित संकल्पना का नाम देना तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि पौराणिक समय से ही हमारे यहां प्राकृतिक जगत के संरक्षण के साथ–साथ मानव जगत की खुशहाली की अवधारणा प्रचलित है। इसी के तहत पेड़–पौधों व जीव–जन्तुओं की पूजा होती थी और उन्हें आदर दिया जाता था। पारिस्थितिकी पर्यटन मे पर्यावरणीय संसाधनों को क्षति पहुँचाने वाले पक्षों के अलावा पर्यटन के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। हमारे देश में वन एवं जीव–जन्तुओं के संरक्षण की परम्परा को बल प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय संरक्षण अन्दोलन के एक हिस्से के रूप में पारिस्थितिकी पर्यटन को समुन्नत करने पर जोर दिया जा रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पेड़–पौधों एवं वन्य जीव–जन्तुओं के संरक्षण हेतु कड़ा विधान बना था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये पर्यटन क्षेत्र के नियोजकों ने भारत की वन्य जीव विविधता को संरक्षित एवं विकसित करने के लिये योजनायें तैयार करने का वीणा उठाया है और उन्होंने यह माना भी कि यदि भारत में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों के वन्य प्राणियों को इसी प्रकार संरक्षणं प्रदान किया जाता रहा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने में सहायक होंगे।

वस्तुतः दुनिया भर में पर्यटन तंत्र बड़ी तेजी से बदल रहा है। न केवल समृद्ध व्यक्ति बल्कि युवा पीढ़ी तथा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध समूहों की वन्य जीव जन्तुओं के प्रति बढ़ती संरक्षण की रूचि, प्रजातीय परम्परायें तथा प्राकृतिक भूदृश्य के सौन्दर्य के प्रति आकर्षण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में दृष्टिगत होती है। वे अपने आवास हेतु बहुमंजली होटल की मांग नहीं करते। यह वे यात्री है जो वातानुकूलित आवास स्थानों व जलपान गृहों की अपेक्षा व्यक्ति, स्थान, रीति–रिवाज तथा संस्कृतियों के प्रति अधिक रूचि रखते हैं (सिंह, 1986)। देश में पारिस्थितिक

पारिस्थितिकीय पर्यटन के लक्ष्य

चित्र संख्या–5.7

पर्यटन की प्रोन्नति के क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ताओं के लक्ष्य समूह के रूप में विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में भारत में स्पष्ट रूप से पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं। अतः सुनियोजित ढंग से समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इसकी विशाल सम्भाव्यता को साहसिक रूप से परिवर्धित करने का प्रयास करना होगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) द्वारा पहले से ही पारिस्थितिक पर्यटन के क्रम में देश में वन्य प्राणियों एवं प्राकृतिक पेड़–पौधों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा हैं। भारत सरकार भी न केवल विदेशी पर्यटकों बल्कि घरेलू पर्यटकों के लिये भी पारिस्थितिक पर्यटन की प्रोन्नति हेतु योजना बना रही है। जयपुर में 02 मार्च 1996 को उत्तर भारत के होटल एवं जलपान संगठन (HRANI) की आम सभा में पर्यटन निदेशक अशोक पहवा ने इस सन्दर्भ में सरकार की योजना को स्पष्ट करते हुये कहा था कि दो वर्षों के अन्तर्गत सरकार अपने नागरिकों को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण उद्देश्य के सम्बन्ध में सलाह देगी। यदि हम उनकी जरूरतों के साथ सम्बन्ध नहीं रखते तो हम इसके साथ नहीं चल सकते। पर्यटन उद्योग का भविष्य देश के संसाधनों के निर्यात के बिना विदेशी मुद्रा को कमाना है तो पारिस्थितिक पर्यटन को हर दृष्टि से समुन्नत करने की दिशा में प्रयत्न करना होगा। देश के वर्तमान पर्यटन उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि पर्यटन को पर्यावरणीय मित्रता के साथ स्थापित करके चलें।

कालिंजर क्षेत्र में पर्यावरण–पर्यटन की व्यापक सम्भावनाएं विद्यमान हैं जिनका दोहन आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य परीक्षण और प्रकृति संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण–पर्यटन, पर्यटकों में शिक्षा तथा सक्रियता का स्तर बढ़ा सकता है तथा उन्हें संरक्षण का अधिक उत्साही तथा प्रभावशाली एजेन्ट बना सकता है। पारम्परिक कलाएं, हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत, नाटक, पारम्परिक उत्सवों तथा तीज–त्योहारों का संरक्षण और नवीनीकरण तथा परम्परागत जीवन शैलियों के कुछ पक्ष सीधे पर्यटन से जोड़े जा सकते हैं।

यद्यपि पर्यावरण–पर्यटन उद्योगों के विकास में कुछ चुनौतियां है जैसे–नीतिगत व्यापार योजनाओं का अभाव, प्रशिक्षित स्थानीय प्राकृतिक गाइडों की कमी, उपयुक्त विपणन तकनीकों का अभाव, विकास परियोजनाओं में सामुदायिक सहमति प्राप्त करने के तरीकों का अभाव और बुनियादी ढ़ांचे का अभाव आदि।

पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विकास के जिन पक्षों पर जोर दिया गया और जिनका प्रभाव पर्यटन की भौतिक आयोजना पर पड़ा, वे निम्नलिखित है–

1. लोकप्रिय पर्यटन केन्द्रों का विकास।
2. सामाजिक–सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए पर्यावरणीय ढ़ाचे के अन्दर तेजी से बढ़ते हुये पर्यटन बाजार में प्रवेश।
3. सांस्कृतिक/ऐतिहासिक स्थलों का महत्वांकन।

प्राकृतिक वास की पर्यटन योजना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निम्नांकित विश्लेषणात्मक अध्ययन की नितांत आवश्यकता है।

1. प्राकृतिक पर्यावरण पर विकासात्मक प्रभाव का विश्लेषण।
2. पर्यटक संसाधनों तथा आधारभूत ढाचे से सम्बन्धित आवश्यकताओं का मूल्यांकन।
3. स्थानिक वहन क्षमता तथा ऐसे ही अन्य पक्षों के अनुरूप विकास के विभिन्न द्वार स्थापित करना।

(i). पर्यावरण–पर्यटन की भूमिकाओं को परिभाषित करना;
(ii). प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भू–परिदृश्यों का संरक्षण एवं प्रबन्धन;
(iii). स्थानीय जनता की भागीदारी;
(iv). पर्यावरण–पर्यटन के विकास हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन;
(v). पर्यावरण–पर्यटन के विकास हेतु उचित दिशा–निर्देश;
(vi). आदर्श पर्यावरण–पर्यटन कार्यक्रम की रूपरेखा का सृजन;
(vii). स्थानीय प्राकृतिक गाइडों के लिए कारगर प्रशिक्षण कार्यक्रम;
(viii). कूड़े–कचड़े के निपटान की व्यवस्था;
(ix). जल संरक्षण;
(x). अपशिष्ट को फिर से काम में लाने की व्यवस्था;
(xi). स्थानीय समुदाय को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यावरण–पर्यटन से प्राप्त आय का कारगर तरीके से उपयोग।

चूंकि पर्यटन विकास योजना में पर्यावरण संरक्षण एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस योजना में पर्यावरण संरक्षण की योजना एवं इसका शाश्वत विकास अनिवार्य है। यदि पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो प्रभाव एवं परिणाम ऋणात्मक होगे। इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धांतों का परिपालन एवं परिचालन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अवस्थापना सुविधाएं एवं ऋणात्मक प्रभाव वाली स्थितियां जैसे–जल प्रदूषण, मलोत्सर्जन, कूड़ा–कचरा आदि का प्रभावी वैज्ञानिक निस्तारण आदि न होना तथा किसी विशेष ऋतु, विशेष तिथि या पर्व में पर्यटकों की होने वाली भयंकर भीड़ को नियंत्रित तथा सुरक्षित रखने के साथ–साथ शुद्ध पेयजल व्यवस्था, मलोत्सर्जन एवं मल निष्कासन की व्यवस्था, कूड़ा–कचरा के निपटान की व्यवस्था यदि पहले से ही ध्यान में नहीं रखी जाती है तो पर्यावरण एवं पर्यटकों के साथ–साथ पर्यटक स्थल एवं वहां के निवासियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कभी–कभी ऐसी स्थिति में जनहांनि की सम्भावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में यातायात के साधनों की सरल उपलब्धता जहां भीड़ को नियंत्रित करने व दुर्घटना को रोकने में सहायक होती है, वहीं पर्यावरण को भारी मात्रा में हांनि पहुँचाती है।

वर्तमान समय में कालिंजर में मुख्य रूप से चार समस्यायें पर्यावरण एवं पर्यटन की दृष्टि से परिलक्षित होती हैं– (i) शुद्ध पेयजल व्यवस्था (ii) मल एवं कूड़ा–कचरे का निपटान, (iii) अन्ना प्रथा तथा (iv) यातायात के साधनों का अभाव। यहां पर दुर्ग के ऊपर हो रहे सड़क निर्माण से भी प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है, जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है ताकि प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। इसके लिये त्वरित उपाय की आवश्यकता है। दुर्ग के ऊपर एवं नीचे पर्यटकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अपर्याप्त है। ग्रीष्म ऋतु में पर्यटकों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने से अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार स्थानीय निवासियों द्वारा प्रमुख मार्ग पर मल त्याग करना, कूड़ा–कचरा फेंकना एवं सड़े–गले सामान व मरे पशुओं को सड़क के किनारे फेंक देना स्वच्छ पर्यावरण के लिये गम्भीर समस्या है। अभी तक स्थानीय निवासियों को इस बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तथा न ही इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। इसलिए यहां के निवासियों को वैज्ञानिक मल निष्कासन, कूड़ा–कचरे के निपटान आदि के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के साथ–साथ शौचालयों के निर्माण, कूड़ा–कचरे को खाद के रूप में परिवर्तित करने हेतु गड्ढ़ों का निर्माण आदि की दिशा में ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है।

REFERENCES

1. पद्म पुराण, पातालखण्ड, उमा–महेश्वर संवाद, श्लोक 7 एवं 15।
2. International Eco-Tourism Society, 1991.
3. मिश्र, कृष्ण कुमार (1995), बढ़ते हुये पर्यावरण प्रदूषण से गांवों की अस्मिता खतरे में, कुरूक्षेत्र, वर्ष 40, अंक–8, जून 1995, पृ0 7–8।
4. मिश्र, कृष्ण कुमार (1997), गांवों के विकास में ताल–तलैय्यों की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष 42, अंक–4–5, फरवरी–मार्च 1997, पृ0 59–61।
5. मिश्र, कृष्ण कुमार (1999), प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग से गांवों की अस्मिता खतरे में, कुरूक्षेत्र वर्ष 44, अंक–4, 04 फरवरी, 1999, पृ0 21–23।
6. मिश्र, कृष्ण कुमार (1999), बढ़ते हुये जल प्रदूषण से ग्राम्य जीवन संकट में, कुरूक्षेत्र, वर्ष 45, अंक–2, दिसम्बर 1999, पृ0 32–34।
7. World Tourism Organization.
8. World Conservation Union, 1996 (IUCN, 1996).
9. यादव, श्रीमती संतोष (2002), पर्यावरण–पर्यटन समस्यायें और सम्भावनाएँ, रोजगार समाचार, नई दिल्ली, 17–23 अगस्त, खण्ड–27, अंक–20, पृ0 1–3।

अध्याय - षष्ट

सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष

सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष
(Social and Cultural Aspects)

पर्यटन में सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में आयोजित मेलों, तीज–त्योहारों, लोगों के रहन–सहन, वेशभूषा, रीति–रिवाज व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में यह कालिंजर क्षेत्र के गौरवमयी इतिहास का आधार रहे हैं। उसी गौरव के साथ यहां के निवासी सभी पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तथा विभिन्न मेलों एवं तीज–त्योहारों का आयोजन करते हैं।

(अ) मेले एवं त्योहार (Fairs and Festivals)

मेले (Fairs)

मेले एवं त्योहार वस्तुतः समाज के उत्सव हैं। यह एकता तथा मेलजोल के साधन हैं। मेले में लोग एकत्रित होकर किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनोरंजन करते हैं। इन मेलों में दूर–दूर से व्यापारी वर्ग एवं दर्शक आते हैं और विभिन्न वस्तुओं का क्रय–विक्रय करते हैं।

हमारे देश में अधिकतर मेले किसी देवी–देवताओं की स्मृति अथवा पूजा की दृष्टि से मनाए जाते हैं।प्रत्येक मेले के पृष्ठ में कोई न कोई आन्तरिक कारण छिपा रहता है। धार्मिक दृष्टि के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी मेलों का आयोजन किया जाता है। मेले में मनोरंजन वृद्धि के साथ –साथ आपस में विचारों का आदान–प्रदान भी अच्छे ढ़ंग से सम्पन्न होता है। दंगल तथा कृषि, स्वास्थ्य, साक्षरता आदि से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ने के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक तथा मानवीय पक्षों में जागृति होती है। मेले से लोगों को नई–नई वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य भू–भागों में सम्पन्न होने वाले मेलों के समान कालिंजर मे भी विभिन्न समयों में निम्नांकित मेले आयोजित किये जाते हैं। ग्राम्यवासी यथासम्भव इन मेलों के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्साह के साथ चन्दा भी देते हैं।

(1) कजली का मेला – चित्रकूटधाम मण्डल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महोबा में सम्पन्न होने वाले कजली मेले के समान कालिंजर में भी चन्देल शासन काल से कजली मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जिसे हरियाली तीज के नाम से पुकारा जाता है, ग्रामीण बालिकाएं किसी पवित्र स्थान से बीज बोई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी लाती हैं तथा उस मिट्टी को मिट्टी के ही बने पात्रों में भरकर गेहूँ व जौं बो दिया जाता है। यह उपजाऊ तथा शुद्ध बीज का एक प्रकार से प्रायोजित परीक्षण होता है। बीज बोने के पीछे एक उद्देश्य हरियाली उगाने तथा स्वास्थ्य हित की कामना भी है। इस प्रकार के पात्र को लोग अपने–अपने घरों में किसी पवित्र स्थान में रखते हैं तथा जल छिड़कते

रहते हैं। पूर्णिमा तक उसमें खूब हरे–भरे पौधे उग आते हैं जिसे रक्षाबन्धन के दूसरे दिन बिसर्जित करते हैं। रक्षा बन्धन के दूसरे दिन प्रातः काल से कजली मेला की तैयारी प्रारम्भ हो जाती है। इस मेले में कुछ सम्पन्न परिवार की महिलाएं हांथी पर कजली रखकर तथा अन्य महिलाएं अपने सिर पर कजली रखकर देवी व सावन गीत गाते हुये अथाई देवी मन्दिर पहुँचती हैं तथा देवी जी पर जवारे खोटकर चढ़ाती हैं। इस स्थान पर जब सभी महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं तब समूह गान करती हुयी महिलायें गांव के प्रमुख मार्ग से होती हुयी पुलिस स्टेशन के पास से बेलाताल पहुँचती हैं। महिलााएं हांथ में कजली लिये हुये बेलाताल की सीढ़ियों पर कतारबद्ध होकर विसर्जन के इन्तजार में खड़ी हो जाती हैं। यह दृश्य धार्मिक दृष्टि से ओत–प्रोत एवं बड़ा ही मनोरम लगता है। ढ़ोल बजाते ही सभी महिलाएं कजली विसर्जन का कार्य प्रारम्भ कर देती हैं और कुछ ही समय में यह कार्य पूर्ण हो जाता है। इस मेले में लगभग 10–12 हजार तक की भीड़ एकत्रित हो जाती है। प्रमुखतः यह एक स्थानीय मेला है, जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। कजली विसर्जन के पश्चात् लोग कजली लेकर एक–दूसरे के गले मिलते हैं तथा बड़े ही पारम्परिक ढंग से यह मेला/त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर वृक्षों में झूले डाले जाते हैं। महिलाएं तथा पुरूष झूला झूलकर आनन्द उठाते हैं। महिलाएं झूला झूलते हुये सावन गीत भी गाती हैं। इसके अलावा गांव के चौपालों में बड़े ही उत्साह के साथ आल्हा गायन होता है जिसमें स्थानीय लोग बढ़–चढ़कर भाग लेते हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पर्यटक आकर भाग लेते हैं तथा इस मेले के आनन्द उठाते हैं।

(2) विजयादशमी का मेला – यह मेला अश्विन (क्वांर) मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आयोजित होता है जिसमें स्थानीय क्षेत्रों के निवासी बड़े उत्साह के साथ बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेले का प्रमुख आकर्षण रावण (चित्र संख्या 6.1) व मेघनाद के विशाल पुतले होते हैं जिनका राम व लक्ष्मण वधकर जला देते हैं। इस मेले में तरहटी कालिंजर के निवासी राम की सेना का स्वांग बनाकर मेला मैदान में पहुँचते हैं तथा कटरा कालिंजर के ग्रामीण कलाकार राक्षसी सेना का स्वांग बनाकर मेला मैदान में आते हैं। सीता हरण के कारण राम–रावण, लक्ष्मण–मेघनाद का युद्ध दर्शाया जाता है। भाँति–भाँति के बहुरूपिये स्वांग बनाकर इस मेले में आते हैं जो बच्चों तथा महिलाओं के लिए प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहते हैं। यह एक स्थानीय स्तर का मेला है जिसमें कालिंजर क्षेत्र के लगभग 16 से 21 हजार तक लोग एकत्रित होते हैं। यह मेला एक ही दिन आयोजित होता है।

इस मेले के दूसरे दिन अर्थात् एकादशी की तिथि को नवदुर्गा के अवसर पर प्रतिष्ठापित दुर्गा देवी की मूर्तियों को बागै नदी में विसर्जित किया जाता है। दुर्गा मैया की जय–जय बोलते

रावण का पुतला

चित्र संख्या 6.4

बेलाताल

चित्र संख्या 7.1

हुये बड़ी संख्या में लोग बागै नदी पहुँचते हैं। इस मेले में पुलिस की अच्छी व्यवस्था रहती है ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना न घट सके। सभी धर्मों के लोग इस मेले में भाग लेते हैं तथा आज तक कोई अप्रिय घटना इस मेले में घटित नहीं हुयी।

(3) कार्तिक पूर्णिमा का मेला– कालिंजर का यह एक प्रसिद्ध मेला है, जिसमें विभिन्न प्रान्तों से पर्यटक एवं व्यापारी आकर भाग लेते हैं। यह मेला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारम्भ होकर कार्तिक पूर्णिमा के तीन दिन बाद तक चलता है। यह एक पौराणिक मेला है, जिसका लेख पुराणों में मिलता है। 1970 से पूर्व यह मेला 15 दिन तक लगता था जिसमें अनुमानतः पांच लाख से छः लाख तक लोग सम्मिलित होते थे। 1970 के पश्चात् मेला मैदान में धीरे–धीरे आवास बन जाने से जगह संकीर्ण होती गयी, इससे बाहर से आने वाले व्यापारियों को दुकानें लगाने व रहने के लिए पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण मेले की अवधि पन्द्रह दिन के स्थान पर एक सप्ताह करनी पड़ी तथा मेले के स्तर में भी गिरावट आयी। वर्तमान समय में इस मेले में अनुमानतः तीन लाख से चार लाख तक लोग भाग लेते हैं। आने वाले यात्री एवं पर्यटक नीलकण्ठ भगवान के दर्शन करते हैं तथा कलाकारों की कला को देखकर आनन्द उठाते हैं। इस मेले में दंगल का आयोजन भी किया जाता है जिसमें स्थानीय एवं प्रान्तीय स्तर के पहलवान भाग लेते है और अपने करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लेते हैं। इस मेले के दौरान, वह अवसर बहुत सुहावने लगते हैं, जब सज–धजकर महिलाओं के समूह गीत गाते हुये भगवान नीलकण्ठ के दर्शन हेतु निकलते हैं। इस समय का मौसम बड़ा सुहावना होता है। हरे–भरे वृक्षों से अच्छादित घाटियों व पहाड़ियों की छटा देखते ही बनती है। कभी–कभी विदेशी पर्यटक भी इस अवसर पर आ जाते हैं जो यहां के प्राकृतिक वैभव से आनन्द उठाने के साथ–साथ बड़े ही मनोयोग से स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा ग्रामीणों के विभिन्न छायाचित्र खींचते हैं।

1992 से प्रशासन द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के कलाकार आदि भाग लेते हैं तथा भाषण, गीत व नृत्य आदि के द्वारा बुन्देली संस्कृति से लोगों को परिचित कराते हैं।

(4) मकर संक्रान्ति का मेला – प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति के दिन यह मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर कालिंजर किले में अवस्थित नीलकण्ठ भगवान के दर्शन के लिए लगभग 20,000 से 25,000 के मध्य लोग आते हैं। इस पर्व में वृद्धक क्षेत्र का स्नान शुभ माना जाता है। यह क्षेत्र किले पर स्थित है। प्रमुखतः यह एक स्थानीय मेला है।

(5) अमावस्या के दिन मेला – प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन सुदूर गांवो से लोग किले में पहुँचकर अपनी इच्छानुसार जलशयों में स्नान करके स्वर्गावापी से जल लेकर भोलेनाथ

श्री नीलकण्ठ पर चढ़ाते हैं। अमावस्या के दिन लगने वाला यह मेला अभी कुछ ही वर्षो से प्रारम्भ हुआ है परन्तु श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ही समय में यहां चित्रकूट की भांति स्तरीय मेला आयोजित होने लगेगा।

त्योहार (Festivals)

आधुनिकता एवं पश्चिमी सभ्यता का असर यद्यपि तीज–त्योहारों पर भी पड़ा है लेकिन बुन्देलखण्ड की मिट्टी में अब भी पुरातन परम्पराओं की महक रची–बसी है। व्रत–पर्व त्योहार हों या लोक संस्कृति के अन्य उत्सव, यहां परम्पराओं के निर्वाह को छोड़ा नहीं गया है। लगभग प्रत्येक माह यहां तीज–त्योहार मनाएं जाते हैं, इन तीज–त्योहारों में दशहरा, दीपावली, होली, बसंत पंचमी, रामनवमी, नाग पंचमी, रक्षाबन्धन, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतलिका, तीज, महालक्ष्मी, ईद, बकरीद, मोहर्रम आदि प्रमुख हैं। कालिंजर क्षेत्र के निवासी उपर्युक्त सभी पर्वों को एकता एवं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यद्यपि सामाजिक स्तर पर अनेक विविधताएं विद्यमान हैं किन्तु त्योहार मनाते समय सांस्कृतिक भावधारा में एकता के दर्शन होते हैं। ऐसे भी अनेक अवसर आते है जब हिन्दू तथा मुसलमानों के त्योहार एक साथ पड़ जाते हैं किन्तु कालिंजर में इन त्योहारों को एक साथ मनाने में आज भी किसी भी प्रकार का वैमनस्य दिखायी नहीं पड़ा। यहां के निवासियों द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार निम्नवत् हैं।

(1) **नाग पंचमी**– श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें जीवित नागों की भी पूजा करने की प्रथा है। नाग की बांबियों के पास सर्पों को दूध पिलाने के लिए दोनों में दूध रखने की प्रथा है। महिलायें घर के बाहर या अन्दर दीवार पर गेरू, गोबर या कोयले की सहायता से सांपों का चित्रण (चित्र संख्या–6.2अ) कर पूजा करती हैं तथा कहानियां सुनाती हैं। इन कहानियों में जीवों पर हिंसा न करने का उद्देश्य छिपा रहता है। इस त्योहार में प्रत्येक घरों में मुख्यतः बेढ़ई तथा लपसी बनाई जाती है। कहीं–कहीं दंगल का आयोजन भी किया जाता है (बांदा गजेटियर)।

(2) **रक्षा बन्धन**– हिन्दुओं का यह एक प्रमुख त्योहार है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे श्रावणी भी कहते हैं। इस तिथि को सभी बहिने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तथा बदले में भाइयों से उपहार पाती हैं। इस त्योहार के माध्यम से बहिन का भाई के प्रति विश्वास, उत्साह, आशा तथा प्रेम जागृत होता है। कालिंजर के सभी हिन्दू परिवार बड़े उत्साह के साथ यह त्योहार मनाते हैं। सभी हिन्दू परिवारों में सामर्थ्यानुसार पकवान तथा सिवइयां बनायी जाती हैं तथा घर के सभी लोग मिल-जुलकर आनन्द उठाते हैं।

(2) **हरछट**– भादौं महीने की कृष्ण पक्ष की छठी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन हरछट के रूप में मनाया जाता है। दीवार पर भैंस के गोबर से लीपकर पिसे चावल

पर्व/त्योहार एवं लोक कलाकौशल

(अ) नागपंचमी

(ब) हरछठ

(स) कृष्ण जन्माष्टमी

हरतलिका तीज

चित्र संख्या 6.2

के घोल से चित्रकारी की जाती है। महिलाओं द्वारा दीवार पर किया जाने वाला चित्रण (चित्र संख्या–6.2ब) पूजा में वर्णित कथा के अनुसार किया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखकर यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन महिलाएं हल द्वारा जोते गये खेतों की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करती तथा जुते हुये खेतों में नहीं जाती। भैस का गोबर तथा दूध प्रयोग में लाया जाता है।

(4) कृष्ण जन्माष्टमी– भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुरूष व स्त्रियां व्रत रहकर कृष्ण जन्म का त्योहार बडे धूमधाम से मनाती हैं। घरों में कृष्ण जन्म की लीलाओं से सम्बन्धित झांकियां (चित्र संख्या–6.2स). सजायी जाती हैं। इस अवसर पर. भजन कीर्तन का अयोजन किया जाता है। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाने के पश्चात् प्रसाद वितरण किया जाता है तथा भोजन कर लोग अपने व्रत को समाप्त कर देते हैं।

(5) हरतालिका तीज– यह त्योहार भादों माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुहागिन स्त्रियों द्वारा निर्जला व्रत रखकर मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने अनेक वर्षों तक तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी क्रम में यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। महिलाएं मण्डप बनाकर शिव–गौरी की प्रतिमायें (चित्र संख्या–6.2द) लकड़ी की चौकी पर रखकर विधिवत पूजा करती हैं। रात्रि जागरण कर कथा, हवन, भजन तथा कीर्तन का कार्यक्रम करती हैं। प्रातःकाल नदी व तालाबों में प्रतिमायें विसर्जित कर दी जाती हैं।

(6) महालक्ष्मी– अश्विन (क्वांर) मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काली मिट्टी के अधपके हांथी की पूजा की जाती है। उस पर महालक्ष्मी तथा राजा रानी की प्रतिमायें विराजमान रहती हैं। यह त्योहार भादों महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि इसी दिन से महिलायें एक डोरे में सोलह दिन तक प्रतिदिन एक गांठ लगाकर संकल्प लेती हैं। सोलहवें दिन पूजा में वह डोरा रखकर कथा तथा हवन के साथ पूजा जाता है। इस पूजा का प्रचलन महाभारत काल से माना जाता है। बेसन व गुड़ से हांथी, राजा–रानी तथा महालक्ष्मी के गहने बनाकर पहनाये जाते हैं तथा इसी का प्रसाद बनता है।

(7) महबुलिया– यह त्योहार भादौ मास की पूर्णमासी से प्रारम्भ होकर क्वांर मास में पितृ विसर्जनी अमावस्या तक सम्प्न्न होता है। इस त्योहार के आयोज़न में विशेषतया बाालिकाएं भाग लेती हैं। बालिकाएं किसी एक कांटेदार बबूल की डाली (झांखर) को लेकर गोबर से जमीन को लीपकर आंटे की चौक बनाती हैं और फिर उस पर कटीली डाल को गाड़ देती हैं। इसमें रंग बिरंगे फूल पिरोंती हैं और जब यह पूर्णतया फूलों से सुसज्जित हो जाता है तब इसके चारों ओर महबुलिया गीत गाते हुये बालिकाएं परिक्रमा लगाती हैं। इसके पश्चात् उसे जमीन से उखाड़ कर

किसी तालाब या नदी में इस प्रकार विसर्जित कर आती हैं कि उनके फूल जल में गिर जाते हैं और डाली अपने साथ ले आती हैं। विसर्जन के पश्चात् प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रसाद एक दूसरे को बांटती हैं। यह कार्यक्रम 15 दिन तक अनवरत् चलता रहता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन विभिन्न फूलों, मखानों, तथा मेवे के मालों, रूपये के मालों आदि से कांटे वाली झांड़ जिसे महबुलिया कहते हैं, को विशेष रूप से सजाती हैं तथा स्वयं नये कपड़े धारण करती हैं। स्त्रियाँ भी इस दिन बालिकाओं के साथ महबुलियों को विसर्जित करने के लिये बैंड–बाजों के साथ गाती हुयी जाती हैं। इस दिन झाड़ सहित महबुलियों को विसर्जित कर दिया जाता है। तत्पश्चात् पंजीरी, गुझिया, भीगे हुये चने की दाल, फलों के टुकड़े आदि प्रसाद रूप में बांटती हैं और स्वयं ग्रहण करती हैं।

(8) दुर्गा–अष्टमी– अश्विन तथा चैत मास के शुक्ल पक्ष में परेवा से नवमी तिथि तक शक्ति रूपणी माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, जिसे नवरात्रि कहते हैं। अष्टमी के दिन यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा माता की प्रतिमाएं सजायी जाती हैं तथा नौ दिन तक उनका पूजन किया जाता है। अष्टमी के दिन पूजा स्थल में दीवार पर घी में रोली तथा सिन्दूर मिलाकर दुर्गा जी की प्रतीक पुतरियाँ तथा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल बनाया जाता है और उनकी विधि–विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि में कलश की स्थापना तथा प्रकृति के शक्ति स्वरूप जवारे बोना आस्था का प्रतीक है। नौ दिनों तक इन जवारों की पूजा की जाती है। यह जवारे आने वाली फसल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। नवदुर्गा समाप्ति पर एक शोभा यात्रा के माध्यम से जवारों को ले जाकर बेलाताल में विसर्जित कर दिया जाता है। नौ दिनों तक लोग व्रत धारण करते हैं। कुछ श्रद्धालु भक्त नुकीले भाले वाली सांग को गालों, जीभ तथा भुजाओं में भेदकर माता जी के मन्दिर तक जाते हैं। खास बात यह है कि इस अवसर पर इनके द्वारा भेदे गये स्थानों से एक बूंद खून तक नहीं टपकता।

(9) दशहरा– यह त्योहार क्वांर (अश्विन) मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आंगन में चौक बनाकर गोबर की 'दसरैया' रखकर पूजते हैं (चित्र संख्या–6.3अ)। इस दिन के बाद गोबर पाथने का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। इस दिन क्षत्रिय अपने शस्त्रों तथा वैश्य अपने बही खातों व बांटों की पूजा करते हैं। इस दिन लोग कटनाश पक्षी को देखना शुभ मानते हैं। इस पक्षी को नीलकण्ठ भी कहते हैं। चूंकि कालिंजर किले में भोलेनाथ का पुराना शिव मन्दिर है जिसे नीलकण्ठ के नाम से जाना जाता है। अतः इस दिन पर्यटक नीलकण्ठ भगवान के दर्शनों के लिए उतावले रहते हैं। आपस में बैरभाव भुलाकर सायंकालीन बेला में लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तथा परस्पर शुभ कामनायें देते हैं।

(10) करवा चौथ– कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर यह त्योहार मनाती हैं। पति की दीर्घायु की इच्छा वाला यह व्रत चन्द्रमा को अर्घ्य देकर समाप्त किया जाता है। दीवार पर गोबर से लीपकर चावल के घोल से करवा चौथ का चित्रांकन किया जाता है (चित्र संख्या–6.3ब)। यह चित्रांकन करवा चौथ की व्रत कथा पर आधारित होता है। इसी दिन से जाड़े का प्रारम्भ माना जाता है।

(11) दीपावली– वस्तुतः दीपावली का त्योहार देश के विभिन्न भागों में चाहे जैसे मनाया जाता हो लेकिन बुन्देलखण्ड की दीवाली अब भी बड़े अनोखे ढंग से मनाई जाती है। इसमें गोवंश की सुरक्षा, संवर्द्धन पालन के संकल्प का कठिन व्रत लिया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारम्भ होकर इसी महीने की शुक्ल पक्ष की द्‌यूज तक चलता है। मुख्य दीपावली के दो दिंन पहले धनतेरस का त्योहार पड़ंता है। इस दिन लोग बाजार से नये–नये बर्तन, वस्त्र, आभूषण आदि खरीदकर लाना शुभ मानते हैं। इसके दूसरे दिन चतुदर्शी को छोटी दीपावली जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, मनायी जाती है। इस दिन घर की साफ–सफाई व नाली पर दीपक जलाकर रखने की परम्परा है। इसके अगले दिन कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का मुख्य त्योहार मनाया जाता हैं। सायंकालीन वेला से घरों, मन्दिरों व अन्य विशिष्ट स्थानों में दीपक जलाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। इस दिन घरों में दीवार पर सुराती बनाने का प्रचलन है। गेरू से 16 कोठे की ज्यामितीय आकार का मॉडल बनाते हैं (चित्र संख्या–6.3स), जिसे देवी लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। श्री गणेश–लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा में खील, लाई, बतासे, मिठाई तथा फल–फूल आदि चढ़ाये जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणेश व लक्ष्मी देवी घरों में आते हैं, जिनकी कृपा से धन–धान्य प्राप्त होता है। अतः सभी हिन्दू परिवार घरों को साफ–सुथरा रखते हैं। दीपावली में श्री गणेश–लक्ष्मी पूजन के पश्चात् से भइयादूज की पूजा होने तक के समय को जमघट मानते हैं। इन दिनों लोग अच्छा खाते व पहनते हैं तथा लेन–देन नहीं करते।

दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आंगन में गोबर द्वारा गोवर्धन पर्वत, बलराम–कृष्ण की प्रतिमाएं (एकाकार–एक शरीर तथा दो शिर), पालतू पशु, ग्वाले, घर, ग्वालिन आदि की आकृतियां बनाते हैं। इनकी दूध–चावल व खीर से पूजा करते हैं। गोधन पूजा के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को भइया द्‌यूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहिने अपने भाइयों की दीर्घायु तथा मंगल कामना के लिये व्रत रखकर पूजन करती हैं। मुख्य दरवाजे के कोने व आंगन में गोबर से द्‌यूज बनाते हैं जिसमें द्‌यूज माई, दूध से भरे कुण्ड तथा धन–धान्य से परिपूर्ण गांव की आकृति बनायी जाती है। आशा व विश्वास की प्रतीक रूई से बनी 'आसे' दरवाजे पर लटकाई जाती हैं। बहिने अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं तथा यथा सम्भव उपहार पाती हैं। इन दिनों लेखनी, दवात व श्री चित्रगुप्त जी की भी पूजा–अर्चना की जाती है।

पर्व/त्योहार एवं लोक कलाकौशल

(अ) दशहरा

(ब) करवा चौथ

(स) दीपावली

(द) देवोत्थान एकादशी

चित्र संख्या 6.3

सभी लोगों विशेषकर बच्चों को इस त्योहार की बड़ी प्रतीक्षा रहती है। कुछ लोग दीपावली में जुआं भी खेलना शुभ मानते हैं किन्तु यह कार्य पर्व की पवित्रता तथा समाज के सुखमय वातावरण को दूषित कर देता है।

(12) देवोत्थान एकादशी– कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात्रि में आंगन में आंटे व गेरू से चौक बनाते हैं (चित्र संख्या–6.3द) तत्पश्चात् उस पर गन्नों से मण्डप बनाते हैं। पूजा स्थल से देवी–देवताओं की मूर्तियां उस चौक पर स्थापित करते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार देवताओं के जागरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं।

(13) कार्तिक स्नान– बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से यहां की स्त्रियां एक माह तक कार्तिक स्नान करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक स्नान का उद्यापन पूजा–अर्चना के साथ किया जाता है। राधाकृष्ण से सम्बन्धित गीत गाती हुयी स्त्रियां नीलकण्ठ मन्दिर व अन्य विशिष्ट मन्दिरों को जाती हैं।

(14) मकर संक्रान्ति– यह त्योहार सूर्य पूजा, ओजस्विता, मोक्ष प्रदायक, प्रगति तथा पूर्ण स्नान से सम्बन्धित है। इस दिन लोग किले में स्थित वृद्धक क्षेत्र में स्नान करते हैं तथा नीलकण्ठ भगवान के दर्शन कर दान देते हैं। इस दिन तिल से बने व्यंजन तथा खिचड़ी आदि का दान दिया जाता है।

(15) गणेश चौथ– माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे सकट/गणेश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। गोबर अथवा मिट्टी से बनी गणेश की मूर्तियां पूजी जाती हैं। तिल तथा गुड़ से बना तिलकुट, उबली सकरकन्दे, सिंघाडे की लपसी आदि बनाई जाती है। इससे सम्बन्धित कथायें कही जाती है। पुत्रवती स्त्रियां यह व्रत रखती हैं।

(16) बसंत पंचमी– माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सामान्यतः इस समय का मौसम समशीतोष्ण जलवायु का होता है। इस तिथि को लोग पीले वस्त्र धारणकर, पीला चन्दन लगाकर, पीले पुष्पों, पीला चन्दन, बेलपत्र तथा आम की बौर आदि से नीलकण्ठ मन्दिर जाकर शिव की पूजा करते हैं। इस दिन शिव की प्रतिमा का विशेष रूप से श्रंगार किया जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव–पार्वती की सगाई इसी तिथि को हुई थी।

(17) महाशिव रात्रि– सम्पूर्ण कालिंजर क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग व्रत रहते हैं तथा मन्दिर में जाकर शिव प्रतिमा की पूजा व दर्शन करते हैं। अखण्ड कीर्तन व रामचरित मानस का पाठ भी रात्रि जागरण की दृष्टि से करते हैं। लोग मिठाई व भांग का सेवन करते हैं तथा लमटेरा (भोले के गीत) गाते हैं।

(18) होली– भारत के अन्य स्थानों की भांति कालिंजर में भी होली का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को प्रति वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि होलिका दहन की घटना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में घटित हुयी थी, जिसमें प्रहलाद को लेकर होलिका ने दाह किया था। वस्तुतः इस त्योहार का प्रारम्भ फाल्गुन से पूर्व माघ मास की बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दिन किसी सार्वजनिक स्थान, चौराहे पर होली के लिये बीच में अरण्ड का पेड़ तथा उसके आस–पास ईंधन, लकडी, उपले इत्यादि इकट्ठा करना शुरू कर दिये जाते हैं। अरण्ड के पेड को भक्त प्रहलाद का प्रतीक तथा आसपास पड़े ईंधन को होलिका का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन तक अरण्ड के आसपास एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। होली के दिन शुभ मुहूर्त में इसमें आग लगा दी जाती है। इस अवसर पर गोबर के बल्ले की दो मालाएं लेकर लोग होली स्थल पर जाते हैं। एक माला जलती आग में डाल देते हैं तथा दूसरी माला अन्य किसी व्यक्ति से बदलकर घर ले आते हैं। इन बल्लों की आग से घर में लोग नई आग बनाते हैं। बाजे–गाजे के साथ फाग गाते हैं। इसके अगले दिन प्रातःकाल से ही मस्ती का वातावरण छा जाता है। बच्चे, बूढ़े तथा जवान सभी रंग–गुलाल तथा पिचकारी लिये हुये एक दूसरे को रंगने की होड़ में उतावले हो जाते हैं। सभी विभिन्न रंगों में रंगे दिखायी देते हैं। इस अवसर पर छोटे–बड़े, ऊंच–नीच का भेद नहीं रह जाता है। रंग में सराबोर सभी लोग एक–दूसरे के गले मिलते हैं तथा आपस में भाई–चारा तथा प्रेम का व्यवहार करते हैं। दोपहर के बाद रंग का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। सभी धर्मों के लोग नहा धोकर एक–दूसरे के घर जाकर गले मिलते हैं तथा गुझिया, मिठाई तथा पकवान आदि भी मिल–जुलकर खाते हैं।

(19) रामनवमी– वैष्णव धर्म के उपासक रामनवमी का त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। वैष्णव मन्दिरों को सजाया जाता है। दिन को बारह बजे भगवान श्री राम का जन्म होने के पश्चात् जन्म गीत गाते हैं तथा प्रसाद ग्रहण करते हैं।

(20) अक्ती– बुन्देलखण्ड एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्ती का त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़, सावन, भादों, क्वांर नाम के चार घैलों में चने के दानों को भिगों दिया जाता है। इन दानों के अंकुरण के आधार पर वर्षा की स्थिति मालूम की जाती है। वर्षा की स्थिति ज्ञात करने का यह एक ग्रामीण उपाय है, जिसे इस क्षेत्र में मनाया जाता है। पूजा में गर्मी के मौसम में प्रयोग आने वाली विभिन्न वस्तुओं जैसे– घड़ा, हांथ का पंखा, मौसमी फल, अनाज आदि भगवान को समर्पित करने के पश्चात् प्रयोग में लाते हैं। बालाओं द्वारा हांथ से बनाये गये कपड़े के पुतरे तथा पुतरियों का विवाह बरगद के वृक्ष के नीचे सम्पन्न कराया जाता है तथा इससे सम्बन्धित लोकगीत गाये जाते हैं। इस अवसर पर पूड़ी, भीगे चना के दयूल, बरगद के कोमल पत्ते तथा शक्कर का मिश्रण बांटा जाता है।

(21) ईद– हिन्दुओं की होली तथा दीपावली की भांति ईद मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार रमजान के महीने के बाद तीज को मनाया जाता है। अर्थात् मुसलमान धर्मगुरूवों द्वारा ईद का चांद देख लेने के पश्चात् ही यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार से पहले तीस दिन का रोजा रखा जाता है। सभी लोग ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं तथा अल्लाह से खुशहाली की दुआ मांगते हैं। इस दिन नये–नये कपड़े पहनने का रिवाज है। बालक–बालिकायें सभी चमकीले वस्त्र पहनते हैं। सभी लोग एक–दूसरे से गले मिलकर बन्धुत्व की भावना व्यक्त करते हैं। घर–घर सिवइयां व पकवान बनाये जाते हैं। इस त्योहार में दुकाने भी सजाई जाती हैं। बच्चे भांति–भांति के खिलौने व खाने वाली वस्तुएं खरीदते हैं। रात्रि में मुशायरा तथा कव्वाली आदि का आयोजन किया जाता है।

(22) बकरीद– ऐसा माना जाता है कि धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जब हजरत मोहम्मद साहब अपने भांजे की कुर्बानी करने जा रहे थे, उसी समय खुदा की मेहरबानी से एक भेड़ वहां आ गई और धोखे से उसकी कुर्बानी हो गई तथा हजरत मोहम्मद साहब का भांजा बच गया। उसी कुर्बानी की प्रथा को लेकर सम्पूर्ण कालिंजर क्षेत्र में बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। धर्म के नाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सभी लोग उस बकरे का गोस्त खाते हैं। इस दिन मस्जिदों में नमाज भी अदा की जाती है।

(23) मुहर्रम (ताजिया)– ऐसी मान्यता है कि अरब के खलीफा यासीन ने मोहम्मद साहब के नवासों (भांजों) पर घोर अत्याचार किये थे। उसी की यादगार में मोहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इमामबाड़े में ताजिया रखे जाते हैं, जिन्हें ढालों एवं तलवारों से सजाया जाता है। यह त्योहार 10 दिन तक मनाया जाता है। 8वें या 9वें दिन अलाव कूदने की प्रथा है। मुसलमान छाती पीटते हुये दुख प्रकट करते हैं तथा बीच रास्ते में मार्सिया (संवेदना गीत) पढ़ने की प्रथा है।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मनाये जाने वाले त्योहारों की भांति कालिंजर क्षेत्र में भी श्रावण तीज, चरूवा भये की सांतियां, मौराई छठ, तेलइयां, सान्तान सातें, श्राद्धपक्ष, शरद पूर्णिमा आदि त्योहार बड़े धूमधाम से मनाये जाते हैं। उपर्युक्त इन त्योहारों तथा मांगलिक अवसरों पर महिलायें घर के मुख्य दरवाजे की भूमि को गोबर से लीपकर उस पर आंटे तथा सूखें रंगों से चौक बनाती हैं, जिसे ओरतिया कहते हैं। इसके अलावा मुख्य दरवाजे की दीवार पर अथवा देवालयों में गेरू तथा रूई की सहायता से ढरकौना बनाये जाते हैं, जिन्हें देवी–देवताओं का प्रतीक मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यहां के समस्त तीज–त्योहारों में लोक संस्कृति की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है।

बुन्देली लोक नृत्य (Bundeli Folk-Dances)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य भागों की भांति कालिंजर क्षेत्र में सार्वजनिक त्योहारों तथा पारिवारिक उत्सवों में विभिन्न लोकनृत्य आयोजित किये जाते हैं। इन लोक नृत्यों में कुछ प्रमुख परम्परागत लोकनृत्य निम्नांकित हैं –

(1) **राई नृत्य–** यह नृत्य विशेषतः फाल्गुन महीने में आयोजित किया जाता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का यह एक प्रचलित एवं सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के मनोरंजन हेतु यही नृत्य आयोजित किया जाता था। इस नृत्य में लोक कवि ईश्वरी की फागें हर्षोल्लास के साथ गायी जाती हैं। इस नृत्य में सोलह कली का घाघरा, चोली, तथा एक लम्बी पारदर्शी चुनरी होती है ताकि नृत्यकर्ता का सौन्दर्य दिखायी देता रहे। इस नृत्य में एक बहुरूपिया जोकर होता है जो हास्य रस से परिपूर्ण करतब दिखाता रहता है। मृदंग, ढोल, मजीरा, झींगा, तुरही, रमतुला आदि वाद्ययन्त्रों की सहायता से यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पुरूष तथा महिलायें दोनों कलाकार भाग लेते हैं, जिनकी संख्या 10–15 तक होती है। गीतों में फाग, दादरा, भजन, बुन्देली लोकगीत आदि बुन्देली भाषा में गाये जाते हैं। यह नृत्य लगभग एक घण्टे तक चलता है।

(2) **सैरा नृत्य–** इस लोक नृत्य का आयोजन प्रमुखतया शादी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरूषों की सहभागिता होती है। पुरूष अपनी पगड़ियों में मोर पंख लगाकर लगभग दो–दो फिट की दो रंग बिरंगी दंडियां लेकर नाचते हैं। इस अवसर पर ढोल अथवा मादर वाद्ययन्त्र बजाये जाते हैं।

(3) **झिंझिया नृत्य–** क्वांर में महिलाओं तथा बालिकाओं के सिर पर एक झिंझिया (छेददार मटकी) के अन्दर जलता हुआ दीपक रखा जाता है जिसको सिर पर रखे–रखे यह नृत्य करती हैं। नृत्य करने वाली बालिका/महिला के सिर पर झिंझिया होती है तथा शेष महिलायें उसे चारों ओर से घेरकर लय में तालियां बजाकर नृत्य करती हैं। बीच में सिर पर झिंझिया रखे हुये महिला भी लोच के साथ घूम–घूमकर व बैठकर झिंझिया को नचाती है। यह नृत्य लय व सन्तुलन का अनोखा नृत्य है। विशेषतया क्वांर की पूर्णिमा को टेसू तथा झिंझिया का विवाह किया जाता है और उसी समय यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है।

(4) **दुलदुल घोड़ी नृत्य–** यह नृत्य बुन्देलखण्ड का एक प्राचीनतम कला एवं संस्कृति के आधार पर, बैंड–बाजों के साथ बुन्देली एवं आधुनिक फिल्मी गीतों की धुनों पर आधारित नृत्य है। यह दुलदुल घोड़ी घास–फूस से तैयार की जाती है तथा उसमें घोड़े की आकृति को रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित कर क्राफ्ट कला द्वारा रंगीन घाघरा पहनाकर एक व्यक्ति अपनी कमर में लपेटकर घोड़े पर बैठने की मुद्रा में प्रसन्नता के हाव भाव में परम्परागत नृत्य प्रस्तुत करता है।

उपस्थित जन समूह इस नृत्य को देखकर मन्त्रमुग्ध हो जाता है। इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को लुभाने में इस नृत्य का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

(5) दीवारी गायन नृत्य– इस क्षेत्र में दीपमालिका पर्व पर दीवारी गायन नृत्य तथा मौन चराने की अनूठी परम्परा देखते ही बनती है। दीपावली त्योहार में मौन चराने वाले 'मौनिया' आकर्षण के प्रमुख केन्द्र होते हैं। मौनियों के अनुसार यह परम्परा द्वापर युग से प्रचलित है। भव–बाधाओं को दूर करने के लिए ग्वाले 12 साल तक मौन चराने का कठिन व्रंत रखते है। तेरहवें वर्ष वह मथुरा व्रन्दावन जाकर मौन चराते हैं तथा यमुना नदी के तट पर स्थित विश्राम घाट में पूजा–अर्चना कर व्रत तोड़ते हैं। मौन चराने के पहले साल मौनिया पांच मोर पंख लेते हैं तथा इसके बाद प्रतिवर्ष पांच–पांच मोर पंख जुड़ते रहते हैं। इस प्रकार बारह साल में उनके हाथ में 60 मोर पंख हो जाते हैं। परम्परा के अनुसार मौन व्रत रखने वाले मन्दाकिनी नदी/कालिंजर के बुड्ढा–बुड्ढी सरोवर में स्नान करते हैं फिर विधिवत पूजन कर ढोल–नगाड़ों की थाप पर दीवारी गाते, नृत्य करते उछलते–कूदते अपने गन्तव्य को जाते हैं। मोरपंख के साथ–साथ बांसुरी व विभिन्न लम्बाई की लाठी रखते हैं।

मौनिया सुबह गौ पूजन से यह कार्यक्रम प्रारम्भ करते हैं। प्रकाश पर्व में ही सामूहिक रूप से दीवारी गाने व नृत्य की अनूठी परम्परा है। मुख्यतः अहीर, गड़रिया, केवट, आरख आदि जातियों के युवक इस नृत्य में अधिक रूचि रखते हैं। पैरों में रंग–बिरंगे लांग, तन पर लाल व पीली बनियान तथा कमर में घुंघरू (चौरासी) पहने मौनियों तथा उनके अन्य साथियों द्वारा चटकती लाठियों के बीच दीवारी गायक जोर–जोर से दीवारी गीत गाते हैं और ढोल बजाकर वीर रस से युक्त नृत्य करते हुए विभिन्न करतब दिखाते हैं। यह कार्यक्रम अनुशासित ढंग से मौनिया अपने गुरू के निर्देशन में सम्पन्न करते हैं। इन्हीं अनूठी परम्पराओं के कारण बन्देलखण्ड की दीवारी का पूरे देश में विशिष्ट स्थान है।

झाड–फूंक करने वाले ओझा भी एक विशेष गायन करते हुये नृत्य करते है और इस प्रकार तंत्रमन्त्र की विद्या से प्रवीण यह लोग भव–बाधा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर खैरमाता, मिड़ोहिया, घटाइया, गौड़बाबा, मसान बाबा, नट बाबा, छींद आदि लोकप्रिय ग्रामीण देवता हैं। लोगों का विश्वास है कि इन स्थानों पर जाने से भव–बाधाएं दूर हो जाती हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ढीमर जाति द्वारा ढिमरियायू नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसमें 10 पुरुष एवं 10 महिलाएं भाग लेती हैं। इस नृत्य में 9 व्यक्ति सारंगी बजाते हैं तथा एक व्यक्ति पक्के धागे की डोर से मछली मारने वाले कांटे को बांधकर तथा उसमें चुभी हुयी मछली को इधर–उधर उछालते हुये नाचता है तथा एक महिला सिर पर हांथ से बनी टोकरी रखकर नाचने

की मुद्रा में ढिमरियायू गायकों की टोली द्वारा गाये गीतों के साथ नाचती है। चित्रकूटधाम मण्डल के आदिवासियों द्वारा मादर वाद्ययन्त्र की सहायता से निर्गुण भजन गाये जाते हैं तथा पुरूष एवं महिलायें सामूहिक रूप से कर्मा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। कदम्ब वृक्ष को कर्मा कहा जाता है इसकी शाखा को बीच में गाड़कर अथवा हांथों में लेकर नृत्य किया जाता है।

इसके अतिरिक्त रागनी के साधक गन्धर्व सन्त छींटा बाबा की समाधि पर रागिनी साधक संगीत सीखने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समाधि या चबूतरे पर संगीत सीखने वाले को संगीत कला में सिद्धि प्राप्त होती है। कालिंजर शोध संस्थान ने छींटा बाबा के समाधि स्थल पर 22 फरवरी पुण्य तिथि को प्रत्येक वर्ष संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है।

उपर्युक्त बुन्देली नृत्यों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कालिंजर क्षेत्र में इन लोक नृत्यों में भाग लेने वाले कलाकारों को पर्याप्त सुविधाएं व सम्मान दिया जाय तो यह अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से पर्यटकों का मन मोहने में समर्थ होंगे। इस प्रकार घाटियों, कगारयुक्त पहाडियों, जलधाराओं तथा पेड़–पौधों से आच्छादित कालिंजर क्षेत्र वर्षा ऋतु के पश्चात् पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक सहायक सिद्ध होगा।

लोक कला–कौशल (Folk Arts & Crafts)

बुन्देलखण्ड के कालिंजर क्षेत्र में विभिन्न मांगलिक अवसरों एवं उत्सवों पर महिलाओं द्वारा भूमि व भित्ति चित्रण तथा अलंकरण अत्यन्त मनोहारी तथा पर्यटकों/नवागन्तुकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। विवाह के अवसरों पर घर के मुख्य द्वार की भित्ति पर किया जाने वाला पारम्परिक रंगीन चित्रण चितैरी कहलाता है तथा इसे चित्रांकित करने वालों को चितैरे कहते हैं। इसमें मण्डप, देवी–देवताओं की प्रतिमायें, फूल–पत्ती, वादक के साथ वाद्ययंत्र, दूल्हा–दुल्हन, राजा–रानी आदि के चित्र बनाये जाते हैं। इसी प्रकार वर्ष भर सम्पन्न होने वाले विभिन्न पर्वों एवं त्योहारों में हल्दी, गेरू, चावल, गोबर, मिट्टी आदि से घरों में नाना प्रकार के आकर्षक चित्रण किये जाते है। इस क्षेत्र में प्रायः पूजन के लिये अधिकांशतः पुतरियों की आकृति बनाने का प्रचलन है। जैसे–

1. नागपंचमी में मुख्य दरबाजे के बाहर अथवा अन्दर गोबर, गेरू अथवा कोयले से सर्पों की आकृति का चित्रण।
2. श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर बालिका रूपी देवी का हल्दी से चित्रांकन (चित्र संख्या–6.4अ)।
3. हलषष्ठी (हरछट) में गोबर से लिपी दीवार पर कृष्ण–बलराम की प्रतिमाओं, किसान, हल, स्त्री, पुत्र, सूरज, चन्द्र आदि का चावल के घोल से भिति चित्रांकन।
4. कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन।

पर्व/त्योहार एवं लोक कलाकौशल

(अ) हरियाली अमावस्या

(ब) मांय की पूजा

(स) दुर्गा अष्टमी

(द) अहोई अष्टमी

चित्र संख्या 6.4

5. भादौं तथा माघ शुक्ल द्वितीया की पारिवारिक पूजा माँय की पूजा कहलाती है। गोबर एवं चूने से स्थान विशेष को लीप–पोतकर गेरू या हल्दी से पुतरियों का चित्राकंन व पूजा (चित्र संख्या–6.4ब) की जाती है।
6. दुर्गा अष्टमी में दुर्गा जी की पुतरियां तथा त्रिशूल का चित्रांकन (चित्र संख्या–6.4स)।
7. कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी कहते हैं। इस दिन दीवाल को चूने व मिट्टी से लीप–पोतकर भाग्य लिखने वाली देवी (बैमाता) का चित्राकंन कर पूजा की जाती है ताकि पुत्र दीर्घायु हों (चित्र संख्या–6.4द)।
8. दीपावली में विष्णु, पार्वती की ज्यामितीय आकृति, श्री यंत्र, तुलसी, नवरत्न, गोधन, भाई–बहिन, पाण्डव आदि का गेरू से चित्रांकन।

इसके अतिरिक्त वर्ष में अनेक उत्सवों जैसे– देवोत्थान एकादशी, करवा चौथ, गणेश चौथ, आदि को भी भित्ति चित्रण किया जाता है। बुन्देलखण्ड में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत लोक भित्ति चित्रांकन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, यदि इसका प्रचार एवं प्रसार विस्तृत पैमाने पर किया जाय।

मूर्तियां, खिलौने तथा कलात्मक वस्तुएं (Idols, Toys & Artistic Materials)

कालिंजर क्षेत्र में यद्यपि मूर्ति, खिलौने तथा कलात्मक वस्तुएं बहुत कम बनायी जाती हैं फिर भी बांदा में केन नदी के तट पर प्राप्त होने वाला सजर पत्थर जिसमें प्राकृतिक दृश्यावलियों के अतिरिक्त पशु–पक्षियों आदि के प्रतिविम्ब उभर आते हैं, तरासकर आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पत्थर की बहुत मांग है। यदि सजर उद्योग को प्रोत्साहित कर कालिंजर क्षेत्र में इसका बाजार विकसित किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक इसे बहुतायत मात्रा में अच्छी कीमत देकर खरीद सकते हैं और इससे अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके अलावा त्योहारों के अवसर पर आयोजित मेलों में मिट्टी की भांति–भांति की मूर्तियां बनाकर बेंची जाती हैं जैसे महालक्ष्मी का अनपका मिट्टी का हांथी, दीवाली के अवसर पर गणेश व महालक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमायें आदि।

सावन के महीने में नव विवाहिता के ससुराल पक्ष में माता–पिता के यहां से सावनी भेजने का प्रचलन है। इस अवसर पर कपड़े, खिलौने, आभूषण, मिठाइयां आदि भेजी जाती हैं। इन वस्तुओं को रंग–बिरंगी, सजी–धजी मटकियों, बांस की बनी टोकरियों में भरकर भेजते हैं। कपड़े से बने पुतरे–पुतरियां भी भेजने का प्रचलन है। अक्षय तृतीया पर हांथ से निर्मित कपड़े के पुतरे–पुतरियों का विवाह किया जाता है। खजूर से बने दुल्हा–दुलहिन हेतु मौर–मौरिया के मुकुट विवाह के समय पहने जाते हैं। ये हस्तशिल्प के अनुपम नमूने हैं, जिनको बनाने के लिए कालिंजर क्षेत्र में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं बांस, मंजू, खजूर तथा

सरकण्डे से बनी गृह उपयोगी वस्तुएं भी बनायी जाती हैं। खजूर से रंग–बिरंगे हाथ का पंखा, बांस के सूप, डलिया तथा पंखे, खजूर, की फलकों से निर्मित डलिया तथा झांडू घर–घर में देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कालिंजर क्षेत्र के जंगलों में प्रकृति प्रदत्त जड़ी–बूटियों की भरमार है, जिन्हें आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि कालिंजर क्षेत्र में निर्मित मूर्तियों, खिलौनों तथा कलात्मक वस्तुओं आदि को बनाने वाले शिल्पियों को उचित प्रशिक्षण एवं विकास के अवसर प्रदान किये जांय तो यह क्षेत्र अपनी इस विधा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

रहन–सहन एवं वेशभूषा (Method of Living & Clothing)

कालिंजर क्षेत्र के रहन–सहन तथा वेशभूषा को प्रभावित करने में सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण योमदान है।

आवासीय व्यवस्था (Housing System)

प्राचीन काल में कालिंजर में गृहों के निर्माण में वर्ण व्यवस्था व कुलीनता का महत्वपूर्ण स्थान था। अतिकुलीन वर्ग में शासक, सामंत तथा जमींदार आते थे। यह लोग प्राचीन समय में दुर्ग के ऊपर तथा दुर्ग के नीचे प्राचीर वेष्ठित नगर में महलों जैसे अपने मकान बनवाते थे। ये मकान चार कोटि में होते थे। मिश्र (1974) ने चन्देलों की आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत इसका सविस्तार वर्णन किया है। इनके अनुसार वास्तु निर्माण में स्थलों की परिमाप विभिन्न कोटियों में की जाती थी। इसमें प्रत्येक वर्ग हेतु पांच कोटियां निर्धारित की गई थी, जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति सहजता से यह अनुमान लगा लेता था कि यह मकान अतिकुलीन व कुलीन वर्ग का है या मध्यम अथवा निम्न वर्ग का । सर्वोत्तम श्रेणी के मकान की लम्बाई 135 हाथ तथा चौडाई 108 हांथ होती थी। इसके बाद अन्य कोटि के मकानों का क्षेत्रफल 8 हाथ कम होता जाता था। राजप्रसादों में सर्वोत्तम महल राजा का होता था। उसके बाद मंत्री, सेनापति तथा अन्य पदाधिकारियों के निवास स्थान आते थे। राजा अमान सिंह का महल, चौबे महल आदि अतिकुलीन वर्गों के महलों के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार कालिंजर दुर्ग के नीचे मिश्रों तथा राष्ट्रकूटों के महलों के अवशेष उस युग के प्रतीक मात्र हैं।

कुलीन वर्ग के भवन भी महलों ही जैसे बनते थे। इनमें ड्योढी, प्रवेश द्वार, आंगन तथा उसके चतुर्दिक बरामदा व कमरा होते थे। जलीय निकास व शौंच आदि की व्यवस्था भी प्रथक रहती थी। नौकरों– चाकरों के लिए प्रथक रूप से आवास की व्यवस्था की जाती थी। मध्यम वर्ग के मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के बनाये जाते थे, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कुलीन वर्ग के मकानों से कम होते थे। किन्तु इनमें महराबदार दरवाजे, बरामदा, आंगन तथा कमरे होते थे।

पक्के मकान पत्थर, ईंट, तथा चूने के सहयोग से बनाये जाते थे। इस समय के मकानों में अधिकांशतः ककई ईंट का प्रयोग किया जाता था। मकानों के प्लास्टर हेतु चूना, बालू, गोंद, सन, कंकड़ के भट्टे का चूना, उर्द की दाल आदि से बने मसालों का प्रयोग किया जाता था तथा नाना किस्म की काशीदाकारी का प्रयोग भवनों में किया जाता था। कालिंजर क्षेत्र में इस प्रकार के मकानों के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। वृहद संहिता के निर्देशों का पालन वास्तु निर्माण में किया जाता था ताकि मानवीय आवास किसी प्रकार से अमंगल सूचक न हों।

निम्न वर्ग के मकान अधिकांशतः कच्चे होते थे। उनके द्वार संकरे तथा छोटे होते थे। रोशनी तथा वायु के लिये खिड़कियां लगाई जाती थी। कमरों में लट्ठा, बांस तथा छप्पर की छते होती थी।

वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बड़ी तीव्रगति से गृहों का निर्माण किया गया, जिनमें रहन-सहन की दशायें बहुत संतोषजनक नहीं है। बहुसंख्य ग्रामीण गृह अनियोजित ढंग से बने हैं। गृहीय क्षेत्रफल असमान है। परिवहन तंत्र का अभाव व सफाई की कमी है। गलियों एवं गलियारों की चौडाई असमान है। ये मुख्यतः प्राकृतिक रास्ते हैं जिनमें यत्र-तत्र जल भरा रहता है। पेयजल की असुविधा है। गृह निर्माण भी अनियोजित है जहां सूर्य प्रकाश के प्रवेश हेतु वातायन का अभाव दृष्टिगत होता है (मिश्र, 1986)। 75 प्रतिशत आवासों में शौंचालयों का अभाव है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु खुले स्थानों का प्रयोग किया जाता है। 79 प्रतिशत मकानों में स्नानघर की प्रथक व्यवस्था नहीं है तथा 40.8 प्रतिशत परिवार रहने वाले कमरों का प्रयोग रसोई घर के रूप में करते हैं। घर सामान्यतः निवास करने वाले लोगों तथा अव्यवस्थित रूप से सामान इत्यादि रखने के कारण भीड़-भाड़ युक्त हो जाते हैं, जिससे उपयुक्त मात्रा में सफाई का अभाव रहता है। गन्दे पानी की प्रवाह व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण कीड़े, मकोड़े, मक्खियां तथा मच्छर ऐसे वातावरण में अच्छी प्रकार से पनपते हैं। वर्षा ऋतु में यह स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है। केवल सूर्य प्रकाश ही इस उपस्थिति मलिनता द्रव्य की दुर्गन्ध में कमी लाने में सहयोग करता है। अन्यथा सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये घर जो सदियों से प्राचीन परम्परा तथा अंधविश्वासों द्वारा निर्देशित हैं। उनके रहन सहन के स्तर में ग्रहस्वामी के सामाजिक-आर्थिक पृथक्करण के कारण बहुत थोड़ा परिवर्तन दिखायी देता है (मिश्र, 1994)।

सर्वेक्षण बताता है कि 77.6 प्रतिशत मकानों की दीवारें मिट्टी, 2.2 प्रतिशत मकानों की दीवारें कच्ची ईंटों, 19.8 प्रतिशत मकानों की दीवारें पक्की ईंटों तथा 0.4 प्रतिशत मकानों की दीवारें घास-फूस, पत्ती, सेठा या बांस आदि से बनायी जाती हैं। इसके अलावा 83.7 प्रतिशत मकानों की छतों का निर्माण खपरैल एवं लकडी के लट्ठों पर कड़िया बिछाकर खपरैल से किया जाता है। 10.3 प्रतिशत मकानों की छते सीमेन्ट, लोहा व कंकरीट की सहायता से तथा

5.0 प्रतिशत पत्थर की पटियों व लोहे के गार्डर की सहायता से तथा 1.0 प्रतिशत मकानों की छतें घास–फूस, पत्ती, सेठा,. बांस आदि के सहयोग से बनायी जाती हैं।

कालिंजर क्षेत्र के 49.7 प्रतिशत गृहस्वामियों के पास 2 या 3 कमरों की रिहायसी सुविधा उपलब्ध है। 20.5 प्रतिशत गृहों में 01 कमरों की सुविधा है। इसके अतिरिक्त 29.8 प्रतिशत गृहस्वामी 4 या 4 से अधिक कमरों की सुविधा के वर्ग में आते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से 58.2 प्रतिशत रिहायसी मकान हैं, 12.3 प्रतिशत दूकानयुक्त रिहायसी मकान है। 1.0प्रतिशत पारिवारिक उद्योगयुक्त रिहायसी मकान हैं। 2.5 प्रतिशत दूकानें, 26.0 प्रतिशत पूजा स्थल, स्कूल, औषधालय, पंचायतघर एवं अन्य क्रियाओं के अन्तर्गत आते हैं।

समाजार्थिक दशा के आधार पर कालिंजर क्षेत्र में रहन–सहन की स्थिति के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण से यह रहस्योद्घाटित होता है कि साधन सम्पन्न, धनी तथा पुराने जमींदार लोगों के पास संयुक्त परिवार के सम्बन्धों, आन्तरिक गुप्तता की मजबूत विचारधारा, अतिथियों के ठहरने के लिए अलग क्षेत्र की मांग, पशु, अनाज एवं भूसा इत्यादि रखने के कारण अधिक स्थान वाले बड़े घर होते हैं। इनमें 9–10 कमरे ही नहीं प्रायः बडे–बडे द्वार, बैठक, चौक, लोगों के एकत्रित होने के लिए स्थान इत्यादि की व्यवस्था सामान्य बात है। इनके मकानों के निर्माण में ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेन्ट, चूना, उत्तम खपरैल, ग्रिल इत्यादि नाना प्रकार की वस्तुओं का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त कृषक जातियां यथा– कुर्मी, काछी, लोध, अहीर, इत्यादि खेतों में अधिक मेहनत के कारण अच्छे फसलोत्पादन के फलस्वरूप नये विस्तृत घरों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अनेक महाजन, नगर में व्यापार करने वाले लोग, अवकाश प्राप्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारी इत्यादि भी नवीन पक्के घरों का निर्माण करते हैं जो काफी विस्तृत एवं हवादार होते हैं (मिश्र, 1994)।

निम्न जातियों यथा–.सोनकर, चिकवा, धोबी, कोरी, आऱख, इत्यादि के मकान छोटे होते हैं क्योंकि ये लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। डोमार, बसोर आदि जातियां सुअर पालन का धन्धा करती हैं। सुअरों को अपने घर से लगे हुए कमरे में रखते हैं। जिससे उनके आस–पास का वातावरण काफी अस्वास्थ्यकर हो जाता है। कालिंजर क्षेत्र के निवासियों के 60 प्रतिशत से अधिक घरों का उपयोग मिश्रित कार्यो में किया जाता है जिनमें मनुष्य रहने के साथ–साथ जानवर तथा कृषि उपकरण भी रखते हैं। इस क्षेत्र के गांवों में लगभग 58 प्रतिशत घरों में खिड़कियों तथा रोशनदानों का अभाव है तथा मकान में एक ही दरवाजा है। 62 प्रतिशत आवसीय गृहों का वातावरण दूषित है तथा उनमें सफाई का अभाव है।

भोजन व्यवस्था– यहां पर शाकाहारी तथाा मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन किया जाता है। हिन्दू धर्म व संस्कृति से जुड़े हुए लोग शाकाहारी भोजन करते हैं भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, दही, घी, आदि मुख्य हैं। विशेष अवसरों व तीज–त्योहारों में नाना प्रकार के

पकवान व मिठाइयां बनायी जाती हैं। अत्याधिक निर्धन व आदिवासी क्षेत्रों में मोटे अनाजों का प्रयोग किया जाता है। कुलीन व्यक्तियों की रसोईघर में बिना हांथ–पैर धोये किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। मध्य एवं निम्नवर्ग में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। अनुसूचित जातियां एवं मुस्लिम वर्ग मांसाहारी भोजन पसन्द करते हैं। इधर कुछ दिनों से मद्यपान का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है।

वस्त्र एवं आभूषण (Clothing & Ornaments)

इस क्षेत्र की संस्कृति यहां पर निवास करने वाले स्त्री–पुरूषों की वेशभूषा से स्पष्टतया झलकती है। यहां पर उपलब्ध मूर्तियों की वेशभूषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पुरूष धोती पहनते थे तथा सिर पर साफा बांधते थे और कंधे पर एक साफी डाले रहते थे। पैरों में पनही पहनते थे। स्त्रियां विशेषतः कांछदार धोती एवं ब्लाउज पहनती थीं। सभी वर्गों की स्त्रियों में सिर ढकने की प्रथा व्याप्त थी। चन्देलकाल के पश्चात् स्त्रियों पर लंहगा और चुनरी पहनने का प्रभाव पड़ा तथा विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर लंहगा, चुनरी पहनने का रिवाज था और विवाह के अवसर पर पुरूष जामा पहनते थे। मन्दिरों में जाने के लिए अलग प्रकार के वस्त्र होते थे तथा पैरों में खडाऊं पहनने का रिवाज था।

वर्तमान समय में यहां के निवासियों की वेशभूषा में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। 35 वर्ष से कम वय वर्ग के हिन्दू व मुसलमान अधिकाशतः पैन्ट–शर्ट जबकि 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले हिन्दू अधिकाशतः धोती–कुर्ता का प्रयोग करते हैं जबकि 35.4 प्रतिशत मुसलमान कुर्ता–पाजामा का प्रयोग करते हैं। 35 वर्ष से कम अवस्था वाली हिन्दू व मुसलिम महिलाएं अधिकाशतः कुर्ता–सलवार का प्रयोग करती हैं जबकि 35 वर्ष से अधिक उम्र की हिन्दू महिलाएं साड़ी/धोती ब्लाउज तथा मुस्लिम महिलाएं कुर्ता–सलवार का प्रयोग करती हैं (सारिणी संख्या–6.1)।

सारिणी संख्या– 6.1

कालिंजर में वेशभूषा की स्थिति (प्रतिशत में)

वेशभूषा	हिन्दू वर्ग		मुस्लिम वर्ग	
(अ) पुरूष	35 वर्ष से कम	35 वर्ष से अधिक	35 वर्ष से कम	35 वर्ष से अधिक
कुर्ता–धोती	07	32	01	9.5
पैन्ट–शर्ट	58	21	49	19.5
कुर्ता–पाजामा	28	25	38	36.4
कुर्ता–लुन्गी	3	19	07	24.6
अन्य	4	3	5	10.0
योग	100	100	100	100
(ब) महिलाएं				
साड़ी/धोती ब्लाउज	42	79	12	25
कुर्ता–शलवार	56	10	72	62
अन्य	2	11	16	13
योग	100	100	100	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों द्वारा संगणित।

प्राचीन समय में स्त्री–पुरूष दोनों ही आभूषण पहनते थे। पुरूष कानों में कुण्डल, गले में जंजीर, हांथों में कड़ा, तथा अगुंलियों में अंगूठी आदि पहनते थे। स्त्रियां कानों में कर्णफूल, माथे में बिंदिया, गले में सुतिया तथा गुलबन्द, हांथों में कड़े तथा बाजूबन्द, पैरों में कड़े, झाझें, पैजनियां व लच्छे, कमर में जंजीर, करधनी आदि पहनने का प्रचलन था।

सिंह (1929) के अनुसार– आभूषण अधिकांशतः सोना, चांदी, गिलट व कांसे के होते थे। कभी–कभी पीतल, कांच, सीप, शंख तथा लाख के आभूषण भी पहने जाते थे। पैरों में पैजनियां, सांकर, अनोटा तथा बिछिया पहनने का प्रचलन था। हांथों में बरा, खग्गा, गले में खगौरिया तथा हमेला पहना जाता था। कानों में कर्णफूल, सांकर, तथा माथे में बीज और शीशफूल पहने जाते थे। स्त्रियां कोई न कोई जेवर अवश्य पहनती थीं तथा उनके सभी जेवर वजन में भारी रहते थे।

सभ्यता और शिक्षा के विकास के साथ–साथ यहां के रहन–सहन के स्तर में काफी बदलाव हुआ है। मुगलों के समय से यहां के मुसलमान तथा हिन्दू कुर्ता–पाजामा पहनने लगे थे। साथ ही दाढ़ी भी रखने का प्रचलन बढ़ा तथा दुपलिया टोपी लगाने लगे। मिर्जयी फतुही, बगलबन्दी तथा बण्डी पहनने का प्रचलन भी चला। तत्पश्चात् ढीले–ढाले कुर्ते पहनने का रिवाज बढ़ा। स्त्रियों में परदे की प्रथा प्रारम्भ हुयी जो विशेषतः इस्लाम धर्म के प्रभाव का सूचक था। स्त्रियां बुलाक पहनने लगी तथा मुसलमानी जेवरों का प्रभाव भी पड़ा। कालांतर में कांच व लाख की चूडियों का प्रचलन तेजी से प्रारम्भ हुआ जो वर्तमान में भी प्रचलन में है।

वर्तमान समय में महिलाएं विशेषतः पैरों में पायल, बिछिया, कमर में बिछुआ, व पेटी, गले में मंगलसूत्र व जंजीर, कानों में बाली, झुमकी व टप्स, सर पर मांगबेदी आदि पहनती हैं। निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई के कारण सोने के जेवरों की अपेक्षा चांदी के जेवरों का प्रचलन अधिक है। अधिकांशतः मांगलिक अवसरों पर महिलाएं जेवर/आभूषण पहनती हैं। बढ़ती असुरक्षा के कारण हर समय जेवर पहनने का रिवाज समाप्त हो गया है।

आर्थिक स्थिति (Economic Status)

कालिंजर क्षेत्र के निवासी जीवकोपार्जन हेतु विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। जनसंख्या का व्यवसाय, समाज की आर्थिक स्थिति तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का सूचक है। एक विकसित अर्थतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न व्यवसायों के मध्य जनसंख्या के वितरण में संन्तुलन हो जबकि उस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती। सम्पूर्ण जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है। (1) क्रियाशील जनसंख्या और (2) अक्रियाशील जनसंख्या। क्रियाशील जनसंख्या के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी रोजगार, व्यवसाय, उद्योग या नौकरी आदि में लगे हों। इसके विपरीत कार्य न करने वालों में बच्चे, बूढ़े, व पराश्रयी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है।

कार्य करने की स्थिति के आधार पर कार्यशील जनसंख्या को भी दो वर्गों में बांटा गया है (1) पूर्णकालिक क्रियाशील जनसंख्या (2) सीमान्तिक क्रियाशील जनसंख्या। जो व्यक्ति 6 माह या उसके अधिक समय तक क्रियाशील रहते हैं उन्हें पूर्णकालिक तथा जो व्यक्ति 6 माह से कम कार्य करते हैं उन्हें सीमान्तक क्रियाशील कहते हैं। कालिंजर क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए कालिंजर के आस–पास अवस्थित 13 (तेरह) गांवों को चयनित किया गया है। वस्तुतः कालिंजर न्याय पंचायत क्षेत्र में स्थित यह वे गांव है जिनका कालिंजर की भौगोलिक परिस्थिति में कहीं न कहीं पूर्ण योगदान रहा है।

कालिंजर क्षेत्र की 39.80 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य क्रियाशील की श्रेणी में आती है। जबकि 10.40 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्तक क्रियाओं में संलग्न है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मौसमी मजदूर, खेतों में बुआई, कटाई, ईंट भट्ठो पर कार्य करने वाले तथा कुछ विद्यार्थी भी हैं, जो पढ़ाई के साथ–साथ अन्य कार्य भी करते हैं। कार्यरत् जनसंख्या के आधार पर कालिंजर क्षेत्र के गांवों को चार भागों में विभाजित किया गया है (सारिणी संख्या–6.2 व चित्र संख्या–6.5)।

सारिणी संख्या– 6.2

कार्यरत जनसंख्या का श्रेणीगत विवरण (प्रतिशत में)

श्रेणी	कार्यरत जनसंख्या :	गांवों के नाम
अतिनिम्न	35 से कम	रामनगर निस्फ, कटरा कालिंजर
निम्न	35 से 40	बहादुरपुर कालिंजर, सकतपुर
मध्यम	40. से 45	गिरधरपुर, तरहटी कालिंजर, लाद पहाड़ी
उच्च	45 से अधिक	पहाड़ी माफी, मसौनी भरतपुर, पाही

स्रोत : लेखपाल एवं स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या–6.2 व चित्र संख्या– 6.5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अति निम्न वर्ग अर्थात् 35 प्रतिशत से कम् कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत कटरा कालिंजर (30.6प्रतिशत) तथा रामनगर निस्फ (32.46प्रतिशत) गांव आते हैं। निम्न वर्ग अर्थात् 35–40प्रतिशत के अन्तर्गत सकतपुर व बहादुरपुर कालिंजर गांवों का स्थान आता है। मध्यम क्रियाशील जनसंख्या की श्रेणी में सौंता कालिंजर, गिरधरपुर, लाद पहाड़ी तथा तरहटी कालिंजर का स्थान आता है। 45 प्रतिशत से अधिक क्रियाशील जनसंख्या के अन्तर्गत पहाड़ी माफी (47.94प्रतिशत), मसौनी भरतपुर (48.14प्रतिात) तथा पाही (54.37प्रतिशत) आते हैं। इससे स्पष्ट है कि कालिंजर क्षेत्र के अधिकांश गांवों में कमाने वालों से खाने वाले अधिक हैं और जो कमाने वाले हैं, उनमें कृषक व कृषक मजदूर सर्वाधिक हैं (मिश्र, 1996)।

कालिंजर क्षेत्र
क्रियाशील जनसंख्या, 2001
उत्तर
कालिंजर दुर्ग
क्रियाशील जनसंख्या
प्रतिशत में
35.0 से कम
35-40
40-45
45 से अधिक
गैर आबाद गाँव
1 0 1 2 3
किलोमीटर

चित्र संख्या 6.5

सारिणी संख्या– 6.3

कालिंजर क्षेत्र की व्यावसायिक संरचना, 2001 (प्रतिशत में)

गांव	कार्यशील जनसंख्या	अकार्यशील जनसंख्या	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योग एवं निर्माण	अन्य
कटरा कालिंजर	30.06	56.60	35.53	38.29	12.40	13.78
गिरधरपुर	40.07	56.51	72.65	31.37	2.56	3.42
तरहटी कालिंजर	43.57	49.50	23.47	57.24	5.07	14.22
नसरतपुर	–	–	–	–	–	–
बहादुरपुर कालिंजर	39.85	41.63	88.84	8.48	0.63	2.05
रामनगर निस्फ	32.46	50.62	68.80	22.65	4.70	3.85
सौंता कालिंजर	40.57	48.43	64.79	28.52	2.11	4.58
पहाड़ी माफी	47.94	50.53	73.44	20.31	0.52	5.73
सकतपुर	36.55	50.60	85.71	8.79	1.10	4.40
पाही	54.37	44.17	43.68	52.87	0.77	2.68
लादपहाड़ी	43.48	52.17	50.00	30.00	10.00	10.00
मसौनी भरतपुर	48.14	51.15	88.41	9.43	0.91	1.25
किला कालिंजर	–	–	–	–	–	–
योग	39.80	49.80	56.07	31.20	4.40	8.33

स्रोत : लेखपाल एवं स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या– 6.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तरहटी कालिंजर तथा कटरा कालिंजर में क्रमशः 23.47 प्रतिशत तथा 35.53 प्रतिशत जनसंख्या कृषक वर्ग में आती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण यहां की जनसंख्या विभिन्न व्यवसायों यथा– मत्स्य पालन, पशु पालन, व्यापार, उद्योग, निर्माण कार्य, विभिन्न सेवाओं तथा अन्य सीमान्तक कार्यों की ओर आकर्षित होने के फलस्वरूप कृषकों के प्रतिशत में कमी आयी है। 80 प्रतिशत से अधिक कृषक बहादुरपुर कालिंजर, मसौनी भरतपुर तथा सकतपुर गांवों में है (चित्र संख्या– 6.6अ)। यहां के अधिकांश गांवों में लगभग 64.0प्रतिशत कृषक जनसंख्या निवास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि कालिंजर क्षेत्र के अधिकांश गांवों की जनसंख्या आज भी अपने जीवन निर्वाह हेतु कृषि संसाधन पर निर्भर है।

कालिंजर क्षेत्र में कृषक मजदूरों का न्यूनतम प्रतिशत बहादुर कालिजंर (8.48 प्रतिशत), सकतपुर (8.79 प्रतिशत) तथा मसौनी भरतपुर (9.43 प्रतिशत) मे पाया जाता है और कृषक मजदूरों की सर्वाधिक संख्या (57.24 प्रतिशत) तरहटी कालिंजर एवं पाही में पायी जाती है (चित्र संख्या 6.6ब)। पर्यटक केन्द्र घोषित होने से रोजगार के साधनों में वृद्धि होने के कारण कृषक मजदूर अन्य व्यवसायों में पलायित हो रहे हैं।

कालिंजर क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों में सर्वाधिक न्यून प्रतिशत उद्योग तथा निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आता है। पहाड़ी माफी (0.52 प्रतिशत), बहादुरपुर कालिंजर (0.63 प्रतिशत),

उत्तर
(अ) कृषक
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत में
40 से कम
40-60
60-80
80 से अधिक
गैर आबाद गाँव
(ब) कृषक मजदूर
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत में
20 से कम
20-30
30-40
40 से अधिक
गैर आबाद गाँव
(स) उद्योग एवं निर्माण कार्य
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत में
2 से कम
2-4
4-6
6 से अधिक
गैर आबाद गाँव
1 0 1 2 3
किलोमीटर
(द) अन्य व्यवसाय
मध्य
प्रदेश
कालिंजर दुर्ग
क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत में
3 से कम
3-5
5-7
7 से अधिक
गैर आबाद गाँव

चित्र संख्या 6.6

पाही (077 प्रतिशत) तथा मसौनी भरतपुर (0.91 प्रतिशत) जनसंख्या उद्योग तथा निर्माण कार्य में लगी है, जो कि बहुत कम है। कृषि संसाधन पर जनसंख्या का दबाव घटाने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जीवन स्तर को उठाने हेतु यह आवश्यक है कि कालिंजर पर्यटन क्षेत्र में द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं का अत्याधिक मात्रा में विकास किया जाय। उद्योग तथा निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 12.40 प्रतिशत जनसंख्या कटरा कालिंजर, लाद पहाड़ी (10.0 प्रतिशत) में कार्यरत है। इसके पश्चात् तरहटी कालिंजर (5.07 प्रतिशत), रामनगर निस्फ (4.70 प्रतिशत) का स्थान आता है। इसके पश्चात् गिरधरपुर (2.56 प्रतिशत), सौंता कालिंजर (2.11 प्रतिशत) एवं सकतपुर (1.10 प्रतिशत) गांव आते हैं (चित्र संख्या– 6.6स)।

कालिंजर क्षेत्र में अन्य व्यवसायों के अन्तर्गत लगे व्यक्तियों के वितरण स्वरूप (चित्र संख्या 6.6द) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मसौनी भरतपुर (1.25 प्रतिशत), बहादुरपुर कालिंजर (2.05 प्रतिशत) तथां पाही (2.68 प्रतिशत) व्यक्ति अर्थात् 3 प्रतिशत से कम व्यक्ति अन्य सेवा कार्यों में लगे हैं। कालिंजर किले की तरहटी में स्थित तरहटी कालिंजर (14.22 प्रतिशत) तथा कटरा कालिंजर (13.78 प्रतिशत) में 10 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति विभिन्न सेवा कार्यों में संलग्न हैं। लाद पहाड़ी में 10 प्रतिशत, पहाड़ी माफी में 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष 4 गांवों में 3 से 5 प्रतिशत के मध्य व्यक्ति विभिन्न सेवा कार्यों में लगे हुये हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कालिंजर क्षेत्र में कृषि संसाधन मुख्य आर्थिक व्यवसाय है। इसके पश्चात् अन्य व्यवसायों का स्थान आता है। लगातार बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण अपना एवं अपने आश्रितों के भरण–पोषण हेतु अधिकांश जनसंख्या की प्रवृत्ति अन्य व्यवसायों में संलग्न होने की स्थिति में दिखायी देती है। लोग रोजगार की तलाश में छोटे–छोटे व्यवसाय करने की दिशा में भी अग्रसर हैं।

REFERENCES

1. बाराहमिहिर, वृहद् संहिता अनुवाद बी0 सुब्रह्मण्यम्, अध्याय 53।
2- Drake- Brockman, D.L. (1924), Banda : A Gazetteer, Allahabad, P. 90.
3. मिश्र केशव चन्द्र (1974), चन्देल और उनका राजत्व काल, वाराणसी।
4- Misra, K.K. (1986), A Survey Study of Basrehi Village, Transaction, Indian Council of Geographers, Bhubeneswar, P. 58.
5. मिश्र, कृष्ण कुमार (1994), अधिवास भूगोल, कुसुम प्रकाशन, अतर्रा, पृ0 171–172।
6. मिश्र, कृष्ण कुमार (1994), ग्रामीण अधिवास भूगोल, कुसुम प्रकाशन, अतर्रा, पृ0 163।
7. मिश्र, कृष्ण कुमार (1996), बाँदा जनपद : विकास की दृष्टि में, सिद्धार्थ ज्योति, मई अंक, पृ0 23.–25।
8. सिंह, दीवान प्रतिपाल (1929), बुन्देलखण्ड का इतिहास, प्रथम भाग, बनारस, पृ0 232।

अध्याय - सप्तम

विकास एवं नियोजन

विकास एवं नियोजन
(DEVELOPMENT AND PLANNING)

नियोजन एक नवीन, किन्तु भूगोल विषय की एक महत्वपूर्ण शाखा है। वस्तुतः नियोजन आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समन्वित स्थानिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणात्मकता को हॉसिल करने का एक उपयुक्त साधन है। यद्यपि नियोजन का अस्तित्व एक नवीनतम विषय के रूप में है फिर भी इसका विषय क्षेत्र अत्याधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि यह एक अग्रणी विषय के रूप में उभरकर सामने आया है जिसमें प्रधानतया मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अन्तर्गत मानवीय पर्यावरण के विकास तथा सामाजिक संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग पर आधुनिक प्रविधियों के क्रियाकलापों को महत्व प्रदान करने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक विषमताओं, असन्तुलन व सामाजिक अन्याय के विश्लेषण पर भी प्रकाश डाला जाता है तथा सामाजिक कल्याण के लिए इन असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। नियोजन स्थानिक विकास एवं लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन का एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसके निर्णयात्मक सूचकांकों तथा प्रामाणिक योगदान के फलस्वरूप वस्तुतः विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों ने सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु नियोजन को एक तकनीकी के रूप में स्वीकार किया है (मिश्र, 1974)।

आधुनिक समय में नियोजन वस्तुतः एक सार्वभौमिक विकास का उद्घोष है। आज के प्रगतिशील युग में अबाधगति से बढ़ती हुयी विभिन्न समस्याओं के निदान का प्रमुख स्रोत नियोजन है, यही कारण है कि इसे विभिन्न प्रादेशिक स्तरों पर स्वीकार किया जाता है ताकि सूक्ष्म स्तर पर समाज की छोटी से छोटी इकाई की आकांक्षाओं को आसानी से पूरा किया जा सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा अक्षुण्य रहे। इसके लिए नियोजक का प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह जिस क्षेत्र के लिए योजना बनाये, उसके क्रियान्वयन से पहले उस क्षेत्र के भौतिक स्वरूप तथा अन्य सामाजिक परिस्थितियों का भली–भांति सर्वेक्षण कर ले जो कि वहां के मानव पर्यावरणीय अन्तर्सम्बन्धों का फल है (फ्रीमैन, 1958)। चूंकि भूगोल का सम्बन्ध पार्थिव वस्तुओं के संयोजन के साथ–साथ उनके साहचर्य से भी है, जो किन्हीं निश्चित स्थानों को विशिष्टता प्रदान करते हैं (जेम्स एवं जोन्स, 1954)।

विकास नियोजन प्रक्रिया में भूगोलविदों की अहम् भूमिका है। केवल भूगोलवेत्ता ही हैं, जिनका स्थानिक संगठनों तथा स्थानिक विश्लेषण की विशिष्ट प्रविधियों पर स्वामित्व है। साथ ही यह मानव, समाज एवं पर्यावरण के मध्य, अन्तर्क्रियाओं में समाहित विभिन्न समस्याओं को हल करने की दृष्टि से एक बेहतर स्थिति में है क्योंकि ये स्थानिक विश्लेषणों की विशिष्ट शिक्षण कला से परिचित होते हैं। इनकी भूमिका न केवल सम्पूर्ण स्थानीय विषमताओं तथा अन्यायों की

विवेचना तथा विवरण में ही सुधारात्मक है अपितु मानवीय प्रसंगौचितता हेतु बदलाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

पर्यटन विकास नियोजन का दृष्टिकोण (Viewpoint of Tourism Development Planning)

किसी भी पर्यटन केन्द्र पर पर्यटकों की वृद्धि वहां के विकास के लगभग समानुपाती होती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रारम्भिक चरण में विकास के साथ पर्यटकों की वृद्धि गुणवत्तायुक्त हो परन्तु यह निश्चित है कि यदि विकास होता है तो कालान्तर में पर्यटकों की विविधता के साथ–साथ गुणवत्ता में धनात्मक परिवर्तन अवश्यम्भावी है। अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में विकास का स्वरूप सड़क निर्माण, यातायात के साधन, आवास व्यवस्था एवं दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की न्यूनतम उपलब्धता आदि की व्यवस्था प्रमुख होती है जबकि विकसित क्षेत्र के पर्यटक स्थलों के विकास के संन्दर्भ में वहां पर पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण उपलब्ध कराना, पार्कों का निर्माण, स्थानीय कला एवं शिल्प का पर्यटकों के समक्ष प्रदर्शन के साथ–साथ आधुनिक सुख–सुविधाओं एवं विलासिता का विस्तार भी सम्मलित होता है। विदेशी पर्यटकों के लिए इन तत्वों का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आर्थिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय, स्थलाकृतिक एवं स्वास्थ्यवर्द्धक स्थितियों की संरचना का विकास स्वतः साश्वत रूप से होता है। इनके विकास के साथ ही स्वाभाविक तौर पर पर्यटकों की वृद्धि मापी जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित नियोजन की महती आवश्यकता होती है। पर्यटन नियोजन में मुख्य रूप से निम्न पक्षों का सहयोग एवं सरोकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है–

(i) सरकार, (ii) व्यापारी एवं उद्योगपति, (iii) स्थानीय निवासी, (iv) भूगोलवेत्ता, (v) अर्थशास्त्री / अन्य शिक्षाविद्, (vi) पुरातत्वविद् , (vii) ग्राम–नगर नियोजक, (viii) पर्यावरणविद्,(ix) राजनीतिज्ञ, (x) पर्यटन विभाग, (xi) वन एवं उद्यान विभाग, (xii) लोक निर्माण विभाग, (xiii) औषधीय विभाग, (xiv) जल–कल विभाग, (xv) पर्यटन सुरक्षा, (xvi) विभिन्न स्वयंसेवी संस्थायें। इसे चित्र संख्या– 7.1 के माध्यम से रेंखाकित करने का प्रयत्न किया गया है।

पर्यटन विकास में अर्थिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्पूर्ण नियोजन अर्थ प्राप्ति या आर्थिक विकास के उद्देश्य से ही किया जाता है। इस आर्थिक विकास में सीधे तौर पर लाभकारी स्थितियां परिलक्षित नहीं होती है किन्तु यह स्थानिक निवासियों एवं राष्ट्रीय अर्थ वृद्धि में प्रकारान्तर एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी स्थिति में पहुँचती है। चूंकि अन्य विकास एवं व्यवस्थायें अर्थिक विकास की आशा पर ही टिके होते हैं, अतः आर्थिक विकास को ही केन्द्रबिन्दु मानकर योजना का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिएं, भले ही इसका लाभ स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो किन्तु इसका प्रभाव राष्ट्र के विकास पर अवश्य पड़ता है। विभिन्न आर्थिक विनिमयों के

कारण– द्रव्य तरलता बढ़ जाती है। जब भी द्रव्य तरलता बढ़ती है, उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। चूकि पर्यटन उद्योग में यात्री ही मुख्य घटक हैं, अतएव इनकी मात्रा बढ़ने से द्रव्य तरलता बढ़ेगी और यात्री की मात्रा बढ़ती रहे, इसके लिए पर्यटक स्थल के बहुमुखी विकास का होना आवश्यक है, जिसका प्रभाव यात्री संख्या पर पड़ना स्वाभाविक है।

चित्र संख्या– 7.1

यदि हम इन विभिन्न पक्षों को संक्षेपतः प्रक्षेपित करें, तो इसमें पर्यटन की मांग, पर्यटन, पर्यटन स्थल व उसकी दूरी, पर्यटकों के लक्षण, ठहरने की अविधि, संक्रियता, उपभोग का स्तर, सन्तुष्टि, गन्तव्य स्थान, पर्यावरणीय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि के संयुक्त से दबाव एवं क्षमता के अनुसार पर्यटन का भौतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों के नियंत्रण हेतु वित्त, संयोजना का प्रबन्धन, सूचना एवं संचार, वहन क्षमता एवं अभियांत्रिकी नियंत्रण के प्रभावी प्रबन्धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः पर्यटन के परिमाण, वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है (चित्र संख्या–7.2)।

लक्ष्य निर्धारण (Target Assessment)

पर्यटन विकास हेतु लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण स्पष्ट होना चाहिए। बगैर लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किये न तो पर्यटन का समुचित विकास ही हो पाता है और न ही पर्यटकों की गुणात्मक वृद्धि परिलक्षित हो पाती है। अतएव कुछ मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक है, जो समान्यतः पर्यटन विकास नियोजन में अहम् भूमिका निभा सकते हैं।

पर्यटन का संकल्पनात्मक ढांचा

चित्र संख्या–7.2

1. पर्यटन का विकास सभी स्तर एवं सभी खण्डों पर एक साथ एवं उच्च गुणवत्तायुक्त होना चाहिए किन्तु उसकी लागत अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. सांस्कृतिक एवं आर्थिक विनिमयों को पर्यटकों के मध्य प्रोत्साहित करना।
3. स्थानीय निवासियों के मध्य पर्यटन के आर्थिक लाभों का समानुपाती एवं सापेक्षी वितरण।
4. प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण।
5. स्थानीय परम्पराओं, पर्वों, त्योहारों के साथ–साथ विभिन्न कलाओं का पर्यटकों के मध्य बहुरंगी प्रक्षेपण एवं प्रदर्शन।
6. दृश्य एवं सुविधा संसाधनों का विकास।
7. विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं भुगतान तथा विनिमय की स्थिति को सुदृढ़ करना।
8. अधिक खर्चीले पर्यटकों को आकर्षित करना।
9. रोजगार के अवसर बढ़ाना।
10. पड़ोसी क्षेत्र की आय और रोजगार को बढ़ाना।
11. सुरक्षा सुदृढ़ीकरण।

यदि उपर्युक्त लक्ष्यों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन समय, सजगता एवं सहजता से किया जायेगा तो पर्यटन में निश्चित ही वृद्धि होगी, साथ ही पर्यटकों की गुणवत्ता उच्चस्तर की होगी। इस हेतु पर्यटकों की अभिरूचि वर्द्धन हेतु भी कुछ उपायों को ध्यान में रखना होगा जिनमें मुख्य रूप से पर्यटक की विशेषताओं पर अमल करना होगा। पर्यटकों हेतु विभिन्न आंकर्षण दृश्यावलियों का सृजन, आवासीय एवं अन्य पर्यटक सुविधाएं, भूमि की उपलब्धता एवं उसका उपयोग, पर्यावरण, आर्थिक ढ़ांचा, आव्रजको से सम्बन्धित विधायी स्थितियां आदि।

उपरोक्त बिन्दुओं के साथ–साथ इनका विश्लेषण एवं अनुश्रवण भी नितांत अपरिहार्य है। अन्यथा पर्यटन विकास एवं वृद्धि के सभी मॉडल बेकार, अक्रियाशील एवं अनुपयोगी प्रमाणित होंगे और नियोजन की जरा सी त्रुटि पूरे पर्यटन को प्रभावित करेगी। विकास नियोजन के विश्लेषण में विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जैसे–सम्पत्ति का मूल्यांकन, बाजारीय विश्लेषण, तथा प्रभाव विश्लेषण।

उपर्युक्त आधार पर संख्यात्मक गुण–दोष का विश्लेषण, वृद्धि विश्लेषण, समस्याओं का आंकलन एवं उनके समाधान के उपाय, विकास की रणनीति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है और उसी के अनुसार अगली योजनाओं में उनको शामिल करना तथा वैकल्पिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित करना समीचीन होगा।

पर्यटन विकास में सरकार की भूमिका (Role of Government in Tourism Development)

शासन द्वारा पर्यटन के उत्तरोत्तर विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जाती रहीं हैं। भारत सरकार ने झा कमेटी (1963) की अनुशंसा के आधार पर तीन

प्रकार के निगमों–भारतीय पर्यटन होटल निगम, भारतीय पर्यटन निगम लिमिटेड तथा पर्यटन यातायात अनुबन्धित लिमिटेड को मान्यता दी। इन निगमों का मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में होटल का प्रबन्धन और गठन, पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराना तथा पर्यटकों के लिये सड़क यातायात सम्बन्धी अनेक सुविधायें प्रदान करना था। इन निगमों के कुप्रबन्धन के फलस्वरूप सरकार ने अक्टूबर 1968 में दिल्ली में एक अनुबन्धित सार्वजनिक क्षेत्र, भारतीय पर्यटन विकास निगम का निर्माण किया ताकि पर्यटन विभाग का कार्य वेहतर रूप से चल सके।

भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) देश में केवल लाभ प्रदान करने वाला संगठन ही नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर, होटल से इसका कड़ा मुकाबला है। इस प्रकार पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण दोनों ही प्रचुर मात्रा में सुविधायें प्रदान करा रहे हैं और यातायात से जुड़े हुये पर्यटक अत्याधिक आनन्द की अनुभूति कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा के कारण यह निगम देश के लिये जहां एक ओर मूल्यवान विदेशी विनिमय का अर्जन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक परिमाण में देश को लाभान्वित भी कर रहा है।

भारत में पर्यटन विकास की व्यापक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन क्षेत्र के बहुआयामी विकास यथा– पर्यटन सूचना का प्रसार, पर्यटन की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, पर्यावरण–पर्यटन विकास आदि के लिये नीतियां तैयार की जाती रहीं हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन की राष्ट्रीय कार्य योजना को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

अ. क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक विकास ;

ब. रोजगार के उत्तरोत्तर अवसर ;

स. घरेलू पर्यटन का विकास : बजट स्तर की वरीयता ;

द. राष्ट्रीय स्मारकों व पर्यावरण का संरक्षण ;

य. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास और विदेशी विनिमय अर्जन ;

र. पर्यटन उत्पाद का अनुवर्तन ;

ल. विश्व पर्यटन में भारतीय भागीदारी को बढ़ाना।

इसी प्रकार नवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के अभिनव विकास पर बल दिया गया है।

भारतीय संविधान में संघ सूची, समवर्ती सूची व राज्य सूची का उल्लेख है। संघ सूची पर केवल केन्द्र का, राज्य सूची पर केवल राज्य का तथा समवर्ती सूची पर केन्द्र व राज्य दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। अतः पर्यटन विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि इस पर केन्द्र और राज्य दोनों का नियंत्रण रहेगा।

प्रान्तीय सरकारें पर्यटन के महत्व को स्वीकार करते हुये अपने निजी आय स्रोत से वांछित धनराशि प्रदान कर रहें हैं। पर्यटन मशीनरी के सम्यक संचालन हेतु समस्त प्रान्तीय

सरकारें, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाये गये निर्देशों का पालन कर रही हैं। भारतीय पर्यटन ने सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत क्षेत्र के बीच एक सन्तुलन कायम किया है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका निभाई है। दोनों ही सेक्टर एक–दूसरे के बढ़ते हुये कदम को अच्छी प्रकार जानते है, अतः प्रतियोगिता का अवलम्बन लेकर विकसित अवस्थापनाओं के माध्यम से एक–दूसरे को नीचा दिखाने का अनवरत प्रयास करते रहते हैं। यद्यपि सरकार के हांथ में नियोजन एवं संचालन दोनों हैं किन्तु वास्तविक कार्य सेवा का भार प्राइवेट सेक्टर में ही है।

भारत के प्रत्येक राज्य में पर्यटन ट्रेड के उन्नयन के लिये प्रथक–प्रथक राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। ये सभी निगम भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) के तहत पर्यटन मंत्रालय के अधीनस्थ काम कर रहे हैं।

राज्य पर्यटन विकास निगम के क्रियाकलाप (Functions of State Tourism Development Corporation)

राज्य पर्यटन विकास निगम ने वाणिज्य सम्बन्धी कार्यों को प्रारम्भ किया है। इस कार्य का सम्बन्ध विशेषतया उस स्थिति में होता है जब नये पर्यटन स्थलों के विकास एवं उनको बढ़ावा देने का कार्य प्रादेशिक निदेशालय के हांथ में रहता है। इस निगम की मुख्य व्यावसायिक क्रियायें इस प्रकार हैं–

अ. विदेशी व भारतीय दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिए आरामदायक आवासीय सुविधायें प्रदान करना यथा–स्टार होटल, मोटल, पर्यटन बंगला, पर्यटन हट, हालीडे कैम्प, विश्राम गृह, सर्किट हाउस, तम्बूघर आदि की कृत्रिम व्यवस्था आदि।

ब. होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफेटेरिया, कैन्टीन, कॉफी हाउस आदि के माध्यम से पर्यटकों को कैटेरिंग सुविधाएं प्रदान करना।

स. मध्यम व निम्न आय वाले पर्यटकों के लिये सस्ते आवास की सुविधा यथा–होटल, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर स्थापित विश्राम गृह, कैम्पिंग साइज शिविर, डॉरमेटरी, यात्रिका आदि।

द. पर्यटकों को राज्य के अन्तर्गत बेहतर सुविधायें प्रदान करना। इसके लिए यातायात इकाई, यात्रा और यातायात प्रकोष्ठ, राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा स्वंय की पर्यटक बस, कोच, टैक्सी, सड़क यातायात निगम की बसें, प्राइवेट बसें, कार, टैक्सी तथा रेलवे और वायु यातायात।

य. मनोरंजन के साधनों का आयोजन यथा–मेला और त्योहार, नृत्य, संगीत, रात्रि क्लब, खेलकूद, तरनताल, स्वरं संगम आदि। ये सब पर्यटन कै विभिन्न आकर्षक स्थानों पर होना चाहिए।

र. प्रान्त मे विभिन्न आकर्षण प्रधान स्थानों पर " शॉपिंग कॉम्पलेक्स" का प्रबन्धन व संस्थापना।

कालिंजर में पर्यटन विकास (Tourism Development in Kalinjar)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम सन् 1962 में ठाकुर मतोला सिंह ने कालिंजर क्षेत्र को विकसित करने के लिये अनेक प्रयास किये। इनके समय में राठौर महल के निकट एक संग्रहालय बनवाया गया। यत्र–तत्र बिखरी हुयी मूर्तियों को एकत्रित करने के साथ–साथ कुछ मूर्तियों का नवीनीकरण भी कराया गया। दुर्ग के ऊपर स्थित ऐतिहासिक इमारतों का रख–रखाव भी इन्हीं के समय से प्रारम्भ हुआ। सुरेन्द्रपाल वर्मा के मंत्रीत्वकाल में यहां से बाँदा–सतना, बांदा,–बघेलाबारी तथा बाँदा–फतेहगंज के लिए बस सेवाएं उपलब्ध होने लगीं। दुर्ग पर अवस्थित अमान सिंह महल में 15 नवम्बर 1990 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुरातत्व विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कालिंजर दुर्ग के ऊपर तक एक पक्की सड़क का निर्माण किया जाय तथा सभी स्थानों के नाम के बोर्ड लगाये जायें। उन बोर्डों पर ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी किया जाय। कालिंजर दुर्ग के क्षतिग्रस्त स्थानों की मरम्मत करायी जाय तथा यात्रियों के ठहरने के लिये उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय। उपरोक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखकर बड़ी तेजी से कालिंजर दुर्ग के विकास हेतु कार्य प्रारम्भ हुये। इसी क्रम में 1990 –91 तक दुर्ग तक जाने के लिये पक्का मार्ग बनाया गया किन्तु तकनीकी ढ़ग से मार्ग न बनने के कारण बरसात के मौसम में प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त हो जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालिंजर के महत्व को प्रसारित करने के उद्देश्य से 1991 में सर्वप्रथम जिलाधिकारी एस0डी0 ओझा के नेतृत्व में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों के साथ–साथ शिक्षाविदों व कलाकारों को भी आमंन्त्रित किया गया। इस अवसर पर गोष्ठी का आयोजन व लोक संस्कृति का प्रदर्शन भी किया गया। इस महोत्सव में यह सुझाव दिया गया कि कालिंजर क्षेत्र में जो मूर्तियां इधर–उधर बिखरी पड़ी हैं, उन्हें इकठ्ठा कर कालिंजर दुर्ग के आसपास एक संग्रहालय बनाया जाय और उनमें मूर्तियों का संग्रह किया जाय। इस सम्बन्ध में कुछ मूर्तियों का संग्रह राजा अमान सिंह के महल में किया भी गया है, जहां विभिन्न देवी–देवताओं की लगभग 690 मूर्तियां व शिलालेख रखे हैं। इसी दौरान खजुराहो से कालिंजर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हुआ जिससे खजुराहो–कालिंजर तथा महोबा की दूरी बहुत कम हो गयी है। तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष कृष्ण कुमार भारतीय ने पुनः कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया जिसमें भूतपूर्व विधायक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा के प्रयास से कुछ विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर राधाकृष्ण बुन्देली ने कालिंजर के ऐतिहासिक स्थलों पर चित्रांकित अपनी वीडियों फिल्म का प्रदर्शन किया। इस महोत्सव में बुद्धिजीवियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भागीदारी निभाई। कालिंजर पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य

से 1997 में 13–15 नवम्बर् को कालिंजर महोत्सव का पुनः आयोजन किया गया। इसमें चित्रकूटधाम मण्डल के आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी तथा दूरदर्शन विभाग के कलाकारों ने भी भाग लिया। चित्रकूटधाम मण्डल के आयुक्त तथा बाँदा के जिलाधिकारी, विकास अधिकारी आदि ने कालिंजर को विश्व स्तर पर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने के लिये अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालिंजर के गौरव को स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी व राष्ट्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानिक स्तर के कलाकार आदि भाग लेते हैं।

सहायक निदेशक पर्यटन, झांसी की सूचनानुसार कालिंजर पर्यटन केन्द्र के विकास हेतु विभिन्न मदों में निम्नलिखित धनराशि प्रस्तावित एवं व्यय की गई है (सारिणी संख्या– 7.1)।

सारिणी संख्या–7.1

कालिंजर पर्यटन केन्द्र के विकास का योजनावार प्रस्तावित एवं व्यय धनराशि, लाख में (1998–2003)

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	मद राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
01	कटरा कालिंजर से नीलकण्ठ मन्दिर तक सीढ़ियों के निर्माण हेतु	1998–99	5.00	5.00	कार्य पूर्ण हो चुका।
02	नीलकण्ठ मन्दिर तक पहुँच मार्ग	1999–2000	1.50	1.50	कार्य पूर्ण हो चुका।
03	मण्डूक भैरव–भैरवी पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु	1999–2000	2.50	2.50	कार्य पूर्ण हो चुका।
04	दुर्ग पर प्रकाश व्यवस्था	2001–2002	2.00	1.00	कार्य चालू है।
05	मदन शहीद पीर बाबा की मजार का सौन्दर्यीकरण	2001–2002	2.00	1.50	कार्य चालू है।
06	मदन शहीद पीर बाबा की मजार तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु	2001–2002	5.00	3.00	कार्य चालू है।
07	कालिंजर दुर्ग के ऊपर चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण	2002–2003	5.00		प्रस्तावित
08	कटरा कालिंजर स्थित सीढ़ी की तरफ से नीलकण्ठ मन्दिर तक विद्युत व्यवस्था	2002–2003	5.00		प्रस्तावित
09	कालिंजर दुर्ग में लाइट एवं साउण्ड प्रोग्राम व्यवस्था हेतु	2002–2003	10.00		प्रस्तावित

स्रोत – सहायक निदेशक पर्यटन, झांसी की सूचना पर आधारित।

इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड विकास निधि, सांसद एवं विधायक निधि के माध्यम से भी कालिंजर क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। सन् 2002–2003 में बाँदा–नरैनी

मार्ग पर गिरवां से 20 किमी0 पश्चिम में केन नदी के मध्य अवस्थित रनगढ़ किले में पर्यटन विकास हेतु 10.00 लाख रूपये प्रस्तावित हैं। जिला मुख्यालय से 3 किमी0 दूर स्थित भूरागढ किले में सम्पर्क मार्ग एवं बाउड्री वाल के निर्माण व किले के संरक्षण हेतु 10.0 लाख रूपयें की योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है। गिरवां से 8 किमी0 दूर खत्री पहाड़ पर स्थित विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शनार्थ जाने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ आधुनिक यात्री शेड के निर्माण हेतु 10 लाख रूपये की योजना प्रस्तावित है। पुरातत्व विभाग भी सतत् कालिंजर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

इस प्रकार कालिंजर क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु शासन द्वारा क्रियान्वित विविध योजनाओं के फलस्वरूप देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जैसा कि (सारिणी संख्या–7.2) से स्पष्ट हैं।

सारिणी संख्या – 7.2

कालिंजर में प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या

(मेले एवं त्योहार में एकत्रित भीड़ को छोड़ कर)

वर्ष	देशी	विदेशी
1981	33845	10
1985	36105	15
1991	39935	23
1995	43470	39
2001	47890	53
20 नवम्बर 2002	51350	64

स्रोत – पुरातत्व विभाग, कालिंजर शोध संस्थान एवं स्वंय के सर्वेक्षण पर आधारित।

सारिणी संख्या–7..2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कालिंजर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में विभिन्न प्रान्तों व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मन में यद्यपि इस क्षेत्र को देखने की ललक बढ़ी है फिर भी आरामदेह यातायात का अभाव, असुरक्षा, भोजन तथा आवास की सुघड़ व्यवस्था में कमी, गन्दगी तथा निकृष्ट सफाई व्यवस्था आदि के फलस्वरूप पर्यटकों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है। यही कारण है कि आज भी 24 घण्टे से अधिक समय तक रूकने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 5.7 प्रतिशत है जबकि दैनिक पर्यटकों की संख्या 94.3 प्रतिशत है। यहां दोबारा आने के प्रति 53.5 प्रतिशत पर्यटक उत्तरदाता सन्देह व्यक्त करते हैं जबकि 37.6 प्रतिशत दुबारा आने की इच्छा तथा 8.9 प्रतिशत पर्यटक कोई भी उत्तर देने में असमर्थ पाये गये।

पारदर्शिता के अभाव में शासन द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं सन्देह के घेरे में हैं। पर्यटक विकास प्रक्रिया काफी सुस्त है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिये बूंद–बूंद टपकने की भांति दिखायी देती है। अतः शासन को चाहिए कि पर्यटकों के लिए भोजन, आवास तथा परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ करने के उद्देश्य से योजना तैयार कराये। सुरक्षा का भाव विकसित करने के साथ–साथ जागरूकता अभियान के माध्यम से गन्दगी का वातावरण समाप्त करने का प्रयत्न किया जाय। पारदर्शिता एवं ईमानदारी से पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा निरीक्षण किया जाय ताकि सही दिशा में कार्य न करने वालों को दण्डित किया जा सके। कालिंजर के प्राकृतिक परिदृश्य को क्षति पहुँचाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाय तथा स्थानीय लोगों को गोष्ठी के माध्यम से पर्यटन विकास के लाभों से अवगत कराया जाय ताकि वे भी पर्यटन विकास में पूर्ण लगन एवं निष्ठा से भागीदारी निभा सकें।

पर्यटन विवरणिका (Tourism Brochure)

देश के केन्द्रीय भाग में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य लाभ आदि की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर अंकित है (चित्र संख्या–7.3)। इनमें से एक महत्वपूर्ण केन्द्र कालिंजर है जो बुन्देलखण्ड (उ0प्र0) के बाँदा जनपद की नरैनी तहसील में अवस्थित है। यह स्थान युगों–युगों से ज्ञान, सृष्टि, सृजन तथा शक्ति के रूप में विख्यात रहा है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर 25^{0} 1′ उत्तरी अक्षांश तथा 80^{0}29′ पूर्वी देशान्तर पर विंध्याचल श्रेणियों की कालिंजर पहाड़ी में स्थित उत्तर भारत का अजेय दुर्ग कालिंजर एक सजग प्रहरी की भांति चिरकाल से रक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा है। भारत की विश्व कला धरोहर के लिये अनुपम देन कालिंजर अपनी वास्तु एवं मूर्तिकला में अद्वितीय है। चन्देलों द्वारा निर्मित आठ प्रमुख किलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान था।

दुर्गीकरण से पूर्व कालिंजर तीर्थस्थल, तपःस्थली, तंत्रसाधना, पापनाशक, आत्मसाधना, पितृ पूजा आदि का केन्द्र था। इसका महत्वाकंन वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, बौद्ध, जैन एवं अन्य विविध साहित्यिक कृतियों, लोक गाथाओं, आख्यानों आदि में किया गया हैं। कालिंजर तथा शिव एक–दूसरे के पूरक व पर्याय हैं। अभिलेखों में इसे 'कालंजर', 'कालंजराद्रि', 'कालंजरगिरि' तथा 'कालंजरपुर' इत्यादि नामों और शिव (नीलकण्ठ) के आवास के रूप में सुविख्यात कहा गया है।

सामरिक महत्ता के कारण प्राचीन भारत के अनेक राजवंश इस दुर्ग को अधिकृत करने की प्रबल इच्छा रखते थे। इसे अपने आधीन कर वे 'कालंजर पुरवराधीश्वर', 'कालंजर गिरिपति' तथा 'कालंजराधिपति' की उपाधियाँ ग्रहण करते थे। भारत के इस अनुपम अभेद्य दुर्ग की प्रशंसा मुस्लिम इतिहासकारों ने 'सिकन्दर की दीवाल' के नाम से की है।

बुन्देलखण्ड एवं उसके आस-पास
के
दर्शनीय स्थल
10 5 0 10 20 30 40
किलोमीटर
संकेत
राज्य सीमा
मण्डल मुख्यालय
जनपद सीमा
रैलवे लाइन
सड़कें
नदियाँ
दर्शनीय स्थल
जनपद मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
कानपुर
ओरइया
सिकन्दरा
ग्वालियर
बेहट
स्योंढ़ा
मिहोना
जालौन
कालपी
रामपुर
कोंच
उरई
डबरा
दतिया
समथर
गुरुसरांय
राठ
मुस्करा
मौदहा
सुमेरपुर
हमीरपुर
बिन्दकी
फतेहपुर
बबेरु
कमासिन
बांदा
ओरन
राजापुर
मऊ
कर्वी
अतर्रा
नरैनी
कालिंजर
अजयगढ़
पन्ना
खजुराहो
नौगांव
छतरपुर
महोबा
कुलपहाड़
चरखारी
पनवाड़ी
झांसी
बरुआसागर
रानीपुर
जतारा
टीकमगढ़
ललितपुर
तालबेहट
महरौनी
मड़ावरा
बीजावर
किशनगढ़
अमानगंज
सलेहा
नागौद
सतना
जैतवार
सिमरिया
रीवा
अमरपतन
रामनगर
शिवपुरी को
सागर को
कटनी को
राय बरेली को
26° उ.
25° उ.
79° पू.
80° पू.
81° पू.

चित्र संख्या 7.3

कालिंजर दुर्ग समुद्र तल से लगभग 381.25 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इसका मुख्य प्राचीर 25–30 मीटर नींव पर 30–35 मीटर ऊँचा, शीर्ष में 8 मीटर चौड़ा तथा 7.5 किलोमीटर लम्बा पत्थरों को एक के ऊपर रखकर अथवा चूने के जोड़ से बनाया गया है। सामान्य ढाल होने के कारण किले का निचला भाग चढ़ने में आसान है जबकि मध्य भाग कठिन है। खड़ा ढाल होने के कारण ऊपरी भाग चढ़ने में बहुत कठिन है। वर्तमान समय में सड़क बन जाने के कारण किले पर चढ़ना आसान हो गया है।

धार्मिक तथा सामरिक महत्व के साथ–साथ दुर्ग वास्तु, शैल वास्तु, मन्दिर वास्तु तथा कला केन्द्र के रूप में यह क्षेत्र विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कालिंजर के शैलोत्खात कुण्ड, पुष्करिणी तथा सरोवर अद्‌भुत हैं। शैलोत्खात शैव, शाक्त, वैष्णव व लौकिक प्रतिमाएँ विलक्षण हैं। इनके शोधात्मक विश्लेषण से भारतीय मूर्तिकला विज्ञान के विकास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। यहां की कुछ देव मूर्तियाँ तो भारतीय कला की अप्रतिम देन मानी जा सकती हैं। यहां की मूर्तिकला में जनजीवन के अनेक पक्षों, पशु–पक्षियों, अप्सराओं, मिथुनों तथा स्थानीय कला के विविध दृश्यों का चित्रांकन है।

दर्शनीय स्थल (Places of Interest)

सप्त द्वार– कालिंजर दुर्ग पर जाने के लिए तीन मार्ग है– आधुनिक सड़क मार्ग, कटरा कालिंजर से नीलकण्ठेश्वर मन्दिर की ओर से सीढ़ी मार्ग तथा कालिंजर नगर के उत्तर दिशा से पुराना सीढ़ी मार्ग। अन्तिम मार्ग से किले के ऊपर जाने पर सात दरवाजे (आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चौबुर्जी दरवाजा, बुधभ्रद दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा तथा बड़ा दरवाजा) मिलते हैं।

अमान सिंह महल– बुन्देल शासक अमान सिंह ने अपने रहने के लिए कालिंजर दुर्ग के कोटितीर्थ के किनारे एक महल बनवाया था, जो मध्यकालीन बुन्देली स्थापत्य का अनूठा नमूना है। यहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा दुर्ग में बिखरी हुई मूर्तियों को संग्रहीत करके संग्रहालय का रूप प्रदान किया गया है। यहां पर शैव, वैष्णव, शाक्त तथा जैन सम्प्रदायों की विशिष्ट प्रतिमाएँ रखी है, जो कालिंजर की कला को विश्व स्तर के पर्यटकों को अपनी ओर मोहित करने में समर्थ हैं।

सीता सेज– यहां पर शैलोत्कीर्ण एक लघु कक्ष है जहां पत्थर से निर्मित पंलग एवं तकिया रखा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इसे सीता का विश्राम स्थल माना जाता है। इसके समीप सीता कुण्ड नामक एक जलकुण्ड स्थित है। इसके दाहिने किनारे पर पुरूषों एवं स्त्रियों की अनेक मूर्तियाँ हैं। यहां पर पद्‌मासन अवस्था में एक सन्त की मूर्ति है।

वृद्धक क्षेत्र– दुर्ग के पूर्वी भाग में 150 फुट लम्बा तथा 75 फुट चौड़ा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण दो संयुक्त जलाशय हैं जिन्हें बुड्ढा–बुड्ढी तालाब के नाम से जाना जाता है। अनुमानतः

इन जलाशयों का स्रोत कुछ ऐसी जड़ी–बूटियों के सम्पर्क से है जिसके फलस्वरूप इनका जल चर्म रोगों के लिये लाभकारी है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। चन्देल शासक, कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग यहां पर स्नान करने से ठीक हो गया था।

कोटितीर्थ– कोटितीर्थ वह स्थान है, जहां सहस्त्रों तीर्थ एकाकार हों। यहां के ध्वंसावशेष अनेक मन्दिरों की उपस्थिति का आभास कराते हैं। इस समय यहां पर 300 फिट का एक बड़ा तालाब है जिसके चतुर्दिक सीढ़ियाँ हैं। तालाब की भित्तियों में गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक के अनेक अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इनमें अधिकांश नष्ट हो गये हैं। शंखलिपि के तीन अभिलेख भी यहां मिले हैं।

मृगधारा– दुर्ग के दक्षिण–मध्य दिशा में मृगधारा नामक स्थान है, जो अध्यात्म के प्रथम गुरू ऋषि जड़ भरत की माता मृगी की जन्मभूमि और जड़ भरत की तपोभूमि है। यहां पर पहाड़ को काट–छांटकर दो कक्ष बनाये गये हैं। एक कक्ष में सात मृगों की मूर्तियां हैं। इन मृगों के ऊपर निरन्तर पहाड़ से जल गिरता रहता है। इसका सम्बन्ध पुराणों में वर्णित सप्त ऋषियों की कथा से बताया जाता है। यहां पर गुप्तकाल से मध्यकाल तक के अनेक तीर्थयात्रियों के अभिलेख भित्तियों एवं शैलों पर उत्कीर्ण हैं।

माण्डूक भैरव एवं भैरवी– सबसे अधिक दुर्गम स्थान पर शिला के अन्दर खोदकर बनाई गई भैरव व भैरवी की मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर तथा मनोहारी हैं। यह दिव्य प्रतिमाएँ किसी कुशल शिल्पकार द्वारा निर्मित कृतियाँ हैं, जो कालिंजर के महत्व एवं गौरव को बढ़ाने में सहायक हैं।

नीलकंठ मन्दिर– नीलकंठ महादेव कालिंजर के अधिष्ठाता देवता हैं। यह दुर्ग का सबसे प्राचीन, पवित्र तथा महत्वपूर्ण स्थान है, जो किले के पश्चिमी कोने पर स्थित है। इस मन्दिर को जाने के लिए दो दरवाजों से होकर नीचे जाना पड़ता है। यह स्थान प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुन्दर एवं मनमोहक है। यहां पर अनेक गुफाएँ एवं मूर्तियाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं, जो मूर्तिकला विज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें नवग्रह पट्ट, वैकुण्ठ पट्ट, उमा–महेश्वर, महिषि मर्दनी, गरूणासीन विष्णु, नौ सिरवाली महासदाशिव की मूर्ति, नन्दी पर शिवलिंग, कालभैरव आदि की प्रतिमाएँ प्रमुख हैं। नीलकंठ मन्दिर का अलंकृत अष्टकोणीय स्तम्भयुक्त मण्डप चन्देल वास्तुशिल्प का अद्वितीय उदाहरण है। इस मण्डप से संलग्न शैलोत्खात गर्भ– गृह है, जिसमें स्वयं–भू शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर के प्रवेश द्वार पर स्थित काली शिला में चन्देल शासक परमार्दिदेव द्वारा रचित शिव स्तुति उत्कीर्ण है।

नीलकंठ मन्दिर के ऊपर पर्वत को काटकर दो जलकुण्ड बनाए गए हैं। इन्हें स्वर्गारोहण कुण्ड कहते हैं। इस कुण्ड के दाहिने भाग में पर्वत को काटकर काल भैरव की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है। यह अठ्ठारह भुजी मूर्ति है जिसके वक्ष में मुण्डों की माला, कानों में सर्प

कुण्डल, हाथों में सर्प वलय तथा गले में सर्पों की माला है। अबुल फजल द्वारा लिखित 'आइने अकबरी' में इस मूर्ति का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त यहां पर अनेक मुखलिंग तथा अन्य विलक्षण प्रतिमाएँ व अभिलेख उपलब्ध हैं।

पाताल गंगा– चट्टानों के कटाव से निर्मित यहां एक गहरा कुण्ड है जिससे निरन्तर जल निकलता रहता है तथा यह जल छत तथा चारों ओर की दीवारों से निरन्तर टकराता है। इस क्षेत्र का यह एक विलक्षण प्राकृतिक स्थान है।

अन्य स्थल– इसके अतिरिक्त कालिंजर दुर्ग में रंग महल, रानी महल, वेंकट बिहारी मन्दिर, पाण्डव कुण्ड, सिद्ध की गुफा, भैरव कुण्ड, रामकटोरा, सुरसरि गंगा, बलखण्डेश्वर, भड़चांचर, चरण–पादुका, शनीचरी तलैया, स्वर्गारोहण कुण्ड, खम्भौर ताल आदि तथा कालिंजर बस्ती क्षेत्र में राठौर महल, गोपाल ताल का विष्णु मन्दिर, अनन्तेश्वर मन्दिर, गौरैया मन्दिर, कटरा के लेटे हनुमान जी, मदन शहीद की मजार, बेलाताल (चित्र संख्या–7.4) आदि दर्शनीय स्थल हैं।

कालिंजर में कल्पवृक्ष– गोरख इमली अथवा बाओआब के नाम से विख्यात दो विशाल कल्पवृक्ष कालिंजर बस्ती के उत्तर में स्थित हैं। अत्यन्त प्राचीन ये वृक्ष दर्शनीय एवं रक्षणीय हैं। शास्त्रों में वर्णित कल्पवृक्ष के समान ही यह वृक्ष मिलते हैं।

पर्यटन की दृष्टि से रमणीय क्षेत्र कालिंजर– प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से यह एक रमणीय क्षेत्र है। यहां की पर्वत श्रेणियाँ हरे–भरे वृक्षों से ढकी रहती हैं। फलतः इस क्षेत्र का दृश्य अत्यन्त सुन्दर व मनमोहक हो जाता है। यहां के पुरातन मन्दिर, विविध सुरूचिपूर्ण मूर्तियाँ, विस्तृत दुर्गम वन क्षेत्र, पहाड़ी श्रृंखलाएँ, जल के अजस्र स्रोत, रॉक क्लाइम्बिंग हेतु उपयुक्त लम्बवत् स्थित पहाड़ी श्रेणियाँ आदि किसी भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल से अधिक चित्ताकर्षक एवं सुन्दर हैं। शान्त वातावरण, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रहित क्षेत्र, मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों की बहुतायता, स्वास्थ्यकारी जलवायु एवं वनस्पति आदि के कारण यह क्षेत्र हर दृष्टि से पर्यटन योग्य है।

सम्पूर्ण कालिंजर क्षेत्र में विविध जड़ी–बूटियाँ, औषधियाँ, लौह खनिज मण्डूर तथा मधु का प्रचुर भण्डार है। इसीलिए यह क्षेत्र शिक्षाविद्ों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, इतिहासकारों, भूगोलवेत्ताओं, संस्कृति के अध्येताओं, वास्तुविद्ों, मूर्तिकारों तथा पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।

अन्य सामान्य सूचनायें (Other General Informations)

दुर्ग का क्षेत्रफल–	लगभग 5 वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या–	तरहटी कालिंजर– 4675 ; कटरा कालिंजर– 3380
समुद्रतल से ऊंचाई–	381.25 मीटर
भ्रमण का उपयुक्त मौसम–	माह अगस्त–सितम्बर–फरवरी

वेशभूषा— ग्रीष्म ऋतु— सूती कपड़े ; शीत ऋतु— ऊनी कपड़े

भाषा— हिन्दी व बुन्देली

स्थानिक स्तर पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाँदा, नरैनी व खजुराहो, चित्रकूट इत्यादि, केन्द्रों से जीप एवं कार किराए पर लेकर किले तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है।

पहुँचने का मार्ग

वायु मार्ग— निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो (म0प्र0) में है, जो 172 किमी0 की दूरी पर स्थित है। कानपुर से बाँदा होते हुए भी यहां पहुँचा जा सकता है।

रेलमार्ग— निकटतम रेलवे स्टेशन बाँदा (57 किमी0) तथा अतर्रा (38किमी0) से नरैनी होकर बस द्वारा या अपने स्वयं के वाहन से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा क्रमशः 46 किमी0 और 85 किमी0 की दूरी पर स्थित चित्रकूटधाम (उ0प्र0) तथा सतना (म0प्र0) से भी बस द्वारा यहां आया जा सकता है।

बस मार्ग— कालिंजर सड़क मार्ग द्वारा महत्वपूर्ण केन्द्रों से सम्बद्ध है। बाँदा (उ0प्र0), अजयगढ़ व सतना (म0प्र0) से नियमित बस सुविधा प्राप्त है। चित्रकूट, खजुराहो आदि से निजी वाहन के माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से कुछ केन्द्रों की दूरी— झांसी 256 किमी0, लखनऊ 285 किमी0, इलाहाबाद 201 किमी0, वाराणसी 336 किमी0, बाँदा 57 किमी0, नागौद 58 किमी0, पन्ना 105 किमी0 तथा सतना 84 किमी0।

निकटवर्ती पर्यटन आवास 86किमी0 की दूरी पर चित्रकूट में स्थित है। कालिंजर में पर्यटकों के लिए आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं बहुत कम है इसलिए पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अपने साथ भोजन व मिनरल वाटर अवश्य लाएं। कालिंजर में बाजारीय सुविधाएं निम्न स्तर की है जहां मौसमी सब्जियां, चाय व दूध, शीतल पेय आदि उपलब्ध हो जाते हैं।

कालिंजर परिक्षेत्र के दर्शनीय स्थल (Places of Interest of Kalinjer Area)

कालिंजर परिक्षेत्र में धर्म, वास्तुशिल्प, संस्कृति तथा विशिष्ट रीति–रिवाजों से युक्त अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनके गौरवमयी अतीत से प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह पाते।

1. **भरतकूप**— सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध यह स्थान बाँदा से लगभग 60 किमी0 की दूरी पर स्थित है जहां रेल व सड़क मार्ग दोनों ही सुलभ हैं। बाँदा–मानिकपुर मार्ग में भरतकूप रेलवे स्टेशन है। बांदा तथा इलाहाबाद से भरतकूप बस्ती तक सड़क परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। यहां से यात्री निजी साधन के माध्यम से भरतकूप के प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण स्थलों को देख सकते है। भरतकूप मन्दिर व भरतकूप यहां के मुख्य दर्शनीय स्थल है।

2. **व्यास कुण्ड**– पर्वत श्रेणियों एवं जगलों से आवृत्त इस क्षेत्र में महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास ने बहुत दिनों तक रहकर साधना की। भरतकूप से निजी जीप, अश्व या पैदल चलकर इस क्षेत्र का दर्शन किया जा सकता है।

3. **मड़फा**– कालिंजर–बघेलाबारी मार्ग पर 25^0 उत्तरी अक्षांश एवं $80^0 45'$ पूर्वी देशान्तर पर कालिंजर दुर्ग से 25–26 किमी0 उत्तर–पूर्व में स्थित है। हांथी दरवाजा, शिव मन्दिर, सरोवर एवं मन्दिर अवशेष, जैन मन्दिर, मूर्ति अवशेष, बारादरी, गौरी शंकर गुफा, शैल चित्र आदि दर्शनीय स्थल हैं।

4. **रौली गोंडा**– बाँदा से 51 किमी0 दूर $25^0 12'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 47'$ पूर्वी देशान्तर पर बदौसा के आगे रसिन सम्पर्क मार्ग से दो किमी0 पश्चात् एक अन्य सम्पर्क मार्ग पर चार किमी0 की दूरी पर यह स्थान स्थित है। विष्णु मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर, महिषासुर मर्दिनी मन्दिर, फूटा ताल, आदि देखने योग्य स्थल हैं।

5. **रसिन**– यह स्थान बांदा से 48 किमी0 तथा चित्रकूटधाम (कर्वी) से 30 किमी0 की दूरी पर $25^0 11'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 44'$ पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है। इस स्थान पर आने के लिये निजी साधन से रसिन पहुँचना होगा, जो बदौसा–फतेहगंज मार्ग से 5 किमी0 दूर स्थित है। यहां से रसिन के लिए मार्ग उपलब्ध है। रसिन का दुर्ग, चन्द्रा माहेश्वरी का मन्दिर, चन्द्रा माहेश्वरी ताल, काली मन्दिर, ऐतिहासिक बीहड़, रतननाथ मन्दिर, परमार्दिदेव का शाही निवास, सत्ती–सत्ता की मूर्ति आदि दर्शनीय स्थल हैं।

6. **बिलहरिया मठ**– डढ़वामानपुर गांव के पास बदौसा–फतेहगंज मार्ग पर $25^0 6'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 43'$ पूर्वी देशान्तर में यह स्थान स्थित है। कालिंजर से सढ़ा, नरदहा, बघेलाबारी होते हुए फतेहगंज आया जा सकता है। वीरगढ़ दुर्ग, देवी मन्दिर, मगरमुहा के शैल चित्र आदि यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं।

7. **बानगंगा**– यह स्थान निर्जन वन में फतेहगंज तथा पथरा पालदेव के सन्निकट स्थित है। यहां एक प्राकृतिक कुण्ड है, जो आगे चलकर सरिता का रूप धारण कर लेता है। निजी संसाधनों से चाहे चित्रकूट, गुप्त गोदावरी तथा पथरा पालदेव होकर अथवा नरैनी, कालिंजर, सढ़ा, नरदहा व फतेहगंज होकर यह सतना, पाथर कछार और फतेहगंज से अथवा बदौसा, फतेहगंज, बिलहरिया मठ होकर यहां पहुंचा जा सकता है। सुरम्य प्राकृतिक स्थल, विचित्र वृक्ष, वानगंगा कुण्ड, विविध धार्मिक मन्दिर यहां के दर्शनीय स्थल हैं।

8. **पाथर कछार**– सतना जनपद (म0प्र0) में स्थित यह ऐतिहासिक, धार्मिक व प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहां पहुंचने के लिये सतना जनपद से सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नरैनी, कालिंजर, सढ़ा, नरदहा, फतेहगंज होकर अथवा

बाँदा से बदौसा–फतेहगंज होते हुए यहां पहुँचा जा सकता है। पथरीगढ़ दुर्ग, राजप्रसाद, रक्तदंतिका मन्दिर, विष्णु मन्दिर, वैश्या की मजार, प्राकृतिक झीलें, बीहड़ आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

9. **बृहस्पति कुण्ड**– कालिंजर–सतना मार्ग पर कालिंजर से 15किमी0 दूर पहाड़ीखेरा से पन्ना जाने वाले रास्ते में सूर्यकुण्ड नामक स्थान से बृहस्पति कुंण्ड जाने का मार्ग है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण यह स्थल बागै नदी का उद्‌गम स्थल है। यहां जाने के लिये पन्ना से पहाड़ीखेरा तक नियमित बस सेवायें उपलब्ध हैं। कालिंजर–कौहारी मार्ग से भी यहां पहुंचा जा सकता है। पुतरिया घाटी, अति प्राचीन मन्दिरों के अवशेष, विशाल गुफा, शिव स्थल, बृहस्पति कुण्ड, हीरे की खदानें, सूर्य कुण्ड, बागै नदी का उद्‌गम स्थल आदि दर्शनीय क्षेत्र हैं।

10. **रिसौरा**– नरैनी के सन्निकट पनगरा के समीप यह स्थान स्थित है। रिसौरा महल, प्राचीन बीहड़, हांथी दरवाजा, भूत महल, प्राचीन मन्दिर अवशेष आदि दर्शनीय स्थल हैं।

11. **करैल बाबा का स्मारक**– बाँदा से लगभग 30किमी0 दूर पनगरा गांव के पास सिद्ध महात्मा करेल बाबा का स्मारक देखने योग्य है।

12. **शेरपुर स्योढ़ा**– यंह गांव जनपद मुख्यालय बांदा से 24 किमी0 दूर केन नदी के तट पर 25°27' उत्तरी अक्षांश तथा 80°24' पूर्वी देशान्तर पर बसा है। इसी गांव के समीप 259 मीटर ऊँचाई वाली एक पहाड़ी है, जिसे खत्री पहाड़ कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर स्थित है। दुर्ग अवशेष, बीहड़ एवं जलाशय, पडुई के शैलाश्रय, गन्छा का शिव मन्दिर, पिथौरा, जंजीराबाद, हरबोला के ऐतिहासिक स्थल आदि प्रसिद्ध हैं। यहां पहुँचने के लिए बाँदा से गिरवाँ तक बस सेवा उपलब्ध है। इसके पश्चात् निजी साधन से यहां पहुँचा जा सकता है।

13. **रनगढ़**– केन नदी के मध्य एक ऊँची पहाड़ी पर यह स्थान स्थित है। यहां पहुँचने के लिए कोई नियमित साधन नहीं है। पनगरा से कुछ जानकार व्यक्तियों को लेकर यहां पहुँचा जा सकता है। नौका के सहारे केन नदी के तट से दुर्ग की पहाड़ी तक जाया जा सकता है। यहां का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोंरम व सुहावना है।

14. **अजयगढ़**– यह स्थान मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद मुख्यालय से 35किमी0 दूर स्थित है। खजुराहो, पन्ना तथा बाँदा से यहां नियमित बस सेवा उपलब्ध है किन्तु दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए निजी साधन आवश्यक है। अजयगढ़ दुर्ग अवशेष, अजयपाल तालाब एवं मन्दिर, तड़ाग, मन्दिरों के अवशेष, तरोहनी दरवाजा के पुरावशेष, भूतेश्वर, देव पहाड़ी, बुन्देल शासकों के ऐतिहासिक स्थल आदि महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं।

इसके अतिरिक्त गुढ़ा, कीट पहाड़ी, चुम्बक पहाड़ी, कठुला जवारी के जंगल, चुडैल घाटी, दधीचि आश्रम, सढ़ा–नरदहा, लखन सेहा, किशन सेहा, सारंग, सकरो या मगरमुहा आदि

दर्शन योग्य स्थान है, जहाँ कालिंजर से निजी साधन के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। इन स्थानों में आवास, भोजन, जलपान, मिनरलवाटर, आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों को अपने साथ आवश्यक वस्तुएं ले जाना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से कालिंजर, बदौसा, फतेहगंज, नरैनी आदि पुलिस स्टेशनों से सम्पर्क किया जा सकता है।

पर्यटन विकास नियोजन (Tourism Development Planning)

सामान्यतः बुन्देलखण्ड के पर्यटन विकास नियोजन तथा विशेषता कालिंजर के शाश्वत पर्यटन विकास को ध्यान में रखकर (चित्र संख्या–7.5) में विभिन्न बिन्दु प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यदि इन बिन्दुओं के आधार पर पर्यटन हेतु विकास योजना तैयार की जायेगी तो निश्चित ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालिंजर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकेगा। पर्यटन विकास नियोजन हेतु विविध पक्षों का विभाजन समूहों, उप समूहों, उप–उप समूहों में क्रिया सौकर्य की दृष्टि से किया गया है।

(अ) अवस्थापना सुविधायें (Infrastructure Facilities).

पर्यटन के विकास अथवा पर्यटन की मुख्य आवश्यकता के रूप में अवस्थापना सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। इस समूह में जिन बिन्दुओं को समाहित किया गया है, उनके न होने से पर्यटन का विकास एवं आवश्यकता, क्षेत्र विशेष में पर्यटन की सुविधायें होते हुये भी क्षीण हो जाती हैं। इसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश होना चाहिए।

(i) **यातायात**– पर्यटक स्थल की स्थिति के अनुसार आवागमन हेतु सड़क, रेल, जलयान, वायुयान, रज्जु मार्ग का उपयोग किया जाना चाहिए और भौगोलिक संरचना एवं सुविधा की दृष्टि से इन साधनों को एक–दूसरे से सम्बद्ध एवं पूरक होना चाहिए।

(ii) **पर्यटक संचालक**– पर्यटक संचालक की प्रबन्धकीय क्षमता अच्छी होनी चाहिए जिससे पर्यटकों को यात्रा में कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा पर्यटक के उत्साह एवं उल्लास में पर्यटक संचालक के कारण कोई व्यवधान न पड़े।

(iii) **आवास**– विभिन्न धार्मिक वर्गों के पर्यटकों के अनुरूप स्वच्छ, सुरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं मनोहारी आवास होना चाहिए तथा जो शैलचित्र, भित्तिचित्र आदि से सुसज्जित भी होने चाहिए।

(iv) **सुरक्षा एवं संरक्षा**– कोई भी पर्यटन केन्द्र तक तक अपने गौरव को प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक उस केन्द्र पर सुरक्षा एवं संरक्षा का अनुभव पर्यटकों को न हो क्योंकि कोई भी पर्यटक दूसरे हाथों से अपनी आर्थिक एवं शारीरिक क्षति को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि स्थल विशेष पर सुरक्षा एवं संरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं हैं तो पर्यटक का आकर्षण निश्चित रूप से कम हो जायेगा परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः सुरक्षा एवं संरक्षा के साधन प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल पर होना चाहिए तथा पर्यटक को यह विश्वास

पर्यटन विकास नियोजन

चित्र संख्या–7.5

होना चाहिए कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। यदि कोई घटना घटती भी है तो उसे पर्याप्त सहायता तत्काल प्राप्त होगी।

(ब) अन्य सुविधायें (Other Facilities)

इस समूह के अन्तर्गत उन बिन्दुओं का समावेश किया गया है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवासित मित्रों, व्यावसायियों, पारिवारिक सदस्यों के मध्य सम्पर्क का आधार होते हैं। इस समूह में व्यावसायिक लाभों या छूटों का भी समावेश के साथ–साथ अन्य समूहों एवं बिन्दुओं के मध्य समन्वय स्थापित करने की इकाई को सेवा के रूप में उल्लेख किया गया है। यह समूह पर्यटक को मानसिक रूप से सुविधाजनक तथा सहज स्थिति में बनाये रखता है तथा इन सुविधाओं के रहते वह निश्चिन्त भी रहता है। यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि स्थानीय पर्यटकों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों व राज्यों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़े पर्यटकों के मध्य समन्वय स्थापित होने वाली इकाई का होना आवश्यक है जिससे पर्यटकों को कोई असुविधा, अशान्ति एवं असहयोग की स्थिति को भांपते हुए पर्यटकों को पर्यटन का लाभ अपनी समन्वय क्षमता एवं दक्षता को प्रदर्शित करते हुए दिलाये। समन्वय का यह दायित्व होना चाहिए कि किसी पर्यटक स्थल या पर्यटक राज्य में यदि अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह पर्यटकों को दूसरे राज्य या पर्यटन स्थल से समन्वय कर वहां पर्यटन पर भेज देना चाहिए। यह कार्य इतनी दक्षता व चतुराई से किया जाना चाहिए कि पर्यटकों को किसी भी असुविधा का आभास न हो और उन्हें ऐसा लगे कि पर्यटन मार्ग में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है।

(स) स्थितियां (Positions)

पर्यटन विकास क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। अतः इस दिशा में चिन्तन करना आवश्यक है। समाज में किन्हीं कारणोवश अशान्ति अथवा उथल–पुथल की स्थिति में पर्यटन बुरी तरह प्रभावित होता है। यह सामाजिक अशान्ति जातीय, वर्ग, नस्ल भेद एवं साम्प्रदायिक संघर्ष के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में प्रस्तुत हो सकती है। ऐसी स्थिति में पर्यटक उस क्षेत्र विशेष से दूर ही रहना पसन्द करता है। यही स्थिति आतंकवाद एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में भी परिलक्षित होती है। भारत में आतंकवाद से पीड़ित कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में घट गई है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, नेपाल का भी उदाहरण लिया जा सकता है, जहां तमिल एवं माओवादी उग्रवाद की समस्या के कारण पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

आर्थिक विपन्नता की स्थिति में पर्यटक स्थल के विकास में बाधा के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी पर्यटकों की संख्या पर विपरीत प्रभाव डालता है जबकि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र न केवल आधारभूत सुविधाओं को प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करता है

अपितु अन्य आकर्षणों एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु सजग रहता है। परिणामस्वरूप पर्यटकों की रूचि निरन्तर बनी रहती है।

विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में पर्यटकों की रूचि भी राजनीतिक स्थितियों के अनुरूप बनती है। प्रजातांत्रिक स्थितियों में प्रशासनिक ढ़ांचा अनुशासन एवं व्यवस्था के प्रति अत्यधिक सजग नहीं होता है जबकि राजतन्त्रीय प्रणाली में प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रखने के लिये भरपूर प्रयास किये जाते हैं।

(द) संरक्षण (Conservation)

पर्यटक जिन बिन्दुओं से आकर्षित होकर क्षेत्र विशेष में प्रवृत्त होता है। उन विशिष्टताओं के संरक्षण की अतीव आवश्यकता निरन्तर बनी रहती है। अतः पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः पर्यावरण, प्राकृतिक, पारिस्थितिकी, पुरातात्विक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्टताओं को न केवल बचाये रखने का प्रयास होना चाहिए बल्कि उनके संवर्द्धन का पुरजोर प्रयास किया जाना चाहिए अन्यथा लम्बे कालखण्ड के व्यतीत होने के साथ–साथ इन्हें क्षीणता अथवा नष्ट होने से बचाना कठिन हो जायेगा। चूंकि जिन बिन्दुओं का इसमें उल्लेख किया गया है, उनमें ह्रास 10–15 वर्षों में शायद ही परिलक्षित हो पावें। कभी–कभी क्षरण की गति इतनी मंद होती है कि उस ह्रास को भांपना एवं मांपना असहज होता है। सैकड़ों वर्ष बाद उपर्युक्त बिन्दुओं में आये हुए ह्रास स्पष्ट परिलक्षित होने लगते हैं और उनका संरक्षण किये जाने का विचार किया जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

(य) विस्तार (Extension)

उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त किसी भी पर्यटन स्थल में उसकी भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना के अनुरूप कुछ अन्य विस्तार किये जा सकते हैं। इससे विस्तारित बिन्दुओं में समाहित विषय–वस्तु का संग्रह एवं संरक्षण तो होगा ही साथ ही उस स्थल की रमणीयता, मनोहारिता तथा जिज्ञासा के वशीभूत पर्यटक स्वतः आकर्षित भी होंगे। जैसा कि वर्तमान शोध क्षेत्र कालिंजर में जाने वाले पर्यटकों के मन में वहां के जंगलों एवं पहाड़ियों तथा उनके मध्य छोटे–छोटे समतल मैदानों एवं जलाशयों को देखकर वहां पर जंगली जानवरों को देखने की उत्कंठा, तालाबों में विभिन्न किस्म की मछलियों की क्रीड़ा देखने की जिज्ञासा जागृत होती है। किन्तु जिज्ञासा स्वरूप वहां ऐसा कुछ न होने के कारण उन्हें निराशा होती है जिसकी भरपाई अभयारण्य, पक्षी बिहार, मत्स्य एवं मगर विहार आदि बनाकर की जा सकती है और भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। बेलाताल अथवा सुरसरि गंगा व सगरा बांध क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि इस हेतु यहां पर पर्याप्त क्षेत्र विद्यमान है।

ध्यातव्य है कि कई पर्यटक स्थल तो केवल अभयारण्य एवं पक्षी बिहार के कारण ही पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हो चुके हैं जबकि वहां इसके अतिरिक्त अन्य कोई आकर्षण

का क्षेत्र नहीं है। इन अभयारण्यों, पक्षी बिहारों के मध्य यदि पर्यटकों के आवास हेतु सभी सुविधाओं से युक्त कुटी अथवा आश्रम का निर्माण कर दिया जाए और वहीं पर क्रीड़ा एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा दिये जांय तो निश्चित एवं असंदिग्ध रूप से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होगी। इन बिन्दुओं का आधुनिक पर्यटन विशेषज्ञों के मध्य भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उनकी सभी योजनायें इन्हीं बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर क्रियान्वित की जाती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन अभयारण्यों, पक्षी बिहारों में विलुप्त प्राय प्राणियों, पक्षियों, जीव–जन्तुओं का संरक्षण, संवर्द्धन बड़े सहज एवं सरलता के साथ किया जाता है। विलुप्त प्राय वनस्पतियों को भी अभयारण्य के माध्यम से बचाने में सहयोग मिलता है। इनमें वे वनस्पतियां भी संरक्षित एवं संवर्धित हो जाती हैं जिनका उपयोग चिकित्सा एवं औषधि निर्माण में पर्याप्त मात्रा में किया जाता है।

इसलिए पर्यटन विकास नियोजन में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ विस्तार बिन्दु में उल्लिखित एवं अपेक्षित कारको को स्थान दिया जाना आवश्यक है अन्यथा पर्यटन के विकास में अपेक्षित सफलता मिलने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है तथा पर्यटक स्थल अपनी गरिमा एवं आकर्षण को लम्बे समय तक बनाये रखने में अक्षम हो सकता है।

REFERENCES

1. Freeman, T.W. (1958), Geography and Planning, Hutchinson University Library, London, P. 13.
2. James, F. and Johns, C.F. ed. (1954), American Geography, Inventory and Prospects, Syracuse University Press, P. 4.
3. Misra, R.P., et al. (1974), Regional Development Planning in India, Vikas Publishing House, New Delhi.

अध्याय - अष्ठम

सारांश एवं निष्कर्ष

सारांश एवं निष्कर्ष
(Summary and Conclusion)

भारतीय परिवेश में पर्यटन आदिकाल से अपनी उपस्थिति दर्शाता रहा है। सम्भवतः विश्व में भारत ही ऐसा प्रथम देश है जिसने पर्यटन के महत्व एवं गुणों को निम्नवत् रूप में परिभाषित किया है–

'विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नापनोति मानवः सम्यक्।

यावद् व्रजति न भूमौ देशाद् देशान्तरं हृष्टः'।। पंचतंत्र ।।

अर्थात् 'विद्या, वित्त और शिल्प आदि की जानकारी तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि मनुष्य पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रसन्नतापूर्वक भ्रमण नहीं कर लेता है'।

आधुनिक पर्यटन सहित्य में विशेषतया व्यापार, शिक्षा एवं आनन्द को पर्यटन में सम्मिलित किया गया है जबकि उपर्युक्त परिभाषा में विद्या, व्यापार (वित्त) व आनन्द के साथ–साथ शिल्प (कला) को पर्यटन का मुख्य तत्व माना गया है। इसमें पश्चिमी परिभाषा के सापेक्ष भारत का मौलिक योगदान स्पष्ट परिलक्षित होता है। पर्यटन का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है–मनुष्य द्वारा चलना या घूमना। इस मूल तत्व के बिना पर्यटन की संकल्पना करना असम्भव है तथा पर्यटन में इस तत्व की अनिवार्यता का उद्घोष भारतीय मनीषियों ने 'चरैवेति–चरैवेति' अर्थात् 'चलते रहो–चलते रहो' के रूप में किया है।

भारत एक विविधता का देश है, जहां भौगोलिक विविधताओं के साथ–साथ सांस्कृतिक विविधताएं विद्यमान हैं। विविधता की दृष्टि से हमारे देश का अनूठा स्थान है। वस्तुतः इसमें ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि विविधता विखराव को नहीं अपितु सामंजस्य व सौन्दर्य की अभिव्यक्ति है। संस्कृति एवं धार्मिक विविधता जहां एक ओर हमारे देश की एकता के लिए आधार प्रस्तुत करती है, वहीं भौगोलिक विविधता समस्त विश्व के मानवों को आकर्षित कर देश को पर्यटन के लिए एक आकर्षक क्षेत्र प्रदान करती है। यही कारण है कि वर्ष के न केवल कुछ ही महीनों/मौसमों में पर्यटक यहां आकर आनन्द का अनुभव करते हैं अपितु वर्ष पर्यन्त विदेशों से पर्यटक यहां आकर प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों में रहकर, घूमकर अथवा देखकर आनन्द प्राप्त करते हैं।

वस्तुतः कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत हमारा विशाल देश अपने मनोहारी समुद्रतटों, गमनचुम्बी पर्वत चोटिंयों, इठलाती एवं लहराती हुयी नन्यों, सुरम्य वनों, पवित्र धार्मिक स्थलों तथा अनुपम ऐतिहासिक स्मारकों से देश–विदेश के पर्यटकों को मोहने में सक्षम है।

पर्यटन की जब भी चर्चा चलती हे तो सामान्यतः हमारा ध्यान कश्मीर, गोवा तथा दक्षिण भारत की ओर बरबस चला जाता है जबकि सच्चाई यह है कि हमारे प्रत्येक प्रान्त में पर्यटन की अनेकों संभावनाएं विद्यमान हैं। यदि उनका सुनियोजित विकास किया जाय और उनकी

विशेषताओं का सर्वत्र प्रचार–प्रसार किया जाय तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में कुछ ही वर्षों में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगे।

देश के केन्द्रीय भाग में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का प्रमुख केन्द्र होने के साथ–साथ वीरता, शौर्य, त्याग, कला, लोकजीवन और उत्कट देशभक्ति, भावनापूर्ण बलिदानों के फलस्वरूप विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां के प्राचीन शिलालेख, स्मारक, स्तम्भ, मन्दिर एवं भवन उसके समृद्धशाली तथा गौरवपूर्ण अतीत के परिचायक हैं। यह क्षेत्र अपनी वीरता, चित्रकला, स्थापत्यकला, वेशभूषा, त्योहार एवं मेलों, विभिन्न लघु एवं औद्योगिक इकाइयों जैसी नाना विशेषताओं के फलस्वरूप पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र में अंकित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ0प्र0) में अभी भी अनेक ऐसे केन्द्र हैं, जिनकी ऐतिहासिक एवं राजनैतिक रूप से चर्चा तो की गई है किन्तु विकास की दृष्टि से उपेक्षित हैं। इन पर्यटन स्थलों में एक नाम कालिंजर भी है जिसमें अभी तक पर्यटन की दृष्टि से कोई नियोजित ढ़ंग से कार्य नहीं किया गया। अतः पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ0प्र0) के चित्रकूटधाम मण्डल में अवस्थित कालिंजर पर्यटन स्थल को शोध कार्य का विषय बनाया गया है।

शोध परियोजना की विषय सामग्री आठ अध्यायों में विभाजित है तथा प्रत्येक अध्याय में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों को ध्यान में रखते हुये विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है।

पर्यटन की सैद्धान्तिक अवधारणा तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गये कार्यो का उल्लेख तथा पर्यटन की आवश्यकता, महत्व, पर्यटकों के प्रकार, यात्रा के उद्देश्य आदि के सम्बन्ध में प्रथम अध्याय के अन्तर्गत विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा अध्ययन के उद्देश्य, उपागम एवं विधियों में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई है।

विश्व के विभिन्न देशों की व्यवस्था पर्यटन उद्योग पर आधारित है क्योंकि इसमें बिना किसी वस्तु के निर्यात के करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति, विश्व शान्ति की प्राप्ति, राष्ट्र व्यापार में वृद्धि, विश्व बन्धुत्व की भावना, राष्ट्रीय एकता व चरित्र के लिए अच्छा वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों में सामंजस्य एवं प्रगाढ़ता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जीवनस्तर में सुधार आदि क्षेत्रों में एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार होती है। अस्तु आंचलिक स्तर पर पर्यटन केन्द्रों का सन्तुलित विकास कर इस दिशा में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

बुन्देलखण्ड (उ0प्र0) के बांदा जनपद की नरैनी तहसील में स्थित कालिंजर युगों–युगों से ज्ञान, सृष्टि, सृजन तथा शक्ति के प्रतीक के रूप में विख्यात केन्द्र है। यहां पर शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि से सम्बन्धित अनेक मूर्तियां तथा स्थल हैं। यहां के प्रमुख देवता भगवान

नीलकण्ठेश्वर हैं। मोटी–मोटी प्राचीरों से परिवेष्टित कालिंजर दुर्ग विशेषतया चन्देल तथा बुन्देल शासकों की क्रीड़ा एवं तपःस्थली रहा है। यह स्थान मुगल एवं ब्रिटिश शासकों के भी अधीन रहा। सामरिक स्थिति से महत्वपूर्ण होने के कारण प्राचीन भारत के अनेक राजवंश इसे अधिकृत करने के लिए लालायित रहते थे। इसे प्राप्त कर वे 'कालिंजर पुरवराधीश्वर' एवं 'कालंजराधिपति' की उपाधियां धारण करते थे। भारत के इस अभेद्य दुर्ग की प्रशंसा मुस्लिम लेखकों ने 'सिकन्दर की दीवाल' कहकर की है। यह क्षेत्र वास्तु एवं मूर्तिकला में अद्वितीय है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1962 तक इस क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, मूर्तियों आदि को काफी नुकसान पहुँचा। मात्र ऐतिहासिक साक्ष्य व स्मृतियां धरोहर के रूप में शेष रह गई हैं। पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित कर संजोने व संवारने की आवश्यकता है।

लखनऊ से 285 कि0मी0, झांसी से 256 कि0मी0, चित्रकूट से 46 कि0मी0, मण्डल एवं जनपद मुख्यालय बांदा से 57 कि0मी0, नरैनी से 21 कि0मी0, खजुराहो से 172 कि0मी0 की दूरी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा में 25^0 1' उत्तरी अक्षांश तथा 80^0 29' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। कालिंजर दुर्ग 5.42 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में विस्तृत है। गांव का बसाव निचले भाग पर है जिसे तरहटी कहते हैं और दुर्ग कालिंजर पहाड़ी पर ऊपरी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति में कालिंजर न्याय पंचायत के तेरह गांवों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें मिलाकर कालिंजर का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 51.76 वर्ग कि0मी0 है। समुद्रतल से इसकी ऊँचाई 381.25 मीटर तथा तरहटी कालिंजर से दुर्ग की ऊंचाई 213.36 मीटर है।

बलुआ पत्थर, शेल तथा चूने के पत्थर द्वारा निर्मित विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों की कालिंजर पहाड़ी पर यह स्थान स्थित है। बागै इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यहां की जलवायु बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की भांति मानसूनी है। दिन में गर्मी तथा रातें ठण्डी होती हैं। वर्षा ऋतु इस क्षेत्र के लिए वरदान के रूप में आती है। यहां की धरती ऊंची–नीची है जिससे वर्षा जल एक स्थान पर न रूककर बह जाता है। इससे सड़कें साफ–धुली दिखाई देती हैं। अतः वर्षा ऋतु में भी यह क्षेत्र घूमने–फिरने की दृष्टि से पर्यटकों के लिए इन्द्र का वरदान है।

यहां पर गोयड़, कछार, काबर, पडुवा तथा रॉकर मिट्टियां पायी जाती हैं जिसमें प्रमुखतया गेंहू, चना, ज्वार, अरहर, उर्द, मूंग आदि फसलें उगायी जाती हैं। यहां के कुल क्षेत्रफल के 16.08 प्रतिशत भूमि पर वन पाये जाते हैं। खनिजों में बालू, मौरम, पत्थर आदि प्रमुख रूप से पाये जाते हैं। यहां पर कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग विकसित हैं। पर्यटन विकास को ध्यान में रखकर परम्परागत उद्योगों को विकसित करने की महती आवश्यकता है।

कालिंजर क्षेत्र की कुल जनसंख्या 15561 है, जिसमें 53.95 प्रतिशत पुरूष तथा 46.05 प्रतिशत स्त्रियां हैं। यहां अधिकांशतः हिन्दू और मुसलमान रहते हैं। जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 तथा प्रति हजार पुरूषों पर 857 स्त्रियां निवास करती हैं जो सन्तुलित

पारिवारिक दृष्टि से कम हैं। क्षेत्र में 48.87 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है। पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत काफी कम है। यहां एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है किन्तु उसका भी अपना कोई भवन नहीं है। बुन्देली व हिन्दी भाषा प्रमुखतया बोली जाती है। यहां की 87.27 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है तथा कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के 68.0 प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। 39.80 प्रतिशत जनसंख्या स्थायी रूप से क्रियाशील हैं, जबकि 10.40 प्रतिशत व्यक्ति सीमान्तक कार्यों में संलग्न हैं। ऊंची–नीची भूमि होने के कारण लघु गांवों की संख्या अधिक है। भवन अधिकांशतः कच्चे एवं खपरैल युक्त हैं। हालांकि बाहर से आने के लिए पक्के मार्ग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कहीं–कहीं सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है।

पर्यटन विकास में आधारभूत अवस्थापनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत यातायात व संचार व्यवस्था, आवास तथा भोजन सुविधाएं, बाजार तथा बैकिंग, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सन्दर्शक एवं पर्यटन अभिकरण, पर्यटन कार्यालय आदि की विवेचना की गई है। पर्यटन केन्द्र कालिंजर पहुँचने के लिए मात्र सड़क यातायात ही एक सहारा है। कालिंजर–बाँदा, कालिंजर–अजयगढ़–पन्ना तथा कालिंजर–सतना मार्ग पर नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं जबकि बघेलाबारी, चित्रकूट, खजुराहो आदि केन्द्रों से यहां के लिए नियमित बस सेवाएं नहीं हैं। इसलिए बाहर से आने वाले पर्यटक अन्य पर्यटन कोन्द्रों से पर्यटक एजेन्सियों की बसों अथवा स्वयं के यातायात या निजी यातायात एजेन्सी की परिवहन सेवाओं द्वारा यहां पहुँच सकते हैं। तरहटी कालिंजर से दुर्ग के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए जाने हेतु एक पक्का मार्ग बनाया गया है जिससे पर्यटक अपने वाहनों की सहायता से पहुँच सकते हैं।

सड़क यातायात के साधन के रूप में बस, जीप, मार्शल, ट्रेक्टर ट्राली, तांगा, साइकिल, स्कूटर, आदि प्रयोग में लाये जाते हैं। विभिन्न स्थानों से कालिंजर आने वाली बसों की आवृत्ति अत्यन्त सीमित है। कालिंजर को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कें यत्र–तत्र क्षत–विक्षत हैं, जहां गड्ढ़े नजर आते हैं। इसके अलावा सड़कें भी संकरी हैं जिससे आमने–सामने से आ रही दो बसों को निकलने में कठिनाई होती है। इससे दुर्घटना का भय बना रहता है। कालिंजर आने वाली अधिकांश बसें पुरानी व जर्जर हैं जिनमें उतरने–चढ़ने में यात्रियों के चूक जाने पर कपड़े भी फट सकते हैं। इससे यात्रा का आनन्द आना तो दूर शारीरिक और मानसिक कष्ट और बढ़ जाता है। इसके अलावा कालिंजर के निकटवर्ती दर्शनीय स्थलों को जाने के लिए अच्छे मार्गों की सुविधा नहीं है।

देश के विभिन्न बड़े केन्द्रों से बांदा, अतर्रा व चित्रकूट तक सीधे रेल यातायात सुविधा उपलब्ध है। यहां से बस व निजी साधनों से कालिंजर पहुँचा जा सकता है। खजुराहो तक वायु

यातायात की सुविधा प्राप्त है, जहां से स्वयं के साधनों से कालिंजर आया जा सकता है। कालिंजर में एक शाखा डाकघर, तीन पी0सी0ओ0 तथा लगभग 100 व्यक्तिगत कनेक्सन हैं किन्तु इन्टरनेट व फैक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर इलाहाबाद बैंक व तुलसी ग्रामीण बैंक की एक–एक शाखा है, जो स्थानीय जनता को सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है किन्तु पर्यटकों को सुविधाएं देने की दृष्टि से इन्हें विकसित करने की आवश्यकता हैं यहां प्रत्येक गुरूवार को साप्ताहिक बाजार लगती है जो पूर्णतः एक ग्रामीण बाजार है। स्थायी दूकानों में स्तरीय सामान नहीं मिल पाता है।

स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से यहां एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवश्य है लेकिन इसका अपना कोई भवन नहीं है। अक्सर चिकित्सक का अभाव बना रहता है। यहां पर पांच मेडिकल स्टोर तथा एक आयुर्वेदिक दवाखाना है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु यद्यपि यहां एक पुलिस स्टेशन है किन्तु अपर्याप्त पुलिस बल होने के कारण यह पर्यटकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दुर्ग पर सुरक्षा व्यवस्था होना आवश्यक है। कालिंजर में पर्यटकों के रहने के लिए कोई विशिष्ट आवासीय व भोजन व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं। अभी हाल ही में शासन द्वारा रैनबसेरा व दुर्ग पर मोटल का निर्माण कराया गया किन्तु इनमें आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। पर्यटकों के मनपसन्द का भोजन व जलपान यहां नहीं मिल पाता। बस स्टैण्ड के पास चाय व जलपान की जो दूकानें हैं भी, उनमें एक तो स्तरीय सामान नहीं मिलता तथा दूसरे साफ–सुथरी भी नहीं हैं। दर्शनीय स्थलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का आभाव है।

कालिंजर में प्रशिक्षित गाइड का न होना पर्यटन विकास की दृष्टि से एक सबसे बड़ी कमी है। किले के ऊपर व नीचे विभिन्न स्थानों पर स्थित इमारतों/स्मारकों, मूर्तियों, लोकचित्रों, निर्माण शैली आदि को पर्यटक उत्सुकतापूर्वक निहारते रहते हैं किन्तु गाइड के अभाव में वे इनका महत्व नहीं समझ पाते। सन्दर्शक एवं पर्यटन अभिकरण के साथ–साथ पर्यटक कार्यालय व पर्यटक बंगला का भी अभाव है। इसलिए इस क्षेत्र में पर्यटन विकास सुस्त है।

बुन्देलखण्ड के अन्य पर्यटन केन्द्रों की भांति कालिंजर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भौगोलिक, धार्मिक आदि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दर्शनीय केन्द्र है। यह एक तपोभूमि, शक्तिपीठ, तन्त्रसाधना तथा मठ के रूप में आत्मसाधना का प्रमुख स्थल रहा है। इसकी महत्ता वेदों, महाकाव्यों, पुराणों, बौद्ध, जैन तथा अन्य अनेक साहित्यिक कृतियों, आख्यानों, लोक गाथाओं में वर्णित है। कालिंजर और शिब एक दूसरे के पूरक एवं पर्याय हैं। नीलकण्ठ महादेव कालिंजर के प्रमुख देवता हैं। नीलकण्ठ मन्दिर का मण्डप चन्देल वास्तु शिल्प का अद्वितीय उदाहरण है। इस मण्डप से संलग्न शैलोत्खात गर्भ गृह है जिसमें स्वयं–भू शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं।

दुर्ग का मुख्य प्राचीर 25–30 मीटर नींव पर 30–35 मीटर ऊंचा, शीर्ष में 8 मीटर चौड़ा तथा 7.5 किलोमीटर लम्बा शैलों/पत्थरों को एक के ऊपर रखकर अथवा चूने के जोड़ से बनाया गया है। इसका निर्माण शास्त्रों में उल्लिखित सभी सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है। दुर्भेद्यता के कारण इसे सिकन्दर की दीवाल कहा जाता है। यह किला एक प्रहरी की भांति क्षेत्र की सतत् सुरक्षा करता रहा है। सामान्य ऊंचाई होने के कारण किले का निचला भाग चढ़ने में आसान है किन्तु ज्यों–ज्यों ऊपर की ओर जाते हैं, चढ़ाई कठिन होती जाती है। वर्तमान समय में सड़क व कटरा से सीढ़ी मार्ग बन जाने के कारण किले के ऊपर चढ़ना आसान हो गया है। उत्तर से दक्षिण जाने के लिए एक ही मार्ग है जो उत्तर दिशा से होकर दुर्ग पर जाता है। इस ओर से किले के ऊपर जाने में सात दरवाजे यथा– आलम तथा आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चण्डी या चौबुर्जी दरवाजा, बुधभद्र दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा तथा बड़ा दरवाजा मिलते हैं।

सामरिक तथा प्रतिरक्षात्मक होने के साथ–साथ यह किला दुर्गवास्तु, शैलवास्तु एवं कलाकेन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। कालिंजर के शैलोत्खात कुण्ड, पुष्करिणी तथा सरोवर अद्‌भुत हैं। शैलोत्खात शैव, शाक्त, वैष्णव एवं लौकिक मूर्तियाँ विलक्षण हैं। इनके शोधात्मक विश्लेषण से भारतीय मूर्तिकला विज्ञान के विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस स्थल में उपलब्ध कुछ देव प्रतिमाएं मौलिक एवं विलक्षण हैं तथा भारतीय मूर्तिकला की अज्ञात व अल्पज्ञात कृतियाँ हैं। यहां की दीवारों में उपलब्ध मूर्तिकला में जनजीवन के विविध पक्षों, पशु–पक्षियों, अप्सराओं, मिथुनों तथा स्थानिक कला अभिप्रायों का अंकन है।

नीलकण्ठ मन्दिर, सीतासेज, कालभैरव अथवा महाभैरव, वनखण्डेश्वर महादेव, श्री वेंकट बिहारी मन्दिर, पाण्डु कुण्ड, सिद्ध की गुफा, भगवान की सेज तथा पानी का अमान, भैरव की झिरिया अथवा भैरव कुण्ड, मृगधारा कोटितीर्थ, वृद्धक क्षेत्र, माण्डूक भैरव तथा भैरवी, सुरसरि गंगा, स्वर्गारोहण कुण्ड, रामकटोरा तालाब, सप्तद्वार, रानीमहल, रंगमहल, अमान सिंह का महल अथवा संग्रहालय, आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त गोरख इमली अथवा बाओबाब नाम से विख्यात दो विशाल कल्पवृक्ष कालिंजर नगर के उत्तर में स्थित हैं। हजारों वर्षों पुराने यह वृक्ष दर्शनीय व रक्षणीय हैं। इसके अतिरिक्त कालिंजर बस्ती क्षेत्र में राठौर महल, बेलाताल, कटरा के लेटे हनुमान जी, गौरय्या तथा अनन्तेश्वर मन्दिर आदि देखने योग्य स्थान हैं। इसके अलावा कालिंजर परिक्षेत्र में भी अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक व प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हैं।

आधुनिक समय में पर्यावरण–पर्यटन को समस्त रोगों की औषधि के रूप में देखा जा रहा है जिससे बड़ी मात्रा में पर्यटन राजस्व मिलने के साथ–साथ पारिस्थितिकी तन्त्र को कोई नुकसान नहीं पहुँचता क्योंकि इसमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वन–संसाधनों का

विदोहन नहीं किया जाता। पर्यावरण अनुकूल गतिविधि होने पर पर्यावरण–पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण मूल्यों तथा शिष्टाचार को प्रोत्साहित करना और निर्वाध रूप से प्रकृति का संरक्षण करना है।

कालिंजर क्षेत्र में कई ऊंची–नीची पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों का अंग हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर प्राकृतिक गुफाएं तथा जल के अजस्र व अविरल स्रोत विद्यमान हैं। यहां पर नाना किस्म की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कुटज, अर्जुन, बहेड़ा, महुवा, अचार, अमलतास, जामुन, बेल, गूलर, धवा, तेन्दू, सीताफल, जंगली करौंदा, पाकर, सेज आदि पेड़–पौधे बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में मूसली, शतावरी, निर्गुण्डी, गोखुर, रतनज्योति, काला कालेश्वर, मेड़की, अडूसा, लटजीरा, पथरचटा, मदनमस्त आदि एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय वनौषधियाँ, लताएँ, छोटे–छोटे क्षुप या ऋतुओं के अनुसार पौधे प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में अनेक जड़ी–बूटियाँ, औषधियाँ, मण्डूर तथा मधु का प्रचुर भण्डार है। यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य काफी आकर्षक है। पहाड़ी के ऊपर से आसपास के हरे–भरे निचले क्षेत्र काफी मनमोहक दिखाई देते हैं, जो सहज ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।

कालिंजर के प्राकृतिक दृश्य शान्ति प्रदायक, सुरम्य एवं आकर्षक हैं। सम्भवतः इसी गुण के कारण कालिंजर योगियों, तपस्वियों, तान्त्रिकों, शैवों आदि की तपःस्थली रहा है। भगवान शिव को भी विषपान के पश्चात् विष की शान्ति हेतु यहां पर विश्राम की किवदन्ती इसी आधार पर प्रचलित है। शान्त वातावरण, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रहित क्षेत्र, मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों की बहुतायता, स्वास्थ्यकारी जलवायु एवं वनस्पति, दुर्ग के ऊपर पर्यावरण द्वारा तापक्रम का नियन्त्रण आदि इस क्षेत्र के वातावरण की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसके विपरीत गन्दगी, असुरक्षा, जल प्रदूषण, वनों की कटान, पशुओं द्वारा पर्यावरण को क्षति आदि कारक यहां के प्राकृतिक परिदृश्य के दोष माने जा सकते हैं।

कुछ पर्यटकों की यह प्रवृत्ति होती है कि दर्शनीय स्थलों में अपने नाम की आकृतियाँ घसीट कर लिख देते हैं या पुरातात्विक स्मारक से किसी ढ़ीले हिस्से को अलग कर देते हैं, इससे इनमें खरोंच पड़ जाती है या वह स्थान विकृत हो जाता है। यही नहीं पेड़–पौधों व जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुँचाते हैं तथा स्थानीय रीति–रिवाजों का माखौल उड़ाते हैं। इसके अलावा गन्दगी फैलाने वाले अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं। इससे वातावरण दूषित होता है। इसके अलावा पर्यटकों को आधुनिक ढ़ंग की सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से आधुनिकता एवं कृत्रिमता की बाढ़ से प्राकृतिक सौन्दर्य के क्षेत्र में कमी आती है। चूंकि पर्यटन और पर्यावरण परस्पर निर्भर हैं, इसलिए पर्यटकों की क्रियाएं, पर्यटन केन्द्रों की प्रकृति एवं संस्कृति के सन्दर्भ

में सम्मानजनक होनी चाहिए। इस उपाय से पर्यटन अपनी सम्पूर्ण क्षमता एवं निश्चित कार्यों से स्थान, समुदाय तथा अभ्यागतों को लाभ प्रदान करने में सक्षम होगा। आज बढ़ते हुए पर्यावरण अवनमन के फलस्वरूप आशानुकूल आर्थिक लाभों को प्रदान करने में असफल होने के लिए जनसमूह पर्यटन की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। पारिस्थितिकी पर्यटन की प्रोन्नति से पर्यटकों के कार्य तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य उत्पन्न संघर्ष को हल किया जा सकता है। कालिंजर में मुख्यतः शुद्ध पेयजल व्यवस्था, मल एवं कूड़े–कचरे का निपटान, अन्ना प्रथा तथा यातायात के साधनों का अभाव मुख्य समस्याएँ हैं। इसके अलावा दुर्ग पर सड़क निर्माण से भी प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है, जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है।

पर्यटन में सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष का विशेष महत्व है। इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में आयोजित मेलों, तीज–त्योहारों, लोगों के रहन–सहन, वेशभूषा, रीति–रिवाज, लोक–कलाकौशल व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में यह कालिंजर क्षेत्र के गौरवमयी इतिहास का आधार रहे हैं। उसी गौरव के साथ यहां के निवासी सभी पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य भागों की भांति कालिंजर क्षेत्र में विभिन्न समयों में आयोजित होने वाले मेलों में कजली, विजयदशमी, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रान्ति तथा प्रत्येक माह की अमावस्या पर लगने वाले मेले मुख्य हैं। आधुनिकता एवं पश्चिमी सभ्यता का असर यद्यपि तीज–त्योहारों पर पड़ा है किन्तु बुन्देलखण्ड की मिट्टी में अब भी पुरातन परम्पराओं की महक रची–बसी है। यहां के निवासियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में नागपंचमी, रक्षाबन्धन, हरछट, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतलिका तीज, महालक्ष्मी, महबुलिया, दुर्गाष्टमी, दशाहरा, करवा चौथ, दीपावली, देवोत्थान एकादशी, मकर संक्रान्ति, गणेश चौथ, बसन्त पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, अक्ती, ईद, बकरीद, मोहर्रम आदि प्रमुख हैं।

बुन्देलखण्ड के कालिंजर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक त्योहारों तथा पारिवारिक उत्सवों में सम्पन्न होने वाले परम्परागत लोक नृत्यों में राई, सैरा, झिंझिया, दुलदुल घोड़ी, दीवारी गायन नृत्य आदि मुख्य हैं। विभिन्न मांगलिक अवसरों एवं उत्सवों में यहां महिलाओं द्वारा भूमि व भित्ति चित्रण तथा अलंकरण अत्यन्त मनोहारी तथा पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार वर्ष भर सम्पन्न होने वाले पर्वों एवं त्योहारों में हल्दी, गेरू, चावल, गोबर, मिट्टी आदि से घरों में नाना आकर्षक चित्रण किए जाते हैं। इस क्षेत्र में पूजन हेतु पुतरियों की आकृति बनाने का प्रचलन है। कपड़े के बने पुतरे– पुतरियाँ, दूल्हा–दुलहिन हेतु मौर–मौरिया, हांथ का पंखा, बांस के सूप, डलिया तथा पंखे, खजूर की फलकों से निर्मित डलिया आदि हस्तशिल्प के अनुपम नमूने हैं।

यहां के 75.0 प्रतिशत से अधिक मकान कच्चे व आधारभूत सुविधाओं यथा–शौचालय व स्नानघर विहीन हैं। 70.0 प्रतिशत गृहस्वामियों के पास तीन कमरों तक की रिहायसी सुविधा वाले मकान हैं। कार्यात्मक दृष्टि से 58.2 प्रतिशत रिहायसी मकान,12.3 प्रतिशत दूकानयुक्त रिहायसी मकान, 2.5 प्रतिशत दूकानें, 26.0 प्रतिशत पूजास्थल, स्कूल, औषधालय, पंचायतघर एवं अन्य क्रियाओं के अन्तर्गत आते हैं। यहां पर नियोजित ढंग से बने मकानों की संख्या कम है। 60.0 प्रतिशत से अधिक घरों का उपयोग मिश्रित कार्यों में किया जाता है जिनमें मनुष्यों के निवास के साथ–साथ जानवर तथा कृषि उपकरण भी रखे जाते हैं। गांवों के 58.0 प्रतिशत घरों में खिड़कियों तथा रोशनदानों का अभाव है। 62.0 प्रतिशत घरों का वातावरण दूषित है तथा इनमें सफाई की कमी है।

यहां पर शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन किया जाता है। विशेषतया रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दूध आदि का प्रयोग भोजन में होता है। पुरूषों का मुख्य पहनावा पैन्ट–शर्ट, धोती–कुर्ता तथा स्त्रियाँ मुख्यतः धोती–ब्लाउज व कुर्ता–सलवार पहनती हैं। स्त्रियाँ भारी आभूषण मांगलिक अवसरों पर तथा सामान्यतः पायल बिछिया, पेटी, जंजीर, टप्स आदि पहने रहती हैं।

कालिंजर क्षेत्र की 87:27 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। उद्योग एवं निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत क्रमशः 4.40 व 8.33 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत है। 39.80 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य क्रियाशील की श्रेणी में जबकि 10.40 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्तक कार्यों में संलग्न है। बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की भांति यहां भी कमाने वाले कम एवं खाने वाले अधिक हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या के भरण–पोषण हेतु वर्तमान समय में लोगों की प्रवृत्ति अन्य व्यवसायों में संलग्न होने की स्थिति में दिखायी देती है।

यद्यपि पर्यटन विकास की दृष्टि से कालिंजर के विकास हेतु शासन स्तर से अनेक योजनाएं संचालित एवं प्रस्तावित हैं फिर भी पारदर्शिता एवं जनता की सहभागिता के अभाव में पर्यटन के क्षेत्र में यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। अस्तु इस दिशा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से पर्यटन विकास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की महती आवश्यकता है। कालिंजर में सन्तुलित पर्यटन विकास की दृष्टि से विभिन्न पक्षों यथा–अवस्थापना सुविधाओं, विस्तार सेवाओं, सामाजिक– आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों, पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के विस्तार आदि को ध्यान में रखकर एक आदर्श मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल के आधार पर कार्ययोजना बनाकर शाश्वत पर्यटन विकास की दिशा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु स्थानीय जनता को प्रशिक्षित व जागरूक करने तथा विकास के प्रत्येक क्षेत्र में जन सहयोग के समावेश की महती आवश्यकता है।

अष्टम अध्याय में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से यहां कुछ सुझाव प्रस्तावित किये जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. पर्यटक आवासगृह एवं पर्यटन कार्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. पर्यटन अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की जाय, जिसका मुख्य कार्य स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना, गाइडों को प्रशिक्षित करना, दर्शनीय स्थलों का सौन्दर्यीकरण, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों, जो उपेक्षित पड़े हैं, उनका जीर्णोद्धार तथा यात्राओं के लिए सम्पूर्ण सुविधाओं का पता लगाना। इसके अतिरिक्त पर्यटन स्थलों की सचित्र पुस्तिकाएं, फिल्में एवं त्रैमासिक पर्यटन समाचार का प्रकाशन आदि होना चाहिए। वीडियो कैसेट, पुस्तिकाएं, फिल्म स्लाइडें, पर्यटन कार्यालय में बिक्री के लिए उपलब्ध की जानी चाहिए।
3. पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान कराने हेतु यातायात, आवास एवं भोजन व्यवस्था, बैकिंग एवं बाजार सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएं, प्रशिक्षित गाइड आदि सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में नियोजित ढंग से विस्तार किया जाना चाहिए।
4. राज्य दूरदर्शन रिले केन्द्र, रेडियों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं को यहां के पर्यटन की विशेषताओं के सम्बन्ध में विशेष जानकारी देनी चाहिए।
5. पर्यटन पुलिस फोर्स का गठन किया जाना चाहिए।
6. विश्राम गृहों में टेलेक्स व्यवस्था तथा मार्गों पर टेलीफोन बूथ लगवाये जाने चाहिए। सभी आवास गृहों में प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों तथा आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

हमारे देश में 'अतिथि देवो भव' की मान्यता पुरातन समय से ही रही है। अतः स्थानीय जनता को चाहिए कि वे पर्यटकों की हर सम्भव सहायता करें। सार्वजनिक मार्गों पर मल–मूत्र का त्याग न करें व मृत जानवर न फेंके। पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायें। पर्यटकों को भी इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वे विरासत में प्राप्त सौन्दर्य की पूंजी तथा विपुल सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायें और ऐसे कार्य कदापि न करें जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो। धार्मिक स्थलों एवं सौन्दर्य स्थलों को अपवित्र न करें। स्थानीय रीति–रिवाजों का माखौल न उड़ाएं। इसके अतिरिक्त जनता के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

प्रश्न– कालिंजर में निम्न सेवा कार्य सम्पन्न होते हैं या नहीं/यदि होते हैं, तो कितने।

(अ) शैक्षिणिक सुविधाएं –

(i)	प्राइमरी स्कूल	(ii)	जूनियर हाईस्कूल
(iii)	हाईस्कूल	(iv)	इण्टर कालेज
(v)	आंगनवाड़ी केन्द्र		

(ब) चिकित्सा व्यवस्था–

(i)	औषधालय	(ii)	मेडिकल स्टोर
(iii)	अस्पताल	(iv)	प्राइवेट चिकित्सक/प्राइवेट दवाखाना
(v)	दन्त चिकित्सक	(vi)	पशु अस्पताल
(vii)	पशु सेवाकेन्द्र	(viii)	मिडवाइफ
(ix)	आयुर्वेदिक औषधालय	(x)	होम्योपैथिक औषधालय
(xi)	अन्य स्वास्थ्य सेवाएं		

(स) सहकारी समिति/बैंक–

(i)	सहकारी समिति	(ii)	सहकारी बैंक
(iii)	इलाहाबाद बैंक	(iv)	तुलसी ग्रामीण बैंक
(v)	अन्य बैंकिंग सेवाएं		

(द) यातायात/संचार व्यवस्था–

(i)	बस स्टाप	(ii)	कितनी बस यहां आती और जाती हैं
(iii)	अन्य परिवहन व्यवस्था	(iv)	जीप/टैक्सी
(v)	ट्रेक्टर/ट्राली	(vi)	इक्का/तांगा/रिक्शा
(vii)	दुपहिया वाहन–स्कूटर/ मोटर साइकिल	(viii)	स्कूटर/मोटर साइकिल/कार की मरम्मत व हवा भरने की दूकानें
(ix)	यहां से पक्के मार्ग कहां–कहां जाते हैं–उनके नाम–	(x)	मार्गों की हालत कैसी है–
(xi)	उप डाकघर/ब्रांच डाकघर	(xii)	पी0सी0ओ0 कितने हैं–
(xiii)	इन्टरनेट की सुविधा है/नहीं यदि है, तो कितने केन्द्रों में–	(xiv)	व्यक्तिगत घरों में कितने टेलीफोन कनेक्सन हैं–
(xv)	क्या रेलवे के टिकट यहां मिल सकते हैं–		

(xvi) क्या रेलवे आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है–

(xvii) पेट्रोल पम्प हैं –

(xviii) पेट्रोल/डीजल मिल सकता है, यदि मिल सकता है तो कितनी दूकानों में–

(य) सुरक्षा व्यवस्था–

(i) पुलिस चौकी (ii) पुलिस स्टेशन (iii) अन्य सुरक्षा व्यवस्था

(र) अन्य सुविधाएं–

1. होटल कितने तथा इनका स्तर कैसा/कमरों की संख्या–
2. धर्मशाला कितने तथा इनका स्तर कैसा/कमरों की संख्या–
3. लॉज कितने तथा इनका स्तर कैसा/कमरों की संख्या–
4. क्या टूरिस्ट बंगला है यदि है,तो कब बना–
5. निरीक्षण भवन है यदि है, तो कब बना–
6. पर्यटन कार्यालय है/नहीं, तो क्या प्रस्तावित है/कब तक बनेगा–
7. क्या पुरातत्व विभाग का कार्यालय हैं? यदि है तो कब से –
8. लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला –
9. राजस्व विभाग का डाक बंगला–
10. उपर्युक्त में ठहरने के साथ–साथ भोजन की सुविधा उपलब्ध है/नहीं, यदि है तो स्तर कैसा
11. टूरिस्ट गाइड हैं यदि हैं तो कितने– (i) सरकारी/रजिस्टर्ड (ii) व्यक्तिगत
12. चाय की दूकानें कितनी हैं–
13. मिठाई की दूकानें कितनी है–
14. क्या चाय/जलपान/मिठाई की दूकानों में बैठकर जलपान/मिठाई खाने की व्यवस्था है–
15. पान की दूकानें–
16. घड़ी की दूकानें–
17. घड़ी मरम्मत की दूकानें–
18. रेडियो/ट्रांजिस्टर की दूकानें–
19. रेडियो/ट्रांजिस्टर की मरम्मत की दूकानें–
20. विद्युत व्यवस्था से सम्बन्धित दूकानें/मरम्मत केन्द्र–
21. सइकिल बिक्री/मरम्मत की दूकानें–
22. क्या किराये पर साइकिलें उपलब्ध हो सकती हैं–
23. ताले की मरम्मत व बिक्री की दूकानें, क्या अलग से है यदि हैं तो कितनी–
24. सिनेमा हाल–

25. अन्य कोई मनोरंजन के साधन–
26. पंचायत घर है, यदि हैं तो कितने और कब बने–
27. क्या कोई स्वंयसेवी संस्था है यदि है तो नाम बताएं तथा वह क्या कार्य करती है–
28. कालिंजर पर्यटन केन्द्र के लिए कोई विकास समिति है यदि है तो वह क्या करती है–
29. कपड़े की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
30. रेडीमेड कपड़ों की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
31. खादी वस्त्र भण्डार–
32. लाण्ड्री–स्तरीय/साधारण–
33. पुस्तक, कागज, कलम की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
34. नाई की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
35. किराना की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
36. जूते/चप्पल की बिक्री की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
37. जनरल स्टोर–स्तरीय/साधारण–
38. बर्तनों की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
39. सुनारों की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
40. दर्जी की दूकानें–स्तरीय/साधारण–
41. फलों की दूकानें– स्तरीय/साधारण–
42. सब्जी की दूकानें– स्तरीय/साधारण–
43. बर्फ फैक्ट्री/बर्फ बेंचने वाले–
44. क्या कोई पार्क/खेल का मैदान भी बनना प्रस्तावित है–
45. क्या बाजार लगती है? यदि लगती है तो कब और कितने गांव के लोग आते हैं–
46. मन्दिर .... मस्जिद ....
47. क्या मदिरा केन्द्र हैं? यदि है तो कितने –
48. क्या जलापूर्ति का आफिस है–
49. क्या जलापूर्ति की सुविधा है–
50. कितनी पानी की टंकिया हैं–
51. क्या अंधविश्वास, झांड़–फूंक की पद्धति प्रचलित है–
52. क्या झांड़–फूंक से सम्बन्धित कोई स्थान निर्धारित है–
53. नालियों के प्रकार– खुली, बन्द, कच्ची, पक्की या दोनों–
54. मकानों के प्रकार– कच्चे, पक्के, मिश्रित–

55. कितनी जातियां निवास करती हैं–
56. जाति बाहुल्य के आधार पर क्रमवार जातियां–
57. क्या इन जातियों से सम्बन्धित रोजगार की सुविधा है–
58. सुलभ शौचालय है/नहीं, यदि हैं तो कितने–
59. ग्रामीण शौचालय का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, यदि हाँ तो कितने–
60. शौचालय का स्वरूप कैसा है–
61. विद्युत सुविधायुक्त मकान कितने हैं–
62. पशुओं के प्रकार– जुताई वाले, दूध देने वाले, बोझा ढ़ोने वाले–
63. पालतू पशुओं के प्रकार– गाय, भैंस, बकरी, बैल, सुअर, भेड़, मुर्गी, आदि–
64. सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या नहीं–
65. तीज–त्योंहार का स्तर कैसा है–
66. वर्ष में मेलों की संख्या एवं अनुमानित भीड़–
67. मेलों के समय रात्रि में विद्युत व्यवस्था–
68. स्थानीय जनता का उत्साह एवं योगदान कितना होता है–
69. किन–किन वन उपजों को यहां से बाहर भेजा जाता है–
70. रवी, खरीफ, जायद में कौन सी फसलें होती हैं–
71. रवी, खरीफ, जायद में कौन सी व्यापारिक फसलें होती हैं–
72. सिंचाई के साधन क्या हैं–
73. तालाबों की स्थिति एवं संख्या–
74. जलभराव– स्थायी/अस्थायी–
75. पांच वर्ष पूर्व जल स्तर की क्या स्थिति थी तथा वर्तमान समय में–
76. गांव में क्रियान्वित योजनाओं के नाम–
77. योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की संख्या–
78. किले के अतिरिक्त कालिंजर क्षेत्र में दर्शनीय स्थलों की संख्या–
79. हिन्दी बोलने एवं पढ़ने वालों की संख्या–
80. अंग्रेजी बोलने एवं पढ़ने वालों की संख्या–
81. उर्दू बोलने एवं पढ़ने वालों की संख्या–
82. स्थानीय भाषा बोलने एवं पढ़ने वालों की संख्या–
83. प्रत्येक माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या– स्थानीय, विभिन्न प्रान्त, एवं विदेशी पर्यटक
84. सर्वाधिक पर्यटक किस ऋतु में आते हैं– ग्रीष्म, शीत, वर्षा

85. पर्यटकों के प्रकार–

(i) ऐतिहासिक/पुरातात्विक दृष्टिकोण से आने वाले–

(ii) भौगोलिक दृष्टिकोण से आने वाले–

(iii) धार्मिक़ दृष्टिकोण से आने वाले–

(iv) आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले–

(v) स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय दृष्टिकोण से आने वाले–

(vi) अन्य दृष्टिकोण से आने वाले–

86. ठहरने के आधार पर–

(i) 24 घण्टे से अधिक रूकने वाले पर्यटक–

(ii) 24 घण्टे से कम रूकने वाले पर्यटक–

87. स्थानीय निवासियों का जीवन स्तर–

88. पर्यटन विकास में सरकार का योगदान–

(i) आवाज़ की दृष्टि से–

(ii) भोजन व्यवस्था की दृष्टि से–

(iii) दर्शनीय स्थल को दिखाने या व्यवस्था में योगदान–

(iv) मेले व त्योहार के विकास में योगदान–

89. पर्यटन विकास हेतु सरकारी योजना एवं कितना धन खर्च करने हेतु लिया गया–

90. पर्यटकों की समस्याएं–

91. स्थानीय रीति–रिवाज/रहने का ढंग–

92. पर्यटकों के लिये मनोरंजन के साधन–

93. पर्यटकों पर चोरी का प्रभाव–

94. दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा की व्यवस्था–

95. पर्यटकों से पर्यावरण पर प्रभाव–

96. स्थानीय लोगों का पर्यावरण पर प्रभाव–

97. कालिंजर के पर्यटन विकास में यदि कोई सुझाव देना चाहें तो बताएं–

हस्ताक्षर प्रश्नकर्ता

दिनांक :

संदर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

Books :

1. Adams. J.(1981), Transport Planning : Vision and Practice, London, Routledge and Kegan Paul.
2. Acharya, Ram (1977), Tourism in India, National Publishing House, New Delhi.
3. Acharya, Ram (1978), Civil Aviation and Tourism Administration in India : A Study in Management, New Delhi, National Publishing House.
4. Acharya, Ram (1980), Tourism and Cultural Heritage of India (Jaipur : R.B.S.A Publishers).
5. Akhatar, Javid (1990), Tourism Development in India, Delhi, Ashish Publishing House.
6. Anand, M.M.(1975), Tourism and Hotel Industry in India, New Delhi, Prentice Hall of India.
7. Anand, M.M. (1976), Tourism and Hotel Industry in India : A Case Study in Management, Prentice Hall of India, Pvt.Ltd., New Delhi.
8. Bala, Usha (1990), Tourism in India : Policy & Perspectives, New Delhi, Arushi.
9. Bateson, E.G. (1981), Tourism Bibliography, Dryden International, New York.
10. Batra. G.S.. (1995), Tourism Management -A Global Perspective, Delhi.
11. Batra, G.S., ed., (1996), Tourism in the 21st Century, Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi.
12. Batra, K.L., (1989), Problems and Prospects of Tourism, Jaipur. Printwell.
13. Blanchet, G.(1971), Tourism and Environment, University of Bordeaux.
14. Bonlface, B., and Cooper, C. (1987), The Geography of Travel and Tourism, London : Helnemann.
15. Bouyden, John N., (1976), Tourism and Development, London, Cambridge University, Press.
16. Bose, S.C. (1972), Geography of the Himalayas, National Book Turst, New Delhi.
17. Bull, A. (1991), The Economics of Travel and Tourism, London : Pitman.
18. Burkart, A.J. and Medlik, S. (1992), Transport the Environment and Sustainable Development, London : E and FN Spon.

19. Burkart A.J. and Medlik, S (1974), Tourism-Past, Present and Future, London, Heinemann.

20. Burnitace, B. and Cooper, C.(1987), The Geography of Travel and Tourism, London : Helnemann.

21. Charles, Kaiser Jr. and Larry E. Helber, (1978), Tourism Planning and Development, CBI Publishing Co., bostan; Massachusetts.

22. Chib, Sukhdev Singh (1977), This Beautiful India : Haryana, New Delhi, Light and Life.

23. Chopra, Suhita (1991), Tourism and Development in India, New Delhi, Ashish Publishing House.

24. Collier, A. (1989), Principles of Tourism, Auckland : Longman Paul.

25. Cosgrove, I. and Jackson, R. (1972), The Geography of Recreation and Leisure, London, Hutchinson.

26. De Kadt, E. (1979), Tourism : Passport to Development ? Oxford University Press, New-York.

27. ETB. (1989), Visitors in the Countryside - Rural Tourism, A Development Strategy, English Tourist Board, London.

28. Formmer, A. (1988), The New World of Travel, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.

29. Foster, D. (1985), Travel and Tourism Management, London : Macmillan.

30. Gill, P.S.(1997), Tourism : Economic and Social Development, Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi.

31. Grewal, P.S. (1990), Methods of Statistical Analysis, New Delhi, Sterling Publishers Pvt. Ltd.

32. Gunn, C.(1979), Tourism Planning, New York : Crane, Russak.

33. Gupta, V.K. (1987), Tourism in India, New Delhi, Gian Publishing House.

34. Hawkings, Donald E. et al. (1980), Tourism Planning and Development Issue Washington : George Washington University.

35. Hodgson, A.. (1987), Travel and Tourism Industry, Pergamon, New York.

36. Kamilis, P. (1986), Spatial Analysis of Tourism, Athens, CPER (in Greek).

37. Kaiser, Charles and Helber, L.E., (1978), Tourism Planning and Development, CBI Publishing Co. Boston.

38. Kaul, R.N. (1992), Dynamics of Tourism, Vol. III, Sterling, New Delhi.

39. Kumar, Maneet (1992), Tourism Today_ An Indian Perspective, Kanishka Publishing House, New Delhi.

40. Kumar, Nirmal (1996), Tourism and Economic Development, APH Publishing Corporation, New Delhi.

41. Lavery, P., ed. (1971), Recreational Geography, David and Charles, Newton Abbot.

42. Lavery, P. (1989), Travel and Tourism, First Edition, Huntingdon : Elm.

43. Lawson, Malcolm, (1975), Teaching Tourism, Tourism Intl. Press, London.

44. Lea, J. (1988), Tourism and Development in the Third World, Routledge, London.

45. Lundberg, D.E. (1972), The Tourist Business, Canners, Boston.

46. Malhotra, R.K. (1998), Growth and Development of Tourism, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.

47. Mathieson, A., and Wall, G. (1982), Tourism : Economic, Physical and Social Impacts, London : Longman.

48. Middleton, V.T.C. (1988), Markeang in Travel and Tourism, London : Heinemann.

49. मिश्र, केशवचन्द्र, चन्देल और उनका राजत्व काल, वाराणसी, विक्रमी सम्वत् 2011 ।

50. मिश्र, लक्ष्मी प्रसाद (1990), बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक इतिहास, भाग–1 ।

51. Mridula and Datt Narayan (1991), Ecology and Tourism, Delhi Universal.

52. Narval, A.J. (1936), The Tourist Industry : A National and International Survey, Pitman, London.

53. Negi, Jagmohan (1987), Tourism Development and Resource Conservation, New Delhi, Metropolitan Book Company.

54. Negi, Jagmohan, (1990), Tourism and Travel : Concepts and Principles, New Delhi, Gitanjali Publishing House.

55. Ogilvie, F.W. (1933), The Tourist Movement, Staple Press, London.

56. Patmore, J.A. (1972), Land and Leisure, Penguin, London.

57. Paul. A.H. (1989), Tourist Development, Second Edition, Harlow : Longman; New York :-Wiley.

58. Pearce, Douglas, (1981), Tourist Development, Longman, New York.

59. Pearce, Douglas (1987), Tourism Today : A Geographical Analysis, NewYork, John Wiley and Sons.

60. Peters, M. (1969), International Tourism, Hutchinson, London.

61. Ray, B.N. (1992), Kalinjer : A Historical and Cultural Profile, Allahabad.

62. Reilly, R.T. (1988), Travel and Tourism Marketing Techniques, 2nd Edition, Delmar Publishing, New York.

63. Relph, E. (1976), Place and Placelessness, Poin, London.

64. Robinson, H. (1976), A Geography of Tourism, Macdonald and Evans, London.

65. Ryan, C. (1991), Recreational Tourism : A Social Science Perspective, London : Routledge.

66. Selvam, M. (1989), Tourism Industry in India : A Study in its Growth and its Development Needs, New Delhi : Himalaya.

67. Seth, Pran Nath (1990), Successful Tourism Management, Sterling Publisher Ltd., New Delhi.

68. शर्मा, हरप्रसाद (1968), कालिंजर, प्रथम संस्करण, इलाहाबाद।

69. Sharma, K.K. (1991), Tourism in India (Centre-State Administration), Jaipur, Classic Publishing House.

70. Shelley, Leela (1990), Tourism Development in India : A Study of the Hospitality Industry, Jaipur, Arihant Publishers.

71. Simmons, I.G. (1981), The Ecology of Natural Resources, London, Edward Arnold.

72. सिंह, अम्बिका प्रसाद, कालिंजर दुर्ग तथा कुछ विशिष्ट कलाकृतियां, प्रभारी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, झांसी।

73. सिंह, दीवान प्रतिपाल, (1929), बुन्देलखण्ड का इतिहास, भाग–1, बनारस, 14 फरवरी।

74. Sigaux, G. (1966), History of Tourism, Leisure Art, London.

75. Singh, S.C., Edt..(1989), Impact of Tourism on Mountain Enviromnent, Research India Publications : Meerut.

76. Singh, S.N. (1986), Geography of Tourism and Recreation in India (With Special Reference to Varanasi), New Delhi, Inter-India Publications.

77. Singh. Tejvir, Smith, Valone, L., Fish, Mary and Richter Linda K. (1992), Tourism Environment : Nature, Culture Economy, New Delhi, Inter Publication.

78. Sinha, P.C. (1998), Tourism Impact Assessment, Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi.

79. Sinha, P.C. (1998), Tourism Reference Sources and Bibliography, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.

80. Skeffington, A.M., (1969), People and Planning, London, Department of the Environment, HMSO.

81. Smith, S.L.J. (1983) Recreation Geography, Longman, London.

82. Smith, S.L.J. (1989), Tourism Analysis : A Hand Book, Longman, Harlow.

83. सुल्लेरे, सुशील कुमार (1987), अजयगढ़ व कालिंजर की देव प्रतिमायें, दिल्ली।

84. Taafe, E.J. and Ganthier, H.L. (1973), Geography of Transportation, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

85. तिवारी, गोरेलाल, (सम्वत् 1990), बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, काशी नागरी–प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

86. त्रिपाठी, बासुदेव, वीरों का गढ़ कालिंजर, प्रथम संस्करण, दतिया, भाग–1, 1956, भाग–2, 1996।

87. त्रिपाठी, गोवर्धनदास, कालिंजर दर्शन, इलाहाबाद।

88. त्रिपाठी, मोतीलाल 'अंशात' (1986), बुन्देलखण्ड दर्शन, झांसी।

89. त्रिवेदी, एस०डी० (1984), बुन्देलखण्ड का पुरातत्व, राजकीय संग्रहालय, झांसी।

90. Usha Bala, (1990), Tourism in India : Policy and Perspectives, Arushi Prakashan, New Delhi.

91. Vaughan, R. (1977), Tourism : A Tool For Regional Development, University of Edinburgh.

92. Veal, A (1992), Research Methods in Leisure and Tourism, Harlow : Longman.

93. Wahab, S.E. (1975), Tourism Management, Tourism International Press, London.

94. Wahab, S.E., Crampon, J. and Rothfield, L. (1976), Tourism Marketing, Tourism International Press, London.

95. Witt., S. and Moutinho, L., Editors, (1978), Integrated Tourism Planning, Academic Press.

96. Witt., S.F. and Martin, C. (1992) Modelling and Forcasting Demand in Tourism, London : Academic Press.

97. Young, George (1973), "Tourism Blessing or Blight." Harmonds Worth, Penguin Books.

JOURNALS

1. Akoglu, T. (1971), Tourism and the Problem of Environment, Tourist Review, Vol. 26, PP. 18-20.

2. Archer, B.H., Owen, C. (1971), " Towards a Tourist Regional Multiplier : Regional Studies, 5 (4) PP. 289-94.

3. Britton, S.G. (1979), Some Notes on the Geography of Tourism, Canadian Geographer, Vol. XXIII (3), PP. 276-82.

4. Buckley, P.J. (1987), ' Tourism - An Economic Transaction Analysis : Tourism Management, Vol. 8,3 : PP. 190-4.

5. Budowski, G. (1976), Tourism and Conservation : Conflict, Coexistence, or Symbiosis, Environmental Conservation Vol. 3, PP. 27.31.

6. Butler, R.W. (1980), The Concept of a Tourism Area. Cycle of Evolution : Canadian Geographer, Vol. 24 : PP. 5-12.

7. Butler, R.W. (1991), Tourism, Environment and Sustainable Development; Environmental Conservation, Vol. 18, No. 3, PP. 201-209.

8. Cgot (1982), Tourism is Important to All of Us, Ottawa, Canadian Government Office of Tourism.

9. Chandrasekharan (1981), Profile of Indian Tourism, Economic and Political Weekly, October, 10, 16, 41.

10. Christaller, W. (1984), Some Considerations of Tourism Locations in Europe; Papers, Regional Science Association, Vol. 12, PP. 95-105.

11. Clement, H.G. (1967), The Impact of Tourist Expenditures; Development Digest, Vol. 5, PP. 70-81.

12. Cohen, E. (1974), 'Who is a Tourist ? : A Conceptual Clarification : Sociological Review, Vol. 22, PP. 527-55.

13. Crittendon, A. (1975), Tourism's Terrible Toll, International Wildlife, Vol. 5 (3), PP. 4-12

14. Dann, G. (1976), The Holiday was Simply Fantastic, Tourist Review, Vol. 31 (3), PP. 19-23.

15. Dann, G., Nash, D. and Pearce, P. (1988), Methodology in Tourism Research, Annals of Tourism Research Vol. 15 (1), PP. 1-28.

16. Dearden, P. (1991), 'Tourism and Sustainable Development in Northern Thailand,' The Geographical Review, Vol. 81 (4), PP. 400-413.

17. Dilley, R.S. (1986), 'Tourism Brochures and Tourist Images : Canadian Geographer, Vol. 30, PP. 59-65.

18. Dower, M. (1973), Recreation, Tourism and the Farmer, Journal of Agricultural Economics, Vol. 24, PP. 465-77.

19. Dower, M. (1974), Tourism and Conservation : Working Together, Architects Journal, Vol. 18, 159, PP. 938-63.

20. Dube, Rajiv, (1984), A Brief Note on Planning For Tourism in Developing Countries, Tourism Recreation Research, Vol. IX, No. 2.

21. Duffield, B.S. (1977), Tourism : A Tool For Regional Development, Edinburgh: Tourism and Recreation Research Unit.

22. Eolwards, A. (1991), The Reliability of Tourism Statistics, Travel and Tourism Analyst, Vol. 1, PP. 62-75.

23. Evans, N. (1976), Tourism and Cross Cultural Communication, Annals of Tourism Research, Vol. 3, PP.189-98.

24. Farrel, B.H. and D. Runyan (1991), "Ecology and Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 18, No. 1, PP. 26-40.

25. Fuji, E. and Mak, J. (1983), Tourism and Crime, Occasional Paper No. 2, University of Hawaii.

26. Ghali, M.A. (1976), Tourism and Economic Growth : An Empirical Study, Economic Development and Cultural Change, Vol. 24, PP. 527-38.

27. Gilbert, D.C. (1990), "Conceptual Issues in the Meaning of Tourism," in Cooper, C., ed., Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, Vol. 1, London : Belhaven.

28. Graburn, N.H.H. (1983), The Anthropology of Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 10, PP. 9-34.

29. Greenwood, D.J. (1972), Tourism as an Agent of Change : A Spanish Baque Case, Enthology, Vol. II, PP. 80-91.

30. Hall, J. (1974), The Capacity to Absorb Tourists, Built Environment, Vol.3, PP. 392-397.

31. Haines, G.H. (1976), The Problem of The Tourist, Housing and Planning Review, Vol. 32, PP. 7-11.

32. Heady, P. (1985), 'A Note on Some Sampling Methods For Visitor Surveys,' Survey Methodology Bulletin, Vol. 17, PP. 10-17.

33. IUOTO (1963), Conference of International Travel and Tourism, United Nations, Geneva.

34. IUOTO (1973), Health Tourism, United Nations, Geneva.

35. Jagannathan, S. (1976), Economic and Sociological Importance of Tourism, Journal of Industry and Trade, 26 February, Vol. 26, 2. PP. 30-31.

36. Jones, A. (1987), Green Tourism, Tourism Management, Vol. 26, PP. 354-356.

37. Joshi, N.C. (1990), Tourism Industry Needs Boosting, Yojana, Vol. 34, No. 19.

38. Krippendorf, J. (1986), "Tourism in the System of Industrial Society," Annals of Tourism Research, Vol. 313(4), PP. 393-414.

39. Leiper, N. (1979), The Framework of Tourism : Annals of Tourism Research, Vol. 6(4), PP. 390-407.

40. Lengyel, P. (1980), " The Anatomy of Tourism," International Social Science Journal, Vol.32, PP. 1-13.

41. Mader, V. (1988), Tourism and Environment, Annals of Tourism Research, Vol.15 (2), PP. 274-76.

42. Matley, I.M. (1976), The Geography of International Tourism, Washington; D.C.: Association of American Geographer, Resource Paper No. 76-1.

43. Medlik, S. (1988), 'What is Tourism?', Paper Presented to Teaching Tourism into the 1990s, International Conference For Tourism Educators, University of Surrey, Guildford, July 1988, Proceedings to Appear.

44. Mercer, D.C. (1970), 'The Geography of Leisure : A Contemporary Growth-Point, Geography, Vol. 55(3), PP. 261-73.

45. Mercer, K.C.R. (1977), Needs, Motives, Recreation and Tourism, Rural Recreation and Tourism Abstracts, Vol. 2, PP. 1-5.

46. Metelka, C.J. (1977), "Tourism and Development : With Friends Like These, Who Needs Enemies?," Paper Presented at the Fifth Pacific Regional Science Conference, Vancouver, August, PP. 1-13.

47. Mieczkowski, Z.T. (1981), "Some Notes on the Geography of Tourism : A Comment," Canadian Geographer, Vol. 25, PP. 186-191.

48. Milgram, S. (1970), "The Experience of Living in Cities," Science, Vol. 167, PP.1461-68.

49. Misra, K.K. (1991), Socio-Economic and Environmental Problems in Banda-Hamirpur Region, Indian National Geographer, Lucknow, Vol. 6, No. 182. PP. 83-89.

50. मिश्र, कृष्ण कुमार (1996), बाँदा जनपद : विकास की दृष्टि में, सिद्धार्थ ज्योति, अंक–1, मई, पृ0 23–25।

51. मिश्र, कृष्ण कुमार (1999), प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग से गाँवों की अस्मिता खतरे में; कुरूक्षेत्र, अंक–4, फरवरी, पृ0 21–23।

52. मिश्र, पीयूष (2001), भारत का गौरव : कालिंजर दुर्ग, योजना, दिसम्बर, वर्ष–45, अंक–9, पृ0 39–40।

53. Mitchell, L.S. and Murphy, P.E. (1991), Geography and Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 18(1), PP. 57-70.

54. Murphy, P.E. (1980), "Tourism Management Using Land-Use Planning and Landscape Design : The Victoria Experience," Canadian Geographer, Vol. 24, PP. 60-71.

55. Nandi, Parbati and Chakraborty, P. (1999), Tourism and Environmental Degradation : Facts and Remedies, Geographical Review of India, Vol. 61, No. 1, PP. 22-29.

56. Narayanan, S.V. and Sivaramakrishnan, R. (1996), Tourism and Environment : The Failure of People's Participation, Batra, G.S. (ed.), Tourism in the 21st Century, Anmol Publications Pvt. Ltd., PP. 79-86.

57. Netbay, A. (1975), Tourism and Wildlife Conservation in East Africa, American Forests, Vol. 81(8), PP. 25-7.

58. Odum, E.P. (1970), The Strategy of Ecosystem, Development Science, Vol. 164, PP. 262-70.

59. Page, S.J. (1989), Tourism Planning in London, Town and Country Planning Vol. 58, 3, PP. 334-5.

60. Page, S.J. (1992), 'Managing Tourism in a Small Historic City,' 'Town and Country Planning', Vol. 61, 7-8, PP. 208-11.

61. Papson, S. (1979), Tourism, "World's Biggest Industry in the Twenty First Century?" The Futurist, Vol. 12, PP. 249-57.

62. Pant, Puspa (2000), Growth of Tourism in Nainital, Geographical Review of India, Vol. 62, No. 2, PP. 184-190.

63. Pearce, D.G. (1978), Tourist Development ; Two Processes, Travel Research Journal, PP. 43-51.

64. Pearce, D.G. (1979), Towards A Geography of Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 6, PP. 245-72.

65. Pearce, D.G. and Mings, R.C. (1984), Geography, Tourism and Recreation in the Antipodes, Geogournal, Vol. 9 (1), PP. 91-5.

66. Perdue, R.R., Botkin, M.R. (1988), 'Visitor Survey Verses Conversion Study,' Annals of Tourism Research, Vol. 15(1), PP. 76-87.

67. Planning Commission, Govt. of India (1984), Planning of Tourism in Belize, Geographical Review, Vol. 74(3), PP. 291-303.

68. Poon, A. (1988), Information Technology and Tourism-Ideal Bed Fellows?' Annals of Tourism Research, Vol. 15, PP. 431-549.

69. Richards, G. (1973), Tourism and Public Health, South Pacific Bulletin, Vol. 23(1), PP. 32-3.

70. Rickson, I. (1973), Planning and Tourism, Journal of Royal Town Planning Institute, Vol. 59, PP. 269-70.

71. Romeril, M. (1989), Tourism and the Environment, Accord or Discord? Tourism Management, Vol. 10, 3, PP. 204-8.

72. Romeril, M. (1985), 'Tourism and the Environment- Towards A Symbiotic Relationship,' Journal of Environmental Studies, Vol. 25, PP. 215-18.

73. Salvi, P.G. (1971), Road Transport and Tourism," State Transport News, Bombay, March, P. 11.

74. Shafi, Mahmud (1985), Tourism Marketing-Pros & Cons., Tourism Recreation Research, Vol. X, No.1.

75. Shackle Ford, P. (1987), 'Global Tourism Trends,' Tourism Management, Vol. 18 (2), PP. 98-101.

76. Smith, S.L.J. (1987), 'Regional Analysis of Tourism Resources," Annals of Tourism Research, Vol. 14(2), PP. 254-73.

77. Smith, S.L.J. (1988), ' Defining Tourism : A Supply Side View,' Annals of Tourism Research, Vol. 15, No. 2, PP. 179-90.

78. Sood, Vibha Krishen (1999), "Impact of Tourism on the Socio-Cultural Setup of Ladakh, Geographical Review of India, Vol. 61, No. 2, PP. 173-182.

79. Spanoudis, C. (1982), "Trends in Tourism Planning and Development," Tourism Management, Vol. 3(4), PP. 314-18.

80. Srivastava, K.K. (1983), Tourism in India," Yojana, Vol. 27, No. 10, June 1-15, Publication Division Patiala House, New Delhi.

81. Stansfield, C.A. (1971), The Geography of Resorts : Problems and Potentials, Professional Geographer, Vol. 13, PP. 164-6.

82. Tangi, Mohammed (1979), Tourism and the Environment P. 80, in "Further Case Studies in Tourism" (ed.) Roger Doswell, Barrie Jenkins Ltd., Essex, U.K.

83. Tey, V.B. (1988), "Geographic Factors Affecting Tourism in Zambia," Annals of Tourism Research, Vol. 15(4), PP. 487-503.

84. Teuscher, H. (1983), Social Tourism for All : The Swiss Travel Savings Fund," Tourism Management, Vol. 4, PP. 216-19.

85. Thomas, J. (1964), What Makes People Travel, Asia Travel News, August, PP. 64-5.

86. Towner, J. (1988), Approaches to Tourism History; Annals of Tourism Research, Vol. 15(1), PP. 47-62.

87. Tyagi, Aditya Kumar (1989), A Study of Tourist Culture in India : Insight and Implications, Dissertation Abstracts International, December, 1990, Vol. 50, No. 07, PP. 21-30.

88. Ummat, R. (1979), Fostering Tourism : Why Dither? Eastern Economist, October 16, 1973.

89. UNESO, (1976), The Effects of Tourism on Socio-Economic Values, Annals of Tourism Research, Vol. 4, PP. 74-105.

90. Vaidya, Malati Tamboy (1979), Tourism in Maharashtra Economist, October 16, 1973.

91. Wall, G., Sinnott, J. (1980), 'Urban Recreational and Cultural Facilities,' Canadion Geographer, Vol. 24, PP. 50-9.

92. Wales Tourist Board (1992), Infrastructure Services For Tourism- A Paper For Discussion, Cardiff : Wales Tourist Board.

93. Waters, S.R. (1967), "Trends in International Tourism,' Development Digest, Vol. 5, PP. 57-62.

94. Weightman, B.A. (1987), "Third World Tour Landscapes," Annals of Tourism Research, Vol. 14 (2), PP. 227-39.

95. Wheeler, B. (1991), Tourism : Troubled Times, Tourism Management Vol. 12, No. 2 , PP. 91-96.

96. Wilson, P. (1981), India's Tourism Potential- An Analysis, Southern Economist, 01 January, Vol. 19, No. 17.

97. Wolison, M. (1967), Government's Role in Tourism Development, Development Digest, Vol. 5(2), PP. 50-56.

98. World Tourism Organisation, (1981), Guidelines For the Collection and Presentation of Domestic Tourism Statistics, W.T.O., Madrid.

99. World Tourism Organisation (1983), Definitions Concerning Tourism Statistics, W.T.O. Madrid.

100. World Tourism Organisation (1984), Survey of Surveys and Research in the Field of Tourism, W.T.O. Madrid.